राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक १०] तृतीय विधान सभा के दसवें सत्र, १९६६ का १४ वां दिवस [संख्या ११

बुधवार, दिनांक २८ सितम्बर, १९६६.

(विधान सभा की बैठक म. पू. ११.९ बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।)

(**श्री रामनिवास मिर्धा**, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[जन स्वास्थ्य, विद्युत् स्वायत्त शासन, यातायात, सार्वजनिक निर्माण, शिक्षा, विकास, योजना, पंचायत, देवस्थान--विभाग]

श्री अध्यक्ष : प्रश्न।

श्री भीमसेन!

बीकानेर जिले में पीने के पानी की समस्या

२८०. **श्री भीमसेन** (लूणकरणसर) : क्या जन स्वास्थ्य मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने का कष्ट करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि बीकानेर जिले की लूणकरणसर एवं अन्य तहसीलों में पीने के पानी की कठिनाई है? यदि हां, तो इन क्षेत्रों में पेय जल समस्या के समाधान के लिये सरकार ने चौथी योजना काल में क्या प्रावधान किया है?

(२) क्या यह सही है कि कई गांवों में ई. टी. ओ. द्वारा बोरिंग कराने की स्वीकृत भी हो चुकी है, लेकिन उनकी क्रियान्विति में विलम्ब हो रहा है।

(३) लूणकरणसर एवं बीकानेर तहसीलों के किन किन गांवों में बोरिंग होना स्वीकृत है?

जन स्वास्थ्य मंत्री (श्री हरिदेव जोशी) : (१) जी हां। क्षेत्र विशेष के लिए अलग अलग प्रावधान नहीं है।

(२) जी हां। बोरिंग मशीन सीमावर्ती क्षेत्र की आवश्यकता के लिए कार्य कर रही है। वहां काम पूरा हो जाने पर अन्य जगहों के कार्य हाथ में लिये जायेंगे।

(३) लूणकरणसर एवं बीकानेर तहसीलों के जिन जिन गांवों में बोरिंग होना तय किया गया है उनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

Page No. 2

(सूची विस्तृत होने से विधानसभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री भीमसेन : कतिपय गांवों के लिए साइट सइंग के बाद तय कर दिया है, कालासर, (जेबनाथ तलाई) फूलदेसर, घीरेरा, तो मैं समझता हूं कि सरकार ने जिन गांवों के लिए तय किया है उसमें इन्हें भी सम्मिलित करेगी ?

श्री हरिदेव जोशी : मैं यह देखूंगा कि यह भी सूची में सम्मिलित कर लिये जायें ।

श्री अध्यक्ष : श्री मजलिश खां ।

श्री भीमसेन : भारत सरकार के सिंचाई मंत्री ने लूणकरणसर का दौरा किया था और सुझाव दिये थे जो पेय जल की योजना बनाई है उसके लिए–तो उसके सम्बन्ध में क्या विचार कर रहे हैं ?

श्री हरिदेव जोशी : मैंने यह न्यूज–आइटम अखबारों में देखा है और हमारे पास कोई अधिकृत सूचना नहीं है । मैं भारत सरकार के सम्बन्धित मंत्री को लिख कर निवेदन करूंगा कि लूणकरणसर की इस कठिनाई को दूर करने के लिए शीघ्र प्रयत्न किये जायं....

श्री अध्यक्ष : श्री मजलिस खां !

पंचायत समिति, कामां के गांवों के लिये **बिजली**

२८१. **श्री मजलिस खां** (कामां) : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या यह सही है कि पंचायत समिति, कामां (जिला भरतपुर) के ग्राम कनवाड़ा, ग्राम गढ़ अजान और ग्राम बिलंग के लिये बिजली मंजूर हो चुकी है ? यदि हां तो क्या उक्त तीनों ग्रामों का सर्वे करा लिया गया है ? यदि सर्वे करा लिया गया तो यह सर्वे कब कराया गया और अब तक लाइन न खींचने का क्या कारण है ?

उप–मंत्री विद्युत (श्री घासीराम यादव) : जी हां । चूंकि ग्राम विद्युतीकरण की योजना स्वीकृति हो चुकी है इसलिए सर्वेक्षण संबन्धित विस्तृत सूचना का प्रश्न ही नहीं उठता । आर्थिक कठिनाई के कारण यह लाइन नहीं खींची जा सकी है ।

श्री मजलिस खां : यह कब तक खिंच जाएगी ?

श्री **घासीराम यादव** : अभी नहीं कहा जा सकता है ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ।

प्रश्न संख्या २८२

श्रीमती सुमित्रा ।

(अनुपस्थित–कृपया आगे देखिये)

नेक्स्ट ।

अजमेर नगर का मास्टर प्लान

२८३. **पोहूमल ईसरदास** (अजमेर पश्चिम) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री पोहूमल ईसरदास)

(१) क्या अजमेर नगर के भावी विकास की योजना की दृष्टि से कोई मास्टर प्लान सरकार द्वारा बनाया गया है ?

(२) यदि हां, तो अजमेर शहर के लिये जो मास्टर प्लान तैयार किया गया उसकी मुख्य मुख्य बातें क्या हैं ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री बरकतुल्ला खां) : (१) जी हां । मास्टर प्लान का ड्राफ्ट चीफ टाऊन प्लानर द्वारा तैयार कर लिया गया है ।

(२) अजमेर नगर का मास्टर प्लान १९९१ तक ५ लाख की आबादी के ख्याल से है बनाया गया है । यह प्लान शहर की आने वाली खास खास जरूरियातों और सुविधाओं के विस्तार का ध्यान रख कर किया गया है । जिसमें पब्लिक की संस्थाओं जैसे स्कूल कालेज, अस्पताल, वगैरह वगैरह को अलग अलग हलकों में ठीक स्थान दिया गया है । रिहायशी मकानों, दुकानों व कारखानों व दिल बहलाव के लिए बाग, खेलने की जगह, धार्मिक जगह वगैरहके लिए स्थान रखा गया है । शहर के कंजस्टेड इलाकों में भीड़ भाड़ कम करने का प्रस्ताव भी है । रहने की जगह से काम करने की जगह तक की यात्रा कम करनी पड़े यह मास्टर प्लान का अहम मकसद है । नये रास्तों को इस तरीके से सुझाया गया है कि नये व पुराने इलाके एक दूसरे के पास में रह सकें और सारा शहर एक होमोजीनियस बना रहे ।

श्री अध्यक्ष :

प्रश्न संख्या २८४

श्री रावतराम ।

(अनुपस्थित–कृपया आगे देखिये)

नेक्स्ट । श्री जुझारसिंह ।

कोटा व झालावाड़ में सड़कों के संधारण के लिए नियत राशि

२८५. **श्री जुझारसिंह** (चेचट) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) कोटा व झालावाड़ के सार्वजनिक निर्माण विभाग के सर्किल्स में कुल कितनी मील सड़कों का मेन्टीनेन्स फन्ड से संधारण किया जाता है ?

(२) क्या यह सही है कि उक्त सर्किल्स में मेन्टीनेन्स फन्ड माइलेज के आधार पर वितरित नहीं किया गया है ? कृपया अलग अलग सर्किल्स का रोड माइलेज व मेन्टीनेन्स अलॉटमेंट का विवरण सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

(३) राजस्थान के अलग अलग एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स के सर्किल्स रोड माइलेज मय उनके मेन्टीनेन्स अलॉटमेंट के बताने की कृपा करें ।

(४) झालावाड़ व कोटा सर्किल्स को अलग अलग एलोट किये गये फन्ड में से कितनी कितनी रकम लेबर पर व कितनी कितनी मेन्टीनेन्स पर खर्च किए जाने का प्रावधान है और इसका आधार क्या माना गया है ?

उप-मंत्री, सार्वजनिक निर्माण (श्री भीमसिंह) : अध्यक्ष महोदय, इसके लिए हमने पहले ही समय चाहा था। इसमें भाग १, २ और ४ की सूचना तो आ गई है और (३) की सूचना अभी उपलब्ध नहीं हो सकी है। अगर आज्ञा हो तो इन तीनों का उत्तर प्रस्तुत कर दूं।

(विराम)

(१) कोटा में २६३ मील ५।। फर्लांग और झालावाड़ में ६३८ मील ४ फ०।

(२) जी नहीं, इस वर्ष का अलॉटमेंट अभी नहीं किया गया है।

(३) यह सूचना अभी एकत्रित की जा रही है।

(४) अभी फन्ड्स अलॉट नहीं किये गये हैं इसलिए यह सूचना अभी नहीं दी जा सकती।

श्री जुझारसिंह : आपने अभी बताया कि अलॉटमेंट नहीं किया है। मैं यह आपसे पूछना चाहता हूं कि इसका क्या कारण है। ६ महीने निकल गये हैं। किस अनुपात से रिपेअर हो रही है यह आपको मालूम होना चाहिये। वहां पर अलॉटमेंट नहीं करने का क्या कारण है?

श्री भीमसिंह : काम तो मरम्मत का जारी है।

श्री जुझारसिंह : मार्च में फन्ड अलॉट हुआ है। मगर अभी तक अलॉटमेंट नहीं हुआ है। झालावाड़ में जहां तक फन्ड अलोटमेंट का प्रश्न है मैं यह कहूँगा कि वहां पर कोटा से तिगुनी रोड्स खराब हैं। जहां पर तीनगुनी रोड्स की मरमत करानी हो उनके लिये भी ५० परसेन्ट और जहां पर १।३ है उस जगह के लिए भी उतना ही खर्च किया जा रहा है। मैं कहूँगा कि झालावाड़ में रोड की मेन्टीनेन्स नहीं चल रही है। जब कोटा से झालावाड़ तीन गुणा ज्यादा है तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि वहां के लिए ज्यादा धनराशि अलॉट की जावे और यह नहीं हो कि दूसरी जगह पर यह पैसा खर्च हो जावे और झालावाड़ के लिए खर्च करने को पैसा न रहे। इससे पहले भी मैंने मंत्री महोदय को तीन चिट्ठियां लिख चुका हूँ और उन्होंने जवाब दिया है। मैं यह निवेदन करूंगा कि कुछ समय बाद आप यह कहेंगे कि यह पैसा कोटा में खर्च कर दिया गया है और हमारे पास अब पैसा नहीं है।

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री मथुरादास माथुर) : अध्यक्ष महोदय, जो मेन्टीनेन्स के लिए खर्चा मिलता है, वह राजस्थान में रोड्स पी० डब्ल्यू० डी० के मारफत बनती है और काफी बनती है, उनके लिए जितना मिलता है वह माइलेज के हिसाब से सर्कल-वाइज अलोट कर दिया जाता है। कोटा झालावाड़ का सर्कल कोटा है। झालावाड़ तो सर्कल नहीं है। उसके लिए टोटल रुपया माइलेज के हिसाब से मिलता है और वह अलॉटमेंट कर दिया जाता है। उसके बाद में कोटा का सर्कल है। अगर झालावाड़ में ज्यादा रिपेअर्स की जरूरत है और डेमेजेज ज्यादा सड़कों का हो गया है तो वहां पर ज्यादा खर्च कर सकते हैं। अगर कोटा में कोई फल्ड आ जाए तो वहां पर ज्यादा पैसा खर्च किया जा सकता है। इसलिए आपको यह निवेदन है कि हमने फाइनल अलॉटमेंट

Page No. 5

(श्री मथुरादास माथुर)

नहीं किया है। हमने टेन्टेटिव अलोटमेंट किया है। अगर झालावाड़ में ज्यादा पैसा खर्च करने की जरूरत है और रोड्स की मरम्मत की जरूरत है तो वहां पर ज्यादा पैसा खर्च किया जा सकता है। इसके अलावा अगर आवश्यकता हो तो हम दूसरे सर्कल से भी ला कर जरूरत के स्थान पर खर्च करते हैं।

श्री दलपतसिंह (आबू) : मैं यह निवेदन करूंगा कि आबू की तलहटी में नदी के कारण एक ५० हजार की ट्रान्सपोर्ट की बस बह गई। आपने पुलिया नहीं बनायी। यह दो साल पहले की बात है। आप पोलिसी की बात कह रहे हैं इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि पहले आपको उस ओर ध्यान देना चाहिये था।

श्री अध्यक्ष : पहले झालावाड़ का मामला है उसको तो तय करने दें।

श्री दलपतसिंह : यह तो पॉलिसी का मामला है। वड़े ड्रेनेज आदि का मामला है। यह पुल का प्रश्न है जहां लोगों के जीवन का प्रश्न है।

श्री मथुरादास माथुर : आप तो पुल बनाने की बात कहते हैं और यह पूछते हैं रोड्स की मेन्टीनेन्स के बारे में।

श्री दलपतसिंह : जहां पर डेन्जर है और डेन्जरस मामला है वहां पर तो आपको पहले ध्यान देना चाहिये और पहले खर्च करना चाहिये।

श्री जुझारसिंह : मैंने अपनी जानकारी के आधार पर कहा है कि झालावाड़ में कोटा से तीन गुणी सड़कें ज्यादा खराब है और इसी लिये मैंने माननीय मन्त्री महोदय को पत्र भी लिखा था।

श्री अध्यक्ष : झालावाड़ में पहले ज्यादा खर्च हो चुका होगा।

श्री जुझारसिंह : पहले भी तो वहां कम खर्च हुआ है। वहां पर तीन गुणा....

श्री अध्यक्ष : आप इसको दोहरा रहे हैं।

श्री जुझारसिंह : आपने पूरा कहने नहीं दिया।

श्री अध्यक्ष : आपने काफी कह दिया है और आप उसी को दुबारा दोहरा रहे हैं।

श्री रामकिशन (वैर) : अभी यह कहा कि यह नीति का प्रश्न है। सर्कलवाइज पैसा माइलेज के हिसाब से दिया जाता है अगर सर्कल वाले ऐसा नहीं करते हैं, तो क्या किया जाए ?

श्री जुझारसिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया है।

श्री अध्यक्ष : रुपया नहीं है। झालावाड़ का जवाब तो आ गया था।

श्री जुझारसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं कभी भी फालतु के प्रश्न नहीं करता मगर मुझे अफसोस है कि मुझे प्रश्न पूछने नहीं दिया गया।

Page No. 6

श्री अध्यक्ष : आप अपने प्रश्न को फिर दोहरा रहे हैं। पहले भी आपने तीन दफा कहा है। आप बहस को आगे न बढ़ायें।

श्री रामकिशन : एक सर्कल में कई डिस्ट्रिक्ट होते हैं। आपकी मेन्टीनेन्स किसी में कम और किसी में ज्यादा होती है, क्या आप सर्कलवाईज़ अलाटमेंट नहीं करके डाइरेक्ट डिस्ट्रिक्टवाइज़ अलाॅटमेंट नहीं कर सकते ?

श्री मथुरादास माथुर : हमारे यहां डिस्ट्रिक्टवाइज नहीं होता है। यह तो वहां के एग्जिक्यूटिव को अधिकार है। हमारे यहां डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से नहीं होता।

श्री जुझारसिंह : अगर कोई प्रोपरली अलाॅटमेंट नहीं करते हैं तो क्या किया जाए ?

श्री मथुरादास माथुर : जहां पर ज्यादा डेन्जर है वहां पर प्रायोरिटी है। हम डाइरेक्शन नहीं दे सकते कि यहां पर खर्च करो। यह सर्कल तो वालों की रेस्पोन्सीबिलिटी है और उनकी रेस्पोन्सीबिलिटी उनको अदा करनी पड़ती है और वे देखते हैं कि कहां पर ज्यादा खर्च करने की जरूरत है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या २८६

श्री मुरलीधर व्यास ?

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

पंचायत समिति क्षेत्र बांसवाड़ा में हायर सेकेन्डरी स्कूल

२८७. श्री **हीराभाई** (कुशलगढ़) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) पंचायत समिति क्षेत्र बांसवाड़ा की विभिन्न स्कूलों में सन् १६६० से १६६५ तक विद्यार्थियों की संख्या प्रतिवर्ष कितनी कितनी बढ़ी है ?

(२) क्या यह सही है कि उक्त क्षेत्र में एक भी हायर सैकेन्ड्री स्कूल नहीं है ?

(३) क्या यह सही है कि छात्रों की संख्या को देखते हुए वहां हायर सेकेंडरी स्कूल खोला जाना चाहिये था ? यदि हां, तो क्यों नहीं खोला गया है और विद्यार्थियों के आगे की पढ़ाई की व्यवस्था कहां है ?

शिक्षा मन्त्री (श्री बृजसुन्दर शर्मा) : (१) पंचायत समिति बांसवाड़ा क्षेत्र की विभिन्न स्कूलों की सन् ६० से ६५ तक छात्रों की संख्या निम्न प्रकार से रही :

सन्	छात्र संख्या
१६६०	३०५३
१६६१	३१५४
१६६२	४०६५
१६६३	४५४६
१६६४	४८३३
१६६५	४८०२

Page No. 7

(श्रीबृजसुन्दर शर्मा)

(२) यह सत्य नहीं है।

(३) उस क्षेत्र में पहले ही से हायर सेकेन्ड्री स्कूल चल रहा है।

श्री हीराभाई : अध्यक्ष महोदय, जो जवाब दिया गया है इसमें यह हो सकता है कि लिखने में गलती हो गई हो। कुशलगढ़ के बारे में अगर आपके पास सूचना हो तो आप बता दें। यह कुशलगढ़ होना चाहिये इसके बजाय बांसवाड़ा हो गया। इसलिये उनको मैं दोष नहीं देता। कुशलगढ़ में हायर सेकन्ड्री स्कूल नहीं है इसके लिए कोई आपके पास उत्तर हो तो दें और नहीं तो अगले सेशन तक इस सम्बन्ध में आपकी क्या मंशा है यह बताने की कृपा करें।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : आपने प्रश्न पूछा है वह बिल्कुल स्पष्ट है। आपने पूछा है पंचायत समिति क्षेत्र बांसवाड़ा की विभिन्न स्कूलों में छात्रों की संख्या को देखते हुए हायर सेकेण्ड्री स्कूल खोला जाना चाहिये था ? मैंने इसका उत्तर दिया है।

श्री अध्यक्ष : अगर कुशलगढ़ के बारे में आपके पास सूचना हो तो आप कह दें।

श्री हीराभाई : यह तो मैं खुद मानता हूं। यह गलती हो गई है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि वहां पर भी एक हायर सेकण्ड्री स्कूल होनी चाहिये। क्या आपकी यह मंशा है कि अगले सेशन तक वहां पर आप हायर सेकण्ड्री स्कूल बना देंगे, या निगाह से बाहर रखेंगे ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : इस वर्ष तो किसी भी जगह हायर सेकन्ड्री स्कूल नहीं खोली जायगा। शिक्षा विभाग की रिपोर्ट विचाराधीन है। अगले साल में सेमड़ा में....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य पूछते हैं कि कुशलगढ़ में हायर सेकन्ड्री स्कूल कोई नहीं है। क्या सरकार की नीति है कि वहां पर आगे खोला जावेगा ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : यह प्रश्न नहीं पूछा है।

श्री अध्यक्ष : यह अब पूछ रहे हैं।

श्री रामकिशन (वैर) : अध्यक्ष महोदय, हम ज्यादा से ज्यादा बेकवर्ड क्लासेज को और पहाड़ी क्षेत्रों में जो लोग रहते हैं उनको खास तौर से ज्यादा से ज्यादा शिक्षा देना चाहते हैं। इसको देखते हुए वहां पर हायर सैकन्ड्री स्कूल खोलना आवश्यक है, क्योंकि वहां आस पास में कोई हायर सेकन्ड्री स्कूल नहीं है

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री मथुरादास माथुर) : जूनियर सेकन्ड्री स्कूल है।

श्री हीराभाई : हायर सेकन्ड्री स्कूल नहीं है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

सवाई माधोपुर के जच्चा खाने पर व्यवस्था

२८८. **श्री श्रवणलाल (हिन्डौन मु.)** : क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

Page No. 8

(श्री श्रवणलाल)

(१) नियमानुसार सवाई माधोपुर के जच्चा खाने पर क्या क्या वस्तुएं एवं दवाइयों का प्रबन्ध स्वयं मरीज को करना पड़ता है और क्या क्या चीजें और दवाइयां सरकार की ओर से मिल जाती है ?

(२) क्या यह सही है कि उक्त जच्चा खाने की नर्स प्रत्येक डिलिवरी के केस में दस रुपये चार्ज करती है जिसमें ५) दान के, २) रु० नहाने के, २) कपड़े धुलाने के और १) रु० जच्चाखाना धुलाने के हैं ?

(३) क्या यह सही है कि इस नर्स का जनता के प्रति व्यवहार भी अच्छा नहीं है ?

(४) क्या यह सही है कि उक्त कठिनाइयों के बारे में एस. डी. एम., सवाई माधोपुर को शिकायत की गई है ? यदि हां, तो उन्होंने इस पर क्या कार्यवाही की है और सरकार जनता की परेशानी को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही कर रही है ?

चिकित्सा मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : (१) यथा सम्भव दवाइयां आदि का प्रबन्ध सरकार ने वहां पर कर रखा है फिर भी यदि कोई वस्तु या दवाई स्टॉक में नहीं हो तो उसे लाने के लिए मरीज से या उसके तीमारदार से कहा जाता है ।

(२) जी नहीं ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई ।

(३) इस प्रकार की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है ।

(४) एस. डी. एम., सवाई माधोपुर के पास ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई फिर भी कोई कठिनाई होगी तो समुचित प्रबन्ध कर दिया जावेगा । अलबत्ता डी. एम. एच. ओ., करौली के पास शिकायत प्राप्त हुई थी जो सवाई माधोपुर जांच के लिए भेजी गई और मेडिकल इन्चार्ज ने दरख्वास्त देहिन्दा को बुलाये ६ में से दो आये और उन्होंने लिख कर भिजवा दिया कि यह शिकायत उन्होंने नहीं की है ।

श्री श्रवणलाल : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मंत्री महोदय, ने कई चीजों के लिये स्वीकार किया है कि वहां पर सामान की कमी के कारण कई दिक्कतें हो सकती हैं । अध्यक्ष महोदय, वहां हमेशा यह दिक्कतें हर मरीज के लिये हैं । जो केसेज डिलीवरी के होते हैं उन्हें वहां किसी प्रकार की सुविधाएं नहीं दी जाती हैं । इसके अलावा वहां पर ५) से १० रुपया अनेक बहाने बना कर हर डिलीवरी के केस वाले से लिया जाता है । साबुन के नाम से २) रुपया और बिस्तर की धुलाई के नाम से पैसे प्रत्येक डिलीवरी केसेज वालों से लेते हैं । इसके अलावा वहां की जनता ने एक एप्लीकेशन सवाई माधोपुर के एस. डी. एम. को दी थी जिसके लिये कि मन्त्री महोदय कहते हैं कि जनता ने किसी प्रकार की एप्लीकेशन नहीं दी, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि वहां की जनता ने एप्लीकेशन दी है । वहां जनता में बड़ा भारी असंतोष फैला हुआ है किसी प्रकार की राहत वहां डिलिवरी के केसेज में नहीं मिल रही है । कई केसेज बिगड़ चुके हैं, जो वहां की जनता ने दस्तखत कर के एप्लीकेशन वहां के डी. एम. एच. ओ. और एस. डी. एम. को दी थी,

(श्री श्रवणलाल)

उसकी प्रति मेरे पास है, वह मैं सदन में पेश कर सकता हूं। वहां कई कैसेज बिगड़ चुके हैं। एक नर्स को कई वर्ष वहां रहते हो गये हैं, वह किसी प्रकार की सुनवाई नहीं करती है, न वहां किसी प्रकार की सुविधा ही मिल पाती है।

श्री अध्यक्ष : श्री रघुनाथ बिश्नोई !

श्री अब्दुल जब्बार खां (निम्बाहेड़ा) : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय कम से कम यह बात तो साफ कर दें कि क्या वहां साबुन के लिये २) रुपये हर डिलीवरी के केस वाले से लिये जाते हैं, क्या बिस्तर की धुलाई के पैसे लिये जाते हैं ? यह बात तो मालूम हो जाय।

श्री अध्यक्ष : मन्त्री महोदय ने उत्तर में कहा है।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने इन्कार किया है। माननीय सदस्य जो दर्खास्त देना चाहते हैं, वह मुझे दे दें, उसकी मैं जांच करा लूंगा बशर्ते कि वे इसमें पूरा सहयोग करें क्योंकि पहले भी जांच के लिए अधिकारी वहां गया तो, दर्ख्वास्त देने वाले ही नहीं आये और लोगों ने कहा कि हमने कोई दर्ख्वास्त नहीं दी है। वास्तव में आपकी जानकारी में है तो आपके पास जो दर्ख्वास्त है मुझे दीजिये मैं इन्क्वायरी कराऊंगा, आप उसमें सहयोग दीजिये।

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक) : मेरी जानकारी में भी है कि वहां इस प्रकार की हालत है...

श्री श्रवणलाल : मैं वह दर्ख्वास्त सदन की मेज पर रख सकता हूँ।

श्री अब्दुल जब्बारखां : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय को इसकी जांच करानी चाहिये ...

श्री अध्यक्ष : मन्त्री महोदय ने कहा है कि जांच करा लेंगे।

श्री अब्दुल जब्बार खां : यहां जयपुर में हो रहा है।

श्री अध्यक्ष : यह जयपुर का सवाल नहीं है।

प्रश्न संख्या २८९

श्री दुर्गालाल बाढ़दार !

(अनुपस्थित–कृपया आगे देखिये)

पंचायत समिति सांचोर का ऑडिट

२९०. **रघुनाथ बिश्नोई** (सांचोर) : क्या विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) पंचायत समिति सांचोर का लोकल फंड ऑडिट द्वारा पिछला ऑडिट कब कराया गया था ? उस ऑडिट रिपोर्ट की एक प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) ऑडिट एतराजात की पूर्ति के बारे में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

Page No. 10

(श्री रघुनाथ बिश्नोई)

(३) ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार पंचायत समिति सांचोर के किये सामान के क्रय करने के बारे में पिछले तीन सालों में क्या गंभीर अनियमितताएं की गई हैं? इस बारे में दोषी अधिकारियों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई है?

(४) क्या इस पंचायत समिति का कोई स्पेशल ऑडिट भी कराया गया था? अगर हाँ तो कब? अगर नहीं, तो क्यों नहीं तथा अब स्पेशल ऑडिट कब तक करा दिया जायगा?

विकास मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास): (१) इसी वर्ष माह जनवरी फरवरी में किया गया है। ऑडिट रिपोर्ट के प्रथम भाग की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) ऑडिट रिपोर्ट में किये गये आक्षेपों के बारे में जिलाधीश द्वारा विकास अधिकारी से अनुपालना रिपोर्ट भेजने के लिये लिखा गया है।

(३) ऑडिट रिपोर्ट में अनावश्यक सामान खरीदने, बजट में पर्याप्त रकम न होते हुए भी समान खरीद करने, बिना स्वीकृति, बिना टेन्डर सामान खरीदने इत्यादि का उल्लेख किया गया है। ऑडिट रिपोर्ट में बताई हुई अनियमितताओं के सम्बन्ध में जिलाधीश द्वारा कार्यवाही की जा रही है।

(४) जी नहीं। अब इसका स्पेशल ऑडिट कराया जा रहा है।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री अध्यक्ष: प्रश्न संख्या २६१।

श्री जयनारायण सालोदिया!

(अनुपस्थित–कृपया आगे देखिये)

श्री मथुरेशबिहारी!

आर्थिक एवं औद्योगिक सर्वेक्षण विभाग के कर्मचारियों की पदोन्नति

२६२. **श्री मथुरेशबिहारी माथुर** (बांदीकुई): क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या आर्थिक एवं औद्योगिक सर्वेक्षण विभाग की समाप्ति पर राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया गया था कि उक्त विभाग के कर्मचारियों को उन पदों पर रखा जावे जिन पदों पर सीनियोरिटी के अनुसार वे योग्य हों? यदि हाँ, तो यह कब निर्णय हुआ व अब तक कार्यान्वित नहीं करने का क्या कारण है?

(२) क्या उक्त कर्मचारियों की सीनियोरिटी लिस्ट बन चुकी है?

(३) क्या यह सही है कि लोक सेवा आयोग की आपत्ति पर आयु अवधि (एज-लिमिट) का प्रश्न भी राज्य सरकार द्वारा रिलेक्स किया जा चुका है?

(३) क्या यह सही है कि राज्य सरकार के निर्णय को कार्यान्वित करने में विलम्ब होने से सीनियोरिटी लिस्ट तैयार

(श्री मथुरेशबिहारी माथुर)

नहीं होने से डाइरेक्टर, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग ने जूनियर कर्मचारियों को पदोन्नति दी है ?

(४) क्या यह भी सही है कि मंत्री-मण्डल द्वारा निर्णय लिया जा चुका है कि आर्थिक एवं सर्वेक्षण विभागीय कर्मचारियों को राज्य लोक सेवा आयोग के समक्ष भेज कर सिलेक्ट (चयन) कराने की आवश्यकता नहीं है ? यदि हां, तो फिर उन कर्मचारियों की पदोन्नति की जाने में विभाग को क्या आपत्ति है ?

योजना मंत्री (श्री मथुरादास माथुर) : (१) जी नहीं । (२) जी नहीं । (३) सरकार के निर्णय के अनुसार दी राजस्थान स्टेटिस्टिकल सर्विस रूल्स १९५८ में संशोधन कर ऐसे अधिकारियों को जो निर्धारित अधिकतम आयु की सीमा पार कर चुके थे, लोक सेवा आयोग द्वारा पदों का विज्ञापन निकालने पर उन पदों के लिये आवेदन देने के लिये पात्र बना दिये थे ।

(४) जी नहीं, इन अधिकारियों की वरिष्ठता तय तभी हो सकती है जब उनका राजस्थान सांख्यिकी सेवा में चयन हो जावे । अतएव अभी यह कहना ठीक न होगा कि जूनियर कर्मचारियों को पदोन्नत किया जा रहा है ।

(५) जी नहीं । सरकार का निर्णय यह है कि इन कर्मचारियों को राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा ओपन कम्पिटिशन में चयन के लिए बाध्य करने के बजाय उनकी योग्यता विशेष स्क्रीनिंग द्वारा लोक सेवा आयोग से तय करवा ली जाय । चूंकि इन कर्मचारियों की अभी योग्यता प्रमाणित नहीं हुई है इसलिए उनकी वरिष्ठता तय नहीं की जा सकी है और इसी कारण से पदोन्नति भी नहीं की गई है ।

श्री मथुरेशबिहारी माथुर : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न के भाग (१) के जवाब में मन्त्री महोदय ने 'जी नहीं' कहा है । क्या मन्त्री महोदय बतायेंगे कि ९-७-६३ को यह डिपार्टमेंट क्लोज हुआ था तो क्या केबिनेट का डिसिजन इनको एब्जॉर्ब करने का नहीं हुआ था कि :

"Their length of service shall count towards their seniority which would be determined vis-a-vis the length of service of their counterparts in the Directorate of Economics and Statistics. It was decided that these employees be absorbed on the same grades on which they were initially recruited under the Directorate of Economic and Industrial Survey, giving them the benefit of such increments and promotions which they might have had had they continued on those grades under the Directorate of Economics and Statistics."

Page No. 12

(श्री मथुरेश बिहारी माथुर)

अभी आपने जवाब में कहा 'जी नहीं'। मैंने केबिनेट का डिसिजन पढ़ कर सुनाया जिसमें कहा गया है कि उन लोगों को उसी ग्रेड में उसी पद पर लिया जायगा, प्रमोशन्स दिए जाएंगे। मैं पूछना चाहूंगा कि डिपार्टमेंट बन्द होने पर १२० एम्प्लॉईज की पहली लिस्ट तैयार करके उनको दूसरी जगह एम्प्लॉय नहीं किया गया, दूसरी लिस्ट १७६ आदमियों की तैयार करके क्या उनको दूसरी जगह एब्जॉर्ब नहीं किया गया? इनको किया गया, फिर १३ आदमियों की तीसरी लिस्ट निकली, उन लोगों को डिमोट कर के दूसरी जगह लिया है इसका क्या कारण है?

श्री मथुरादास माथुर : प्रश्न १ के जवाब में "जी नहीं" कहा है वह ठीक कहा है, क्योंकि इकोनोमिक सर्वे के एम्प्लॉईज थे वह डिपार्टमेंट बन्द कर दिया गया, पी०एस०सी० से उनका चयन नहीं हुआ था। वे कई वर्ष इस विभाग में रहे। विभाग टेम्परेरी था। सर्विसेज टेम्पररी थी। इसलिए इनका कोई क्लेम एज ए राइट स्टेटिस्टिक्स विभाग में नहीं बनता था फिर भी क्योंकि उनके अंदर पढ़े लिखे काबिल आदमी थे इसलिए मैंने कोशिश की कि हमारे यहां इक्वेलेंट पोस्ट्स की वेकन्सीज हों, जिन पर वे आ सकें तो उनको फिक्स किया जाय। केबिनेट निर्णय की मन्शा यह थी लेकिन उसके बावजूद भी पी० एस० सी० की एप्रूवल लेनी पड़ेगी। पी. एस. सी. ओपन कम्पीटिशन से लेगी। लेकिन चूंकि वे एज बार हो गए थे इसलिए रिजोल्यूशन में एक बात का रिलेक्सेशन दिया ताकि ये आदमी भी ओपन कम्पीटिशन में बैठ सकें। फिर लोग आए कि ओपन कम्पीटिशन में बैठना मुश्किल होगा। मैंने कहा, अच्छी बात है। पी. एस. सी. में तुम्हारे नाम भेजकर स्क्रीनिंग करवा कर एप्रूवल लेंगे फिर फिक्सेशन करेंगे। अब पी. एस. सी. को स्क्रीनिंग के लिए भेजेंगे, उसके बाद सीनियोरिटी फिक्स करेंगे, तब वे प्रमोशन के लायक होंगे। अब ये पहले से ही प्रोमोशन मांगते हैं, वह नहीं दिया जा सकता क्योंकि ये विभाग के रेग्यूलर कर्मचारी नहीं हैं। या तो पी० एस० सी० के सिलेक्शन में आएं या स्क्रीनिंग में एप्रूव होकर आएं, अभी तो दोनों ही नहीं हुए हैं। इसलिए सीनियोरिटी फिक्स नहीं नहीं की जा सकती।

श्री मथुरेशबिहारी माथुर : आपने कहा, जी नहीं। मेरा प्रश्न है कि क्या इस विभाग की समाप्ति पर राज्य सरकार द्वारा निर्णय किया गया था कि उक्त विभाग के कर्मचारियों को उन पदों पर रखा जाय जिन पदों पर सीनियोरिटी के अनुसार वे योग्य हों? और ६–७–६३ के कैबिनेटि डिसीजन में साफ लिखा है कि ऑन दी सेम ग्रेड एण्ड विथ आल दी इन्क्रीमेंट्स एण्ड प्रमोशन्स इसी के तहत आपने इनको एब्जोर्ब किया है उन्हीं ग्रेड में दूसरे विभागों के अंदर लेकिन इन १३ आदमियों को आपने उसी ग्रेड पर न रखकर पी. एस. सी. का जो सवाल पैदा किया है, वह केबिनेट डिसीजन में नहीं था।

क्या यह सही नहीं है कि ७–१२–६३ को दूसरा केबिनेट डिसीजन हुआ कि इनकी

Page No. 13

(श्री मथुरेशबिहारी माथुर)

स्क्रीनिंग वगैरा की जरूरत नहीं है और इनको ओपन कम्पीटिशन में आने की जरूरत नहीं है ? उसके बाद आज १९६६ तक इसके लिए पी. एस. सी. में सिलेक्शन के लिए उनको भेजा गया। आज इकोनॉमिक्स विभाग के किस डाइरेक्टर की गलती है जिसके कारण दो वर्ष से उनको वहां पर पी० एस० सी० में क्यों नहीं भेजा जा रहा है ? इसके लिए चयन करके उनकी सीनियोरिटी तय कर दें। न सीनियोरिटी की लिस्ट तैयार की गई न उनको दो साल से पी० एस० सी० में भेजा गया। इस ढील का क्या कारण है ? आपके पास कई बार आ चुके हैं, मुख्य-मंत्री के पास आ जा चुके हैं, मुख्य सचिव के पास जा चुके हैं और विभाग का डाइरेक्टर इन १३ आदमियों को नहीं भेजना चाहता है। आप यह बताएं कि ७–१२–६३ को जो केबिनेट डिसीजन हो गया तो आज तक पी० एस० सी० में क्यों नहीं भेजा गया ? केबिनेट डिसीजन की क्यों नहीं तामील हुई, इसके लिए विभाग के डाइरेक्टर पर आपने क्या एक्शन लिया ?

श्री अध्यक्ष : श्री सतीशचंद्र अग्रवाल !

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : इसका उत्तर आना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : सारी बात को माननीय सदस्य रिपीट कर गए।

श्री मथुरेशबिहारी माथुर : मेरा प्रश्न........

श्री अध्यक्ष : उन्होंने सरकारी नीति बता दी।

श्री मथुरेशबिहारी माथुर : जो केबिनेट डिसीजन हुआ उसकी तामील अब तक क्यों नहीं हुई ?

श्री मथुरादास माथुर : केबिनेटि डिसीजन जो है उसके आधार पर राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया कि इन लोगों को स्क्रीनिंग के लिए पी० एस० सी० में भेजा जाय। सिर्फ केबिनेट के निर्णय से भी तो काम नहीं चलता जब तक विभाग के जो नियम बने हुए हैं उनमें संशोधन न किया जाय। वह प्रोविजन करने के लिए नियमों में संशोधन करके पी० एस० सी० को भेजा जाता है, उनकी एप्रूवल के बाद केबिनेट एप्रूव करती है, नियम नोटिफाई हो जाते हैं। उस क्लॉज के तहत स्क्रीनिंग के लिए भेजा जाता है इसलिए समय तो लगता ही है। अब फाइल पी० एस० सी० से स्क्रीनिंग के रूल्स अमेंड होकर हमारे पास आई है हमने सेंक्शन किया है। अब रूल्स बनेंगे।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मेरा प्रश्न कॉन्क्रीट है कि २८ फरवरी तक पी. एस. सी. की कॉंकरेंस हासिल कर ली और ७–१२–६३ को केबिनेट का डिसीजन हुआ और अब १९६६ के अंदर आपने आज तक रूल्स अमेंड नहीं किए.......

श्री अध्यक्ष : उत्तर दे चुके हैं कि वे कर रहे हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : तीन साल में उनको प्रोवाइड नहीं किया गया।

प्रश्न संख्या २६३

श्री अध्यक्ष : श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल !

(अनुपस्थित–कृपया आगे देखिये)

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत !

प्राथमिक चिकित्सा उप-केन्द्रों पर परिवार नियोजन के लिए नर्स एवं सामग्री

२६४. **श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत** (भीम) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(१) क्या यह सही है कि प्रत्येक पंचायत समिति के प्राथमिक चिकित्सा उपकेन्द्र पर परिवार नियोजन के लिए नर्स एवं आवश्यक सामग्री का प्रबन्ध करने का राज्य सरकार ने निश्चय किया है ?

(२) यदि हां, तो कितने उप-केन्द्रों पर इसकी व्यवस्था की जा चुकी है ?

(३) बाकी रहे उप-केन्द्रों पर कब तक कर दी जायगी ?

(४) इसके लिए नर्सों की व्यवस्था के लिए क्या कदम उठाया गया है ?

चिकित्सा मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : (१) जी हां।

(२) ४१० उप-केन्द्रों पर इसकी व्यवस्था की जा चुकी है।

(३) बाकी के १७४ उप-केन्द्रों पर ज्योंहि ट्रेन्ड स्टाफ उपलब्ध होगा नियुक्ति कर दी जायगी।

(४) इसकी व्यवस्था के लिए समय समय पर राजस्थान सरकार ने प्रशिक्षण केन्द्र खोले हैं और रेड क्रास सोसाइटी ने भी अब प्रशिक्षण के काम को हाथ में लिया है।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : मैंने नर्सों के बारे में पूछा था उसके बारे में आपका क्या जवाब है ? नर्सों की व्यवस्था के लिए क्या कदम आपने उठाए ?

श्री दामोदरलाल व्यास : यही तो अर्ज किया कि ४१० उप-केन्द्रों पर व्यवस्था की जा चुकी है और १७४ पर अभी तक व्यवस्था नहीं हो सकी है, वह की जा रही है।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : ४१० पर नर्सें मौजूद हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जी हां।

श्री अध्यक्ष : श्री मोहरसिंह !

डूंगरपुर-रतनगढ़ राष्ट्रीय राज मार्ग पर निर्माण कार्य

२६५. **श्री मोहरसिंह** (चूरू) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(१) डूंगरगढ़ से रतनगढ़ तक राष्ट्रीय राज मार्ग संख्या ११ पर निर्माण कार्य शुरू किया गया या नहीं ? यदि नहीं किया

Page No. 15

(श्री मोहरसिंह)

गया, तो अब कब तक निर्माण-कार्य शुरू होगा ?

(२) इस सड़क-निर्माण पर अब तक कितना रुपया व्यय किया गया है ?

(३) क्या इस सड़क निर्माण के लिए भूमि अवाप्त की गई है ? यदि हां, तो क्या उसका मुआवजा किसानों को दे दिया गया है ?

(४) यदि भूमि-अवाप्ति की कार्यवाही शुरू नहीं की गई है, तो क्यों ?

उप-मंत्री, सार्वजनिक निर्माण (श्री भीमसिंह) : (१) मील ४४ से ७६ तक के टेन्डर्स की मंजूरी सरकार द्वारा १३ सितम्बर १९६६ को दे दी गई है । आशा है कि कार्य कुछ ही दिनों में ठेकेदारों द्वारा शुरू कर दिया जायगा ।

(२) प्रश्न नहीं उठता ।

(३) नोटिफिकेशन धारा ४ व ६ लैंड एक्वीजिशन एक्ट के तहत राजपत्र में छापने के लिए कार्यवाही की जा रही है । अवार्ड प्राप्त होने पर मुआवजा चुकाया जावेगा ।

(४) भूमि-अवाप्ति की कार्यवाही शुरू कर दी गई है ।

प्रश्न संख्या २६६ ।

श्री अध्यक्ष : श्री मानिकचन्द सुराणा !

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

श्री अब्दुल जब्बार !

निम्बाहेड़ा ग्रिड सब-स्टेशन पर दुर्घटना !

२६७, **श्री अब्दुलजब्बार खां**(निम्बाहेड़ा): क्या विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(१) क्या यह सही है कि दिनांक २६-६-६५ को निम्बाहेड़ा ग्रिड सब-स्टेशन पर श्री रजाक के बिजली से जल जाने की दुर्घटना हुई थी ?

(२) क्या उसका इलाज सरकार ने करवाया है ?

(३) डॉक्टर की रिपोर्ट पर क्या एक्शन लिया गया ?

(४) क्या सरकार उसे मुआवजा देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कितना ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उपमन्त्री, विद्युत् (श्री घासीराम यादव) : (१) जी हां ।

(२) विद्युत्-मण्डल द्वारा उसका इलाज कराया गया ।

(३) चिकित्सक महोदय द्वारा प्रस्तुत किए गए विवरण की प्रतिलिपियां श्रम अधिकारी (कोटा वृत्) राजस्थान राजकीय विद्युत् मन्डल कोटा, को मुआवजे की रकम निर्धारित करने हेतु भेज दी गई है ।

(४) विद्युत्-मन्डल द्वारा मुआवजे के तौर पर रु. १०७.५० पैसे दिए गए हैं ।

श्री अब्दुलजब्बार खां: उसकी जो मेडीकल रिपोर्ट आई है उसके आधार पर आपने मुआवजा एसेस किया है तो इस १०७) रु० देने का आधार क्या था ? यह किस बात का मुआवजा है ।

श्री घासीराम यादव : उसको चोटें आई ४३ दिन काम पर नहीं जा सका ।

श्री अब्दुलजब्बार खां: उसको तनख्वाह दी ४३ दिन की ?

श्री घासीराम यादव : कायदा है १५ दिन का देने का। नियम बना हुआ है, कम्पेन्सेशन एक्ट में उसके हिसाब से दिया ।

श्री अब्दुल जब्बारखां : सवाल यह है कि वह ड्यूटी पर जला था उसमें उसकी नेग्लीजेन्स नहीं थी । उसको तनख्वाह क्यों नहीं दी ? मुआवजे का एसेसमेंट किया जाता है, उसका आधार क्या है ?

श्री घासीराम यादव : यह कायदा नहीं है कि सारी तनख्वाह दी जाय । बीमार हो जाता है, काम से अलग होता है तो कम्पेन्सेशन एक्ट के अनुसार श्रम अधिकारी तय करता है, उसको नियम के अनुसार पूरा पैसा मिला है ।

श्री अध्यक्ष : श्री हनुमानसिंह चौधरी ।

सरपंच का निलम्बन

२६८. **श्री हनुमानसिंह चौधरी** (नांवा): क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे --

(१) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत, घाटवा (त० नांवा) के सरपंच श्री घीसालाल कामदार के विरुद्ध भ्रष्टाचार, गबन व अनेकानेक आरोपों को लेकर उप-जिला विकास अधिकारी, नागौर ने सरकार को पत्र सं० एफ (द्व) पी० टी० एस० । ३८२ दिनांक ३ फरवरी, १९६६ के जरिए उक्त पंचायत को सुपरसीड करने हेतु लिखा है ।

(२) क्या यह भी सही है कि उक्त सरपंच को सरकार ने ११ सूत्रीय आरोप पत्र भी दे दिया है एवं उसका जवाब भी सरकार को पेश हो चुका है । यदि हां तो आरोप-पत्र की कापी सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

(३) क्या यह भी सही कि प्रारम्भिक जांच के वक्त जांच अधिकारी ने शिकायत कर्त्ताओं के अलावा. सम्बन्धित रेकार्ड का भी अवलोकन किया, नकलें प्राप्त की एवं सरपंच से भी जवाब लिखित में लेकर विस्तृत जांच रिपोर्ट प्रेषित की और इसके बावजूद भी आज तक सरपंच को निलंबित नहीं करने के क्या कारण हैं ?

पंचायत मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास)
(१) जी हां ।

(२) जी हां । आरोप-पत्र की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(३) जी हां । प्रारम्भिक जांच से सम्बन्धित रेकार्ड भी देखा गया व सरपंच का स्पष्टीकरण भी लिया । सरपंच ने आरोप स्वीकार नहीं किए इसलिए सरपंच के विरूद्ध राजस्थान पंचायत अधिनियम १९५३ की धारा १७(४) के अन्तर्गत विस्तृत जांच की गई है । सरपंच का निलम्बन आवश्यक नहीं समझा गया ।

Page No. 17

(श्री दामोदरलाल व्यास)

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई ।)

श्री हनुमानसिंह चौधरी : इतने आरोपों के होने हुए भी कलेक्टर ने उसको सस्पेन्ड क्यों नहीं किया, ग्राम पंचायत को सुपरसीड क्यों नहीं किया ?

श्री दामोदरलाल व्यास : सरपंच की गलती के कारण पंचायत सुपरसीड नहीं हो सकती । जहां तक आरोप का सवाल है, उसने कुछ रुपया जो पंचायत समिति से प्राप्त किया, उसका रेकार्ड में इन्दराज नहीं किया । उसने जवाब दिया है कि रकम पंचायत समिति से ली और उसके तुरन्त बाद हाई कोर्ट मे स्टे आर्डर मिल गया और उसके बाद रेकार्ड नहीं मिला इसलिए इंदराज नहीं किए जा सके लेकिन वह रकम विकास मंडलों को दे दी और सर्टिफिकेट भी काम पूरे होने का हासिल कर लिया इसलिए यह गबन नहीं है, बदनीयती नहीं है । इसलिए सस्पेंड करने की जरूरत नहीं थी ।

श्री हनुमानसिंह चौधरी : विस्तृत जांच से आपका क्या अभिप्राय है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : प्रेलिमिनेरी इन्क्वायरी होती है उसके बाद अनियमित्तायें ऐसी हों कि डिटेल्ड इन्क्वायरी जिसमें सरपंच को मौका दिया जाता है, गवाहों से जिरह कर सके ।

श्री हनुमानसिंह चौधरी : मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि ८ साल से एन्क्वायरी हो रही है, सरपंच के खिलाफ गबन और भ्रष्टाचार के आरोप हैं, चार-चार एन्क्वायरी हो चुकी है फिर भी आप कहते हैं कि विस्तृत जांच की जा रही है । छः महीने से तो यह डिटेल्ड एन्क्वायरी पड़ी हुई है । इससे आपके विभाग में क्या व्यवस्था है ? आठ साल तक प्रेलिमिनरी एन्क्वायरी नहीं हो पाती ।

श्री दामोदरलाल व्यास : आठ साल का तो नहीं है । घासीलाल के खिलाफ ८-२-६६ को प्रारम्भिक रिपोर्ट आयी है । उसके बाद तकनिकी मामला आ गया जिसके लिए इन्जीनियर ही फैसला कर सकता है कि उतना चर्चा हुआ या नहीं । एक्जीक्यूटिव इन्जीनियर की रिपोर्ट आने पर एक्शन ले लिया जावेगा ।

श्री हनुमानसिंह चौधरी : ६ महीने से टेक्निकल एन्क्वायरी किस स्टेज पर है । इन्जीनियर आकर जांच नहीं कर सकता था ।

प्रश्न संख्या २६६

श्री अध्यक्ष : श्री कृष्णकुमार गोयल !

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिए)

श्री श्रवणलाल : अध्यक्ष महोदय, कृष्णकुमारजी का प्रश्न ले लिया जाय ।

श्री अध्यक्ष : श्री उमरावसिंह ढावरिया ?

उद्योगों को बिजली

३००. **श्री उमरावसिंह ढावरिया** (बनेड़ा) : क्या विद्युत्‌-मन्त्री यह बताने कृपा करेंगे–

Page No. 18

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)

(१) राज्य में प्रति दिन एक हजार किलोवाट्स से ज्यादा बिजली किन–किन उद्योगपतियों ने सन् ६४-६५ से सन् ७१-७२ तक मांगी है तथा कितनी कितनी ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(२) सन् ६४–६५ से सन् ६६–६७ तक उपरोक्त किन–किन उद्योगों को कितनी–कितनी बिजली सप्लाई की गई ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उप-मंत्री, विद्युत् (श्री घासीराम यादव) : (१) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) सूची सदन की मेज पर रखदी गई है।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सूची जो सदन की मेज पर रखदी गई है उसको देखने से यह मालूम होता है कि १९६६–६७ में जिन–जिन उद्योगों ने जितनी-जितनी बिजली की डिमान्ड की और अभी दी जा रही है उसके मुकाबले में सन् १९६९, ७०, और ७१ में कुल कितनी बिजली की डिमान्ड उन्होंने की है ? मैं यह पूछना चाहता हूँ कि क्या राजस्थान सरकार और विद्युत बोर्ड सन् ६९–७० व ७१ में उन उद्योगों की बिजली की डिमान्ड को पूरा कर देंगे ?

श्री घासीराम यादव : अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। अभी डिमान्ड आयी है। विद्युत् मंडल उस पर विचार करेगा। कोई उन्हें एश्योरेन्स नहीं दिया गया है।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : चौथी पंचवर्षीय योजना के आंकड़े बनाये गये हैं और वे आंकड़े उनके आधार पर हैं इसलिये मैं पूछना चाहता हूं कि जो आंकड़े चतुर्थ योजना में बिजली के लिये बनाये गये हैं, तृतीय योजना में उस हद तक नहीं पहुँच सके और उसके बावजूद भी चतुर्थ योजना के आंकड़े बनाये हैं और डिमान्ड दी है उद्योगपतियों ने, तो क्या चतुर्थ योजना के इन दो सालों में जितनी इलेक्ट्रिसिटी की डिमान्ड की गई है उसको पूरा कर लेंगे ?

श्री घासीराम यादव : तृतीय योजना चल रही है और जो आंकड़े हैं वे पूरे हो जावेंगे इसलिये आपका कहना गलत है और सही नहीं है।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : गलत तो मैंने कहा ही नहीं। मैं तो पूछ रहा हूं कि आप डिमान्ड को पूरा कर लेंगे या नहीं ?

श्री घासीराम यादव : आपने कहा कि तृतीय योजना के आंकड़े पूरे नहीं हुए तो चौथी योजना को कैसे कर रहे हैं उस पर मैंने यह कहा था। चौथी योजना में आगे जाकर जनरेशन अधिक होगा। जितना ज्यादा होगा उतना दे देंगे।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : यह जो उनकी डिमान्ड है दोनों साल बताये इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड उनकी डिमान्ड को पूरा कर लेगा या नहीं ?

Page No. 19

श्री घासीराम यादव : निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता कि जो डिमान्ड है वह सारी पूरी कर सकें।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : इसमें खास तौर से बात यह है कि ६६-६७ तो चल रहा है। कुछ इन्डस्ट्रीज ६६-६७ में प्रारम्भ हो चुकी हैं और जो नहीं हुई हैं वे ६७-६८ में प्रारम्भ होंगी। इसलिये पूछना चाहता हूं कि क्या इन कारखानों को जो वे इस साल नये लगा कर चलाने वाले हैं उनको गारन्टी दी है या नहीं और जो उनकी बिजली की डिमान्ड है उनके द्वारा चाही हुई तारीख तक उनको दे देंगे या नहीं ?

श्री घासीराम यादव : कारखाने वालो ने जितनी बिजली चाही है वह हम उनको दे सकते हैं या नहीं यह इस समय मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता चतुर्थ योजना में बिजली का जनेरेशन ज्यादा होगा और उसके अनुसार दी जावेगी।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : अध्यक्ष महोदय, मेरा तो प्रश्न बिलकुल साफ है। आज उद्योग पति राजस्थान में उद्योग लगा रहे हैं उनको संतोष नहीं है और बहुत सारे प्लान्ट यहां लगाना चाहते हैं और मशीनें उनकी यहां आगई हैं लेकिन उनको राजस्थान से बाहर लेजाने के लिये दरख्वास्तें दे रखी हैं कि बिजली नहीं मिलती है इस लिये हम एक्सटेन्शन नहीं कर सकते। इसीलिये मैं साफ तौर से पूछना चाहता हूं कि इन सालों में चाही गई बिजली उन उद्योगपतियों को ७० पर्सेन्ट भी देने के लिये तैयार हैं या नहीं ?

विद्युत मन्त्री (श्री चन्दनमल वैद) : यथा सम्भव जो इन्डस्ट्रीज के साथ कमिटमेन्ट किया है उसको हम पूरा करेंगे। ६९ तक हमारे पास जो बिजली आवेगी वह उन हालतों पर निर्भर करता है कि जो हमारे पास बिजली उपलब्ध होगी।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : क्या इससे यह समझा जाय कि जो डिमान्ड उन की है उनको मीट आउट करने के लिये इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड तैयार नहीं है ?

श्री चन्दनमल वैद : ६९ के पहले बिजली मांगी है और एक्जिस्टिंग डिमान्ड है उनको पूरा कर सकें यह उन हालतों पर निर्भर करता है और पूरा कर सकते हैं जो हमारे पास बिजली है।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा (रायसिंहनगर) : आप बिजली का क्वान्टम तय करना चाहते हैं ?

श्री चन्दनमल वैद : ज्यों-ज्यों परिस्थितियां होती है उसके अनुसार इन्डीकेट करते रहते हैं।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : नये हालात में चेन्ज होने वाला नहीं है ?

श्री अध्यक्ष : श्री गंगासिंह।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : एवरेज क्वान्टम जो दे सकें वह तो कह दीजिये।

खाटू–तरनाऊ सड़क

३०१. **श्री गंगासिंह राठौड़** (जायल) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे :—

Page No. 20

(श्री गंगासिंह राठौड़)

(१) क्या खाटू--तरनाऊ सड़क जिला नागौर, स्टेट-हाई वे का एक हिस्सा है ?

(२) यह सड़क कितने मील बन चुकी है व कितने मील बननी बाकी है ?

(३) यह सड़क कब तक सम्पूर्ण होगी ?

(४) क्या यह सत्य है कि इस सड़क के बनने से खाटू की पत्थर की खानों को बहुत लाभ होगा व उनकी आमदनी बहुत ज्यादा बढ़ेगी ? अगर हां, तो क्या खनिज विभाग से भी खर्चा किया जाकर इस सड़क को सम्पूर्ण इस साल की जावेगी ?

उप-मन्त्री, सार्वजनिक निर्माण (श्री भीमसिंह) : (१) खाटू-तरनाऊ रोड प्रस्तावित स्टेट-हाई वे नं० २ का एक भाग है।

(२) ७ मील ग्रेवल तथा ५ मील फेयर वेदर रोड बन चुकी है।

(३) अर्थाभाव के कारण निश्चित नहीं कहा जा सकता।

(४) इस विभाग को जानकारी नहीं है। इस वर्ष में कार्य जो कि खनिज विभाग से स्वीकृत किये गये हैं उनमें यह कार्य सम्मिलित नहीं है।

श्री गंगासिंह : ग्रेवल के अलावा अर्थ वर्क कितना हुआ है ?

श्री भीमसिंह : पांच मील।

श्री गंगासिंह : ग्रेवल नहीं डाला गया तो अर्थ वर्क बिलकुल नष्ट हो जावेगा।

श्री भीमसिंह : कोशिश यह करेंगे कि जैसे जैसे पैसे का प्रबन्ध होगा स्टेट-हाई वे नं० २ के इस भाग को कम्पलीट करायेंगे।

श्री गंगासिंह : क्या जिला नागौर से ऐसी सूचना नहीं मिली है कि इस साल खराब हुआ अर्थ वर्क ? इसीलिये इसको कम्पलीट कर दिया जावे जिससे जो पैसा लगा है वह बेकार न जावे ?

श्री भीमसिंह : इसकी जानकारी मेरे पास अभी नहीं है।

श्री अध्यक्ष : जोधासिंह चौहान !

बाईजी लाल की बावड़ी वाला देवस्थान की भूमि

३०२. **श्री जोधसिंह चौहान** (गिरवा): क्या देवस्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) मावली तहसील में बाईजी लाल की बावड़ी वाली भूमि देव स्थान विभाग द्वारा किसे दी गई है ?

(२) इस समय यह भूमि किसके कब्जे में है ?

(३) क्या यह सही है कि देवस्थान विभाग इस भूमि को छुड़ाने के लिए कार्यवाही कर रहा है ?

(४) क्या यह सही है कि यदि इस भूमि को नीलाम किया जाय तो देवस्थान को बहुत बड़ी रकम मिल सकती है ?

Page No. 21

देवस्थान मन्त्री (श्री दामोदर लाल व्यास) : (१) इस नाम की कोई भूमि देवस्थान विभाग की नहीं है।

(२), (३) व (४) प्रश्न नहीं उठता।

श्री जोधसिंह चौहान : यह देवस्थान की बावड़ी, बाईजी लाल की बावड़ी कहलाती है। आपके पास सूचना ठीक नहीं आई। इसे एक सहकारी समिति को दे रखा है।

श्री दामोदरलाल व्यास : आपने सवाल पूछा बाईजी लाल की बावड़ी का, इस नाम से तो कोई बावड़ी है नहीं। सहकारी समिति को जो दी गई है वह हेमसागर हवाला के नाम की भूमि है। ११० बीघा १५ बिस्वा देवस्थान विभाग से २३४)४४ पैसे होते हैं। जिसके वह ५९-६० में संयुक्त कृषि सहकारी समिति को २२००) रु में ठेके पर दी गई थी इस अवधि के बाद पुनः ठेके पर देने की कार्यवाही की गई जिसकी २४०१) रु० की आखरी बोली हेमराज महाजन की रही। पर इस सम्बन्ध में राज्य सरकार के आदेशानुसार एक वर्ष के लिये पुन: सहकारी समिति को ठेके पर दे दी गई।

इसके पश्चात् देवस्थान विभाग को वापिस सौंप देनी चाहिये थी, पर समिति ने नहीं सौंपी। इसलिये एस. डी. ओ., वल्लभनगर की कोर्ट में दावा दायर किया हुआ है समिति के विरुद्ध जिसकी पहली पेशी २२ सितम्बर, ६६ को थी, आगामी पेशी अक्टूबर में है। तारीख मुझे याद नहीं है। अब यह भूमि देवस्थान के कब्जे में जब आ जावेगी फैसला होने पर, तब फिर बेचने के लिये डिस्पोजल कमेटी के समक्ष उनकी राय जानने हेतु रखा जावेगा।

श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) : कितनी आमदनी हो सकती है अगर यह बेची जावे तो, क्या देवस्थान विभाग ने इसका भी कोई एस्टीमेट लगाया है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने अर्ज किया कि मुकद्दमा ही चल रहा है अभी तो। अब कितने में यह बिक सकती है, यह मैं नहीं कह सकता।

श्री जोधसिंह चौहान : क्या यह सही है कि वह सहकारी समिति भंग हो चुकी है और इन्डिविजुअल व्यक्ति उस पर बैठकर खेती कर रहे हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मेरी जानकारी में यह नहीं हैं। जिसको लीज दी गई थी, उसके खिलाफ दावा दायर किया गया है, समिति के सारे सदस्य पार्टी बनाये गये हैं।

श्री श्रवणलाल (हिन्डौन-सु०) : समिति से पहले इस पर किसका कब्जा था ?

श्री दामोदरलाल व्यास : देवस्थान विभाग का।

श्री जोधसिंह चौहान : क्या यह सरकार को मालूम है कि इस मामले में जान-बूझ कर देरी की जा रही है, टाला जा रहा है, उनको लाभ देने के लिये जमीन छुड़ाई नहीं जा रही है, सरकार की नीयत नहीं है जमीन उनसे छुड़ाने की और इसलिये दावे के चक्कर में इसे डाला जा रहा है ? इसमें सब कांग्रेसी लोग बैठे हुए हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास : यह मेरी जानकारी में नहीं है। देरी नहीं करने की मैं ताकीद कर दूंगा।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : सवाल यह नहीं कि मुकद्मा जीतने के बाद आप उसे वापिस ले लो। जैसा मन्त्री महोदय ने कहा कि मुकद्मा जीतने के बाद जब देवस्थान विभाग में यह जमीन आवेगी तो बेचने की कार्यवाही करेंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, देवस्थान की भूमि देवस्थान की प्रॉपर्टी चाहे वह जमीन हो जायदाद हो या मकान हो, चूंकि इनकी यह सरकार केवल ट्रस्टी है, इन मन्दिरों का ट्रस्टी बोर्ड हैं यह देवस्थान तो ऐसी सूरत में इसको बेचने का देवस्थान को क्या अधिकार है?

श्री दामोदरलाल व्यास : न आपने जवाब सुना न सवाल समझा। पार्ट तीन में इन्होंने पूछा कि क्या इसे बेचने की कार्यवाही की जावेगी तो मैंने इसका जवाब दिया कि इसकी एक कमेटी है उसके सामने उसका विचार जानने के लिये यह मामला रखा जावेगा।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : मुकद्मा जीतने के बाद सरकार नीलाम करेगी, इसके लिये मैंने पूछा है।

श्री जोधसिंह चौहान : यह एक महत्वपूर्ण स्थान पर बड़ी अच्छी भूमि है। चारों तरफ पक्की दीवार है, छतरियां है इसमें, लाखों रुपये की यह प्रॉपर्टी है। सरकार ने जान-बूझ कर इस सहकारी समिति को अपने लोगों को पनपाने के लिये दे रखी है। सरकार कोर्ट में भी जल्दी करने की कोशिश नहीं कर रही है, लम्बी-लम्बी पेशियां पड़ रही हैं। सरकार की नीयत ठीक नहीं है यह मेरा निश्चित खयाल है। अगर सरकार तत्परता से और ठीक नीयत से काम करे तो देवस्थान की यह बड़ी भारी प्रॉपर्टी बच सकती है, नहीं तो दूसरे लोगों का कब्जा कराकर बैठ जावेंगे. यह तो। इस सहकारी समिति में भी कितने फर्जी सदस्य हैं, जिनका पता नहीं। इसमें बड़ा भारी घोटाला है, माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री दामोदरलाल व्यास : घोटाला है तो अच्छा है। आप साबित करें तो सही।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : इस सोसाइटी का कब निर्माण हुआ?

श्री दामोदरलाल व्यास : इसके लिये डिस्पोजल कमेटी बनी हुई है जिसमें एग्जीक्यूटिव इन्जीनियर हैं, कमिश्नर देवस्थान हैं और सीनियर आफीसर होते हैं वह देवस्थान की प्रॉपर्टी के डिस्पोजल के मामलों पर एडवाइस देने वाली बॉडी है। बेचना नहीं बेचना यह सब काम वही करती है, वही सलाह देती है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आप ट्रस्टी होने के नाते इसे बेच नहीं सकते, तो डिस्पोजल कमेटी क्या फंक्शन अदा करती है?

श्री अध्यक्ष : श्री राधाकृष्ण गोयल ! प्रश्न ३०३

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : सवाल यह है कि देवस्थान की प्रॉपर्टी को एक ट्रस्टी की हैसियत से सरकार या यह एडवाइजरी बॉडी बेच सकती है या नहीं, इसका उनको कानूनी अधिकार भी है या नहीं, इसका क्लेरिफीकेशन सरकार करवा ले।

श्री **दामोदरलाल व्यास** : अभी तो सवाल ही पैदा नहीं होता बेचने का। बेचा जावेगा और ऐसी सलाह एडवाइजरी बॉडी ने दी तो फिर पूरा विचार इस पर किया जावेगा कि कानूनी अधिकार इसको बेचने का है या नहीं।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : अभी आपने बेचने की बात कही थी। इसलिये मैंने यह निवेदन किया है।

श्री दामोदरलाल व्यास : देवस्थान के नाम से कुछ कहा जाय तो बेचा जा रहा है यह नहीं समझना चाहिये। पुराने राज्यों की बहुत सी प्रॉपर्टी भारत के अनेक नगरों में बनारस है, इलाहाबाद है, हरिद्वार है, उनमें थीं जिसका कोई उपयोग नहीं है और उसको डिस्पोज ऑफ करने का है तो उसके लिये यह कमेटी बनाई गई थी।

तो इसी तरह इस जमीन के लिये भी कह रहा हूं कि देवस्थान की है या मन्दिर की है तो उसे सरकार के बेचने का प्रश्न है ही नहीं। अभी तो दूसरे का नाजायज कब्जा उस पर है, उससे वापिस लेने का प्रश्न सामने है।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : बनारस में तो आपने मन्दिर तक को बेच दिया।

श्री दामोदरलाल व्यास : नहीं, यह गलत है।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : मन्त्री महोदय को मालूम ही नहीं है। हम गये हैं, देखकर आए हैं। भीलवाड़ा में ६ दुकानें आपने बेच दी देवस्थान की।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं इसका जवाब दूंगा।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : अधिकार आपको इनको बेचने का मिल कहां से गया कि आप इस तरह से कीमती जमीन को, प्रॉपरटी को खुर्द-बुर्द कर रहे हैं सबको ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : जो एस्टीमेट कमेटी ने रिपोर्ट प्रस्तुत की है उसमें भी इस बारे में सीरियस ऑब्जेक्शन रेज किये हैं। और जिस डिस्पोजल कमेटी के लिए मन्त्री कहते हैं वह तो उसकी इकोनॉमिक पोजीशन को देखने के सम्बन्ध में है। वे यह नहीं कह सकते कि जमीनें दुकानें मकान या मन्दिर बेच दीजिये या नहीं।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

राजस्थान विश्व विद्यालय के छात्रों की मांगें

३०३. **श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक)** : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) इस वर्ष राजस्थान विश्व विद्यालय के छात्रों ने किन कारणों से हड़ताल

(श्री राधाकृष्ण गोयल)

आरम्भ की ? विद्यार्थियों की क्या क्या मांगें थीं ?

(२) ये मांगें विद्यार्थियों ने सर्व प्रथम कब प्रस्तुत की थी ?

(३) इन मांगों में से कौन-कौन सी मांगें स्वीकार कर ली गई है तथा कौन-कौन सी मांगें और स्वीकार की जाने योग्य हैं ?

(४) क्या ये मांगें हड़ताल कर देने के बाद स्वीकार की गईं ? यदि हां, तो विलम्ब करने का उत्तरदायित्व किस पर है ?

(५) विद्यार्थियों में अनुशासन बनाये रखने के लिए सरकार क्या-क्या उपाय सोच रही है ?

शिक्षा मन्त्री (श्री बृजसुन्दर शर्मा) : (१) विद्यार्थियों ने कुछ मांगों को लेकर हड़ताल की। विद्यार्थियों की जो मांगें थीं उनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) ये मांगें विश्वविद्यालय में सर्व प्रथम १६ अगस्त १९६६ को प्रस्तुत कीं। प्री-यूनीवर्सिटी व टी. डी. सी. परीक्षा के अनिवार्य अंग्रेजी के विषय में १० अगस्त, १९६६ को एक रिप्रेजेन्टेशन विश्व विद्यालय में प्राप्त हुआ था। जिसमें महारानी कालेज की कुछ छात्राओं के हस्ताक्षर थे।

(३) विश्व विद्यालय द्वारा उन मांगों पर जो कार्यवाही की उसकी सूचना उपरोक्त सूची में अंकित है।

(४) प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि दिनांक १६ अगस्त, के दोपहर व १७ अगस्त को उपकुलपति के सम्मुख अपनी मांगों को रखने के पूर्व ही विद्यार्थियों ने हड़ताल कर दी थी।

(५) विद्यार्थियों में अनुशासन रहे इसके लिए सरकार जागरूक है। एन. सी. सी., ए. सी. सी, स्काउट्स की ट्रेनिंग दी जाती है जिसमें अनुशासन बनाये रखने को प्रथम स्थान दिया जाता है। समय-समय पर विविध प्रकार के खेलकूद इत्यादि के टूर्नामेन्ट्स होते हैं और उनकी सफलता अनुशासन पर ही निर्भर करती है। इसके अलावा बड़े-बड़े मान्य शिक्षा-शास्त्रियों के भाषण भी होते रहते हैं जिनमें अनुशासन के महत्व पर काफी प्रकाश डाला जाता है।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री राधाकृष्ण गोयल : क्या यह सही है कि १६ अगस्त को हड़ताल करने से पहले १९६५ में ही विद्यार्थियों ने अपनी मांग अंग्रेजी में ३३ प्रतिशत और ३६ प्रतिशत रखने की पेश की थी ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : यह मेरी जानकारी में नहीं है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : यह तो ६३-६४ में ही प्रश्न उठ चुका था सदन में भी।

श्री राधाकृष्ण गोयल : ६४-६५ में भी इन अंग्रेजी के प्रतिशत को लेकर स्ट्राइक

Page No. 25

(श्री राधाकृष्ण गोयल)

हुई थी। आप कह रहे हैं १७ अगस्त, ६६ की बात। फिर आप किस तरह से इस मामले में सतर्क हैं ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : जो पहले मुद्दा उठा था, उसका निर्णय कर दिया गया था। यह तो नये मुद्दे पर हड़ताल हुई है।

श्री राधाकृष्ण गोयल : यह नया मुद्दा कौनसी तारीख को उठा था और हड़ताल कौनसी तारीख को आरम्भ हुई ?

श्री अध्यक्ष : यह तो वे बता चुके हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : हड़ताल में मुख्य मुद्दा अस्सी प्रतिशत अंग्रेजी में अंक लाने का था क्या यह सही नहीं है और क्या इस सदन में जब ६३-६४ में हड़ताल हुई थी इसी मुद्दे पर तो शिक्षा मन्त्री और मुख्य मन्त्री ने यह एश्योरेन्स नहीं दिया था कि ८० प्रतिशत अंक लाने के सम्बन्ध में यूनिवर्सिटी के अधिकारियों से बात करके इसे कम करवाने की कोशिश करेंगे ?

(१२ मध्यान्ह)

श्री बृजसुन्दर शर्मा : मेरी जहां तक जानकारी है पहले ऑप्शन दिया गया था जो नये कोर्स खुले हैं उसके बारे में और पुराने कोर्स के बारे में।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : वह अलग से प्रश्न है। मुख्य प्रश्न यह है कि टी० डी० सी० के संबंध में जो विद्यार्थियों के आब्जेक्शन्स थे वह भी पहले उठे थे लेकिन वह कुछ रूप में यूनीवर्सिटी कमीशन की रिपोर्ट के बाद में उसके प्रोटेस्ट में फिर विद्यार्थियों ने उठाया है। लेकिन यह मुख्य मुद्दा तो पहले से ही विद्यार्थियों का है और जब से ८० पर्सेन्ट का कायम किया है तभी से लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं और सरकार का ध्यान उस ओर आकर्षित किया गया है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : जो मुद्दे पहले उटे थे उसकी जानकारी दे दी थी। इसके बाद में यह नया मुद्दा उठा।

श्री राधाकृष्ण गोयल : मुख्य मुद्दा अंग्रेजी में ३३ पर्सेन्ट मार्क्स रखने का है। यही महत्वपूर्ण मुद्दा था, यह उठाया।

श्री अध्यक्ष : अब तो सब तय हो गया।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : एक सप्लीमेन्टरी और है कि क्या मेडीकल कालेज के विद्यार्थियों को भी एन० सी० सी० के द्वारा और दूसरे तरीकों के द्वारा डिसीप्लिन कराने का प्रयत्न किया है ?

योजना मंत्री (श्री मथुरादास माथुर) : यह अलग प्रश्न है।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : बूंदी में ४०० छात्रों का किस बात को लेकर संघर्ष था ? छात्र स्कूलों में नहीं जा रहे हैं।

श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) : बूंदी में ७०० लड़कों का रिजल्ट रोका गया उसका क्या कारण था ?

Page No. 26

श्री बृजसुन्दर शर्मा : कोई परेशानी नहीं है। स्कूल जा रहे हैं आराम से।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : जो ७८० विद्यार्थियों का रिजल्ट रोका गया था उसका क्या कारण था ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : यह प्रश्न पहले पूछा जा चुका है और आपको इसका उत्तर मिल चुका है।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : इस बारे में बहस नहीं हो सकी। यह बहुत स्पष्ट होना चाहिए। आप बता दें कि उनका रिजल्ट क्यों रोका गया था ?

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : लॉ कालेज की कुछ मांगें थीं और हड़ताल हुई उसके संबंध में क्या निर्णय किया है और राज्य सरकार ने क्या सोचा है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : यह प्रश्न जुदा है और आपने एक मोशन भी रख छोड़ा है इसके लिए।

श्री रामानन्द अग्रवाल : वह ले लिया जायेगा क्या ?

श्री राधाकृष्ण गोयल : क्या शिक्षा मंत्री जी यह बतायेंगे कि इन मांगों को लेकर एकेडेमिक कौंसिल और सिन्डीकेट में क्या मतभेद हुआ था ? और एकेडेमिक कौंसिल की सिफारिश को सिन्डीकेट ने स्वीकार कर लिया था ?

श्री अध्यक्ष : यह बहुत पुराना मामला है।

श्री फतेहसिंह !

श्री रामानन्द अग्रवाल : एक सवाल यह रहता है कि विद्यार्थियों में अनुशासन कायम रखने के लिए जो बातें आपने बताई हैं क्या आपने पर्याप्त समझा है और क्या संतोषजनक परिणाम निकल रहा है या इसमें और भी अधिक विचार करके आवश्यक कदम उठाने की आवश्यकता है ?

श्री अध्यक्ष : श्री फतेहसिंह !

श्री मुरलीधर व्यास : यह अनुशासन का ही असर है कि आज हमारी 'राजस्थान पत्रिका' के ऊपर हमला हुआ।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : यह आप लोगों के सपोर्ट देने का असर है।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : क्या वहॉन साहब ने अपना इस्तीफा वापिस ले लिया है ?

श्री अध्यक्ष : श्री फतेहसिंह।

दुर्गादास राठौड़ की छत्री

३०४ श्री **फतेहसिंह** (चोहटन) : क्या देवस्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) दुर्गादास राठौड़ की छत्री (देवल) जो सपरा नदी के किनारे बनाई हुई है उसकी मरम्मत के लिये जोधपुर गवर्नमेन्ट (जोधपुर स्टेट) के समय में कितनी राशि मंजूर हुई थी ?

(२) राशि का क्या किया गया ? रुपया मरम्मत में लगाया गया था या लैप्स हो गया ?

(श्री फतेहसिंह)

(३) क्या गवर्नमेन्ट राजस्थान दुर्गादास की छत्री की मरम्मत कराने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(४) यदि उक्त रुपया लेप्स हो गया तो फिर दुबारा फण्ड मन्जूर करने में राज्य सरकार का क्या विचार है ?

(५) क्या यह सही है कि छत्री टूटी हालत में है ?

देवस्थान मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : देवस्थान विभाग में इसकी कोई सूचना उपलब्ध नहीं है ।

श्री फतेहसिंह : इतना भारी स्मारक है और मंत्री महोदय कहते हैं कि इत्तला ही नहीं है ।

श्री दामोदरलाल व्यास : आपने सवाल पूछा है दुर्गादास राठौड़ की छत्री के बारे में मैंने कहा कि सेंक्शन हुआ था या नहीं हुआ था इसकी सूचना देवस्थान विभाग को नही है । गालबन यह मामला आर्क्योलॉजाकल डिपार्टमेन्ट से संबंधित हो सकता है ।

श्री फतेहसिंह : मेरे पास छत्री को फोटो है....

योजना मंत्री (श्री मथुरादास माथुर) : महकमो दूजो है ।

श्री मानसिंह महार (आमेर) : मंत्री महोदय को चाहिए था कि उस डिपार्टमेन्ट को क्वेश्चन ट्रान्सफर कर देते । इस प्रकार से अनप्रिपेयर्ड आना किस तरह से वाजिब है ?

श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) : आप नये नये स्मारक तो बना रहे हैं लेकिन दुर्गादास राठौड़ जैसे वीर का स्मारक यों ही पड़ा है ।

श्री मानसिंह महार : आप पुराने की कद्र नहीं करेंगे तो आपकी कौन करेगा ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जानकारी देंगे तो कार्यवाही करेंगे ।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : आप स्वयं जानकारी करने की कोशिश क्यों नहीं करें । यह दुर्गादास राठौड़ सारे राजस्थान के वीर हैं । आप क्यों नहीं जानकारी करते हैं कि इस स्मारक को ठीक किया जाय ।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : उसी स्मारक के पास आपका भी बना दिया जायेगा ।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा (रायसिंहनगर) : अध्यक्ष महोदय, बड़े शोक का विषय है कि वीर पुरुषों के स्मारकों के प्रति आपकी इतनी अवहेलना की नीति है । इसलिए, अध्यक्ष महोदय, आप आदेश दें कि इस स्मारक की जल्दी से जल्दी मरम्मत हो ।

श्री अध्यक्ष : यह कहां है ?

श्री फतेहसिंह : यह देवल सपरा नदी के पास है और यह स्मारक का फोटो है ।

श्री अध्यक्ष : किस स्थान पर है ?

श्री फतेहसिंह : उज्जैन के पास है।

श्री दामोदरलाल व्यास : इसको मैंने आर्क्योलॉजीकल डिपार्टमेन्ट को भेज दिया है।

श्री अध्यक्ष : राजस्थान में नहीं है। उज्जन के पास है।

श्री मथुरादास माथुर : यह सवाल ही क्यों एक्सेप्ट हुआ ?

श्री अध्यक्ष : पुरानी जोधपुर रियासत के समय में इसके लिए कोई धनराशि स्वीकृत की गई थी उसके बारे में माननीय सदस्य जानकारी चाहते हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने कहा कि इसकी जानकारी नहीं मिलेगी।

श्री अध्यक्ष : जिस किसी विभाग के पास हो इसको भेज दें और इसके बारे में कृपया जानकारी करलें।

प्रश्न समाप्त हुए।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : अध्यक्ष महोदय बिजली घर के मजदूरों के लिए बोनस के ऊपर एक प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न और भी बहुत से हैं।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : पंचायत समितियों में शिक्षकों के फिक्सेशन का सवाल है और उनको उनके हक नहीं मिलते।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, प्रश्न तो बहुत बाकी रह गये हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल: माननीय अध्यक्ष महोदय, आधा घन्टा और ले लीजिए।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' (अकलेरा सु.) : अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न मेरा कोटा डिपो से चलने वाली बसों से संबंधित है ...

श्री अध्यक्ष : यह तो आपका ही पुराने वाला केस है।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' : प्रश्न संख्या ३०८।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिये कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

जल-प्रदाय योजना की स्वीकृति

२८२. **श्रीमती सुमित्रा** (झुंझुनू) : क्या जन-स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) राज्य सरकार द्वारा इस्लामपुर शहर, जिला झुंझुनू के लिए क्या कोई जल-प्रदाय योजना स्वीकृत की जा चुकी है ?

(२) क्या वहां की जन सहयोग की राशि विभाग के पास जमा करादी गई है ? यदि हां, तो कार्य प्रारम्भ किये जाने में क्या कठिनाई महसूस की जा रही है।

उत्तर

(१) जी नहीं।

(२) जी नहीं।

जयपुर-चूरू मार्ग पर रोडवेज की बसें

२८४. **श्री रावतराम** (सादूलपुर) : क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि जयपुर से चूरू वाया सीकर, झुंझुनू डामर की सड़क है ? यदि हां, तो उक्त मार्ग पर स्टेट रोडवेज की गाड़ियां चालू नहीं करने के क्या कारण हैं ?

उत्तर

निगम द्वारा इस मार्ग का अभी तक राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया है ।

बीकानेर शहर में सार्वजनिक नल

२८६. **श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर): क्या जन-स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या इस वर्ष में कहीं बीकानेर शहर में सार्वजनिक स्थानों पर पानी के नल लगाने की योजना है ? यदि हां, तो कहां-कहां पर और वे कब तक लग जावेंगे ?

उत्तर

जी नहीं, प्रश्न ही नहीं उठता ।

जयपुर तथा उदयपुर जिलों में उद्यान

२८९. **श्री दुर्गालाल बाढ़दर** (हवामहल, जयपुर) : क्या सार्वजनिक निर्माण (उद्यान) मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे;-

जयपुर तथा उदयपुर जिलों में सरकार के उद्यान कितने हैं ? प्रत्येक बाग की वार्षिक आय तथा उन पर वार्षिक व्यय कितना है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

उत्तर

जयपुर के जिले में कुल १२६, तथा उदयपुर जिले में कुल १७ सरकारी उद्यान हैं । प्रत्येक उद्यान के वर्ष १९६५-६६ के आय व्यय के आंकड़ों की सूचियां अ तथा ब संलग्न प्रस्तुत है ।

(सूचियां विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

अमृतपुरी आदर्श बस्ती की योजना

२९१. **श्री जयनारायण सालोदिया** (निवाई) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(१) क्या यह सही है कि नगर विकास न्यास, जयपुर द्वारा घाट दरवाजे बाहर सिर्फ अनुसूचित जाति के लोगों के लिए अमृतपुरी आदर्श बस्ती बसाने की योजना बनाई गई थी ? यदि हां, तो उस स्कीम में किस किस नाप के कितने प्लॉट्स हैं ? और उनमें से कितने प्लॉट्स किस रेट पर अनुसूचित जाति के किस-किस व्यक्ति को दिये गये ? नामवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(२) क्या यह सच है कि उस स्कीम में जिन अनुसूचित जाति के लोगों ने समय पर प्लॉट के लिए प्रार्थना पत्र दिये थे उनको अभी तक भी प्लॉट नहीं दिये गये हैं और अन्य लोगों को दिये गये हैं ? अनुसूचित

(श्री जयनारायण सालोदिया)

जाति के अलावा किन-किन को प्लॉट दिये हैं। उनकी नामावार सूची देने की कृपा करें।

(३) बिना एलॉटमेंट के किन-किन लोगों ने कितनी जमीन पर कब से नाजायज कब्जा कर रखा है, और उनके खिलाफ क्या क्या कार्यवाही की गई है ? नामवार सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(सरकार से उत्तर प्राप्त नहीं हुआ)

स्टेट गैरेज द्वारा सामान की खरीद

२६३. **श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(१) सन् १९६४-६५ में स्टेट गैरेज द्वारा कितने मूल्य का सामान खरीदा गया है ?

(२) क्या यह सही है कि उक्त वर्ष विलीज जीप के पुर्जे आदि सामान का टेण्डर ऐसे फर्मों का स्वीकार किया जो अधिकृत विक्रेता नहीं थीं ? यदि हां, तो क्यों और किस-किस का ?

(३) क्या यह सही है कि अन्य व्यक्ति ने कमीशन की दर बढ़ा दी और उससे काफी माल खरीद लिया गया जब कि इसका टेण्डर पहले नामंजूर हो चुका था ?

(४) क्या सरकार को स्टेट गैरेज द्वारा सामान की खरीद में हुई गड़बड़ियों की जानकारी मिली है ? यदि हां, तो सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की है ?

उत्तर

(१) स्टेट गैरेज में सन् १९६४-६५ में मोटरों की मरम्मत के लिए कुल ४,७४,-७३३) रुपये का सामान खरीदा गया है।

(२) जी, हां, यदि अधिकृत से अर्थ यह लिया जाये कि मेन्यूफेक्चरार से मान्य या उसका ऐजेन्ट।

(३) जी हां।

(४) जी हां। मामला भ्रष्टाचार निरोधक विभाग को १८ दिसम्बर, १९६५ को सुपुर्द किया जा चुका है। जांच चालू है।

कुंवरपुरा बांध, खंडेला की मरम्मत

२६६. **श्री मानिकचन्द सुराणा** (कोलायत): क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(१) क्या यह सही है कि कुंवरपुरा बांध, खंडेला की मरम्मत के कार्य को सरकार द्वारा रोक दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

(२) इस मरम्मत के कार्य के लिए कितने रुपए की स्वीकृति कब दी गई थी और यह बांध कब का बना हुआ है ?

उत्तर

(१) जी हां। बांध की मरम्मत का कार्य शिकायत के कारण रोका गया है।

(पंचायत मंत्री)

(२) दिनांक २-३-६६ को १०००) रु० स्वीकृत किए गए थे। यह बांध जागीरदार के समय से बना हुआ है।

कीर परिवारों का रोजगार

२६६, **श्री कृष्णकुमार गोयल** (कोटा): क्या खनिज मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे–

(१) क्या यह सही है कि कोटा व आस पास के लगभग १५० कीर परिवार नदी से रेत निकाल कर ठेकेदारों को बेच २ कर रियासत के समय से अभी तक अपना भरण-पोषण कर रहे थे ?

(२) क्या यह सही है कि अभी तक सरकार इन कीरों से रेत की कोई रॉयल्टी नहीं लेती थी बल्कि रेत ले जाने वालों से विभाग रॉयल्टी वसूल करता था ? अगर हां, तो गत ५ वर्षों में सरकार को कितनी आय हुई है।

(३) क्या यह सही है कि अब सरकार ने रंगपुर व गामच के रेतवाले सारे नदी के क्षेत्र प्लॉट बना २ कर ठेकेदारों को नीलाम कर दिए हैं। अगर हां, तो क्यों ?

(४) इन ठेकों से सरकार को कितनी रकम प्राप्त हुई ?

(५) क्या यह सही है कि ठेके देने से १५० कीर परिवार बेरोजगार हो गए हैं।

उत्तर

(१) जी हां कितने परिवार यह कार्य करते रहे हैं यह सरकार की जानकारी में नहीं है।

(२) जी नहीं, रॉयल्टी वसूल की जाती थी पहले ठेकेदार की मारफत और बाद में सीधे ही, गत पांच वर्ष में सरकार को कुल ७६,६२५) रु० की आय हुई है।

(३) जी हां। जनता को होने वाली प्रतिदिन की कठिनाईयों को दूर करने और कार्य सुविधा की दृष्टि से राज्य सरकार ने राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम १९५९ के अन्तर्गत साधारण मिट्टी मय ईंटें बनाने की मिट्टी, बजरी, रेत, कंकर, चुनाई पत्थर जिसमें पट्टी कातला शामिल नहीं है के लिए अधिकार शुल्क संग्रहण व शटक एवं अतिशुल्क के ठेकों को समाप्त कर देने का निर्णय लिया और तदनुसार इस क्षेत्र में भी ठेके समाप्त कर दिए गए।

(४) ३८,२७२) रु० प्रति वर्ष।

(५) प्रश्न के भाग (३) में इसका उत्तर दे दिया गया है।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

पंचायत समिति निवाई के मुर्गी पालन केन्द्र

४५. **श्री जयनारायण सालोदिया**(निवाई): क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

पंचायत समिति, निवाई के क्षेत्र में समिति के कहां–कहां मुर्गी–पालन केन्द्र हैं और उनकी क्या प्रगति है और वार्षिक खर्चा क्या है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

Page No. 32

(श्री जयनारायण सालोदिया)

उत्तर

समिति के निजी मुर्गी-पालन केन्द्र कहीं भी नहीं चल रहे हैं। नियमानुसार मुर्गी-पालन के लिए ऋण दिया गया है।

बीज की खरीद

४६. श्री **अमरसिंह** (दूदू) : क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

पंचायत समिति, जमुआरामगढ़ ने सन् ६५-६६ में फसल रबी हेतु कितना-कितना किस-किस के पास से, व कब तक बीज खरीदा ? इसका सम्पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

पंचायत समिति निवाई में अल्पबचत का लक्ष्य

४७. श्री **जगनारायण सालोदिया** (निवाई) : क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

पंचायत समिति निवाई के क्षेत्र में सन् ६४-६५ में अल्पबचत का क्या लक्ष्य रखा गया था। कितने खाते खोलने का व कितना धन इकट्ठा करने का ? और साल के अन्त तक कितना कार्य किया गया ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

कुल ४०,०००) रु० का लक्ष्य रखा गया था। १६,२७५) रु० के नेशनल सेविंगज सर्टिफिकेट खरीदे गए। कोई खाते नहीं खोले गए।

पंचायत समिति निवाई के भेड़ फार्म

४८. श्री **जयनारायण सालोदिया** (निवाई) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे --

पंचायत समिति क्षेत्र निवाई में समिति के कितने भेड़ फार्म किस-किस प्रकार के कहां कहां पर है और उन पर वार्षिक कितना रुपया खर्च हो रहा है और उनकी प्रगति क्या है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

समिति का निजी कोई भेड़ फार्म नहीं चल रहा है। नियमानुसार भेड़-पालन केन्द्र खोलने के लिए ऋण दिया गया है।

४६. जिला टोंक में बिजली

श्री **जयनारायण सालोदिया** (निवाई) : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(१) जिला टोंक में विद्युत समिति का गठन कब व कैसे किया गया था और उसमें कौन-कौन सदस्य हैं ?

(२) इस समिति की बैठक कब-कब हुई और कृषि-कार्य के लिये कौन-कौन सी

Page No. 33

(श्री जयनारायण सालोदिया)

तहसीलों में कौन-कौन से गांवों को बिजली दी जाने की सिफारिश की गई व उनमें से कितने गांवों में बिजली लग गई और कितने गांव बाकी हैं और उनमें अब कब तक बिजली दे दी जावेगी ?

उत्तर

(१) उप-सचिव, राजस्थान सरकार (विद्युत् विभाग) के आदेश क्रमांक एफ। (३०) पावर ६२ दिनांक २१-६-६४ के अन्तर्गत २६-८-६४ को विद्युतीकरण समिति की स्थापना श्री रघुवीरसिंह चौधरी जिलाधीश टोंक द्वारा की गई, इसमें निम्नांकित सदस्य हैं–

(१) श्री जिलाधीश, टोंक, अध्यक्ष,

(२) श्री जिला प्रमुख, टोंक, सदस्य,

(३) श्री हबीबुररहमान खां, प्रतिनिधि नगरपालिका, टोंक, सदस्य,

(४) श्री गोवर्धनदास सेठी, प्रतिनिधि नगरपालिका, टोडारायसिंह, सदस्य,

(५) श्री जिला कृषि अधिकारी, टोंक, सदस्य,

(६) श्री जिला उद्योग अधिकारी टोंक, सदस्य,

(७) श्री अधिशासी अभियन्ता, पावर हाउस, सवाई माधोपुर, सचिव।

(२) इस समिति की बैठक दिनांक २२-११-६५ को हुई। इस बैठक में तहसील टोडारायसिंह के ग्राम सापरवाड़ा, रतनपुरा, तोतरिया, नयावास, नासिरदा, एवं कासी, तहसील देवली के ग्राम दौलता, सिरोही, निमारिया-जली (बंछली), सिवेली दूनी एवं देवडावास, तहसील टोंक के बम्बोर सारैन, उरई, देवली, धिरोज, हर चम्बेडा तथा तहसील निवाई के ग्राम सीलडा, अम्बा चतुरबुजपुर, बुसड़ा, पहाड़ी तथा दर्शनी, आदि ग्रामों का विद्युतीकरण करने हेतु सिफारिश की गई। इन ग्रामों का विद्युतीकरण कब होगा, अभी निश्चित से नहीं कह सकते।

चूरू-सरदार शहर सड़क

५०. श्री रावतराम (सादूलपुर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री, निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि चूरू-सरदार शहर सड़क बनाने का सरकार ने निश्चय किया है। यदि हां, तो कब और इस सड़क का निर्माण कार्य कब तक चालू हो जायगा ?

(२) उक्त सड़क कब तक बन कर तैयार हो जायगी और इस पर कितना खर्चा सरकार का होगा ?

उत्तर

(१) चूरू से सरदार शहर को सड़क द्वारा सीधा जोड़ने का कार्य तृतीय योजना में स्वीकृत नहीं है वैसे चूरू तथा सरदार-शहर वाया मालेरी सड़क से जुड़े हुये हैं।

(श्री सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

(२) प्रश्न नहीं उठता ।

(१२.०६ म. प.)

श्री अध्यक्ष : सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र ।

श्री चंदनमल वैद ।

सदन की मेज पर रखे गए पत्र गृह (ख) विभाग की दो अधिसूचानएं

श्री चन्दनमल वैद (यातायात मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान मोटर गाड़ी करारोपण अधिनियम, १९५१ की धारा ३ (२) के अन्तर्गत गृह (ख) विभाग की निम्नांकित अधिसूचनायें सदन की मेज पर रखता हूं ।

(१) अधिसूचना संख्या एफ १ (३) । २६ । एच (बी० गृ० १) । ६६ दिनांक ८ सितम्बर, १९६६ जिसके द्वारा श्रीमती एस० सी०बी० हाई स्कूल, पनसार (गुजरात) के छात्रों के द्वारा चारटर्ड बसों को मोटर वाहन कर से मुक्त किया गया है, तथा

(२) अधिसूचना संख्या एफ १ (१) (६) (एच)(बी० गृ० पए १।६६ दिनांक ६ सितम्बर, १९६६ जिसके द्वारा डाइरेक्टर ग्रॉफ केथौलिक चैरिटीज फार राजस्थान के टाटा मरसीडीज़ मेंबेंज ट्रक आर० जे० जेड० ३२६७ को मोटर वाहन कर से मुक्त किया गया है ।

प्रतिवेदनों का उपस्थापन याचिका समिति का छठा प्रतिवेदन

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' (आकलेरा —सु०) : अध्यक्ष महोदय, मैं याचिका समिति के छठे प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं ।

(विराम)

श्री अध्यक्ष : याचिका का उपस्थापन । श्री श्रवणलाल !

याचिका उपस्थापन

श्री श्रवणलाल (हिंडौन—सु०) : अध्यक्ष महोदय, मैं, राष्ट्रीयकृत मार्गों पर चलने वाली बसों की अव्यवस्था के बारे में चार याचिकों द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं ।

प्रतिवेदन का उपस्थापन

प्राक्कलन समिति का २४ वां एवं २५ वां प्रतिवेदन

श्रीमती सुमित्रा (झुंझुनूं) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्राक्कलन समिति १९६६-६७ के निम्नांकित प्रतिवेदनों का उपस्थापन करती हूं ।

(१) राजस्थान राज्य विद्युत् मण्डल से सम्बन्धित समिति का २४ वां प्रतिवेदन ।

(२) उद्योग विभाग से सम्बन्धित प्राक्कलन समिति १९६३-६४ के १५ वें प्रतिवेदन में समाविष्ट राजकीय उद्योग विभाग विषयक सिफारिशों को छोड़ कर अन्य सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही के सम्बन्ध में समिति का २५ वां प्रतिवेदन ।

(१२.१३ म० प०)

मंत्रि मण्डल के प्रति अविश्वास प्रस्ताव पर अग्रेतर विचार–विमर्श

श्री अध्यक्ष : अविश्वास प्रस्ताव पर विचार।

(कई माननीय सदस्य एक साथ बोलने के लिए खड़े हुए)

श्री राम नन्द अग्रवाल !

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि-मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं कल कन्क्लूड कर नहीं पाया था........

श्री अध्यक्ष : आज भी शायद कन्क्लूड नहीं कर पायें।

श्री नाथूराम मिर्धा : सिर्फ कन्क्लूड करता हूं, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : नहीं, माननीय मंत्री महोदय।

मैं समझता हूं कि इस प्रकार से लम्बे भाषण नहीं होने चाहिए, और भी बहुत से माननीय सदस्य बोलने वाले हैं। इस तरह से डेढ़-डेढ़ घण्टे और दो दो घण्टे तक भाषण हों तो कितने कम सदस्य बोल सकेंगे, आप स्वयं जान सकते हैं। पार्टियों के समय में बटवारा करने में भी काफी समय लिया गया और उस पर भी कायम नहीं रख पायें तो इस प्रकार से तो व्यवस्था नहीं रह सकती। कोई समय की सीमा रहनी आवश्यक है। मैं समझता हूं कि कोई भी माननीय सदस्य आधे घण्टे से ज्यादा न बोलें। पन्द्रह बीस मिनिट के बाद घण्टी बजानी शुरू कर देंगे जो भी आसन पर होंगे वे और उसके बाद आधा घण्टे में अपना भाषण जल्दी से समाप्त कर दें।

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं सिर्फ पांच ही मिनिट में कन्क्लूड कर दूं।

श्री अध्यक्ष : नहीं मन्त्री महोदय, अब नहीं।

श्री मानसिंह महार (आमेर) : इन्होंने कल ही बोर कर दिया।

श्री बृजसुन्दर शर्मा (शिक्षा मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, हमारी पार्टी को कितना समय रहेगा।

श्री अध्यक्ष : आपकी पार्टी को भी समय मिल ही रहा है। कल ही दो घण्टे तक बोल चुके है मन्त्री महोदय। आज कोई भाषण आधा घण्टे से ज्यादे का नहीं होगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : मैंने तो अविश्वास का प्रस्ताव रखा है, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : आज निश्चित रूप से मर्यादा रहेगी आधा घण्टे की और आप सब उसमें सहयोग दें। कोई भी तथ्य रखने हों तो वे आधा घण्टे में रखे जा सकते हैं। लम्बे भाषण करने के लिए तो और भी बहुत से स्थान है, यहां पर तो सीमित ढंग से बोलना चाहिये।

श्री नाथूराम मिर्धा : आपकी आज्ञा शिरोधार्य है।

श्री अध्यक्ष : श्री रामानन्द अग्रवाल !

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : अध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था का प्रश्न है। जो ध्यानआकर्षण प्रस्ताव थे वे कल भी नहीं लिए गए; आज तो आप व्यवस्था कर दें उनके लिए कि इनको पहले ले लिया जाय, जल्दी निपटा देंगे। अविश्वास के प्रस्ताव को बाद में ले लिया जाय।

श्री अध्यक्ष : मैंने कल और परसों भी निवेदन किया था कि सदन की कार्यवाही समाप्त हो उसके पहले १५, २० मिनिट के लिए अगर माननीय सदस्य चाहेंगे तो निर्धारित कर दिये जाएंगे। मैं नहीं समझता कि कल क्यों नहीं लिये गए। आप लोग चाहते तो कुछ समय और बढ़ाया जाकर उनको लिया जा सकता था।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंह नगर) : हमने मांग की थी, अध्यक्ष महोदय, लेकिन सभानेत्री महोदया ने स्वीकार नहीं किया।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : बीकानेर वाटर वर्क्स के एम्पलॉईज की भूख–हड़ताल के सम्बन्ध में एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव था। उनकी आठ दिनों से भूख–हड़ताल चल रही है।

श्री अध्यक्ष : श्री रामानन्द कृपया अपना भाषण प्रारम्भ करें।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आपके द्वारा आदेश हुआ था प्रिविलेज मोशन पर कि श्री गोकुल प्रसाद और माननीय मन्त्री महोदय कुछ कहेंगे, यह आपका स्टेन्डिंग आदेश है।

श्री अध्यक्ष : मैंने जैसा निवेदन किया कि सदन की जो अविश्वास के प्रस्ताव पर बहस की कार्यवाही है वह साढ़े चार बजे तक समाप्त हो जाय और उसके बाद कुछ समय ज्यादा लेकर बाकी सारी चर्चाएं उस समय उठा लें।

श्री मुरलीधर व्यास : आज के बारे में भी आप व्यवस्था कर दें कि अविश्वास के प्रस्ताव पर भाषण हो जावें उसके बाद पांच बजे के बाद भी वही काम होगा।

श्री अध्यक्ष : साढ़े चार से साढ़े पांच बजे तक इन्हें ले लें।

श्री श्रवणलाल (हिण्डौन–सु०) : ओन ए पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर।, अध्यक्ष महोदय, मैंने एक स्थगन प्रस्ताव पर, जिस पर बहस हो चुकी थी; आपके द्वारा यह आश्वासन दिया गया था कि मंत्री महोदय जब यहां पर उपस्थित होंगे उसका जवाब दे देंगे। आज माननीय मंत्री महोदय यहां पर उपस्थित हैं।

श्री अध्यक्ष : यह भी साढ़े चार से साढ़े पांच के दौरान होगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय; अविश्वास के प्रस्ताव पर पिछले दो दिनों से बहस चल रही है। संसदीय प्रणाली मे अविश्वास का प्रस्ताव, अध्यक्ष महोदय; एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव होता है जिसमें कि जब किसी राज्य में असाधारण स्थिति हो जाय; राज्य को शासन सत्ता जिस दल के हाथ में हो वह शासन सत्ता का सही तौर से उसका उपयोग न करे; राज्य के अन्दर लॉ एन्ड ऑर्डर की भयंकर स्थिति उत्पन्न हो जाय, उस स्थिति में जनता यह महसूस करे कि शासन का बदला जाना, आवश्यक है;

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

उस स्थिति में एक अविश्वास का प्रस्ताव लाया जाता है।

अध्यक्ष महोदय, इन्हीं भावनाओं से इसी दृष्टिकोण से इन्हीं हालातों में जब कि हमने यह महसूस किया है कि हमारे प्रांत में यह राजस्थान सरकार जिस तरीके से शासन चला रही है, जिन नीतियों के अन्दर शासन चला रही है, जिस ढंग से उन नीतियों पर अमल करती है, जिस ढंग से उन नीतियों को तय करने के बावजूद अपने प्रशासन को चलाती है, वह इस प्रकार का हो गया है कि अब उसमें सुधार करना सम्भव नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, हमने बारबार इस सदन में अपने सुझावों के द्वारा, अपने बारबार तौर तरीकों के द्वारा इस गवर्नमेंट के सामने अपने सुझाव रखे लेकिन हमने यह महसूस किया है कि यह सरकार इन सुझावों पर विचार करने की बजाय, अपने तौर तरीके, अपनी नीति, अपने रास्ते को छोड़ने को तैयार नहीं है और जिसके कारण इस राज्य के अन्दर एक भयकर स्थिति उत्पन्न हुई है जिसमें एक ओर महंगाई, भयंकर महंगाई, एक तरफ आम जनता के अन्दर महंगाई के कारण असंतोष, कर्मचारी मजदूर, सामान्य नागरिक, मध्यम वर्गीय सब के सब लोगों में इस महंगाई के कारण चरम सीमा का असंतोष है जो मुख्तलिफ आन्दोलनों के रूप में प्रज्वलित हो रहा है।

अध्यक्ष महोदय, यह स्थिति इस राजस्थान में इन्हीं वर्षों में और विशेष तौर पर अवमूल्यन के साथ उत्पन्न हुई, उसमें राज्य के कर्मचारी, जो लोग कि वफादारी से अपना कार्य करते हैं, किसी पार्टी से जिनका सम्बन्ध नहीं होता, उनको भी संगठित होकर इस सरकार की नीतियों के विरोध में अपनी मांगों के लिए प्रदर्शन करने पड़े, हड़ताल करनी पड़ी और अब आन्दोलनों के लिए अग्रसर होने के लिए आगे होना पड़ा है। तो इसलिए, अध्यक्ष महोदय, हम यह महसूस करते थे कि इस राज्य की यह सरकार इस अविश्वास के प्रस्ताव पर इस तरह से विचार करेगी और उस पर उसका जो उत्तर होगा वह कुछ उनके दिल में एक हार्ट सर्चिंग की तरह का उत्तर होगा इस सीरियस कण्डीशन में, इन गम्भीर अवस्थाओं में जिसमें कि आज हमारे राज्य की आर्थिक अवस्था है, जो हमारे राज्य की लॉ एण्ड आॅर्डर की सिचुएशन है, जो हमारे राज्य की आज प्रोडक्शन की हालत है, जो हमारे राज्य की वित्तीय स्थिति है उन सब पर गम्भीरता से विचार करके इस सदन के माननीय सदस्यों के सामने कुछ गम्भीर ख्याल रखेंगे, लेकिन, अध्यक्ष महोदय, मुझे अफसोस के साथ इस बात को कहना पड़ता है कि गवर्नमेंट की तरफ से जो उत्तर दिया गया, उत्तर देने के लिए इस गवर्नमेंट के उप-नेता कृषि मंत्री जी कल खड़े हुए, मैं बहुत उम्मीद करता था कि जो प्रश्न, जो समस्यायें, जो नीति के प्रश्न इस सदन के सामने रखे हैं उनका कोई गम्भीरता से उत्तर देंगे। लेकिन, अध्यक्ष महोदय, उनका भाषण सुनकर तो मुझे वह आभास हुआ, वह दिन याद आया जब मिस्टर चर्चिल ने ब्रिटिश पार्लियामेंट के अन्दर, १९४२ के अन्दर भारतीय स्वाधीनता के संघर्ष के जवाब में ब्रिटिश पार्लियामेंट के अन्दर, हाउस ऑफ कॉमन्स के अन्दर बयान दिए थे, वे भी इसी

Page No. 38

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

तरह के थे । मिस्टर चर्चिल ने कहा था कि "इस हिन्दुस्तान के लोग ऐसे अहसान फरामोश हैं जो भूल गए उन पिन्डारियों को, उन डकैतियों को भूल गए हैं । हमारी हिन्दुस्तान को सबसे बड़ी देन है कि हमने उन पिन्डारियों के, डाकुओं के गिरोहों को समाप्त करके लॉ, एण्ड ऑर्डर की स्थिति कायम की है । हाउस ऑफ कॉमन्स में इसी चर्चिल ने उस बात को भी कहा था कि इसी ब्रिटिश सरकार ने हिन्दुस्तान को रेलें दी हैं, हिन्दुस्तान में नहरें निकाली हैं और ये कुछ स्वयंभू नेता, ये गांधी, नेहरू और पटेल, आज हिन्दुस्तान की जनता को गुमराह करके इस मौके पर जब कि हम युद्ध में जुटे हुए हैं, इन्होंने हिन्दुस्तान की जनता को बगावत पर उतारा है और यह सब लोग हिटलर और इनके फासिस्टों से मिले हुए हैं, और उनकी मदद करना चाहते हैं । हिन्दुस्तान की जनता की कोई हमदर्दी नहीं है, हिन्दुस्तान की जनता इनके साथ नहीं है ।" इस प्रकार के भाषण मि० विन्स्टन चर्चिल ने १९४२ में हमारे आजादी के आन्दोलन के पहले दिया था लगभग उसी किस्म का और उसी के पद-चिन्हों पर चलते हुए, मुझे जानकारी नहीं कि माननीय मंत्रीजी ने उन मेमॉयर्स को उठाकर उनसे अपना भाषण तैयार किया है । माननीय मंत्रीजी का भी उत्तर हुआ था कि हमने जब राजस्थान सम्हाला उस समय लॉ एण्ड ऑर्डर की सिचुएशन क्या थी ? कितने डाकू थे ? हम लोग बिजली लाये हैं, हमारे समय में जगह जगह बिजली आई है । इस तरह से उन बातों का, जो उपलब्धियां हैं उनका जिक्र करके उन्होंने जिस तरीके से मि० विन्स्टन चर्चिल ने इन तमाम बातों को कहकर हिन्दुस्तान की जनता के आरोपों को लौटाते हुए हिन्दुस्तान के गरीबों को दिखा दिया उस जलियां वाला बाग में जहां कि हिन्दुस्तान की जनता का दमन किया गया था उन सब बातों को भुलाने की कोशिश की । उसी तरह इस दल के उपनेता ने कुछ बातों को कह कर अपने इस राज्य की उन तमाम खराबियों को, उन तमाम अकर्मण्यताओं को, भ्रष्टाचार को, नीतियों के दोषों को दबाने की कोशिश की है जिसने आज हमारे राजस्थान में वर्तमान स्थिति पैदा की है ।

अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्रीजी ने कहा, वह सही कहा हो, कि मैं आंखें खोलकर चलता हूं । वे आंखें खोलकर जरूर चलते हैं, लेकिन वे कृषि मन्त्री हैं और पशु-पालन विभाग के भी । और कामों की ओर उन्होंने ध्यान चाहे न दिया हो लेकिन पशु-पालन पर निश्चय ही ध्यान देकर सांडों के विकास की तरफ जरूर ध्यान दिया है और सांडों को चाहे कोई नस्ल के हों, पशु की नस्ल के हों चाहे मनुष्य की नस्ल के हों, उनको जरूर इस राज्य के अन्दर पाला है, और जो मन्त्री जी आंखें खोलकर चलते हैं और सांडों की तरह उनकी आदत है कि वे आंखें खोल कर तो चलते हैं लेकिन गलती यह करते हैं कि वे सामने देख कर नहीं चलते हैं, नीचे देख कर नहीं चलते हैं और ऊपर की तरफ देख कर चलते हैं, और मुझे लगता है कि माननीय मंत्री जी सांडों के मंत्री होने की वजह से, उनके बारे में ज्यादा कृपावान होने की वजह से उनकी दृष्टि सांडों की तरह ऊपर हो जाती है, नीचे आम जनता जो झोपड़ियों में रहती है वह जनता आज दुखी है, उनकी तरफ नहीं जाती है ।

श्री परसराम मदेरणा (मंत्री, सामान्य प्रशासन) : सांड तो नीचे देखता है ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : इसी वजह से उन्होंने जो मंहगाई के कारण हिन्दुस्तान के अन्दर, सारे देश की सारी पार्टियां और आपकी सरकार इस बात से चिन्तित हैं कि हमें प्राइस लाइन को रोकना चाहिए, मंहगाई को रोकना चाहिए । हमारे मंत्रीजी ने इस बात के लिए मुबारक दिया कि अपने राज्य में मंहगाई ने किसानों की हालत को इस तरह बना दिया है कि किसान आज उनको इस बात का धन्यवाद देता है कि राज्य में उसको इतनी मंहगी चीजें लेनी पड़ती हैं । मुबारक हैं वे मंत्री जी उनके मुबारकबाद के लिए जो उन्हें प्राप्त होता है । लेकिन वे जिन किसानों के लिए बात करते हैं वे इसी किस्म के किसान होते हैं जो उनकी तरह से प्रोग्रेसिव फार्मर्स है, जो अंगूर उगाने वाले हैं और उसी तरह की खेती करने वाले लोग होते हैं, दूसरों से खेती कराने वाले लोग हो सकते हैं, दूसरों की मेहनत पर पलने वाले लोग हो सकते हैं । जो मेहनत करके किसान अपने खेतों के अन्दर खून और पसीने से काम करता है वह किसी तरह भी इन बातों को नहीं कह सकता है वह जानता है कि आखिर वह उस अन्न को जिसको वह पैदा करता है दूसरों को मजदूरी में बेचना पड़ता है और सरप्लस उसके पास रहता नहीं है । उसको खरीदने के लिए मार्केट में जाना पड़ता है जिसकी इस मंहगाई के कारण बहुत बुरी तरह से पिसाई होती है । मनीलेन्डर्स और जो होर्डर्स हैं वे उसकी तमाम फसल को खरीद कर अपने घरों में रख लेते हैं और फसल के बाद सारे का सारा मुनाफा उनके पास चला जाता है ।

अध्यक्ष महोदय, हम यह समझते हैं कि माननीय मन्त्री जी की यह आदत रही है और उन्होंने प्रयत्न किया मंहगाई को रोकने के लिए, लेकिन उसके अन्दर कामयाबी मिली या नहीं तो कल उन्होंने अपने इस रहस्य का उद्घाटन कर दिया कि दरअसल में इस महगाई को रोकने में विश्वास नहीं है । मंहगाई को लगातार बढ़ते हुए देखना चाहते हैं इसलिए इन माननीय मंत्री जी ने जो खाद्यान्न की स्थिति इस राज्य के अन्दर पैदा की है और खाद्यान्नों के बारे में नीति लागू की है स्टेट्स फूड ग्रेन्स आॅर्डर के डिक्लेरेशन करने के बाद लगातार आहिस्ता आहिस्ता इस तरह से जा रहे हैं, अनाज व्यापार ब्लेक मार्केटियर्स और होडर्स के पास चला जा रहा है तो यह उनकी स्थिति उनके कारण है । अध्यक्ष महोदय, इन बातों को भूल नहीं सकते कि जब हिन्दुस्तान में इस डिवेल्युएशन के बाद बहुत बड़ी मंहगाई हुई है तो इसको रोकने के लिए कदम उठाने की जरुरत हुई तो पंजाब के गवर्नर ने तेजी से कदम उठाये तो हमारे कृषि मंत्री जी ने जो इसमें दिलचस्पी नहीं रखते मंहगाई को रोकने में वह नीति अपनाई है । मैंने एक बार समाचार पढ़ा था कि राज्य सरकार के मंत्री-मंडल की बैठक हुई है और उन्होंने मंहगाई के बारे में विचार किया है और मंत्री-मंडल ने यह महसूस किया है कि उनके पास कानूनी शक्ति नहीं है, पॉवर्स नहीं हैं इसलिए केन्द्रीय सरकार को उन्होंने निवेदन किया है कि इस प्रकार का कानून बनाने की उन्हें इजाजत दी जाय जिससे उनके पास में साॅफिशियेन्ट पॉवर्स हों

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

और उसके बाद एक स्टेटमेंट और देखने को मिला कि अब राज्य मंत्रि-मंडल इस बात पर विचार करने लगा है अपने डिपार्टमेंटल हैड्स की मीटिंग बुलाकर कि इस तरह से ब्लेकमार्केटियर्स के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए विचार कर रहे है। ये क्लियर सिगनल्स थे उन ब्लेक-मार्केटियर्स, उन होर्डर्स के लिए कि हम कार्यवाही करने वाले हैं और चोरों को भाग जाना है तो भाग जाओ और कहीं पर किसी चीज को छिपाना है तो छिपा दो। हमारी यह क्लियर लाइन हो गई। तो मन्त्रि-मण्डल ने कुछ कदम उठाये। कुछ जगहों पर पेट्रोल पम्पों पर छापे मारे और डीजल और पेट्रोल के नमूने लिये और कहीं कुछ लिया। अध्यक्ष महोदय, यह एक-दो दिन हाल रहा और उसके बाद उसका आज तक पता नहीं कि क्या हुआ। और अनाज के मामलों में, दवाइयों के मामलों में और एसेन्शियल कामोडिटीज़ के मामलों में कोई भी कदम क्यों नहीं उठाये गये ?

अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि इस तरीके से इस सरकार की जो नीति है और उस सम्बन्ध में जो व्याख्या हमारे उपनेता महोदय ने की है उससे यह स्पष्ट जाहिर हो गया है कि हमारी सरकार इस मंहगाई के विरोध में नहीं है और नीति की तरह पर वह कुछ लोगों के हित में उसको मानती है।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूँगा कि अगर वास्तविकता को देखा जाय कि इस सरकार की नीतियों के जो आब्जेक्टिव्स हैं, मंत्रिमंडल को तो, मैं समझता हूँ उनसे कहना भी फिजूल है, इसलिए आपके द्वारा इस सदन के माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं दोनों ओर बैठने वाले माननीय सदस्यों से कि आप बड़ी गम्भीरता से राजस्थान की इस आर्थिक-स्थिति के ऊपर विचार करें कि क्या यह सही नहीं है कि इस दौरान के अन्दर जहां हमारी पैदावार के आंकड़े बढ़ने लगे वहां अब गिरावट शुरू हो गई है। अगर आप उस बैक ग्राउन्ड को लें १९४७ के पहले, आजादी से पहले से आज मुकाबला करें तो आज की स्थिति आब्जेक्टिव नहीं है। वास्तविकता को देखना नहीं चाहते। "पिदरेमन सुलतान बूद" कह कर रह जाते हैं। इस सदन के अन्दर कोई भी माननीय सदस्य उस पुराने शासन को, सन् १९४७ के पहले के शासन को पसन्द नहीं करता है और चाहे कोई भी उस वक्त उस शासन से लड़ाई में नहीं आये हों, लेकिन यह तथ्य है कि इस सदन में इस ओर बैठने वाले जो सदस्य हैं उन्होंने हिन्दुस्तान की आजादी प्राप्त करने में और राजस्थान से सामन्ती राज्य को समाप्त करने में आगे बढ़ कर हिस्सा लिया है। वह पुरानी कहानी है जिसमें हम सबका योग है उस बुनियाद पर उसी बात को कह कर जो अपने शासन की बुराइयों को दबाने की कोशिश करें तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ, अध्यक्ष महोदय, कि वह आज इस सदन में सही मापदण्ड नहीं है। सही मापदण्ड और पैमाना वह होगा जो आपने हिन्दुस्तान के नेशनल मूवमेंट के समय जो लक्ष्य निर्धारित किये थे, जो घोषणा की थी कि हिन्दुस्तान की आजादी आने के बाद क्या-क्या चीजें करेंगे। आपने अपनी इन पंचवर्षीय योजनाओं के जरिये जो

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

अपने सामने ऑब्जेक्टिव, जो लक्ष्य रखे हैं उनको आप कहां तक पूरा कर पाये हैं ? उनके अन्दर कहीं क्या कमी आ रही है ? क्या आपकी दिशा बदल गई है ? कहीं आगे बढ़ सकते थे तो आगे बढ़ने के बजाय आप पीछे तो नहीं हट रहे हैं ? आज हमारे सामने क्या है और हम किस तरह से विकास कर सकते हैं और वास्तव में हम किधर जा रहे है, इस मापदण्ड को देखना होगा। आज उस मापदण्ड को नहीं देखना होगा। आज राजस्थान की दो करोड़ जनता को आपको जवाब देना है। कुछ सैंकड़ों जागीरदारों के प्रति जवाब नहीं देना है। चन्द राजाओं को जवाब नहीं देना है। केवल इतना कहकर कि तुम्हारे शासन में क्या हाल था आप छूट नहीं सकते। वह क्या बात है ? वे आज खुद पूछते हैं कि जो कुछ हुआ सो हुआ लेकिन जो उन्होंने कमिटमेंट किया है और जो आपके जागीरदार हैं या जमींदार हैं उनके अवशेष बाकी छोड़ने पर यदि आज भी उनको रियायत दी जाती है, यदि आज उन अवशेषों को राहत दी जाती है तो उसकी जिम्मेदारी शासन पर है, कांग्रेस पर है।

अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि इस दृष्टि से यदि हम उत्पादन की स्थिति राजस्थान में देखें तो भयावनी स्थिति राजस्थान में हो रही है। सन् ६१ के बाद लगातार कृषि के उत्पान में गिरावट होती जा रही है। जो सूचकांक सन् ६१ में १४६०६६ था वही ६३-६४ में १०५ रह गया, वहीं पहुंच गया। ५७-५८ में ११०.५८ था वही सन् ६३-६४ में १०५.६६ रह गया। इस साल के आंकड़े नहीं हैं। जो मन्त्रीजी ने आंकड़े खाद्यान्न के बारे में पेश किए थे उनसे जाहिर होता है कि आज की स्थिति और भी भयावह है। इसका कारण बताते हुए मन्त्रीजी अकाल की बात कहेंगे, वर्षा नहीं होने की बात कहेंगे। इस तरह का बहाना किया जाता है। लेकिन मैं बताऊंगा कि इस तरह का कारण नहीं है फिर भी उद्योगों के उत्पादन में गिरावट क्यों हो रही है ?

अध्यक्ष महोदय, उद्योगों के उत्पादन के बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि सीमेंट का उत्पादन सन् ६१ में १०८६ टन था वही सन् ६४ में १०५६ टन रह गया। कांच का ८१७ था सन् ६१ में ६४ में ४४७ रह गया। सूती वस्त्रों का ६१ में ५५३ था वह ६४ में ५४३ रह गया। शक्कर का ६१ में १८.२ था वह ६४ में ६.६ हो गया। इस तरह से आज पूरे उद्योगों में जो गिरावट आई है उसको हम परमात्मा की कृपा समझें इससे मैं समझता हूँ वास्तविकता के प्रति क्या आंख मूंदना नहीं होगा ? उसके पीछे सरकार की नीतियां हैं। जहां तक अन्न उत्पादन का सवाल है, आज भारत सरकार बार बार कह रही है, प्लॉनिंग कमीशन बार बार कह रहा है उसके पीछे सरकार की नीतियां हैं। उन भूमि सुधारों, जिनके पीछे हिन्दुस्तान के राष्ट्रीय आन्दोलनों ने जोत जगाई थी, की मांग की थी वे सारे सुधार अव्वल तो इस तरह के हैं जिनका अमल करते समय लोग उत्साहित नहीं होते। इस सम्बन्ध में मैं अधिक नहीं कह कर भारत सरकार के सेक्रेटरी यहां आए थे उनका लैंड रिफॉर्म्स के बारे में क्या कहना है वह मैं पढ़ कर सुना

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

देता हूँ । वे श्री अली राजा क्या कहते हैं :

"It is freely admitted that there is a common practice for leasing out land to share croppers, but it would thus appear that the lessees have no security of tenure at all. The law itself does not seek to confer this. They are also obliged to pay."

श्री रामप्रसाद लड्ढा (सिंचाई मन्त्री) : पूरा बोल दें ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : "excessive rents amounting in some cases to as much as half the produce. The law intends to regulate rents, but this is simply not possible unless at the same time security is also given."

अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में जो राजस्थान रेवेन्यू लॉज कमीशन ने अपनी तीसरी रिपोर्ट दी है वह सदन की टेबल पर नहीं रखी गई लेकिन गवर्नमेंट ने उसको प्रकाशित किया है, एडवरटाइज किया है। इस रिपोर्ट में खुद रेवेन्यू लॉज कमीशन ने इस बात को माना है, इस रिपोर्ट को पढ़ने में मुझे काफी समय लग जायगा....

श्री रामप्रसाद लढ्ढा : उसके पहले पैराग्राफ को पढ़ दें ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मेरे पास इतना समय नहीं है। उसको आप पढ़ देना ।

इस सम्बन्ध में राजस्थान रेवेन्यू लॉज कमीशन की जो रिपोर्ट मन्जूर की है उसमें मन्जूर किया है कि सब-लेटिंग लगातार हो रहा है, बंटाई लगातार हो रही है, टिनेन्ट्स की सिक्योरिटी नहीं है, गंगानगर में तो नौकर का नाम लेकर पहले पैसा रखा लिया जाता है । इस तरह की स्थिति आज हमारे यहां लैंड रिफार्म्स की है ।

हमारे यहां सीलिंग के बारे में चर्चा चलती है तो हमारे मुख्य मन्त्रीजी और राजस्व मन्त्रीजी एक बेकार की लड़ाई खड़ी करते हैं । एक कहते हैं मैं प्रोग्रेसिव हूं, लागू करना चाहता हूं लेकिन राजस्व मन्त्रीजी रोड़े अटकाते हैं, और राजस्व मन्त्रीजी कहते हैं कि मैं भूमिहीनों का पक्ष लेना चाहता हूं लेकिन मुख्य मन्त्रीजी रोड़े अटकाते हैं । मेरी समझ में तो दोनों का लक्ष्य एक ही है लागू नहीं करना चाहते । नतीजा यह निकलता है कि सीलिंग आज तक लागू नहीं किया गया । जब तक जमीन बंट न जाय तब तक कुछ नहीं करना चाहते । सरकार की नीयत यही है ।

राजाओं की लैंड रिज्यूम करने का कानून पास किया सन् ६३ में । हमने उस समय मांग की थी कि राजा लोग अपनी जमीनें बेचेंगे सीलिंग से बचने के लिए इसलिए आप ऐसा प्रोविजन रखें कि वे बेच नहीं सकें या किसी को दे न सकें लेकिन आपने ऐसा करने से इन्कार कर दिया क्योंकि आप किसी को प्रोत्साहन देना चाहते थे या रियायत देना चाहते थे, लैंड में तोड़ फोड़ करना थे चाहते ।

इसी तरह से औद्योगिक उत्पादन गिरा है। उसका कारण क्या है ? केपिटेलिस्टिक

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

नीति आपकी होने के कारण मोनोपोलिस्ट्स को प्रोत्साहन देने की सरकार की नीति है : कुछ पोद्दार्स, कुछ कमानीज, कुछ साहू जैन ऐसे लोग पनप जायं, राजस्थान की तमाम औद्योगिक चीजों को उनके सुपुर्द करके छोटे छोटे उद्योग समाप्त हो जायं यह सरकार की नीति है। नतीजा यह हुआ कि कोटा में कास्टिक सोडा फैक्ट्री को बिजली देने की बात बार बार आई है। क्या यह असाधारण बात नहीं है कि चंबल से पैदा होने वाली बिजली का ४० प्रतिशत हिस्सा एक ही संस्थान को दे दिया जाय ? सारे राजस्थान में उत्पादित बिजली का २० प्रतिशत हिस्सा एक अकेले संस्थान को दे दिया जाय। इसका मतलब यह है कि राजस्थान के दूसरे उद्योगों का गला घोंट दिया जाय एक ही को देकर। रोजमर्रा यहां पर बात लाई जाती है—फलां बड़े उद्योग को रियायत दे रहे हैं। अभी अभी सुना है. मंत्रीजी बतायंगे कि यह कहां तक सही है, राजस्थान की ऐसी खराब वित्तीय स्थिति होते हुए भी मान इन्डस्ट्रियल कार्पोरेशन ने ठेका लिया है पिग एंड आयरन का उसके लिये उत्तर प्रदेश सरकार ने गारन्टी मांगी और हमारी सरकार ने ६५ लाख की गारन्टी उत्तर प्रदेश सरकार को देने की बात कही है। इसी प्रकार कानपुर के स्वदेशी कॉटन मिल्स को देवस्थान के रुपये, एक बड़े उद्योग को इस तरह से दे दिये जाएं। इसी तरह से एक और बड़े उद्योगपति कमानीज को किसानों की जमीन २००० एकड़ दे दी गई। किसानों के हाथ से वह जमीन चली गई। सन् ५१ में ग्रो मोर फूड के सिलसिले में जमीन दी गई थी, आज जगह जगह—अलवर, जयपुर, उदयपुर में—उद्योगपति बेच रहे हैं और मुनाफा कमा रहे हैं और किसान रो रहे हैं और उद्योगपति फल फूल रहे हैं। उसी का नतीजा है कि राजस्थान की आर्थिक स्थिति और लोगों के रहन सहन का ढांचा गिर रहा है, आम लोगों का ढांचा गिर रहा है और बड़े लोग और बड़े हो रहे हैं। मुझे माननीय कृषि मंत्रीजी से तो कुछ नहीं कहना है क्योंकि उनको तो रिपोर्टों पर विश्वास नहीं है लेकिन मैं समझता हूँ इस सदन के माननीय सदस्य रिपोर्टों में विश्वास रखते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान के फेमीन पर महालनविस कमेटी की रिपोर्ट है उसमें नेशनल कौंसिल ऑफ एम्पलोइज इकानोमिक रिसर्च उन्होंने सर्वे किया है सारे हिन्दुस्तान के बारे में। उसमें उन्होंने बताया है कि १० परसेन्ट लोग हैं जिनके पास ४२ परसेन्ट वेल्थ है और नीचे के २० परसेन्ट के पास कुल ४ परसेन्ट वेल्थ है। राजस्थान हमारे हिन्दुस्तान से अलग नहीं है। उसका वही प्रपोर्शन राजस्थान में है और यदि राजस्थान के आंकड़े मंत्रीजी जानना चाहते हैं तो मेरे पास गवर्नमेन्ट ऑफ इंडिया की एग्रीकल्चर लेबर इन्क्वायरी की रिपोर्ट है उससे जानकारी ले सकते हैं। ५०–५१ में एग्रीकल्चर लेबर की औसत एन्युअल इन्कम १०७.५ थी और ५६–५७ में केवल ७६.६ रह गई। इतना डिक्रीज ! गवर्नमेन्ट ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में यह है, मंत्रीजी देखना चाहें तो देख सकते हैं। उसके अंदर मैं बताऊंगा। आंकड़ों में देखें।

अध्यक्ष महोदय, इसी तरीके से जो भूमि सुधार हुआ उसका क्या नतीजा हुआ।

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

आपका टिनेन्सी एक्ट लागू होने के बाद भूमिहीन किसानों को कानून के जरिये से ज्यादा जमीन मिली या कम मिली– यह एग्रीकल्चर इन्क्वायरी कमेटी की रिपोर्ट बताती है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि १९५०–५१ में विथ लैंड ४१. १५ पर्सेन्ट एग्रीकल्चर लेबर था वह १९५६–५७ में घट कर ३७. ३६ परसेन्ट रह गया। यह विथ लैंड का है और विदाउट लैंड जो १९५०–५१ में ५८. ८१ पर्सेन्ट एग्रीकल्चर लेबर था वह बढ़ कर १९५६–५७ में ६२. ८० पर्सेन्ट हो गया। यह कोई मेरी रिपोर्ट नहीं है। यह कोई कम्युनिस्ट पार्टी की सर्वे रिपोर्ट नहीं है। यह गवर्नमेंट आफ इंडिया की सर्वे की रिपोर्ट है। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगा कि वह इन रिपोर्ट्स को पढ़ने की कोशिश करेंगे। माननीय कृषि मंत्री जी को इनसे कुछ भी नाराजगी हो लेकिन माननीय सदस्य इन रिपोर्ट्स को देखने की कोशिश करें तो वह भी ऑब्जेक्टिव किस्म की इन चीजों को देख पायेंगे और इसी नतीजे पर पहुंच पायेंगे।

अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिस स्थिति में से देश गुजर रहा है, जिन हालात में से देश गुजर रहा है उसके अन्दर एक तरफ मंहगाई बढ़ रही है लेकिन उसका कोई समाधान नहीं हो रहा है। इसके बावजूद भी सरकार ने जिस तरह के कदम उठाये हैं उनके अन्दर डिवेल्यू-एशन के द्वारा कुप्रभाव हमारे इस देश के अन्दर हुआ है और उसका कुप्रभाव इस प्रांत में भी होना ही था। मैं जानता हूँ कि डिवेल्यूएशन इस सरकार के वश की बात नहीं है, वह केन्द्रीय सरकार का मामला है इसलिए मैं उस मसले को सदन में नहीं उठाना चाहता लेकिन राजस्थान की सरकार का फर्ज था कि डिवेल्यूएशन के दुष्प्रभाव को मिटिगेट करने के लिए, उसको कम करने के लिए वह सही तरीके से कदम उठाती और मंहगाई को रोकने के लिए कदम उठाती और इस प्रान्त के साधारण लोगों को रिलीफ देने के सम्बन्ध में कुछ कदम उठाती। लेकिन इस सरकार ने किसी किस्म के कदम नहीं उठाये हैं। अध्यक्ष महोदय, अभी तक जो आंकड़े दिये गये हैं वह जून १९६६ तक के दिये गये हैं। पांच जून १९६६ को डिवेल्यूएशन हुआ। उसके बाद के, डिवेल्यूएशन के बाद के हम को आंकड़े प्रस्तुत नहीं किये हैं और मुझे भी प्रयत्न करने के बावजूद कहीं से नहीं मिल सके हैं–इसलिए मैं उनको सदन में प्रस्तुत नहीं कर सकता। लेकिन आल इंडिया के जो आंकड़े हमारे सामने प्रस्तुत हुए हैं उनकी मान्यता यह है कि १५ से पच्चीस पर्सेन्ट तक डिवेल्यूएशन के बाद महंगाई बढ़ी है। आखिर जो सर-कारी नौकर हैं, जिनको केवल सौ रुपये तनख्वाह के मिलते हैं, उन सरकारी नौकरों की इस डिवेल्यूएशन के बाद सौ के बजाय केवल ६२ रुपये की नौकरी रह गई है, ६२ रुपये की तनख्वाह रह गई है। उन्होंने ऐसा क्या कसूर किया है। वह तो उम्मीद करते थे कि इस योजना के अन्दर सरकार और तनख्वाह बढ़ायेगी, और ज्यादा उनको तन-ख्वाह मिलेगी, लेकिन इस सरकार की नीतियों के कारण उनके सौ रुपये में से अचानक ३८ रुपये कम हो जायं तो क्या वह संघर्ष में नहीं उतरेंगे, क्या तनख्वाह बढ़ाने

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

की माग आपसे नहीं करेंगे ? अगर वह यह नहीं करेंगे तो क्या करेंगे ? आप कहते हैं यह जो नेता हैं, स्वयंभू नेता हैं यह अपनी जिम्मेदारी समझें । इस देश के अन्दर अशांति है, उसको फैलाने की जिम्मेदारी इनकी है–इस बात को समझें । मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, माननीय मंत्री जी और माननीय सदस्य इस बात पर विचार करें कि जो सरकारी कर्मचारी हैं वह हमारी बात नहीं सुनते थे, १९५२ और १९५५ के अन्दर, वह हमारे कहने पर इस तरह से जलूस नहीं निकालते थे, छात्र मीटिंग के अन्दर नहीं आते थे । अब वह क्यों हमारे कॉल पर सामने आ जाते हैं ? क्यों वह मीटिंग वगैरह में आ जाते है ? पहले वह लोग हमारे बहकावे में नहीं आते थे, वह आज क्यों आते हैं ? अगर यह दृष्टिकोण नहीं रखेंगे, तो मैं निवेदन करूंगा कि यह वास्तविकता से एक तरह से आंख मूंदना है । इसी तरह, अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि यह सरकार और यह दल सीरिअसली अपनी ेसिक पॉलिसी के बारे में बेसिक तरीके से ोचने के बजाय उन सब बातों की तरफ से ांख मूंदने की कोशिश कर रहा है । हमारे ा में जो यह दिक्कतें हैं, समस्यायें हैं इन जों का हल सीरिअसली किस तरीके से ाल सकते हैं जिससे हमारा देश अपने र खड़ा हो सके, हमारा देश स्वाव- बन सके, हमारा देश स्वदेशी हो सके । इन बातों पर आप सीरिअसली नहीं करते हैं, यही कारण है कि के सामने कोई भी ठोस प्रश्न आते हे विजय सागर बांध की मोरियां प्रश्न आता हो, चाहे लैण्ड अलॉटमेंट का प्रश्न आता हो–उन सब प्रश्नों को हल करने में सरकार की उदासीनता का रुख नजर आता है । आज सरकार का इन समस्याओं से लिंक नहीं है । इस सरकार की पैदावार बढ़ाने की योजना का ताल्लुक है, वह पी. एल. ४८० से उसका ताल्लुक है । अमेरिकन साम्राज्यवाद का मुकाबला करने का रुख इस सरकार का होना चाहिये जो इस देश की आजादी को अक्षुण्ण रखने वाला है और इस देश के अन्दर सरकार अगर पैदावार बढ़ायेगी तो इस देश की स्वतंत्रता को कायम रख सकेगी, अन्यथा नहीं रख सकेगी । मेरा निवेदन करना है कि इसलिए इस सरकार को ऑब्जेक्टिवली सोचना पड़ेगा, ठीक दृष्टिकोण से देखना पड़ेगा तभी बेसिक प्रोब्लम्स को हल करने की तरफ सरकार जा सकती है ।

अध्यक्ष महोदय, इस सदन में कई बार ऐसे प्रश्न रखे हैं जो गवर्नमेंट की लेबर पॉलिसी के बारे में हैं, लेबर को दिये जाने वाले बोनस और डीअरनेस के बारे में हैं । इस देश की केन्द्रीय सरकार के द्वारा बनाये हुए जो कानून हैं उनको यह सरकार लागू नहीं करती है । बोनस एक्ट के अनुसार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के मजदूरों को और दूसरे मजदूरों को जो बोनस का पेमेन्ट हो जाना चाहिए था, वह, मैं कहता हूँ, आज तक नहीं हुआ है और माननीय मंत्री महोदय इस प्रश्न को अपने जवाब के अन्दर टाल गये, उनका जवाब बोनस देने की घोषणा के बारे में नहीं था । तो इस तरीके का रवैय्या इस सरकार का बोनस और डीअरनेस अलाउन्स देने के बारे में चलता है । इसी का नतीजा है कि आज तिरंगे झण्डे वाले मजदूर भी इस विधान सभा के सामने भूख हड़ताल किए

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

हुए बैठे हैं, वह लाल झण्डे वाले मजदूर नहीं हैं, वह कम्युनिस्ट या सोशलिस्ट नहीं हैं, वह इन्टक के मजदूर हैं। वह आज इन प्रश्नों को लेकर चिल्ला रहे हैं और दो अक्टूबर से भूख हड़ताल करने का नोटिस दिया है क्योंकि आप मजदूरों को बोनस नहीं देते हैं। यह एक बुनियादी प्रश्न है और इन प्रश्नों पर जो रुख लेकर यह सरकार चलने वाली है और चल रही है, उससे इजारेदारी एक तरह से कायम कर रही है उस सबसे लाजिमी और लोजिकली एक स्थिति निकलती है जिस स्थिति पर हम पहुंच रहे हैं।

मैं निवेदन करूंगा कि जो प्रशासनिक गड़बड़ियां और ढिलाई हमारे सामने आई हैं उन्होंने हमारे तमाम सरकारी कर्मचारियों और सर्विसेज़ को डिमोरेलाइज़ कर दिया है और डिमोरेलाइज़ करके उनको इस तरीके की स्थिति में डाल दिया है कि आज उनकी हिम्मत न्याय करने की नहीं होती है, हौंसला न्याय करने का नहीं होता है। जब मंत्रीगण इस तरह की कार्यवाही करते हैं तो दूसरा तो क्यों नहीं करेगा? मैं निवेदन करना चाहता हूँ, मैं कुछ उदाहरण पेश करना चाहता हूँ कि किस तरह से कुनबापरस्ती इस मंत्रिमण्डल में बैठे हुए मन्त्रीगण करते हैं।

अध्यक्ष महोदय, यह मेरे सामने एक मामला है, यह हमारे रेवेन्यू मिनिस्टर साहब का है। श्री दामोदरलाल व्यास, जो इस समय चिकित्सा मिनिस्टर हैं, अध्यक्ष महोदय, जब पिछली बार, दूसरे चुनाव के बाद रेवेन्यू मिनिस्टर बने तो और लोगों का कुछ काम करते, और लोगों के दुःख दर्द को दूर करते-उस बात को तो मन्त्री जी भूल गये और सबसे पहले दफ्तर में आते ही मंत्रीजी के सामने एक दर्ख्वास्त पेश होती है, १०–१–५८ की, फलां गांव में मेरी माफी है उस माफी को गैर-कानूनी तौर से जब्त कर लिया गया है। मेरे से जबर्दस्ती लगान मांगा जा रहा है। इस लगान को माफ किया जाय। और इस दर्ख्वास्त को देने वाले श्री दामोदरलाल व्यास। यह कौन दामोदरलाल व्यास हैं? यह दामोदरलाल व्यास भी वही दामोदरलाल व्यास हैं जो मंत्रिमण्डल के मंत्री के रूप में मंत्री की कुर्सी पर बैठे थे और प्रार्थना करने वाले भी वही दामोदरलाल व्यास जो कि वहां पर एक माफीदार की हैसियत से उस मंत्री के सामने खड़े हैं और इस दर्ख्वास्त के ऊपर मंत्री महोदय ने नोटिंग किया, श्री दामोदरलाल व्यास मंत्री महोदय ने दामोदरलाल व्यास माफीदार की दर्ख्वास्त पर नोटिंग किया–

'Collector Tonk will please look into this matter and send a repor[t] and relevant papers immediately[.]

Sd. DamodarLal Vyas.'

और, अध्यक्ष महोदय, यह हुक्म हो[ना] था....

श्री हरिराम चौहान (तिजारा) : ... ही बांटे सीरनी, खुद ही ले।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह ... होना था कि १२ तारीख को पटवा... रिपोर्ट आ गई और वह तहसीलदार ... की मेज पर आ गई। १३ तारीख ...

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

सीलदार साहब ने अपनी रिपोर्ट क्लेक्टर साहब को भेज दी और १५-१-५८ को, १० के पांचवें दिन उन्होंने, श्री क्लेक्टर महोदय ने, यह ऑर्डर पास कर दिया-

"हस्ब रिपोर्ट तहसील ववजूहात मुन्दर्जे सदर माफी बदस्तूर कायम रखी जावे और बकाया २६६।= सन्१६४४ लागायत १६५५ व ४४।॰ बाबत सन् १६५६ व १६५७ खारिज की जाती है । वास्ते तामील व अमलदरामद कागजात तहसील टोंक में व विसातन एस. डी. ओ. सा० टोंक वापिस हो ।"

अध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं, इस प्रकार के दो रूप सिनेमा में तो जरूर देखें हैं, दो पार्ट अशोक कुमार के देखे हैं लेकिन इन श्री दामोदरलाल व्यास ने भी....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : अशोक कुमार ही क्यों, बैजन्तीमाला के भी डबल रोल होते हैं ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : दो रूप दिखाये हैं और वास्तव में इनका क्या रूप हो सकता वह आप देखिये....

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिहनगर) : ...र के भी डबल रोल होते हैं ।

...नन्द अग्रवाल : वह दरख्वास्त ...दी, उस दरख्वास्त के ...होदय ने लिखा है कि ...दर्ज नयूम कर ली गई, हमें इस बारे ... इल्म नहीं है कि किस प्रकार हमारी माफी जब्त हुई । हमारे मंत्री महोदय जो साधारण छोटे-मोटे माफीदार नहीं हैं उन्होंने यह शिकायत की, तो सही तरीके से हल्फ से बयान होने चाहिए थे कि इनको मालूम नहीं था कि किस तरह से इनकी माफी जब्त हुई । इसमें तहसीलदार की रिपोर्ट है कि इस तारीख को ४० में जब्त की गई और इसका इन्द्राज है बन्दोबस्त के अन्दर । मेरे पास कॉपी है, अध्यक्ष महोदय, इसके अन्दर कहा है—

"उपरोक्त विषय में आपकी दरख्वास्त ता १०.६.५५ को पेश होने पर रिपोर्ट नायबजी पेश हुई कि यह माफी बजरिये मिसल नम्बरी १०८ मकरुजा ७.६.४० जब्त हुई है ।"

उन्होंने इसको फाइट आउट किया है । एस० डी० ओ० के ऑफिस में यह सन् ५७ में दाखिल दफ्तर हो गया और बाद में जब ये मंत्री हुए तो नये तौर से मंत्रीजी ने नई कार्यवाही शुरू की ।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर) : दूसरे करते या नहीं वे खुद व खुद कर दें ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आप ख्याल करिये एक मंत्री है । इस तरह से अपने दस्तखत करके एप्लीकेशन पेश करे और खुद ही उस पर ऑर्डर करें और खुद अपना इन्फ्ल्यूएन्स करके अपनी जमीन के बारे में फैसला कराये । अगर वह खालसा होती तो मुआवजा नहीं मिलता । इसलिये खुद काश्त में उस जमीन को ले ली और लगान भी नहीं देना पड़ा और माफी का मुआवजा और ले लिया । मैं समझता हूं कि इस प्रकार माननीय मंत्रीजी ने लगान भी

Page No. 48

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

नहीं दिया और मुआवजा भी ले लिया है। हो सकता है कि यह बहुत ज्यादा रकम नहीं हो, थोड़ी सी रकम होगी लेकिन मै यह निवेदन करूंगा, अध्यक्ष महोदय, कि यह रकम का प्रश्न नहीं है, यह तो नियत का प्रश्न देखा जाता है। मैं यह कहूंगा कि यह तो बहुत थोड़ी रकम का मामला था अगर लाखों और करोड़ों का प्रश्न होगा तो वहां पर मंत्रीजी क्या करेंगे !

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

अध्यक्ष महोदय, मैं अब दूसरी ओर निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे मंत्री श्री अमृतलालजी यादव, जो समाज कल्याण विभाग के मंत्री हैं, समाज कल्याण विभाग की तरफ से लड़कों को स्कॉलरशिप दी जाती है। सन् ६२-६३ में यहां पर कुल ११२० स्टुडेन्ट्स को स्कॉलरशिप दी गई और वह केवल ४४,८६७) रु० स्कॉलरशिप के दिये गये। इस हिसाब से एक एक लड़के को ४०) रु० दिये गये और अमृतलालजी यादव के सुपुत्र सुरेन्द्रकुमार यादव को अकेले को १,९७९) रु० ९६ पैं० स्पेशल ग्रान्ट के जरिये दिये गये। ६२-६३ और ६३-६४ में चालू साल के और पिछले साल के मंजूर किये। सन् ६३-६४ में २५१२ लड़कों ने एप्लीकेशन्स दी थीं और उसमें से ३९३ लड़कों को स्कॉलरशिप दी गई वह २१,१९४ रुपये। इस हिसाब से एक एक लड़के को ६०) रु० मिले मगर सुरेन्द्रकुमार को २,२१७ रु० १६ पैं० दिये। इस तरह से आपको मालूम होगा कि दूसरा एक और है जिसमें बाप का नाम नहीं लिखा गया है। उसमें बाप का नाम छुपाया गया है। वह है कुमारी कुसमा यादव। यह भी उन्हीं की लड़की है उसको भी ६३-६४ में स्कॉलरशिप मिली है। इसमें जान बूझ कर बाप का नाम नहीं लिखा गया है। यह क्यों नहीं लिखा है ?

एक माननीय सदस्य : बाप का नाम मालूम नहीं, यह क्यों नहीं लिखा गया ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरह से इस शासन में इस तरह से कुनबापरस्ती चलती है।

इसी तरह से मैंने जिक्र किया, माननीय गृह मंत्री को अपने लड़के को दाखिल करवाने के बारे में श्री दीनबन्धु आचार्य के लिए यह कहा गया कि यह एक बहुत अच्छा प्लेअर है। उन्होंने स्पोर्ट्स कौन्सिल से सर्टिफिकेट हासिल किया। जिस तरह के प्लेअर का सर्टिफिकेट हासिल किया। उस लेवल का प्लेअर है नहीं। मगर उन्होंने उस बेसिस पर उसका एडमिशन कराया। मगर स्पोर्ट्स के लिये १० सीटें ही थीं और १० भर गईं तो मेरिट पर आने वालों लड़कों ने शोर मचाया और हल्ला मचाया। तो पांच सीटें और बढ़ा दी गई और १० के बजाय १५ कर दीं ताकि निरंजननाथ आचार्य के सुपुत्र उसमें एकामाडेट हो जावें।

अध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं।

श्री निरन्जननाथ आचार्य (विधि-मंत्री) : On a point of order, Sir

Page No. 49

श्री रामानन्द अग्रवाल : आप अपना उत्तर दें उस समय कह दें।

श्री अध्यक्ष : आपने पर्सनल चार्जेज लगाये हैं तो इनको भी मौका होना चाहिये।

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि एक निरंजननाथ आचार्य जिसके चार लड़के-चारों लड़के जिसमें से एक स्पोर्ट्समैन और मिलिट्री में है जिसने दो दफा लड़ाई लड़ी है। दूसरा नेशनल स्पोर्ट्स को रिप्रेजेन्ट किया हुआ है और तीसरा स्टेट्स स्पोर्ट्स को रिप्रेजेन्ट किया हुआ है और चौथा आॅल स्टेट को रिप्रेजेन्ट करने के लिये जा रहा है। निरंजननाथ आचार्य के लड़के कई स्कूलों में कैप्टिन रहे हैं लेकिन रामानन्द जी के तो सात लड़की और एक लड़का है, पैदा करते रहे हैं जैसे चम्मच पर चम्मच और कटोरी पर कटोरी रखते रहे। ऐसे लड़के मेरे नहीं हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, लड़के ही लड़के पैदा करने की उनकी मर्दानगी की तो मैं तारीफ करता हूं।

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैंने पोलिटिकल सफरर का एडवान्टेज नहीं उठाया है। मेरी बांह में फ्रेक्चर हुआ, हाथ में फ्रेक्चर हुआ। मैंने पोलिटिकल सफरर होने का कोई एडवान्टेज नहीं लिया है।

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा और श्री निरंजननाथ आचार्य के एक साथ बोलने से अश्रव्य)

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं माननीय मंत्री से कहूंगा कि थोड़ा ठंडा पानी मंगा कर पी लें।

श्री निरंजननाथ आचार्य : मेरे ऐसे लड़के हैं कि अगर उनसे आप हाथ मिला लें तो दो महीने तक बेन्डेज बंधवानी पड़ेगी।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं यह निवेदन करूंगा कि आज यह सरकार असामाजिक तत्वों को प्रोत्साहन दे रही है यह मेरा सरकार के खिलाफ आरोप है। यह मेरा मुख्य मंत्री महोदय, और मंत्रि-मंडल के दूसरे साथियों पर आरोप है कि जो असामाजिक तत्व हैं उनके साथ आप कोलोबोरेट कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर कुशालचन्द जी डागा जो बड़े सेठ हैं, करोड़पति सेठ

(१ म. प.)

जिसने नागपुर की टेक्सटाइल मिल में लाखों का गबन किया जिसके कारण उसे १९६४ में १० साल की सख्त कैद की सजा हुई क्योंकि वह हमारे मंत्रि-मंडल के लोगों का मित्र था। मथुरादास जी माथुर जेल के मन्त्री होने के नाते उन्होंने उसको वहां से ट्रान्सफर करवाया, मथुरा दास जी माथुर ने उसका यहां ट्रान्सफर करवाया। ९ अगस्त १९६५ को मथुरादास जी माथुर सेंट्रल जेल जयपुर में उससे मिलने गये और जेल सुपरिन्टेंडेन्ट को कह कर आये कि सेठजी को किसी तरह की दिक्कत नहीं होनी चाहिये। उन्हीं सेठजी को जो गबन के मामले में पकड़े जाते हैं, जिनको गबन के मामले में १० साल की सजा होती है, जिनका हिन्दुस्तान में मूंदड़ा के बाद गबन

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

के मामले में दूसरा नम्बर है, किसी तरह की दिक्कत नहीं होनी चाहिये, उनके पास श्री कुम्भाराम आर्य और श्री मथुरादास माथुर १५ अगस्त की परेड़ करने के लिये सांगानेर की खुली जेल में जाते हैं, दोनों साथ जाते हैं और सेठजी को बुलाया जाता है। २४ अक्टूबर को हमारे स्वर्गीय प्रधान मंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जोधपुर पधारे थे तो हमारे मंत्री ने इन सेठजी को कार द्वारा जोधपुर से स्पेशली बुलाया, मथुरादास जी माथुर ने टेलीफोन करके उन्हें वहां बुलाया और राष्ट्रीय रक्षा कोष में कुछ धन देने का ढोंग रचा गया और वहां से वापिस आते ही उनको नियमों के विरुद्ध, थोड़ी सी साल की सजा ही भुगती थी, फिर भी उनको सांगानेर की खुली जेल में रखने की इजाजत दे दी। जो कैदी था, जिसने जनता के पैसे को लूटा, गबन किया उन्हीं सेठजी को जमीन दी, उनके लिये बंगला बनवाया और वहां उन्हें रखा गया, वहां टेलीफोन लगा दिया, कार रखते थे, बिजनैस करते थे। इस तरीके का कैदी था उसके साथ यह व्यवहार। चूंकि वह पूंजीपति है, इनके साथ उसकी सांठ-गांठ है, इसलिये वह इनका साथ देगा, इस कारण उसके साथ इस प्रकार का व्यवहार। इस सदन के कुछ माननीय सदस्यों को पता लगने पर इस पर एतराज किया और मजबूर हो कर, इस सदन के आने की खबर सुन कर कि अब तो विरोधियों को पता लग गया है, इसलिये उसको वापिस जेल में डाला है पर जेल से सेठजी भी अब अस्पताल में है, कोटेज में हैं, चर्चा चल रही है, रामरतन कोचर मुखाड़िया जी से नाराज हो गये हैं, कुम्भाराम जी से हाथ मिला रहे हैं, मुखाड़िया जी बैलेंस ऑफ पॉवर को चाहते हैं इस लिये एक ५० हजार रुपये का लोन उनके लड़के को एक टाइल इन्डस्ट्री लगाने के लिये मंजूर करने के कागजात चल रहे हैं, बात-चीत हो रही है। अध्यक्ष महोदय, चांदी माइन्स, बजरी की है उसकी मोनोपोली इन सेठजी को दी जा रही है। अध्यक्ष महोदय, दूसरों पे, विरोधियों से किस प्रकार का व्यवहार होता है वह भी निवेदन कर दूं।

श्री अध्यक्ष : जल्दी समाप्त करें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात कह कर अपनी बात खत्म कर दूंगा।

अध्यक्ष महोदय, मैंने इस सदन में भ्रष्टाचार के बारे में कुछ प्रश्न उठाये थे। अलवर में श्री राधाकान्त व्यास एस. डी. एम. थे, उनका ट्रांसफर हो गया है। वे राजस्थान के भूतपूर्व गृह मंत्री श्री रामकिशोर व्यास, जो आजकल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, इन श्री रामकिशोर व्यास के सुपुत्र हैं। उनके खिलाफ चने में एक रुपया फी बोरी रिश्वत लेने का आरोप खास तौर पर मैंने फूड एडवाइजरी कमेटी में और यहां इस सदन में लगाया। माननीय मुख्य मन्त्री ने मुझे चिट्ठी लिखी कि इस मामले में ठोस प्रमाण दें। मैंने कहा कि दस्तावेज वगैरह तो मुश्किल हैं, आप अगर इसमें सीरियस हैं तो इन्क्वायरी कीजिये, अपनी पार्टी के लोगों से पूछिये, उस क्षेत्र की महिला सदस्या कुमारी उमा माथुर से, श्री घासीराम जी से पूछिये, श्री सम्पतराम से पूछिये, श्री जयकिशन शर्मा से पूछिये कि

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

इनकी क्या राय है, शायद उनसे बात करने पर आपको संतोष हो जाय। मेरे पत्र के बाद माननीय मुख्य मन्त्री ने लिखा कि मैं एन्टी–करप्शन के द्वारा इसकी एन्क्वायरी करा रहा हूं। लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि उसके खिलाफ कोई एन्क्वायरी नहीं की कम से कम मेरी जानकारी में तो नहीं है। जो तथ्य हैं, अध्यक्ष महोदय, मैं मुख्य मन्त्री जी से कहना चाहता हूं कि यह सवाल न्याय का है, इस सदन के सदस्यों से कहना चाहता हूं, जब पार्लियामेंट में बड़े-बड़े मिनिस्टरों को हटाया जा सकता है, नौकरियों से अधिकारियों को हटाया जा सकता है तो यहां ऐसा नहीं किया जा सकता? यह कांग्रेस की प्रतिष्ठा का प्रश्न है ···

श्री घासीराम यादव (उप-मन्त्री, राजस्व): आप मेरे से क्या पूछना चाहते थे?

श्री रामानन्द अग्रवाल: मैंने यह नहीं कहा कि किसी सदस्य ने मुझे यह बात बताई है, पर यह चर्चा अलवर के जन-जन में है, हर आदमी जानता है। जब मैंने फूड एडवाइजरी कमेटी में यह कहा तो श्री आर. के. व्यास ने इसको चैलेन्ज नहीं किया, यही कहा कि यह फोरम नहीं है, दूसरी जगह कहें तो उत्तम होगा। अगर प्रिकिमिनरी तरीके से एन्क्वायरी करायें, जैसे क्रय-विक्रय संघ की की, कुछ जांच तो करें कि प्राइमाफेसी है या नहीं। इन्हीं आर. के. व्यास से नौगांवां में श्री टंडीराम के यहां अनाज पर छापा मारा, अनाज सील किया। इन्हीं आर. के. व्यास के बहनोई श्री रामकिशोर व्यास के दामाद डिप्टी जेल सुपरिन्टेन्डेन्ट हैं, टंडीराम गाड़ी लेकर उन डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट के पास पहुंचा और गाड़ी में श्री रामकिशोर व्यास की लड़की को लेकर नौगावां आया, टंडीराम ने ३००० रुपये दिये, श्री व्यास वहीं कैम्प में मौजूद थे। रात के वक्त एक महिला वहां आई, इतने बड़े मिनिस्टर, इतने बड़े लोग जो राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अपने बच्चों से, महिलाओं से, लड़कियों से इस प्रकार के उपदेश दें कि इस तरह के असामाजिक तत्वों को बचाने के लिये रात के समय में जायं, यह एक आश्चर्यजनक और घृणित बात है। अगर मुख्य मन्त्री महोदय मन्जूर करें तो इसके लिये एक ज्यूडिशियल जांच कराने का मैं कहता हूं। मैं एम. एल. एज. को प्रोड्यूस करूंगा, प्रधान को प्रोड्यूस करूंगा, आपकी पार्टी के आदमियों को प्रोड्यूस करूंगा उस एन्क्वायरी कमीशन के सामने। आप ज्यूडिशियल एन्क्वायरी सेंटर से करवाइये, जब कोई निष्पक्ष जांच होगी तभी सही तथ्य सामने आ सकते हैं।

एक मामला और कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा। हमारे यहां श्री मुन्नालाल आर्य, एडीशनल एक्साइज कमिश्नर हैं। एक्साइज डिपार्टमेंट से कुछ फर्म्स, खास तौर से वेस्टर्न केमिकल वर्क्स, वनीपार्क, जयपुर है उसके मालिक आर. के. बदवार हैं, उन्होंने बोगस फर्म बनाई हुई है वे कोटा लेना चाहते हैं अफीम का, वे कोटा लेना चाहते हैं कपूर का, और दूसरे केमिकल्स का कोटा लेना चाहते हैं और कोटा लेकर उसके फोर्ज्ड बिल बना कर राजस्थान में बेचा हुआ दिखाते हैं और वास्तव में बेचते हैं ब्लैक मार्केट में। मेरे पास कुछ फोटोएस्ट कॉपीज हैं....

श्री दामोदरलाल व्यास: नाम क्या बताया आपने?

श्री रामानन्द अग्रवाल : वेस्टर्न केमिकल वर्क्स, बनी पार्क, जयपुर ।

इन्हें ६३-६४ में अफीम सप्लाई की गई । मुन्नालालजी आर्य ने ५२.५ किलोग्राम अफीम इनको लेने का परमिट दिया, कानून के खिलाफ, कायदे के खिलाफ परमिट दिया क्योंकि कायदे के अनुसार अब तक डेन्जरस ड्रग्स को रखने का लाइसेन्स किसी आदमी के पास नहीं हो तब तक परमिट नहीं दिया जा सकता पर श्री मुन्नालाल आर्य ने ...

एक माननीय सदस्य : कौन हैं मुन्नालाल आर्य ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : श्री मुन्नालाल आर्य हमारे मुख्य मन्त्री जी के साले साहब ?

डी. एम. एच. एस. से लीज ऑर्डर मिला ५२.५ किलोग्राम अफीम का इनको कोटा दे दिया गया । क्या राज है इसमें ? इस अफीम की पर्चेज प्राइस है १ रुपया पर–ग्राम की और ब्लैक की प्राइस है १० रुपया पर–ग्राम । ५२५० रुपये में ५२.५ किलोग्राम अफीम खरीदा और ब्लैक मार्केट में बेचा गया तो इसकी कीमत हुई ५२,२५० रुपया । ४७,००० रु० का मुनाफा एक इस अफीम के मामले में होता है ।

इसी तरह से इनको १७०० किलोग्राम कपूर ६३-६४ में अलॉट हुआ । इसकी पर्चेज रेट १२ रुपया पर-किलोग्राम और सेल रेट ४४ रुपया पर–किलोग्राम और इस तरह इस आइटम में मुनाफा हुआ ५४,४०० रु० का ।

इसी तरह कोडीन फोस्फेट है वह इन्हें ६३-६४ में ९,४५४ अलॉट की गई । इसकी पर्चेज प्राइस है ३.२५ रुपया पर–ग्राम और सेल रेट हैं २५ रुपया पर–ग्राम । इसमें टोटल प्रोफिट ८८,८७५०) रुपया हुआ ।

फोइस्टन १ हजार किलोग्राम गोपीचन्द गोपाललाल के नाम अलॉट करवा कर ली । इसकी पर्चेज प्राइस है ६ रुपया पर–किलोग्राम और ब्लैक मार्केट की रेट है २५ रुपया पर–किलोग्राम, इसमें प्रोफिट १९,०००) रु० का होता है ।

रेक्टिफाइड स्प्रिट ग्रुप पार्कर एण्ड कम्पनी के नाम से, जिसके प्रोप्राइटर ये थे, ६४ में ३ रुपया पर–पाउण्ड के हिसाब से लिया और १५ रुपया पर–पाउण्ड उस समय ब्लैक की प्राइस थी आज तो ३० रुपया पर-पाउण्ड है । और ये महाशय इस तरह वारियों में रुपया भर कर कार नं० डी. एल. एफ ६१४ में यहां से चले गये । आप कहेंगे कि इस बात का क्या सबूत है कि झूठा भेजा है । मैं आपके सामने निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे पास बिल्स हैं तीन । इन्होंने नेशनल मेडिकल हॉल, भोपाल, शिवाजी मेडिकल हॉल, ग्वालियर और अशोक एण्ड कम्पनी दिल्ली–इनके नाम इन्होंने कुछ सामान ४,०३६) का एक बिल और दूसरा ९,३९६) और तीसरा १,०७१) का बिल बनाया है । जिनके नाम से ये बिल्स है उन फर्म्स के अगर कागजात देखे जाएं तो यह सब बोगस है, इनको किसी ने नहीं खरीदा । इसलिए खरीदा है कि झूठे बिल्स बनाए, उनको फाड़ा । इस तरह से बिल्स बनाने के सम्बन्ध में एक श्री अजमेरा, जिसके

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

दस्तखत हैं उनको एक खत लिखा है जिसकी फोटो मेरे पास है । उसमें यह है—

"Dear Mr. Ajmera,

Please receive enclosed herewith G. R. No 40606 of Ashoka Trader Co. together with Tr. Bill No. 50 which please take delivery (you may hand over G. R. to M/s Neera Traders). The entire quantity of Veeplex is to be sold to M/s Neera and the Bill is to be prepared on the following rate. Please give note in the Bill "Excise duty if levied will be charged extra".

Please direct Rs. 2000 on 3. 9. 64 in favour of Warden Delhi against sale of Pen. Oint. of the enclosed T. R. 50."

इस तरह एक दूसरा खत है—

"Please make sale of 23/6 dozens of Pencylin Oint. to Gupta Medical Store Beawar and debit Rs. 2000/-- to Badhwar & Co On 20.9. Bill for 1600 doz from Badhwor & Co. will follaw."

इस कम्पनी का नाम नहीं पढ़ा जा रहा है १६०० डजिन्स फ्रॉम बधवार एण्ड कम्पनी इस तरह से उस क्लर्क को इन खतों के जरिए श्री बधवार डाइरेक्ट करते थे । बोगस बिलस बनवाकर उन कम्पनियों के नाम जिनके पास चीज नहीं जाती, रजिस्टर बना रखे हैं जिसमें दिखाया कि सारी अफीम इस्तेमाल हो गई लेकिन ये पकड़े जा सकते हैं क्योंकि जिनके नाम ये बिलस बनाए हैं, अगर उन फर्मों के पास बिलस देखे जायं तो किन्हीं के पास भी नहीं है ।

(समय–समाप्ति–सूचक-घंटी)

इस तरह से श्री आर० के० बधवार ने श्री मुन्नालाल आर्य के मार्फत चिकित्सा विभाग के मार्फत राज्य सरकार को इस तरह से लूटने का खोला हुआ है और मैं समझता हूं इनके खिलाफ सरकार ने जबर्दस्त इन्क्वायरी की है । लक्ष्मीकांत, डी०वाई. एस. पी. ने इन्क्वायरी के कागजात भेजे लेकिन अभी तक उस मामले में कुछ नहीं किया....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : यह बधवार वही हैं क्या जिन्होंने कुछ सब-स्टैंडर्ड गुड्स सरकार को बेचे थे और वह ब्लैक-लिस्ट हुआ है ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : Most probably इनके खिलाफ सब-स्टैंडर्ड गुड्स पैदा करने की भी शिकायत । माननीय श्री हांडा जो बोतल यहां लाए थे जिसके अन्दर कोई जानवर था, वह भी यही हैं । आज इस सरकार इस तरह से प्रशासनिक नीतियों के बारे में, जिस तरह से यह उनको अमल करती है, जिस तरह से भ्रष्टाचार फैलाती है तो आज इसके सिवाय और कोई रास्ता नहीं रहा कि इस सरकार को बदला जाय । आज ये अपने विरोधियों को दबाते हैं हर तरीके से उनके राजनैतिक अधिकारों को छीनते हैं, कांग्रेस में अधिनायकवाद की, फासिज्म की वृति पैदा हो गई है । जो संविधान में अधिकार दिए गये हैं उनको अपने पैरों के तले रौंदने की कोशिश करती है इस

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

हालत में हमारा दल समझता है कि इस

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

सरकार को बदल कर उल्टा जाय और राजस्थान में इस तरह की सरकार स्थापित की जाय जो वास्तव में जनता की समस्याओं को हल कर सके और जनता को आगे बढ़ने का मौका दे सके।

श्री दामोदरलाल व्यास (मंत्री चिकित्सा विभाग) : I will speak on a point of personal explanation. क्योंकि माननीय सदस्य ने कुछ मेरे पर्सन के बारे में बात कही है....

श्री रामानन्द अग्रवाल : I had given him notice.

श्री दामोदरलाल व्यास : Thank you. I am fully prepared even without notice,

आपने यह बतलाने की कोशिश की कि कोई माफी मेरे नाम थी और वह खारिज हो गई थी और मैंने ही उसे बहाल कर दिया। यह टोंक स्टेट के बावड़ी गांव में थी जिसकी जमीन २५ बीघा है। मेरे ७ जनरेशन्स ने भी जमीन का कोई लगान नहीं लिया और उसके सबूत में मैं आपके सामने कुछ कागजात पेश करूंगा। बावड़ी में जो माफी है उसका ६० वर्ष का इतिहास पेश करता हूँ ...

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह तो बताएं कि जो आपके नाम से आपका आर्डर है, वह सही है या नहीं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : आप मेरी बात सुने।

आज से ६०–७० वर्ष पहले का कागज जयपुर कौंसिल ऑफस्टेट के पेश करूंगा। मेरे पिताजी या ग्रैंड फादर का कोई सम्बन्ध नहीं है। केवल एक आपसी झगड़ा चला आ रहा है १०० वर्ष से। गौरीशंकर के ५ लड़के हुए थे। पहला नम्बर रामगोपाल दूसरे नम्बर में मेरे ग्रेंडफादर थे। जयपुर राज्य में हमारी माफी थी। यह रामगोपाल जी टोंक में सम्वत् १८२५ में चला गया। करीब १०० साल से ज्यादा हो गया, जयपुर राज्य में माफी मेरे ग्रैंडफादर के नाम हुई तो उसमें जो रामगोपाल का लड़का था उन्होंने दर्ख्वास्त दी कि माफी में हिस्सा दिलाया जाय उसके बाद मेरे ग्रेंडफादर की मृत्यु हो गई, वह मेरे पिताजी के नाम हुई। इसके लिए मुकदमा चला २० साल तक और जयपुर कौंसिल ऑफ स्टेट से फैसला हुआ कि रामगोपाल और उनकी औलाद और मदनलाल और उसके बाद दरख्वास्त वाला वक्ष ने पेश की थी। माननीय सदस्य ने नीचे का पैरा तो पढ़ लिया लेकिन ऊपर का नहीं पढ़ा। दर्ख्वास्त देने वाला वालावक्ष।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आपका नाम है।

श्री दामोदरलाल व्यास : मेरे दस्तखत नहीं है। रामगोपाल का लड़का मदनलाल सन् १६०६ में उससे पहले सम्वत् १८५० और उसके बाद सन् १६३३ जब मेरे पिताजी की मृत्यु हुई तो अपने नाम माफी करवाई। उस समय उन्होंने तीन बार रिप्रजेन्टेशन किये कि हम जयपुर की जायदाद के हिस्सेदार हैं और तीनों बार जयपुर कौंसिल ऑफ स्टेट ने फैसला किया है कि वास्तव में जयपुर की जायदाद से ताल्लुक नहीं है। यह फैसला है कौंसिल आफ जयपुर स्टेट तारीख १० अक्टूबर १६०६ का।

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय का यही कहना है कि जिस माफी के बारे में यहां जिक्र किया जाता है उससे आपका कोई सम्बन्ध नहीं रहा है।

श्री दामोदरलाल व्यास : मेरा तो क्या ७ जनरेन्शस का भी नहीं। १०० सालों के कौंसिल आफ जयपुर स्टेट के डिसीजस दे रहा हूँ। तीन तीन फैसले हुए हैं उसके बाद ५७ साल पहले के सैटिलमेंट डिपार्टमेंट में कुछ पटवारी की रिपोर्ट की सर्टिफाइड कापीहै। दूसरी बात जो मेरी माफी राजस्थान रिजम्प्शन एक्ट के मातहत रिज्यूम हुई उसका जो टोटल कम्पन्सेशन असेस हुआ उसका स्टेटमेन्ट मैं पेश करने के लिए तैयार हूं। उसके अलावा माफी ३२ बीघा....

श्री अध्यक्ष : एक बात तो आपने यह स्पष्ट कर दी कि आपका उससे कोई सम्बन्ध नहीं था तो फिर आपका नाम उसके साथ किस प्रकार से जुड़ा ?

(हीयर-हीयर)

श्री दामोदरलाल व्यास : इनके पास दर्ख्वास्त है उनको आप देखिये।

श्री रामानन्द अग्रवाल : श्री दामोदरलाल व्यास।

चन्द्र बिहारीलाल साकिन मालपुरा जरिये बालाबक्ष। यह तो, जरिये इनके हैं। दरख्वास्त इनके नाम से है।

श्री अध्यक्ष : नाम तो कोई किसी से जोड़ सकता है। उनका उससे क्या सम्बन्ध है ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : फैसला हुआ है.......

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : दामोदरलालजी का नाम कैसे लिखा गया ? बालाबक्ष कह सकता था।

श्री रामानन्द अग्रवाल : नकल रिपोर्ट नायब तहसीलदार श्री भंवरलाल देपुरा तहसील टौंक दिनांक २२-६-५५। मिसल नं० ३०८। ६-५-५८

विषय : रिपोर्ट पटवारी बावड़ी निस्वत श्री दामोदरलालजी व्यास, चन्द्रबिहारीलाल जो पिसरान बृजलालजी व रूपनारायण वल्द गोकल ब्राह्मण सा० मालपुरा बाबत वसूली रकम बकाया २६६। _)"

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं बता दूं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : "मौजा सोडा बावड़ी मेंवक्त बन्दोवस्त १३५१. ह० आराजी किता २१ रकबा ४१।।) ४ बिला अदायं सालाना बख्ये माफी श्री दामोदरजी चन्द्रमणीजी (चन्द्रबिहारीजी) हिस्सा १।२ व रूप नारायणजी हिस्सा १।२ सा० मालपुरा के नाम दर्ज है। यह मौजा जागीर का है जिसकी वसूली का ताल्लुक १३५६ फसली से तहसील से हुआ उस समय जागीरदार की ओर से खतौनी चार्ज में मिली उसमें मुन्दर्जा खाता बन्दोवस्त का इन्द्राज हस्ब जैल है :

(१) किता	रकबा	लगानी किरसानी
१५	२५।)१	२२।)

बनाम श्री दामोदरजी, चन्द्रबिहारीजी व रूपनारायणजी के नाम

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

(२) किता रकबा बरुहे माफी

६ १६।)३ श्री दामोदरजी चन्द्र,

बिहारी जी व रूपनारायण जी के नाम ।

चन्द्र बिहारी इनके भाई हैं या नहीं ? रूपनारायणजी इनके भाई हैं या नहीं ?

फिर कलेक्टर ने फैसला किया है । इसमें रिपोर्ट दी है । इसमें लिखा है :

"मिसल बन्दोवस्त हाल बजमाना श्री हैदर साहब सन् १९४३" जिस पर इन्होंने क्लेम किया है कि यह बन्दोबस्त हमारा है । उसमें लिखा है :

"खाता नं० २३९ किता २१ रकबा ४१ बीघा १४ विस्वा लगानी ३५ रुपये १० आने बिला अदाय सालाना माफी बनाम श्री दामोदर चन्द्र भारती पिसरान बृजलाल हिस्सा आधा बराबर व श्री रूपनारायण...."

आपके पिताजी का नाम क्या है ?

कुछ माननीय सदस्य : यही नाम है ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : "वल्द गोकुल चन्द हिस्सा आधा कौम ब्राह्मण साकिन मालपुरा इलाका जयपुर रजिस्टर माफियात में भी उपरोक्त खाता बिना अदाय सालाना माफी दर्ज है और कोई नोट हर दो कागजात में माफी खालसा किये जाने का दर्ज नहीं है ।"

अब, अध्यक्ष महोदय, बन्दोवस्त में, तहसीलदार की रिपोर्ट है, राजस्थान को जागीर से कागजात मिले उसमें है । हो सकता है इनके हाथ की दरख्वास्त लिखी हुई न हो । मेरे पास नकल है । है इनकी तरफ से, दामोदरलाल और इनके भाई । अब आप ही देख लीजिये इनके बारे में फैसले और ये ही हुक्म देते हैं माननीय मन्त्रीजी सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं कि इससे उनका कोई संबंध नहीं । यह आप और सदन विचार करें ।

श्री दामोदरलाल व्यास : बन्दोवस्त के कागजात में मेरा और चान्द बिहारी का नाम कैसे आ गये ? मैंने यह निवेदन किया कि यह मसला ७० साल से बालाबक्ष और उसके पिता से हमारा चला आ रहा है ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : हिस्ट्री ऑफ टॉड पढ़ी जा रही है, अध्यक्ष महोदय ।

श्री दामोदरलाल व्यास : आपको मुझे यह सुनाना होगा वरना आपको गलतफहमी रह जावेगी । आपने मेरे ऊपर इन परसन एक्यूजेशन लगाया है । कम से कम मुझे कहने और सुनने का मौका दीजिये । यह ७० साल से मुकदमा चला, बालाबक्ष मदनलाल और उसके वालिद गोर्धनलाल की ओर से । ७० साल से यही मुकदमाबाजी चल रही है । वे सब कहते हैं कि टोंक की माफी और जयपुर की माफी दोनों एक हैं । हम यह कहते हैं कि हम जयपुर की माफी के हकदार हैं और तुम टोंक की माफी के हकदार हो । इस सम्बन्ध में कौंसिल ऑफ स्टेट से सन् १९०९, और १९३४ संवत् १९३५ में फैसले हुए हैं । उनमें साफ है कि हमारा ताल्लुक टोंक की माफी से नहीं है और जयपुर की माफी से है । मैं आपको फैसले बता रहा था ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : वह मान लें। लेकिन ५७ में इसका फैसला हो चुका था उसके बाद ५८ में दर्ख्वास्त लाये डाईरेक्टली और इनडाइरेक्टली इन्ट्रेस्ट इन्वोल्व थे तो क्या कार्यवाही की ?

श्री दामोदरलाल व्यास : सन् १६०६ और १६३४ में और संवत् १६३५ में कौंसिल ऑफ स्टेट से जजमेन्ट हो चुके हैं। मेरा और मेरे खानदान का उस माफी से कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : १६३५ में। १६२२ में छीनी गई तो एतराज किया। १६३५ में वापिस दर्ज है, आपको वापिस दे दिया।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं दावे के साथ कहता हूं कि सन् १६५७ में मेरी ओर से कोई न दर्ख्वास्त है और न मुझे मालूम है और न मैंने करायी है। किसी ने करायी है तो एस. डी. ओ में मिसल है मैं मंगा कर पेश करूंगा। यदि मेरा और मेरे खानदान से कोई भी उसका सम्बन्ध हो तो मैं इस्तीफा ही नहीं जो कुछ भी आप सजा देंगे मैं उसके लिए तैयार हूँ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मिसल मंगवा ली जाय। मिसल नं० ३०८। ६-५-५८।

श्री दामोदरलाल व्यास : कागजात में नाम चला आ रहा है। मुकदमा लड़ने के लिए सबूत कायम रखना चाहते थे। कौंसिल ऑफ स्टेट से रेजीडेन्ट की मार्फत सन् १६०६, में टोंक स्टेट से पूछा गया कि मेरे पिता बृजलालजी का इस माफी पर कब्जा है या मदनलालजी का तो रेजीडेन्ट से हिदायत आयी कि कब्जा मदनलाल का है और बृजलाल का भी वसूली के लिए ही नहीं आया।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह पोइन्ट डिस्प्यूट में नहीं है। सवाल तो यह है आप जिस मामले में इन्ट्रेस्टेड नहीं थे, आपका क्लेम वाजिब था तो सन् ५८ में जब आप राजस्व मन्त्री थे, आपने ऐसी दर्ख्वास्त पर जिस पर डिस्प्यूट चल रहा था तो उसमें क्यों कार्यवाही की ? क्यों फैसला किया ?

श्री दामोदरलाल व्यास : ५८ में बालाबक्ष आया। उसने कहा कि मुआवजा नहीं मिल रहा है जमीन का। बगैर यह देखे कि उसने मेरा नाम लिखा है या नहीं उस पर मैंने दस्तखत कर दिये।

श्री रामानन्द अग्रवाल : माननीय मंत्री जी ने बिना देखे कि किसकी दर्ख्वास्त है, ऑर्डर कर दिया। आप इसी तरह शासन चलाते हैं ? क्या यह आपका इन्ट्रेस्ट जाहिर नही करता ?

(१.३० म. प.)

(राव श्री नारायणसिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अगर आपने नहीं देखा और बिना देखे ऑर्डर कर दिया तो ऐसे अन्धे मन्त्रियों की राजस्थान को कोई जरूरत नहीं है।

श्री जोधसिंह चौहान (गिरवा) : निकल जाओ।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं अर्ज करना चाहता था कि ऐसा भी अगर किया तो गलत क्या हुआ। अगर किसी ने दर्ख्वास्त पेश की और मैंने कह दिया क्लेक्टर को कि Look in to the report and send the report और सन ४० में फैसला हो गया।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : इस जमीन का मुआवजा किसके नाम पर दिया गया ?

श्री दामोदरलाल व्यास : बालाबक्ष के नाम पर। बालाबक्ष ने लिया।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : भाई को दिला दिया न ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, अन्त में मैं आपके सामने....

श्री भैरोंसिंह : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह बालाबक्ष, जिनके नाम पर मुआवजा मिला है, ये उस पार्टी में हैं जो आपके खिलाफ है या आपके पक्ष में हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मेरे खिलाफ। मदनलाल जी के लड़के बालावक्षजी हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, आखिर जो फैसला क्लेक्टर ने जिस तहसीलदार की रिपोर्ट पर किया है उसका आखिरी हिस्सा पढ़ देता हूं :

"मिसल बन्दोबस्त श्री कीन साहब के नोट नम्बर २ से जाहिर होता है कि यह माफी सन् २२ में खालसा की गई लेकिन सन् ३५ में वापिस बहाल कर दी गई। रेकॉर्ड्स में न तो अमसलात मुन्दर्जा व नोट मिसल बन्दोबस्त दस्तयाब हो सकती है और न इनके बरामद कराए जाने की जरूरत मालूम होती है क्योंकि सन् १९४३ में दुबारा बन्दोबस्त हो चुका। मिसल मुन्दर्जा रिपोर्ट नायब जी नम्बर १०८ मारूजा २२. ९. ४० जिसके जरिए माफी जब्त होना दर्ज किया गया है काफी तलाश करने पर भी दस्तयाब न होना रेकार्ड कीपर ने दर्ज किया है, नहीं कहा जा सकता कि उसमें क्या तजवीज हुई थी और क्यों अमल बरामद नहीं हुआ।

"बहरहाल अगर यह माफी सन् १९४० में जब्त की गई होती तो यह मुमकिन नहीं था कि सन् १९४३ के बन्दोबस्त के वक्त यह खाता माफी में दर्ज किया जाता। मालूम होता है कि जमाने जागीर में जागीरदार ने अपने कागजों में बिना किसी हुक्म के बाद बन्दोबस्त अपने तौर पर कार्यवाही जब्ती करके लगान वापिस करा दिया जिससे उसको कोई अधिकार नहीं था क्योंकि यह माफी देह जागीर नहीं थी बल्कि देह सरकार थी।" इस तरह से जो उल्लेख है इसके अन्दर उस में एक विरोधी जो इनका पक्ष का आदमी हो वह इनके हक में अपनी जमीन को दर्ज करा दे यह समझ में नहीं आता, हां वह कटवा दे यह समझ में आ सकता है। पर कोई इनके नाम में अपनी चीज लिखवा दे ऐसा अब तक तो नहीं देखा।

श्री दामोदरलाल व्यास : कागज देखें जरा।

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मंत्री) : एक अपनी छोटी प्रोपर्टी में दूसरे का हिस्सा डालकर फिर बड़ी प्रोपर्टी में शेयर करने की

Page No. 59

(श्री नाथूराम मिर्धा)

इच्छा रक्खे तो इसमें क्या बुरा है ? आप तो ऐसा लगता है बालाबक्सजी की पैरवी और वकालत कर रहे हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उनसे पैरवी करवा रहे हैं या नहीं, पर ५८ में जरूर दामोदरलालजी जब रेवेन्यू मिनिस्टर थे तो उनसे पैरवी करा ली। चाहे तो अपने दुश्मन को ठंडा करने की गरज से ऐसा किया हो या चाहे काका चाचा के लड़के को फायदा पहुंचाने की दृष्टि से किया हो। सौ साल का घर का वह झगड़ा जरूर निपटवा लिया यह निर्विवाद रूप से सत्य है।

श्री नाथूराम मिर्धा : बिलकुल सत्य है, झगड़ा तो मिटना ही चाहिये।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह पैरवी बालाबक्सजी की करवा रहे हैं आप इनसे।

श्री नाथूराम मिर्धा : जरूर करनी चाहिये। झगड़ा निपटे तो। झगड़ा तो हम सभी सदन में निपटवाने के लिये बैठे हैं। यह झगड़ा निपटवाना तो अच्छा ही है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : भैंस के सामने बीन बजाना है, आपके आरगूमेन्ट तो ऐसे हैं।

श्री नाथूराम मिर्धा : इसमें बुरा क्या है ?

आप तो उनकी वकालत कर ही रहे हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं क्या करूंगा, आप कर रहे है और आप जैसे तो असिस्टेन्ट हैं मेरे।

श्री मानसिंह महार (आमेर) : मेरा नाम ले लिया था, उपाध्यक्ष महोदय। मैं बोल रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, सदन के समक्ष हमारे वर्तमान कांग्रेस सरकार के २४ मन्त्रियों के मन्त्री मण्डल में हमने अविश्वास का प्रस्ताव रक्खा। उपाध्यक्ष महोदय, अविश्वास प्रस्ताव विरोधी पक्ष उस समय रखता है जब उसको यह महसूस होता है कि अब यह सरकार बेकार हो चुकी है, निकम्मी हो चुकी है।

मैं यह समझता हूं कि जो ये २४ मंत्रीगण हैं उन दो दर्जन मन्त्रियों में इस सारे ही सदन के बाकी के १५० के लगभग सदस्यों को विश्वास नहीं रहा। हम यह मानकर चलते हैं कि जिस सरकार के मुख्य मन्त्री के आंतड़ियों में खराबी हो और जिस कारण जो सदन की बैठकों में आने में असमर्थ हों, उस सरकार को तो मैं पांगलापाल सरकार ही कह सकता हूँ।

श्री देवीलाल (सराड़ा) : आपकी तो आंतड़ियां फट गईं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आंख से अन्धा और नाम नैनसुख।

श्री मानसिंह महार : बीच में बोलते हैं, उपाध्यक्ष महोदय, उनको ताड़ना दीजिए।

तो, उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि हमारी वर्तमान सरकार में और

(श्री मानसिंह महार)

वर्तमान मन्त्री परिषद् में आस्था नहीं रह गई है। इस सदन का विश्वास उनमें से उठ गया है। विश्वास का उठ जाना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। विश्वास खोने का कोई ठोस कारण होना चाहिए। तो मैं अपने भाषण में उन चन्द ठोस कारणों का उल्लेख करूंगा।

मैं समझता हूं कि इस सरकार के बारे में जो कुछ भी कहा जावे वह थोड़ा है। सरकार ने आदेश दिया है कि किसी विभाग में नए कर्मचारी नहीं रक्खे जावें, दो महीने से या छः महीने से कर्मचारी अस्थायी तौर पर रक्खे गए हों तो उनको कम कर दिया जावे। तो मैं पूछता हूँ कि छः या १२-१३ हद से हद पहले मन्त्री थे उप मन्त्री थे। पर गए बारह महीनों में अन्धाधुन्ध आंख मींच-कर उनकी संख्या को डबल कर दिया गया। तो, मैं समझता हूँ कि सबसे पहले जो इकानोमि कट होनी चाहिए वह यहां होनी चाहिए कि इस मन्त्री परिषद् में जितनी वृद्धि की गई है उन बढ़ाए गए मन्त्रियों को अब चुनावों के समय माननीय मुख्य मन्त्रीजी यह कह दें कि आप घर पधारिए। राजस्थान का दिवाला निकल रहा है। राजस्थान आपका खरचा नहीं बर्दाश्त कर सकता।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : माननीय मुख्य मन्त्रीजी तो दूसरी लिस्ट प्रकाशित करने वाले हैं जिसमें चालीस नए मन्त्री और बनेंगे। यह शायद आपको नहीं मालूम है?

श्री मानसिंह महार : तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारा इस मन्त्री परिषद् में अविश्वास का प्रस्ताव रखने का सबसे मुख्य कारण यह है कि यह मन्त्री परिषद् कोई मन्त्री परिषद् नहीं है, यह तो मेंढ़कों की पोट है।

एक आदमी इधर से कूद कर उधर जाते हैं तो उसे खुश करने के लिए मुख्य मन्त्रीजी उसे अपनी पोट में डाल देते हैं, तो उधर से भी जितने उचकते हैं वे मन्त्री मण्डल की पोट में डाल लिए जाते हैं।

तो जैसा मेरे मित्र ने कहा कि इससे सरकार के घर में घाटा होगा तो इनको कुछ विचार आवेगा। मैं कहता हूं इनको कोई विचार आने का नहीं है। मैं आपसे निवेदन करूंगा, उपाध्यक्ष महोदय, कि यह मन्त्री मण्डल और में मेंढ़क इन कुर्सियों को छोड़ने वाले नहीं है पर आप कम से कम आज यह व्यवस्था जरूर दीजिएगा कि जितने नये मेंढ़क इस मन्त्री परिषद् में लिए गए हैं उनको इकानोमी के हक में बर्खास्त कर दिया जाय। तो मेरा इस सरकार में अविश्वास रखने का प्रथम कारण तो यह है कि इस सरकार का मन्त्री मण्डल बहुत अनवील्डी है। बहुत बड़ा है। राजस्थान जैसे प्रदेश में, जो दिवालियेपन से गुजर रहा है, जिस पर टैक्सों से राजस्थान के टैक्स पेयर की कमर दोहरी हो रही है, वहां वह इन मन्त्रियों का एक एक मन्त्री का लाख लाख रुपया अन्दाज का खर्चा बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए अगर मुख्य मन्त्री जी यह कहते हैं कि हम इस अविश्वास के प्रस्ताव को वापिस ले लें तो पहले इनको इलेक्शन से पहले यह करना चाहिए कि इस मन्त्री मण्डल में जितने भी नए सदस्य बढ़ाए गए हैं ये कब से हुए यह देख लीजिए। हनुमान-

(श्री मानसिंह महार)

गढ़ और राजाखेड़ा के उप चुनावों से यह बढ़ोतरी का श्री गणेश हुआ है तो इन उप चुनावों के बाद जितने नए मन्त्री बताए गए हैं उनको बर्खास्त कर दें।

इसके बाद कई लोगों ने उपाध्यक्ष महोदय इस सदन में इस २।। दिन के वातावरण में सरकार के विरुद्ध ऐसे ऐसे आरोप लगाये हैं कि जिनको सुनकर, मैं समझता हूँ कि लोग मंत्री-परिषद् की ओर घृणा से देखते हैं। मैं उन आरोपों को दोहराना नहीं चाहता और उन डिपार्टमेन्ट्स पर भी मैं जाना नहीं चाहता हूँ जिनके ऊपर माननीय सदस्यों ने कहा। मैं तो चन्द डिपार्टमेन्ट्स में ही जाऊंगा। मैं उन डिपार्टमेन्ट्स में जाना नहीं चाहता जो कि बड़े बड़े सेठों से ताल्लुक रखते हैं। मैं उन डिपार्टमेन्ट्स में जाना नहीं चाहता जिसके लिए बड़े बड़े लोग कुछ कहें। मैं उन महकमों के बारे में सदन को अवगत कराऊंगा जो कि आम जनता जनार्दन पर जिनका प्रभाव है।

मेरी भाषण माला में प्रथम महकमा जिसके बारे में मैं बहुत जोर दे कर इस सदन को बताऊंगा वह है राजस्थान का विकास और पंचायत विभाग। उपाध्यक्ष महोदय, इस विभाग के बारे में जब मैं शुरुआत करता हूं तो मेरे दिमाग में यह चीज बोलती है कि यह विकास विभाग विकास विभाग नहीं है यह तो राजस्थान का विनाश विभाग है। जो भी विकास मंत्री हैं उनको यदि विनाश मंत्री कहा जाये तो अच्छा होगा...,

श्री दामोदरलाल व्यास : वह तो अब होगा।

श्री मानसिंह महार : खुश हो रहे हैं मंत्री महोदय। विनाश मेरा होता है या औरों का होता है यह तो आने वाला समय ही बतायेगा। यह जो सुखाड़िया जी की फौज है यह ऐसे कटे पतंग की तरह उड़ती है कि बस मजा आ जाता है....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मालपुरा से कटकर पतंग राजाखेड़ा पहुँचा है।

श्री मानसिंह महार : और तब सुनने को मिलता है कि आज फलां गया, आज फलां गया। राजाखेड़ा में लोगों के जूते उठा रहे हैं, आज कोई क्या कर रहे हैं। यह जब सुनते हैं तो मेरा हृदय बड़ा प्रसन्न होता है। और, उपाध्यक्ष महोदय, दुख तब होता है कि जब औंधे पड़ते हैं और पड़कर फिर उठते हैं, धूल झाड़ते हैं और दूसरी जगह से चुनाव जीत कर आते हैं। फिर भी जनता जनार्दन का ध्यान नहीं है। वर्ना धक्के लगे, धराशाही हों, बहादुर की तरह धूल झाड़े खड़े हों और फिर जनता उनमें विश्वास व्यक्त करे और फिर भी जनता को कान्फीडेन्स में नहीं लें। यह बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। मेरी यह आदत नहीं है। अगर जनता मुझे एक बार ठुकरा देती है तो मैं ५ वर्ष की छुट्टी ले लेता हूँ। और फिर मैं जनता के आगे गिड़गिड़ाता नहीं हूं। अगर आपने मुझे इम्तिहान में फेल कर दिया तो ५ वर्ष की तैयारी करके आऊंगा। लेकिन हमारे उधर बैठने वाले मंत्रियों के तो खून मुंह लगा रहता है। वह लोग इसको

(श्री मानसिंह महार)

बरदाश्त नहीं कर सकते । इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, मैं अब विकास विभाग की ओर आता हूं ।

मैं आपसे निवेदन करूंगा कि मैं कोई नयी बात नहीं कह रहा हूँ । मैं वह बात कह रहा हूं इस पंचायत विभाग के बारे में जो कि जयपुर के तहत कांग्रेस के आमेर सम्मेलन के रिज्योल्यूशन के द्वारा पास हुई । आप ताज्जुब करेंगे कि कांग्रेस के मिनिस्टर, कांग्रेस के बडे सीनियर आदमी, कांग्रेस की मीटिंग में प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष बैठे हुए हैं वहां पर यह प्रस्ताव पास हो कि पंचायत मंत्री ने अपने हाथ में इतने अख्तियारात ले लिये कि जिससे वह एक प्रकार से डिक्टेटर बन गये । लोगों के साथ अन्याय कर रहे हैं । तो महोदय मुझे दुख होता है । मैं फिर इसके ऊपर विचार करता हूं कि क्या यह वास्तविक बात है । तो कुछ तथ्य मेरे सामने आये जो कि मैं सदन में रखना चाहता हूँ । मैं पंचायत मंत्री जी को एक बहुत ही नेक आदमी समझता हूं । मैं इस प्रस्ताव के पहले नहीं मानता था कि वे कोई गड़बड़ी करते हैं । इस सदन में भी जब पर्टीकुलर अमेन्डमेन्ट आया तो मैंने उसका ज्यादा विरोध नहीं किया । लेकिन अब वाकई में ही महसूस होता है और इधर ही बैठने वाले नहीं बल्कि यह उधर बैठने वाले माननीय सदस्य भी मानते हैं और महसूस करते हैं और उन्होंने प्रस्ताव के रूप में रखा अपनी पार्टी में । अब मैं चन्द उदाहरण देता हूं । यह कोई बहुत बड़े सेठ के बारे में नहीं है कि एक सेठ ने कुछ जमीन ले ली तो दूसरे विरोधी ने फोटो उसका खिचवा लिया । मैं तो वह बातें रखूंगा जो कि आज रोजाना गांवों में गुजरती हैं । गांव के ग्रामीण लोग बारह बारह महीने तक सरपंच के खिलाफ पंचायत विभाग में गये हैं और उसका नतीजा क्या होता है । उसके बारे में मैं सदन को अवगत कराऊंगा ।

मेरा प्रथम मुद्दा यह है कि हमारे पंचायत मंत्री का पंचायत विभाग हमारे भारत के संविधान के प्रति कतई जागरुक नहीं है । मैं पंचायत मिनिस्टर पर यह आरोप लगाता हूं कि आपने भारत के कांस्टीट्यूशन का अनादर किया है । इसलिए आप इस विधान सभा से और मंत्री परिषद् से इस्तीफा दे दें । आपके पंचायत राज्य के अन्दर एक ऐसा सरपंच बैठा हुआ है जिसने २ वर्ष हो गए संविधान के प्रति शपथ नहीं ली । उसकी डिपार्टमेन्ट को शिकायतें की गयीं–यह तहकीकात हो रही है, वह तहकीकात हो रही है ऐसा कह दिया जाता है । यह आदमी जैसे अजमेर म्युनिसिपैलिटी में जो पाकिस्तानी था उससे भी अधिक यह आदमी देशद्रोही है ...

श्री दामोदर लाल व्यास : कौन आदमी है ?

श्री मानसिंह महार : आपका बड़ा लाडला श्री प्रहलाद राय सरपंच, रामपुरा डाबड़ी पंचायत समिति, आमेर ।

यह पंचायत चुनावों के अन्दर निर्विरोध आ गया । आते ही कहीं चला गया और जब रात को शपथ दिलाई गयी तो वह वहां मौजूद नहीं था । शपथ नहीं लेने

(श्री मानसिंह महार)

के बाद आज दिन तक शपथ नहीं ला उसने। जब उनसे पूछा गया तो कहा कि मैंने तो तहसील में जाकर शपथ ले ली। इस पाइन्ट को लेकर दामोदर जी आपका पंचायती विभाग दो वर्ष में यह निर्णय नहीं कर सके। आप ताज्जुब करेंगे कि बहुत सीरियस बात है। कम से कम आप अपने जवाब में यह विश्वास इस सदन को दिलायें कि आप ऐसे आदमी को फौरन मोअत्तिल करेंगे। आप समय दें कि इतने दिनों में इन्क्वायरी कर लेंगे। इससे बढ़कर हमारे संविधान के प्रति और पंचायत एक्ट के प्रति और कोई अपमान की बात नहीं है।

अगली बात एक और भी महत्वपूर्ण है। यह भी डाइरेक्टली मंत्री जी को हिट करती है। वह कैसे ? वह बात यह है, उपाध्यक्ष महोदय, कि दूदू के उप–प्रधान श्री कल्याणदत्त महाजन जो कि सरपंच सेवा में हैं उनके घर पर हजारों मन गल्ला पकड़ा गया। गल्ला पकड़ने के बाद दौड़धूप शुरू हुई क्योंकि कल्याणदत जो हमारे पंचायत मिनिस्टर के बहुत कृपापात्र हैं। तो दौड़धूप होकर उनके मुकदमे को दबा दिया गया, चालान तक नहीं होने दिया। ऐसे ब्लेक मार्केटियर्स का चालान नहीं होने देना इससे बढ़कर शर्म की बात कोई और नहीं है। और इसके अलावा उपाध्यक्ष महोदय, सबसे बड़ी बात एक और बताना चाहता हूं। जब दूदू के सरपंच का चुनाव हो रहा था तो हमारे लाडले पंचायत मंत्री दूदू पधारे। दूदू में लोगों को इकट्ठा किया। आप यकीन कीजिए और लोगों को यह कहा कि आपको गणेशराम को वोट देना है। हमें कोई एतराज नहीं। मंत्री जी यह तो पसन्द और नापसन्दी होती है। उन्होंने रघुनाथ सिंह को नापसन्द किया और गणेशराम को पसन्द किया। इसमें मुझे एतराज नहीं है। यह तो डेमोक्रेसी का अंग है लेकिन उसके समर्थन में, अपने सबूत में सफाई क्या देते हैं मंत्रीजी, वह मैं आपको बताना चाहता हूं। कहते हैं कि देखो ! जो हमारा साथ देता है वो चाहे जायज करे चाहे बेजा करे, हम उनकी मदद करेंगे। जो हमारा विरोध करता है उनको हम चाहे वे न्याय भी करते हों, हम उनको कुचल देते हैं। उदाहरण के रूप में कहते हैं कि सरपंच कल्याणदत्त के यहां पर हजारों मन गल्ला पकड़ा गया लेकिन हमने उसका बाल भी बांका नहीं किया है। इसलिए अगर दूदू की जनता चाहती है कि वह भी इसी प्रकार से हम मंत्रियों का संरक्षण ले तो वह कल्याणदत्त की तरह हमारे साथ रहे और नहीं रहेंगे तो कुचल दिए जायेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे खुशी है कि इस धमकी का विपरीत प्रभाव पड़ा। दूदू के सरपच, भूतपूर्व सरपंच डॉक्टर भानुप्रतापसिंहजी जिनके स्वर्गवास हो जाने की वजह से ही यह जगह खाली हुई और इसी जगह का उपचुनाव था, वे एक बहुत प्रभावशाली व्यक्ति थे उनकी विजय गत पचायत चुनाव में १५० वोटों से हुई लेकिन हमारे मंत्रीजी के एक भाषण ने दूदू की इन्कलाबी जनता में ऐसा जोश भर दिया कि उनके छोटे भाई जो कि काफी कम प्रभावशाली हैं, हमारे मंत्रीजी के गणेशराम को साढ़े चार सौ वोटों से धराशायी किया। मैं आपसे कहना चाहता हूं........

श्री दामोदरलाल व्यास : आपको तो खुश होना चाहिए इससे ।

श्री मानसिंह महार : मगर मैं तो आपके भले के लिए कहता हूं । किसी एम. एल. ए. को नहीं मरवा देता इस तरह से । मैं आपका शुभ चिंतक हूं । तो, उपाध्यक्ष महोदय, इस तरह से मैंने ये दो तथ्य रखे ।

अब मैं आगे आता हूं और भी अहम मुद्दों पर, क्योंकि मेरा भी ताल्लुक इनसे एक सरपंच होने के नाते है । मैं आपसे निवेदन करूं कि पंचायती राज में निष्ठा रखता हूं । आज इस महकमे में इतना भ्रष्टाचार है और भ्रष्टाचार भी हर महकमे में है, उपाध्यक्ष महोदय । मगर मुझे दुख इस बात का होता है, उपाध्यक्ष महोदय, कि पहले यह भ्रष्टाचार रूपी राक्षस शहरों में ही था लेकिन जब से यह पंचायती राज बना है यह भ्रष्टाचार रूपी राक्षस गांवों में भी पहुंच गया है । मैं आपको बताता हूं कि आज पंचायत समितियों में क्या हो रहा है । पंचायत समिति गोविन्दगढ़ मे टीन शीट्स का अलाटमेंट हुआ । एक जयपुर के लुहार ने जयपुर जिला परिषद के प्रमुख श्री सहदेव शर्मा को दस हजार रुपये दिए । जयपुर जिला-परिषद् के प्रमुख को जयपुर के एक लुहार ने दस हजार रुपये दिए हैं कि इन टीन शीट्स को पंचायत समिति के क्षेत्र से निकाल कर मुझे जयपुर में दिला दीजिए । लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, मैं नाम लेकर आरोप लगाता हूं कि किस तरह से भ्रष्टाचार होता है । वह परमिट लेकर और लेटर लेकर प्रमुख का पंचायत समिति गोविन्दगढ़ के प्रधान के सामने जाता है और प्रधान और विकास अधिकारी ने उसको इन्कार कर दिया । तो उसने इनका भी मुंह मीठा कराया दो तीन हजार रुपयों से और वह मुंह मीठा होते ही पंचायत समिति गोविन्दगढ़ की जनता हा हाकार करती रही और उसको कह दिया गया कि इस समिति क्षेत्र में कोई लुहार नहीं है जो कृषि के काम के औजार बनाता हो, इसलिए यह पूरा सामान जयपुर के फलां लुहार को दे देते हैं । वह सारा सामान हमारी ग्रामीण जनता के लिए, खेती के औजारों के काम का था वह सारा जयपुर आ गया । पन्द्रह हजार का लेन-देन उसका हुआ और उसमें ब्लेक हुआ साठ हजार का । अब आप कहेंगे कि वहां तो कोई लुहार ही नहीं था पंचायत समिति गोविन्दगढ़ के अन्दर । मैं आपसे कहता हूं कि पंचायत समिति गोविन्दगढ़ के क्षेत्र मे चौमूं के अन्दर लुहार मैं जो बढ़िया से बढ़िया कृषि के औजार बनाते हैं । पंचायत समिति क्षेत्र गोविन्दगढ़ में सामोद के अन्दर लुहार हैं, कालाडेरा के अन्दर लुहार हैं और भी कई जगहों पर लुहार हैं । इन क्षेत्रों के लोगों को पन्द्रह हजार रुपयों के लेन देन से वंचित रख कर सारा माल जयपुर में भेजा गया । अगर मैं गलत कहता हूं तो आप जयपुर में उस लुहार को बुला कर.......

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं एक बात जानना चाहता हूं, जो आपने कहा तो क्या सहदेव शर्मा ने चिट्ठी लिखकर भेजी थी वहां पर कोई ?

श्री मानसिंह महार : जी हां, बिल्कुल चिट्ठी लिखकर भेजी यहां से कि यह माल जयपुर की फलां पार्टी को दे दिया जाय ।

(श्री मानसिंह महार)

तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप डवलपमेंट डवलपमेंट और विकास विकास की बातें करते हैं और विकास की हमारे जो चीजें आती हैं वे सारी की सारी ब्लेक मार्केट में चली जाती हैं। आप कोई सुनवाई नहीं करते हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं एक बात और जानना चाहता हूं। आप भी उस पंचायत के खुद भी सदस्य हैं, आपने कभी इस मामले को पंचायत समिति के अन्दर विरोध के रूप में पेश किया है ?

श्री मानसिंह महार : कई बार उठाया गया है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि कई बार उठाया है। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था, उपाध्यक्ष महोदय, कि एक यह मुद्दा मैंने रखा पंचायती राज का। अब मैं एक बहुत अहम मुद्दे पर आता हूं, उपाध्यक्ष महोदय। वह तो इन पंचायतों से ताल्लुक नहीं रखता....

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

अभी तो उपाध्यक्ष महोदय....

श्री उपाध्यक्ष : यह तो पहली घण्टी है।

श्री मानसिंह महार : सवा घण्टा डेढ घण्टा तक बोले हैं, अब तो आधा घण्टे का टाईम भी नहीं है।

श्री रामकिशन (वैर) : दो दो घण्टे तक बोल चुके हैं लोग।

श्री मानसिंह महार : अब मैं एक बहुत अहम मसला सदन के सामने रखना चाहता हूं जो बहुत गम्भीर है। आज देश के अन्दर गो वध रोकने के लिए आन्दोलन चल रहे हैं कि हिन्दुस्तान में गो-वध बन्द हो। उसमें बहुत लोग, मैं समझता हूं कि भारत की आधी से अधिकांश जनता इसके पक्ष में है। यह आन्दोलन कई तरीकों से सामने आया जिसको आप महसूस करेंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज गोचर भूमियों पर अनाधिकृत कब्जे हो रहे हैं धड़ा-धड़ और हम सरपंच लोग बिल्कुल असहाय हैं। मैं आपसे निवेदन करूं कि जो सार्वजनिक तालाब हैं उनके आसपास कई जमीनें पड़ी हुई हैं जहां पर कि गऊएं पानी पीने आकर रुकती हैं, अगर वे जमीनें अलॉट हों खेती के लिए तो जो आपने बीस बीस हजार रुपये लगा कर तालाब बनाये हैं वे तालाब निरर्थक हो जायेंगे क्योंकि वहां गायें पहुंचती नहीं है। यह आपको मैं बिल्कुल सही स्थिति बता रहा हूं कि उन तालाबों के आसपास की जमीनें जो कि कई जगह गल्ती से सिवाय चक एंटर हो गई उन जमीनों को गोचर में न छोड़ कर अलॉटमेंट कमेटियों ने पैसे ले लेकर उनको खेती के लिए अलॉट की हैं। इससे जगह जगह आन्दोलन होते हैं, गांव २ में झगड़े चलते हैं लेकिन हमारी पंचायतों के मालिक हमारा पंचायत विभाग मौन है। मुझे इसके लिए आन्दोलन करते पांच वर्ष हो गए। मैं जब भी जिला परिषद में जाता हूं, कहता हूं कि गोचर भूमि की सही व्यवस्था गांवों में होनी चाहिये लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती, कोई गौर नहीं करता। सरकार स्वयं अव्यवस्था लाना चाहती है। मैं समझता हूं कि इस सरकारके अन्दर जो

(श्री मानसिंह महार)

लोग बैठे हैं वे अन्दरूनी तौर पर कम्युनिस्ट हैं। उनकी रूस और चीन से सांठ गांठ है। वे यह चाहते हैं कि इस देश के अन्दर अराजकता हो, इस देश में जो प्रजातंत्र की प्रणाली है वह खत्म हो।

श्री दलपतसिंह (आबू) : आप तो इण्टरनेशनल पोइन्ट पर आ गए।

श्री मानसिंह महार : पंचायत और इण्टरनेशनलिज्म इंटरलिंक्ड है।

तो मैं निवेदन करता हूँ कि अगर पंचायतों को सही ढंग से चलाना है, गांवों की जनता को आराम देना है, गांवों के लोगों को अच्छे मवेशी दिलाना है तो दामोदरलाल जी व्यास, आप जो कि अपने आपको बहुत ही प्रगतिशील मंत्री मानते हैं, उनसे मैं करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि यह

(२ म. प.)

यह जो गोचर या सवाई चक जो कि सार्वजनिक जगहों मे हैं उन पर जो अतिक्रमण हुए हैं या उन पर जो एलॉटमेंट कमेटी ने रोंग अलॉटमेंट किये हैं उनके लिए आप ध्यान दें। मैं आपको निवेदन करता हूँ कि ६० प्रतिशत केसेज ऐसे हैं जिनके अन्दर इस प्रकार की बात है लेकिन कोई सुनाई नहीं। कोई सुनने वाला नहीं है। जो गांव वाले लाठी लेकर अतिक्रमण करने वालों को मारपीट करते हैं तो चालान होता है। मैं उसको प्रोत्साहन नहीं देता, लेकिन मैं कहता हूं कि यह कार्यवाही आप करवाते हैं। आप नपुंसक होकर बैठे हैं तब यह कार्यवाही होती है। अगर आप हिम्मत से काम लें तो यह बात नहीं हो सकती। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आज और ज्यादा लेन-देन होता है वह हम इलेक्टेड रिप्रेजेन्टेटिव्ज करते हैं। मैं तो नही बात यह कहता हूं बदनाम बेचारे तहसीलदार होते हैं, लेकिन रुपये लेने देने में अधिकांश हाथ सरपंचों का है।

मैं आपसे निवेदन करता हूं कि फिर एक मिसाल दूंगा इस पर कि ग्राम पंचायत अमरपुरा में दो सार्वजनिक तालाब हैं। उनके पास जागीरदारों और माफीदारों की छोड़ी हुई जमीनें बरसों से गोचर के काम आ रही हैं, लेकिन सेटिलमेंट रेकार्ड में गलती से सवाई चक लिख दिया। नतीजा क्या होता है कि उसको अलॉट कर दिया गया। अब उन तालाबों के पास मवेशियों के जाने की जगह नहीं है। यह एक ऐसी जगह पर है जहां पर मैं अपनी आंखों से देख कर आया हूं। मैं खुद वहां गया हूं अलाटमेंट के बाद और मैंने देखा है कि अलाटमेंट सरासर अन्याय है। इसलिए मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इस अलाटमेंट पर ध्यान दें। यह अलाटमेंट १० हजार रुपये लेकर हुआ है।

श्री दामोदरलाल व्यास : कहां पर अलॉटमेंट हुआ है ?

श्री मानसिंह महार : ग्राम पंचायत अमरपुरा के सरपंच ने किया है। पंचायत समिति गोविन्दगढ़ के सरपंच को तो आप जानते हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास : गोचर की भूमि अलॉट की है ?

श्री मानसिंह महार : सिवाई चक जो कि तालाब के चारों तरफ है। अब इस अलॉटमेंट के कारण तालाबों में मवेशी पानी नहीं पी सकतीं। बड़ी बड़ी डोलियां लगी हैं और सारे रास्ते बन्द। मवेशियों को पानी पीने की सुविधा नहीं है। पंचायत समिति गोविन्दगढ़, तहसील आमेर, ग्राम पंचायत अमरपुरा। आप इसको भी देख लीजिये। उस सरपंच को आप खुद भी जानते हैं अच्छी तरह से और उसकी काफी मदद भी करते हैं, लेकिन अगर आप उसकी मदद करते हैं तो मुझे कोई एतराज नहीं है। पार्टी को जिन्दा रखना है तो मदद आपको करनी पड़ेगी। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि एक पंचायत नहीं है। मेरी खुद की पंचायत में मैं आपसे कहूं कि गोचर भूमि पर लोगों ने कब्जा किया। लोगों को समझाया बुझाया लेकिन आपने कुछ भी कार्यवाही नहीं की।

श्री दामोदरलाल व्यास : आपने खुद ने सरपंच की हैसियत से अपने कर्तव्य का पालन किया है और तहसीलदार को दफा ६१ के तहत कार्यवाही करने के लिए लिखा है। आपकी पंचायत की बात आप कहते हैं कि गोचर भूमि पर लोगों ने जबरदस्ती काश्त कर ली तो उसके बारे में आपने तहसीलदार को लिखा या नहीं ?

श्री मानसिंह महार : अब के मेरी मर्जी के मुताबिक आपने प्रश्न पूछा है इसके लिए मुझे बड़ी खुशी है। मैंने नहीं लिखा। आप शायद गोविन्दगढ़ पधारे थे और पंचायत समिति के बहुत से लोगों ने आप से भी यह शिकायत की थी और एस. डी. ओ, आमेर ने एक लम्बा-चौड़ा वक्तव्य भी शायद वहां पर दिया था। मुझे नहीं मालूम आप प्रत्यक्ष वहां पर देखने वाले थे इसलिए आप ज्यादा जानते हैं। उसके बाद यह जरूर मालूम हुआ। दूसरे दिन में एस. डी. ओ साहब के पास गया और कहा कि गोचर भूमि पर अतिक्रमण मेरे यहां हुआ है तो इतना लम्बा खरड़ा उन्होंने तहसीलदारों के पास लिख कर भेजा है। मेरे सामने वह डिनाई कर दें। मेरी पंचायत की तो क्या बात है उन्होंने पूरे सब-डिवीजन आमेर के लिए लिखा है मेरे सामने कि इस तरह से मैं पंचायत समिति गोविन्दगढ़ में कमिटमेंट करके आया हूं और १५ दिनों के अन्दर आप लोगों को यह नाजायज कब्जा हटाने के लिए इमीजियेटली एक अभियान के रूप में शुरू करना है। मगर दुःख का विषय है कि १५ दिन के बाद आज एक महीने से ज्यादा हो गया है, लेकिन तहसील में कोई कार्यवाही नहीं हुई। मंत्री महोदय ! मुझे बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है कि तहसील आमेर और रामगढ़ दोनों तहसीलों में कोई कार्यवाही नहीं हुई, बल्कि एक दिन रामगढ़ तहसील में सुबह दरख्वास्त दी, दोपहर को अलॉटमेंट हुआ और शाम का पट्टा तक बना दिया गया। यह किसी से छिपी हुई चीज नहीं है। यह चौड़े की चीज है।

यह हो रहा है। आपके यह ऐसे कारनामे हैं तो आपका यह पंचायती राज्य कैसे जिन्दा रहेगा जिन पंचायती राज्य का ढिंढोरा आप भारत में पीटते हैं !

श्री दामोदरलाल व्यास : माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं यह जानना चाहता हूं कि माननीय सदस्य ने खुद ने दफा ६१ के तहत कार्यवाही करने के लिए तहसीलदार को लिखकर भेजा कि नहीं ?

श्री मानसिंह महार : मैंने खुद ने कहा कि मैं खुद एस. डी. ओ. के पास गया तो एस. डी. ओ. ने कहा कि आपको लिखकर देने की जरूरत नहीं और हम अभियान शुरू कर रहे हैं और सारी पंचायत समितियों में इस प्रकार का सक्यूलर मैंने भेजा है। आप जांच कराइये।

श्री दामोदरलाल व्यास : अच्छी बात है।

श्री मानसिंह महार : और अगर जांच के बाद यह साबित हो कि किसी ने कोई कार्यवाही नहीं की और जैसी आपकी कागजी कार्यवाही कागजों में ही रहती है वैसा हुआ तो एक्शन उनके खिलाफ लें और अगर एस० डी० ओ० साहब कहते हैं कि मैंने यह शिकायत नहीं की तो आप मेरे खिलाफ भी एक्शन लें। अगर एस० डी० ओ० साहब कह देंगे तो मैं सरपंची से स्तीफा दे दूंगा।

श्री दामोदरलाल व्यास : कह दिया मुझे मालूम है।

श्री मानसिंह महार : ये तो पंचायती राज्य की कुछ झलकियां हुई हैं कि पंचायती राज्य क्या है। जहां पर सहवर्त है महिलाओं का सहवर्त दूसरा किया जाय और नाम दूसरों के भेज दें। यह हालत है। १५० वोटों से चुना हुआ पंच घोषित नहीं किया जाय बमुकाबले १०० या ८० वोटों के।

श्री चौसरसिंह बाबेल (बैंगू) : दूसरा पास किया या नहीं?

श्री मानसिंह महार : यह भी आम शिकायत है। यही नहीं जब, उपाध्यक्ष महोदय, बात आगयी है और पंचायत मन्त्री जी इन्ट्रेस्ट लेते हैं तो जिला परिषद् में जब स्टेंडिंग कमेटी का चुनाव हुआ तो चुनाव का समय तीन बजे का था कि तीन बजे तक नामांकन पत्र पेश किये जायेंगे और तीन से ५ तक वोट होंगे। चार बजे तक वियड्राल नहीं किया गया और वोटिंग चार बजे कराया गया। मैंने इस चीज के लिए नकल हुकुम लेने की दरख्वास्त दी। मैंने खुद ने दी। आपसे निवेदन करता हूं कि इन लोगों के न्याय की क्या बातचीत की जाय। मैंने खुद ने सर्टिफाइड कापी के लिए पैसा जमा कराके डबल फीस पर दर्खास्त दी और वह नकल मुझे एक एम० एल० ए० होते हुए भी तीन महीने के बाद मिली। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि यह तथ्य मेरे पास है। अगर मन्त्री जी चाहते हैं तो यह भी रखूंगा। श्री बाफना जो कि हमारे जिला परिषद् के डिप्टी डेवलपमेंट आफिसर थे जयपुर में उनका इस प्रकार की अनियमितताएं और अन्याय करने की वजह से प्रमोशन देकर अब सेक्रेटेरियट के डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में ले लिया। यह उनके जमाने की बात है। अगर मन्त्री जी सही ढंग से इस केस को भी देखें और कोई एक्शन लेने की बात कहें तो मैं नकल हुक्म पेश करूंगा कि किस तारीख को दर्खास्त दी गई और यह हुआ, उपाध्यक्ष महोदय, कि अहलकार ने नकल दो महीने पहले तैयार कर ली। अहलकार के नकल देने की तारीख दो महीने पहले की है और मेरे मुतवातिर वहां फिरने के बाद नकल दी गई। तो दो महीनों में मेरा सारा इन्ट्रेस्ट इलेक्शन पिटीशन का खत्म हो गया। जैसा कि आप जानते हैं कि कमेटी को बने हुए ३ महीने हो गये और जो कुछ काम करना था उनको मनुचित, वह कर

(श्री मानसिंह महार)

लिया और दो महीने के बाद अगर मैं पिटीशन में जाता तो एक प्रकार से बेकार था। इसलिए मेरा दामोदर जी व्यास से खास तौर से निवेदन है कि पंचायती राज्य को अगर सफल बनाना है तो आपको लाजिमी है कि आप इस प्रकार की अनियमितताओं को लीनियेन्सी से न लें और आप इस में सख्ती बरतिये। सख्ती बरतने का मतलब यह नहीं होता है कि कांग्रेस पार्टी का सरपंच था उसके साथ सख्ती कैसे करें। दो वर्ष तक वह मूंछें तान कर सरपंच बना रहा और हमारी स्वतंत्र पार्टी का या बापड़ी विरोधी पार्टीज का सरपंच बापड़ा आ जाय आपके चक्कर में तो सस्पेन्शन का ओर्डर तीसरे दिन भेज दिया जाय। ऐसी बात नहीं होनी चाहिये। आप पंचायत मंत्री हैं, बहुत बड़े मंत्री हैं हालां कि आपका नाम छोटा है और मैं यह भी जानता हूँ कि आप मेडिकल एन्ड हैल्थ मंत्री लिखना अपनी शान समझते हैं और पंचायतों को नीचा मानते हैं। मगर यदि राजस्थान को ऊंचा उठाना है तो आपको पंचायत मंत्री लिखना घोषित करना चाहिये न कि मेडिकल एन्ड हैल्थ। आप नाम बदलिये। मेडिकल में तो रोज झगड़े होते हैं, कोई मेडिकल का लड़का आपकी पूजा कर देगा....

श्री दामोदरलाल व्यास : बदल लूंगा।

श्री मानसिंह महार : एक इससे भी बहुत ऊंचा महकमा है जिसके मंत्री जी यहां पर विराजमान नहीं हैं लेकिन साथी लोग उनको बता देंगे। वह है कोआपरेटिव। उस महकमे की तो आप पूछिये ही मत। इस डेमोक्रेटिक डीसेन्ट्रेलाइजेशन को इतना निकम्मा, इतना भ्रष्ट इस कोआपरेटिव डिपार्टमेन्ट ने किया है वैसा, मैं समझता हूं, कोई डिपार्टमेन्ट कर नहीं सकता। यह महकमा वह है जिसके अन्दर गरीबों की सुनवाई नहीं होती। मैं सही अर्ज कर रहा हूं। कोआपरेटिव के नाम पर फार्म खोल दिये जायं और फार्म खोल कर लाखों का गोलमाल कर दिया। कर्जे का पैसा लिया जाता है वह कभी वापिस नहीं होता है। मैं निवेदन करूं एक कोआपरेटिव सोसाइटी है फार्मर्स कोआपरेटिव सोसाइटी रायथल में वहां का सर-पंच जो कोआपरेटिव सोसाइटी का अध्यक्ष भी है। वहां पर ५०-६० हजार का लोन आया काश्तकारों के लिये उस लोन में से बहुत बड़ा हिस्सा सर पंच महोदय ने डाइरेक्टली स्कूल बिल्डिंग में लगा दिया। डाइरेक्टली सरपंच रायथल ने। गलत हो तो मैं साबित करने को तैयार हूँ। आपके महकमें ने ६० हजार रुपया कोआपरेटिव सोसाइटी के थ्रू काश्तकारों को लोन के रूप में देने को भेजा था, काश्तकारों के दस्तखत नहीं करवाये और २५ हजार रुपये फर्जी अंगूठे लगाकर परबारे दे दिये....

श्री दामोदरलाल व्यास : किसने ?

श्री मानसिंह महार : सरपंच ने। कोआपरेटिव सोसाइटी रायथल, तहसील आमेर के सरपंच ने। ये २५ हजार रुपये काश्तकारों तक पहुँचे नहीं और आप कहते हैं कि लोन देते है, काश्तकारों ने उन रुपयों के दर्शन नहीं किये और रुपये स्कूल बिल्डिंग में लग गये डेवलपमेन्ट हुआ, वाहवाही सरपंच ने करली। कितना कमाल किया

Page No. 70

(श्री मानसिंह महार)

स्कूल खड़ी करदी और गरीब काश्तकार अपने किस्मत को रो रहे हैं। इसकी जांच करवाइये। मैं दावे से कहता हूं कि पंचायत समिति आमेर, गोविन्दगढ़ और जमुवारामगढ़ इन तीनों में जो कोओपरेटिव सोसाइटीज हैं उनमें से ९० परसेन्ट सोसाइटीज़ में गबन है। यदि आप कहेंगे तो मंत्री महोदय, मैं आपको एक सोसाइटी का नामजद हाल बता दूंगा....

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

अभी तो मैंने शुरू ही किया है।

श्री उपाध्यक्ष : आपको बोलते हुए आधा घंटा हो गया है। माननीय अध्यक्ष ने जो निर्देश दिया है उसके अनुसार आधा घंटे से अधिक न लें। आप दो तीन मिनट में समाप्त कर दें।

श्री मानसिंह महार : मैं यह निवेदन कर रहा था कि कोओपरेटिव सोसाइटीज़ में से ९० परसेन्ट में गबन है। पार्टनर्स ने कहा कि जो रिटर्न आता है उसको उनके अध्यक्ष खा जाते हैं इसलिये हमारा हिस्सा अलग अलग बांट दो। इसके लिये कोई प्रोविजन नहीं है लेकिन प्रेसिडेन्ट ने चार चार हजार रुपये लेकर अलग अलग कर दिया। इस सोसाइटी को हजारों रुपये लोन के रूप में और दूसरी तरह से दिये गये थे। हमारे कृषि मंत्रीजी ने इसको आदर्श सोसाइटी बताकर वहां जाकर इसको एक ट्रेक्टर प्रदान किया नाथूरामजी कृषि विभाग की ओर से एक ट्रेक्टर जिस सोसाइटी को दे डाले उस आदर्श सोसाइटी की यह हालत है....

एक माननीय सदस्य : यह कौनसी सोसाइटी है ?

श्री मानसिंह महार : यह है आदर्श कृषि सोसाइटी जाटांवाली जिसके प्रधान श्री भोंरीलालजी हैं जो आपकी दोनों पार्टीज में जी हुजूरी करते हैं लेकिन आप यह नहीं देख सके कि उनका मुंह किधर है...

श्री दामोदरलाल व्यास : आपके सलाह करूंगा।

श्री मानसिंह महार : यह है कोऑपरेटिव सोसाइटीज की हालत। यदि कोऑपरेटिव डिपार्टमेन्ट सही ढंग से काम करे तो यह वह डिपार्टमेन्ट है जो भारत के काश्तकार की तरक्की कर सकता है। लेकिन जितनी सोसाइटीज हैं वे चंदों के हाथ में पड़ गई हैं। मैं निवेदन करूंगा कि सब का डिजोल्युशन किया जाय और गांवों में ग्राम सभा बुलवाइये और दुबारा सोसाइटीज़ का फोरमेशन कराइये फिर देखिये कि उनमें सही आदमी जायेंगे। आज चंद आदमियों की मोनोपोली हो गई है और वे निजी लाभ के लिये उनको रन करते हैं न कि गांव वालों के लाभ के लिये। मैं कन्क्ल्यूड करूंगा। मैं

(समय-समाप्ति-सूचकघंटी)

निवेदन करूं कि मंत्री जी यहां पर नहीं हैं लेकिन एक आयुर्वेद का महकमा इस राजस्थान में है। इस महकमे की अधिक आलोचना न करके एक बात कहूंगा वह यह है कि इसमें दो तीन खामियें हैं। एक तो यह है कि वैद्य, उप-वैद्य और परिचारिका इनकी तनख्वाह पर करीब ३००) रु, माहवार खर्च होते हैं याने साढ़े तीन हजार रुपया सालाना

(श्री मानसिंह महार)

आप वैद्य, उप वैद्य और परिचारिका पर खर्च कर रहे हैं जब कि दवाई देने का सवाल आता है तो प्रत्येक दवाखाने को करीब ६००) रु. साल की दवाई देते हैं। आप सोचिये कि तीन साढ़े तीन हजार रुपये सालाना आप तनख्वाहों पर खर्चे करते हैं। मेरा कहना यह है कि या तो आप वैद्य और परिचारिका रखिये और १००) १५०) रु. माहवार हर औषधालय में वेतन में से कम कर दीजिये और उसके बजाय हजार डेढ़ हजार रुपये साल की दवाइयें हर औषधालय को दीजिये यह मेरा कंस्ट्रक्टिव सुझाव है। यदि आयुर्वेद को कामयाब करना है तो यह पद्धति अपनाइये। इसके अलावा एक विचित्र बात है वह यह है कि वैद्यों के तबादले हो जाते हैं तो दवाइयों और रजिस्टर को आलमारी में ताले में बन्द करके घर पधार जाते हैं और दूसरा वैद्य आकर बैठ तो जाता है पर दवाइयां नहीं दे सकता। मैं ठोस उदाहरण दूंगा। आप गांव वालों की हालत देखिये। एक वैद्य चार्ज बिना दिये छुट्टी लेकर पधार गये। दवाखाने की औषधियां और रजिस्टर के ताला लगा दिया। कहने पर भी कोई सुनवाई नहीं। सारा गांव परेशान। यह मैं मेरे अपने गांव महार की बात कह रहा हूं। वैद्य महोदय छुट्टी लेकर बैठे हैं। डाइरेक्टर साहब का हुक्म लेकर उनके पास गया तो मुझे ऐसे अप-शब्द कहे। जो नहीं कहने चाहिये। मैंने कहा चार्ज दीजिये तो उन्होंने मुझे बहुत अप शब्द कहे ऐसे अपशब्द मुझे सदन में नहीं कहने चाहिये। इस बात को डेढ़ महीना हो गया अब भी आप किसी को जांच करने भेजिये हमारे दवाखाने की आलमारी का ताला नहीं खुला है। डेढ़ महीने से (समय-समाप्ति-सूचक घण्टी) बस मैं खतम कर रहा हूं। डेढ़ महीने से दवाओं का ताला बन्द है। डेढ़ महीना हुआ जब से हाजिरी रजिस्टर वगैरह सब कुछ ताले में बन्द है। आप बताएं कि गांव वालों ने क्या कसूर किया है। आज एक वैद्य डाइरेक्टर का हुक्म न माने। इतनी अव्यवस्था और इससे बढ़ कर अन्याय और कुछ हो नहीं सकता।

अब मैं लास्ट मुद्दा, दी लास्ट जो है उस पर आता हूं। वह यह है कि आज प्रान्त के अन्दर अराजकता चरम सीमा पर है यानी कोई हद नहीं। उपाध्यक्ष महोदय, जब इस चीज को देखता हूं तो मुझ जैसा आदमी जिसने कॉलेज में और स्कूलों में अपने गुरुओं की तरफ आंख उठाना भी नहीं जाना, गुरुओं की तरफ नीची नजर करके खड़ा रहता था, मुझको बड़ा दुःख होता है। आज मैं देखता हूँ कि यूनीवर्सिटी केम्पस के अंदर वाइस चान्सलर के साथ क्या किया गया, आज देखता हूँ कि स्कूलों में अध्यापकों की पिटाई हो जाती है, आज देखता हूँ कि जयपुर में भरे बाजार जौहरी बाजार की गली में जो 'राजस्थान पत्रिका' का कार्यालय है (समय समाप्ति सूचक घण्टी) बस मैं इस लास्ट पोइन्ट पर ही कह रहा हूं। मैंने आपको कह दिया। स्पीकर साहब ने हमको समय के लिए कहा था लेकिन रामानन्दजी अग्रवाल ने ज्यादा समय ले लिया....

श्री उपाध्यक्ष : रामानन्दजी प्रस्तावक हैं इसलिए आधा घण्टा लिया, बाकी व्यवस्था यह पहले हो चुकी है।

श्री मानसिंह महार : ढाबरियाजी तो प्रस्तावक नहीं हैं उन्होंने भी आधा घण्टा ले लिया।

श्री उपाध्यक्ष : Please finish it.

श्री मानसिंह महार : मैं फिनिश ही कर रहा हूँ, यह अव्यवस्था का मामला है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि 'राजस्थान पत्रिका' का सरे बाजार लूटा गया। आज हो क्या रहा है? आप देखिए, कहां कहां लाठी चार्ज हो जाते है। भरतपुर के इलाके के अन्दर छः सात आदमियों का कत्ल हो गया तो कहीं पर क्या हो गया। आज जयपुर में कोई काण्ड हो उसकी अखबारों में भी खबर छप जाती है और विधान सभा में भी हम लोग बोल लेते हैं। लेकिन उन मूक आदमियों की तरफ देखिए जिनके साथ गांवों में अत्याचार हो रहा है। वह लोग कहां जायें। चौरियां दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं, दिन दहाड़े लोगों को लूट लिया जाता है। खलिहान से अनाज पुराने जमाने में लोग पोट बांध कर ले जाते थे लेकिन आज खलिहानों से अनाज ऊंटों और टट्टुओं पर जाता है। खलिहानों से अनाज जाता है वह ऊंटों और टट्टूओं पर जाता है ऐसी एक शिकायत नहीं हजारों शिकायतें हैं। लेकिन आज हालत यह है कि पुलिस में एफ० आई० आर० दर्ज कराने के लिए कोई जाय तो ७५ प्रतिशत मामलों की तो एफ० आई० आर० दर्ज नहीं करते हैं। आखिर क्या करें? यह अराजकता हमारे लिए तो घातक नहीं हैं, वैसे तो हम इससे फायदा उठा सकते हैं, हम लाभ उठा सकते हैं (समय–समाप्ति–सूचक घंटी) लेकिन मेरा पक्ष, स्वतन्त्र पक्ष है वह अराजकता में विश्वास नहीं रखता है। मैं बताना चाहता हूं कि यहां जो आन्दोलन होते हैं, उनके कारण दुनियां में हम लोगों को लोग नीचा दिखाते हैं और कहते हैं कि फलां ने यह किया, फलां ने यह किया, स्वतन्त्र पार्टी तो सो रही है। मेरा उनको एक ही नम्र जवाब है कि स्वतंत्र पार्टी तोड़ फोड़ या अराजकता में विश्वास नहीं रखती है। यह मेरा नम्र निवेदन है। लेकिन हमारी भी कोई वह होगी, उपाध्यक्ष महोदय, सीमा आखिर कब तक हम शांत रहें। जब इस सरकार को नम्रता से, डेमोक्रेटिक मीन्स से कहा जाय और वह दर गुजर करे तो हमको भी जब सीमा का अन्त आयेगा, कम्युनिस्टों की तरह (समय-समाप्ति–सूचक घंटी) बस में खत्म ही कर रहा हूं। लास्ट पोइन्ट पर ही मैं थोड़ा सा अर्ज करूंगा, दूसरा पोइन्ट मैं इसके अलावा नहीं लूंगा........

श्री उपाध्यक्ष : लास्ट पोइन्ट पर ही दस मिनिट हो गये।

श्री मानसिंह महार : यह देश की समस्या है, इसलिए इन लोगों को समझाने दीजिये, अगर यह स्थिति रही तो आप और हम और कोई भी नहीं रहेंगे। यह ऐसा मामला है। मैं अर्ज करता हूं, यह अराजकता हम चारों तरफ देखते हैं, चाहे 'राजस्थान पत्रिका' को लूटने की बात सुनें, चाहे यूनीवर्सिटी में स्टूडेण्टों द्वारा हड़ताल करने की बात सुनें, चाहे जोधपुर यूनीवर्सिटी में हड़ताल की बात सुनें। मैंने स्टूडेण्टों से बात की क्यों उनको ऐसा रवैया दिखाना पड़ा। तो, उपाध्यक्ष महोदय, सब्र की सीमा तब पहुंचती है, जब यह सरकार यहां की यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों की न्यायोचित मांगों के ऊपर पहले तो दृढ़ रहती है,

(श्री मानसिंह महार)

और कहती है, नहीं, हम कोई सुनवाई नहीं करेंगे, जैसे तब तो कहीं से कोई नादिरशाह उतर आया, ऐसा रोब-दाब और फिर पांच–सात दिन के बाद जब तड़ातड़ टांट में पड़ते हैं तो ऐसे धराशायी हो जाती है, ऐसी कमजोर पड़ जाती है कि जिन बातों के लिए पहले डींग मारते थे, उनके सम्बन्ध में ही नरम होकर मोम की तरह पिघल जाती है (समय–समाप्ति सूचक घण्टी) मैं बस खत्म ही कर रहा हूं। मैं सही अर्ज कर रहा हूं कि मैं दूसरा पोइन्ट नहीं लूंगा। तो यह जो मोम के सरदार हैं उधर बैठने वाले, जरा धमकी पड़ी इधर से तो यह फूले मिनिस्टर हैं यह मोम की तरह पिघल जाते हैं और फिर कहते हैं मैं तुम्हारी मांगों को एक्सीड करता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर जो सरकारी कर्मचारियों का आन्दोलन हुआ तो बड़े जोश खरोश से न जाने क्या क्या बातें इन्होंने कहीं (समय समाप्ति सूचक घण्टी) मैं खत्म ही कर रहा हूं। तो उसके बाद उन कर्मचारियों ने औंधा जूता मारा तो इनका दिमाग दुरुस्त हो गया और हाथ जोड़ कर बोले, हे महाराज। तुम कहोगे वही करेंगे। ऐसी निकम्मी सरकार है। मैं इस सदन के माननीय सदस्यों को, इधर बैठने वाले और खास तौर से कांग्रेस बैंचेज पर बैठते हैं उनसे कहूंगा कि एक बार हिम्मत कर लें, एक बार हमारे साथ आकर वोट दे जाओ, फिर भले हो गवर्नर का शासन हो जाय और एक बार अगर गवर्नर का शासन हो गया तो पंजाब के गवर्नर धर्मवीरजी ने जैसा किया वैसा ही यहां पर होगा। और वह होने के बाद यह जो परमिट कोटा का राज्य है, जिसके कारण यह मन्त्रिमण्डल के सदस्य फूल रहे हैं, इन सब को मैं सिकोड़ दूंगा और आयन्दा आने वाले आम चुनाव में हमारे लीडर तो वहां बैठेंगे और माननीय सुखाड़िया जी उदयपुर की गली में धूल फांकते होंगे। बस यही मैं कहना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामकिशन।

श्री रामकिशन (वैर) : उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन में तीन दिन से अविश्वास के प्रस्ताव पर विचार हो रहा है, उसमें सभी दल के ...

श्री हरिराम चौहान (तिजारा) : ऑन ए पाइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर, मुझे समय मिलना चाहिये।

श्री रामकिशन : सभी पार्टी के....

श्री उपाध्यक्ष : I will give you chance. आप देखिए कि हाफ आवर हर एक माननीय सदस्य बोलते जायेंगे तो सबको चान्स मिल जायगा।

श्री रामकिशन : सदस्य तीन दिन से इस सम्बन्ध में विचार कर रहे हैं, और सभी दल के माननीय सदस्य अपने अपने दृष्टिकोण से इस सरकार की आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक नीतियों की आलोचना कर रहे हैं। मुझे, जो प्रतिपक्ष में बैठने वाले लोग हैं, उनसे तो कुछ कहना नहीं है, वह इसलिए कि वह तो समझते हैं कि इस सरकार को बदले बगैर न तो राजस्थान का कल्याण हो सकता है और न हिन्दुस्तान का कल्याण हो सकता है। लेकिन सरकारी पक्ष में बैठने वाले माननीय

Page No. 74

(श्री रामकिशन)

सदस्यों से कुछ बातें मुझे कहनी हैं और मैं आशा करूंगा कि उन बातों पर गम्भीरता से विचार करेंगे ।

यह सरकार निरन्तर अठारह साल से यह प्रचार करती आ रही है ...

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : सरकारी बैंचें तो खाली पड़ी हैं ।

श्री हरिराम चौहान : खाली पड़ी हैं तो सुनेगा कौन ?

श्री रामकिशन : मैं तो उधर के मेम्बर से बात करूंगा ।

श्री उपाध्यक्ष : हैं, हैं There is one.

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : वास्तव में हाउस को वेकेट करके चले गये ।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं नहीं, वहां हैं ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मन्त्रियों के छक्के छूट गये हैं । इसलिए सदन छोड़ कर चले गये हैं ।

श्री रामकिशन : उपाध्यक्ष महोदय ...

श्री हरिराम चौहान : क्या वह मुंह दिखाना नहीं चाहते ?

श्री उपाध्यक्ष : आप आरम्भ रखें । आॅर्डर प्लीज !

श्री रामकिशन : मैं विशेष तौर से सरकारी पक्ष के सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगा....

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मन्त्रीगण चुल्लू भर पानी तलाश करने गये हैं जिसमें वह डूब मरें ।

श्री रामकिशन : मैं निवेदन करना चाहूँगा कि वह गम्भीरता से राजस्थान की आर्थिक स्थिति पर विचार करें, वह गम्भीरता से राजस्थान के राजनैतिक जीवन पर विचार करें, और वह गम्भीरता से राजस्थान के सामाजिक प्रश्नों पर विचार करें । हमने जो अविश्वास का प्रस्ताव रखा है वह किसी द्वेष के कारण नहीं रखा है, किसी विरोध के कारण नहीं रखा है बल्कि जिन सरकारी नीतियों के कारण राजस्थान संकट में पड़ता जा रहा है, उनके सम्बन्ध में हम जनमत बनाने के लिए और सरकारी पक्ष के लोगों को सच्चाई के अधिक नजदीक लाने के लिए, उनको सच्चाई देखने के लिए मजबूर करने के लिए हम इस अविश्वास के प्रस्ताव को इस्तेमाल करना चाहते है ।

उपाध्यक्ष महोदय, कल कृषि मन्त्री ने कोई बात तथ्य की नहीं कही थी फिर भी उन्होंने दो चार बातें कहीं–एक बात तो यह कही कि योजनाओं के द्वारा यह सरकार राजस्थान का विकास कर रही है और विरोधी पक्ष के जो लोग हैं वे इन योजनाओं को चलाना तो चाहते हैं, लेकिन वह टैक्स देना नहीं चाहते, और जब योजनाओं के लिए कर्ज लेने की बात हम करते हैं तो कर्ज भी नहीं लेने देना चाहते । उनकी इस बात से मालूम पड़ता है जैसे उनके मन में बहुत वेदना है और राजस्थान के उत्थान के

(श्री रामकिशन)

लिए बहुत दुखी हैं और उनके मन में राजस्थान के उत्थान के लिए बहुत ज्यादा लगन है। मैं उनको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अगर वह राजस्थान का उत्थान करना चाहते हैं, अगर योजनाओं के द्वारा वह राजस्थान में खेती के उत्पादन को बढ़ाना चाहते हैं, योजनाओं के द्वारा राजस्थान में सिंचाई के साधनों को बढ़ाना चाहते हैं, योजनाओं के द्वारा राजस्थान के अन्दर बिजली को और बढ़ाना चाहते हैं और योजनाओं के द्वारा राजस्थान के अन्दर उद्योगों को ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं, राजस्थान के छोटे लोगों की आमदनी को योजनाओं के द्वारा बढ़ाना चाहते हैं तो हम विरोधी दल के लोग उनका सहयोग करेंगे, अगर सरकार यह साबित कर दे कि पिछले अठारह सालों के अन्दर उन्होंने कुछ किया है। अगर वह यह साबित कर दें तो हम विश्वास के प्रस्ताव पर चर्चा करना पसन्द नहीं करेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकारी पक्ष के लोगों को बताना चाहता हूं कि पुरानी स्थितियों का मुकाबला वह आज की स्थिति से न करें। वह मुकाबला करने की भूल हमेशा करते हैं। वह शुरू ऐसे करते हैं कि जब राजस्थान बना था तब राजस्थान में डकैती होती थी, जब राजस्थान बना था तब राजस्थान में जागीरदार थे, जब राजस्थान बना था तब केवल ३६ गांवों में बिजली थी। और इस सारे टाइम के अन्दर हमने बिजली का उत्पादन बढ़ा दिया है, राजस्थान के अन्दर नहरें बना दी हैं और राजस्थान के अन्दर सिंचाई की सुविधाएं बढ़ा दी हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात पूछना चाहता हूं, इसमें अहसान आपने क्या कर दिया ? साढ़े तीन अरब का राजस्थान के ऊपर आपने कर्ज कर लिया और योजनाओं के द्वारा आपने ३ अरब ६४ करोड़ के करीब १४ वर्षों में खर्च कर दिया और उससे जो उपलब्धियां हैं उनको यदि अपने पड़ौसी मुल्कों से मिलावें तो हिन्दुस्तान दुनियां के देशों में प्रगति के मामले में ५८ वें नम्बर पर आता है। ये आंकड़े मैं आपके रिपोर्टों से ही दे रहा हूं। एशिया के देशों में भी हम बहुत पिछड़े हुए हैं। हम बर्मा, लंका और इन्डोनेशिया से नीचे हैं और नेपाल जैसे देश से भी नीचे हैं। आज ऐसा मौका है नहीं कि मैं विस्तार से हिन्दुस्तान की योजनाओं पर कहूं इसलिये मैं इस पर ज्यादा कहना नहीं चाहता।

अब मैं राजस्थान में खेती के बारे में कुछ निवेदन करना चाहता हूं। आज कृषि मंत्री कहते हैं कि राजस्थान बनने के वक्त खेती की स्थिति क्या थी और अब क्या हो गई है। कृषि मन्त्रीजी यह कहते हैं कि हमारे देश को आजादी मिलने के बाद और हमारे प्रयत्नों से यह पैदावार बढ़ी है। मगर मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे यहां की खेती की पैदावार इसलिये नहीं बढ़ी है कि आपने इस सम्बन्ध में प्रयत्न किये हैं। वह इसलिये बढ़ी है कि पहले १ करोड़ २६ लाख एकड़ पर खेती होती थी और आज ३ करोड़ से ऊपर एकड़ भूमि में खेती होती है। इसलिये यह खेती की पैदावार बढ़ी है। इसमें न तो सुखाड़ियाजी का कोई अहसान है, न कृषि मंत्रीजी का कोई अहसान है।

(श्री रामकिशन)

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान के निर्माण के समय और फर्स्ट ईयर प्लान के समय १६ लाख टन का उत्पादन होता था और अब हमने पहले से तीन गुणा नई जमीन को खेती में डाल दिया है तब भी हमारी उपज ५१ लाख टन से ऊपर नहीं पहुंची है। यह आपको अकाल के वक्त की बात नहीं कहता हूं मैं उस समय की बात कहता हूं जब अकाल नहीं था और अच्छी फसल थी। तो फिर समझ में नहीं आता कि सरकार यह कैसे कहती है कि यह उत्पादन उनके प्रयत्नों से बढ़ा है जब कि आपने तीन गुणी नई जमीन तोड़ी है। यह इस बात का अपने आप में सबूत है और इसमें किसी का कोई लेना देना नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, हम इसको खेती को पैदावार से नहीं देखेंगे। मैं यह कहूंगा कि जितनी धरती दूसरे देशों को उपलब्ध नहीं वह हमको उपलब्ध है। जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश आदि में जहां पर ३२४ आदमी प्रति वर्ग मील पर रहते है, वहां राजस्थान में १२३ आदमी प्रति वर्ग मील रहते हैं। इसलिये इस हिसाब से हमें प्रति परिवार १७ एकड़ जमीन मिली है, जब कि हिन्दुस्तान के दूसरे प्रान्तों में ७॥ एकड़ ही है। इसलिये मैं कृषि मंत्री से कहूंगा कि आप इस बात का गर्व न करें। कल उन्होंने आँकड़ों के सम्बन्ध में कहा कि आँकड़ों की पुस्तक कोई गीता और भागवत् की किताब नहीं है, जिसमें से उनको आंकड़े बताये जा रहे थे। यदि वे अपने सरकारी आँकड़ों को ही सही नहीं मानें तो फिर उनको समझाने का क्या माप दंड हो सकता है। कृषि मन्त्रीजी कहते हैं कि हम पैदावार के मामले में दूसरे प्रदेशों से इतने पिछड़े हुए नहीं हैं। मैं यह कहूंगा कि हम दूसरे प्रदेशों से बहुत पिछड़े हुए हैं। उत्तर प्रदेश आदि से भी हम पिछड़े हुए हैं। मध्यप्रदेश, उड़ीसा से जहां एक एकड़ में ४४०) की पैदावार लेते हैं वहां राजस्थान के किसान २१०) की पैदावार लेते हैं। जहां पर दूसरे प्रान्तों का किसान २१०) पैदा करता है वहां राजस्थान का किसान केवल ६२) पैदा करता है। इसका कारण प्लानिंग कमीशन नहीं है। इसका कारण यह है कि नई जमीन को काटी जो पहले से तीन गुणा थी। अब कांग्रेस सरकार कहती है कि आँकड़े झूठे हैं, मैं उनसे यह निवेदन करूंगा कि वे फिर से इनको देखें। ये मेरे आंकड़े नहीं हैं। अगर आप प्लानिंग कमेटी की तीसरी रिपोर्ट को पढ़ेंगे तो आपके सारे तथ्य सामने आवेंगे।

कृषि मन्त्रीजी ने कहा कि हमने नहरे बना दीं। मैं हिन्दुस्तान की दूसरी सरकारों का हमारी सरकार से मुकाबला नहीं करना चाहता लेकिन मैं यह बताना चाहता हूं कि जिस समय पहली पंचवर्षीय योजना शुरू हुई जब नेहरी क्षेत्र ६ लाख था और तालाबों से सिंचाई होती थी वह एरिया ३ लाख एकड़ था। आज आपकी प्रथम पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना समाप्त हो गई और तीसरी पंच वर्षीय योजना समाप्त हो गई फिर भी नहरी क्षेत्र आपका १३ लाख एकड़ से ज्यादा नहीं बढ़ सका है इससे ज्यादा शर्म की बात आपके लिए और क्या हो सकती है। जिस समय कमीशन बना उस समय योजना कमीशन ने खेती के बारे में यह सोचा नहीं। बड़ी बड़ी स्कूलों और कारखाने और विज्ञान के क्षेत्र में

(श्री रामकिशन)

बिल्डिंग बनाने की जरूरत को महसूस किया और हमें उसको प्राथमिकता तय करनी थी इस लिये उसको प्राथमिकता दी। मगर हमें प्रथामिकता तय करनी थी महनतकश किसानों को जमीन खेती के लिये देने की। अगर आज सुखाड़ियाजी की सरकार की जगह कोई समझदार सरकार होती या किसानों की सरकार होती और सुखाड़ियाजी की जगह कोई किसान बैठता तो वह सबसे पहले सिंचाई का इन्तजाम करता और उसका नतीजा आपको मालूम होता कि जो अनाज आज अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया से मंगाया जा रहा है, योजना को सही ढंग से ढालते तो आज बाहर से अनाज मंगाने की जरूरत नहीं पैदा होती।

हमने फर्स्ट प्लान में जो तमाम रकम का २८ परसेन्ट सिंचाई में खर्च किया, दूसरे प्लान में ४१ परसेन्ट खर्च किया और तीसरे प्लान में जो संकट की योजना है, भूख और अकाल और वेग गति की योजना रही है उसमें हमने ३६ परसेन्ट खर्च किया और अगर उसके बदले में उपलब्धियों की तरफ देखें तो मालूम होगा कि २४ परसेन्ट के आस पास है। यह सरकार दिशा-हीन हो गई है। कृषि मंत्रीजी यह कह रहे थे कि हमने योजनाएं बनाई हैं और उन पर हमें फख्र है मगर विरोधियों का सहयोग नहीं है। मैं यह कहना चाहता हूं कि हम कभी भी यह नहीं चाहते कि योजनाएं पूरी नहीं हों। हमने कभी भी असहयोग नहीं किया। हम भी यही चाहते हैं कि राजस्थान में हरे भरे खेत लहराऐं और किसान खुशहाल हों और प्रसन्न चित होकर घूमें: आपने योजनाओं पर कर्ज लिया और खर्चा किया। आप कहते हैं कि टैक्स देने के लिये भी विरोधी विरोध करते हैं और योजनाओं में भी सहयोग नहीं देते। मैं यह कहूंगा कि आपने तीसरे प्लान में ३२ करोड़ के टैक्सेज का लक्ष्य रखा उसके एवज में ६६ तक आपको ३७ करोड़ ८३२ लाख का टैक्स वसूल हुआ। इसलिये मैं यह कहूंगा कि आपको टैक्स पूरे के पूरे मिले हैं। हालांकि राजस्थान सरकार के आंकड़े नहीं आये हैं मगर हिन्दुस्तान की दूसरी पंच वर्षीय योजना का विवरण छपा है, सेन्ट्रल पार्लियामेंट की एस्टीमेट कमेटी है उसने इसका विवरण दिया है; १७ अरब ६० करोड़ के टैक्स लगाने के थे उसमें से १२ अरब ७० करोड़ के टैक्स लगाये। राज्य सरकार को छोड़कर उस १२ अरब ७० करोड़ में से ११ अरब ७८ करोड़ जनता ने टैक्स के दिये। इसमें जनता ने पूरा का पूरा सहयोग दिया है और जो टैक्स आपने चाहे वे दिये है। ११ अरब ८८ करोड़ रुपया जो योजना और नहरों और बिजली व सिंचाई के लिये लिया गया था उसमें से ७ अरब ३६ करोड़ रुपया गैर-योजनाओं पर खर्च कर दिया और उसका यह नतीजा है, राजस्थान भूखा और नंगा और गरीब है।

आज आप अमेरिका, रूस और दूसरे देशों से अनाज मंगाते हैं, अगर हमारी योजनाओं को बनाने वालों के दिमाग सिंचाई की तरफ होते और किसानों के लिये लगते तो कुछ कार्य होता लेकिन योजना बनाने वालों के दिमाग तो बिड़ला और डालमिया आदि को बनाना चाहते हैं। आज आप

(श्रीरामकिशन)

चाहते हैं कि पुराने राजा-महाराजा और बड़े-बड़े पूंजीपति पनपें और उनको आप पनपाना चाहते हैं; लेकिन आज करोड़ों भूखे, नंगे लोगों को मदद देना नहीं चाहते। आज जितना भी भोग देवताओं पर चढ़ता है वह सारा का सारा भोग पुजारी खाता है उसी तरह से आज हिन्दुस्तान में व्यापारी, सरकारी पक्ष के मिनिस्टर और दूसरे बड़े बड़े चन्द लोग ही खाजाते हैं और गरीब आज ज्यादा गरीब हो रहा है। आज देश में भुखमरी फैल रही है और करोड़ों लोगों के लिये कोई लाभ नहीं होता है। इसका कारण यही है कि आपने योजनाओं को ढंग से नहीं ढाला है।

आपने लक्ष्य रखा कि हम बिजली और शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। लेकिन वह भी लक्ष्य आप प्राप्त नहीं कर सके। फिर आप किस बात के लिये गर्व करते हैं कि हमने दूसरी और तीसरी पंच वर्षीय योजना में धन लगाया? आप ताज्जुब करेंगे कि आपने किस बात की तरफ ध्यान लगाया है। हमने कपड़े के उत्पादन के लिये यह लक्ष्य रखा कि प्रत्येक व्यक्ति के लिये १४ मीटर कपड़ा उपलब्ध करवेंगे। मगर आज हम देखते हैं कि वही १३.६ मीटर के आस-पास रह गया है।

आपने १४ औं० अनाज प्रति व्यक्ति के हिसाब से लक्ष्य रखा वह भी आपका पूरा नहीं हुआ और वह भी १३ औं० रह गया। फिर भी आप कहते है कि उत्पादन बढ़ा तो मैं पूछना चाहता हूं कि आपका उत्पादन किस तरह से बढ़ा ?

हम हवाई जहाजों का उत्पादन नहीं बढ़ा सके, हम सैनिक सामग्री का उत्पादन नहीं बढ़ा सके, हम कारखानों की पैदावार नहीं बढ़ा सके पर आपके ये आंकड़े बताते हैं कि तीसरी पंच वर्षीय योजना में रेशम का, नकली रेशम का, उत्पादन हमने ढ़ाई गुना बढ़ाया, रेफ्रिजरेटर का उत्पादन २६ गुना बढ़ाया, रेयन का उत्पादन २६ गुना बढ़ाया, रेडियो का उत्पादन ६ गुना बढ़ाया, बिजली के पंखों का उत्पादन १० गुना बढ़ाया गया, सिलाई की मशीनों का उत्पादन हमने १२ गुना बढ़ाया और मोटरों का उत्पादन ११ गुना बढ़ाया....

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : और भ्रष्टाचार को १०० गुना बढ़ा दिया।

श्री रामकिशन : लेकिन मैं कृषि मंत्रीजी से कहूंगा कि कृषि मंत्रीजी आप सोचें कि यदि आप नहरों से ज्यादा पानी दे कर, कुओं पर अधिक से अधिक बिजली दे कर, अधिक सिंचाई के साधन किसानों को उपलब्ध करा कर खेती की पैदावार को बढ़ाते तो इससे गरीबों को, आम लोगों को लाभ होता। मोटरों के उत्पादन को बढ़ाने से गरीबों को नहीं, बिड़ला डालमिया जैसे बड़े बड़े पूंजीपतियों को फायदा हुआ है। मोटर कौन खरीदेगा ? जो मालदार होगा। जो मोटर खरीदेगा वही रेफ्रिजरेटर खरीदेगा और जो मोटर और रेफ्रिजरेटर खरीदेगा उस ही की पत्नी रेशम या नायलॉन की साड़ी पहनेगी। तो इससे यह स्पष्टतया प्रकट होता है कि हमने गरीबों को ऊंचा उठाने के लिये, किसान, मजदूर और आम जनता को सुख–सुविधा देने के लिये, आम लोगों को फायदा पहुंचाने के लिये कोई कोशिश नहीं की बल्कि हमने पूंजीपतियों

(श्री रामकिशन)

को आराम और सुख-सुविधा देने के लिये, मालदार वर्ग की उन्नति के लिये पूरी कोशिश की है और यह कोशिश जानबूझ कर की है। मेरा यह आरोप है हिन्दुस्तान की सरकार पर कि यह बड़े वर्गों की सुख-सुविधा के लिये, उनकी आमोद प्रमोद की सुविधा के लिये, अफसरों के लिये, उत्पादन बढ़ा रही है। गरीबों के फायदे के लिये, गरीबों की उन्नति के लिये, गरीबों को सुख-सुविधा देने के लिये यह सरकार उत्पादन नहीं बढ़ा रही है। गरीबों के फायदे के लिये अगर यह उत्पादन बढ़ाना चाहती तो खेती का उत्पादन बढ़ाती, किसानों को सिंचाई के लिये अधिकाधिक साधन उपलब्ध करा कर कृषि का उत्पादन बढ़ाती, कृषि का उत्पादन बढ़ाने के लिये किसानों को अधिक से अधिक बिजली देती। बिजली के लिये कल बताया कि २७५ लाख किलोवाट बिजली का उत्पादन करने का हमारा लक्ष्य था पर ४७ लाख किलोवाट बिजली का ही हम उत्पादन कर पाये। तो कृषि मंत्रीजी मुझे समझायें तो सही, केवल भावावेश में मत भरो, भारत की पार्लियामेंट मैंने देखी है। ये आपके आंकड़े हमें निरन्तर दुनिया के देशों में गिराते जा रहे हैं, हिन्दुस्तान के दूसरे सूबों के मुकाबले में भी सबसे अधिक हम गिरे हैं। हिन्दी भाषी प्रान्तों को ले लें। मध्यप्रदेश हिन्दी भाषी प्रान्त है, उत्तर प्रदेश हिन्दी भाषी प्रान्त है, राजस्थान हिन्दी भाषी प्रान्त है और पंजाब को भी हिन्दी भाषी नहीं तो हिन्दी की सखी–भाषा भाषी प्रान्त मान सकते हैं, इनका ग्रुप बना हुआ है। मैं यह कहना चाहता हूं कि इन हिन्दी भाषी क्षेत्रों की उपेक्षा की गई है, टैक्सों को ले लीजिये, इन क्षेत्रों में टैक्स सबसे ज्यादा हैं। राजस्थान के एक किसान पर ४ रुपये से ज्यादा लगान आता है, जब कि आसाम के किसान को छोड़ कर, अन्य किसी प्रान्त के किसी किसान पर ४ रुपया लगान नहीं आता। आसाम में भी इसलिये है कि वहां चाय की ज्यादा पैदावार होती है। हम राजस्थान में आबकारी का सबसे अधिक टैक्स लेते हैं, हिन्दुस्तान के बम्बई और मद्रास प्रान्तों को छोड़ देता हूं क्योंकि वहां कई प्रकार के उद्योग हैं पर राजस्थान का नागरिक २१.४० टैक्स देता है, जबकि अहिन्दी भाषा भाषी क्षेत्र का कोई आदमी इतना टैक्स नहीं देता; पर इनको ऊंचा उठाने के लिये आपने किसी प्रकार इनके लिये उपयोगी उत्पादन नहीं बढ़ाया। तो इसमें गलती किसकी है? त्याग में हिन्दुस्तान की जनता ने सबसे ज्यादा त्याग किया, यहां गरीब लोगों ने, आम लोगों ने सबसे अधिक त्याग और बलिदान किया, पर योजनाओं में इनके फायदे के लिये कुछ नहीं किया, इनको फायदा पहुंचाने के लिये कोई उत्पादन नहीं बढ़ाया। यों तो ३६४ करोड़ रुपया खर्च किया है तो कुछ न कुछ तो काम नजर आयेगा ही पर जितनी बड़ी धनराशि खर्च की गई है उसके मुकाबले में राजस्थान बना उस समय की स्थिति से आज की स्थिति का मुकाबला करके विवेचन करें तो पता चलेगा कि कितना काम किया है। राजस्थान बना उस समय २० करोड़ एकड़ पर खेती होती थी सारे हिन्दुस्तान में, ६५ की किताब देखें तो उससे पता चलता है कि ३७ करोड़ एकड़ पर खेती करते हैं, उसमें से ६ करोड़ एकड़ में सिंचाई होती है। राजस्थान में ३८० लाख एकड़ पर खेती होती है, २० लाख

(श्री रामकिशन)

एकड़ की नहरों से सिंचाई होती है और ४० लाख एकड़ की कुओं से सिंचाई होती है। इन आंकड़ों को देखने से स्पष्ट प्रतीत होता है कि इस मामले में हम हिन्दुस्तान में सबसे पिछड़े हुए हैं। हमें फायदा मिला था कम आबादी का और ज्यादा जमीन का, उन फायदों को हमने खो दिया। क्योंकि हमारा दिमाग गरीब लोगों की स्थिति को सुधारने के लिये नहीं, आम लोगों को फायदा पहुंचाने के लिये नहीं लेकिन सम्पन्न परिवारों को और सुधारने की तरफ गया है।

मैंने भारतीय आयोजनों का खोखला चित्र आपके सामने रखा, क्योंकि समय बहुत कम है, अगर इसके लिये दो-तीन घंटों का समय होता तो मैं इसका ऐसा चित्र रखता कि निश्चित रूप से कृषि मंत्रीजी स्तीफा दे देते, उनका मन बदल जाता, वे रोते कि हाय हमारी आर्थिक स्थिति कैसी बिगड़ गई है।

अवमूल्यन की बात है। हमारे यहां अवमूल्यन किया गया, मैं यह नहीं कहता कि अवमूल्यन करना ही नहीं चाहिये, आवश्यकता पड़ने पर अवमूल्यन भी किये जाते हैं, रूस ने अवमूल्यन किया, युगोस्लाविया ने अवमूल्यन किया पर उन्होंने अवमूल्यन इसलिये किया कि वहां पर उत्पादन बहुत बढ़ गया था और उनको अपने यहां उत्पादन से बढ़े हुए माल को बाहर विदेशों में भेजना था। पर हमारे यहां तो उत्पादन घट गया है, हमारे पास विदेशों को भेजने के लिये कहां माल है! हमारे यहां किस प्रकार का उत्पादन है? हमारे यहां जूट है, चमड़ा है, चमड़े से बना सामान है और इनके अलावा चाय और काफी है। चाय, काफी और जूट के अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में जो पहले कीमत थी वही कीमत आज है। हमारे पास बाहर विदेशों को भेजने के लिये मशिनरी नहीं। १५ करोड़ की मशिनरी हमने १९६५ में भेजी। चाय, काफी और जूट की अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में आज भी वही कीमत है और मशिनरी जो हमने विदेशों को भेजी वह ६५ में केवल १५ करोड़ की भेजी जबकि हमारे विदेशी व्यापार में हमारा २ अरब का घाटा चल रहा है। तो इससे स्पष्ट है कि अवमूल्यन हमने हमारे घाटे को पूरा करने के लिये नहीं किया, हमारे देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिये नहीं किया बल्कि अमेरिका के दबाव में आकर किया।

अगले चुनावों के बाद हम दोनों मिलेंगे, आप बैठेंगे इधर और हम बैठेंगे इधर, यह मेरा अनुमान है, शायद उल्टा हो सकता है, फिर मैं बताऊंगा कि किस प्रकार ४२ से ६५ अरब हमारे ऊपर कर्जा है। चांग काई शेक की यही हालत हुई थी, पूंजीपति, सम्पन्न वर्ग आनन्द उड़ा रहा था, उसको सब प्रकार की सुख-सुविधा दी जा रही थी, गरीब वर्ग और आम लोगों का तबका कुचला जा रहा था, मिश्र में भी यही हुआ, कुओमिन्तांग में भी यही हाल हुआ, वहां क्रान्तियां आईं और पूंजीपति, सम्पन्नवर्गों को लाभ पहुँचाने वाली सरकारों का पासा पलट दिया गया, आज आप भी यही कर रहे हैं, आपका भी वही हाल होगा, आपकी सरकार का भी वही हाल होने वाला है। आखिर यह हो क्या रहा है? मैं विदेशी व्यापार में जो हमारा घाटा है, उसका ज्यादा जिक्र नहीं करूंगा

(श्री रामकिशन)

मैं एक दिन असेम्बली में आ रहा था तो एक मित्र मिल गए और कहा चलो असे–म्बली छोड़ दूं। मिर्जा इस्माइल रोड पर वे उतर गए और उन्होंने कहा कि अगर आपको देरी नहीं हो रही हो तो कुछ चीजें खरीद लूं, मैंने कहा कि मुझे तो ३ बजे पहुंचना है; वे चीजें खरीदने लग गए। उन्होंने हजामत का साबुन खरीदा ४५ रुपये का, रात के टाइम लगाने का विशेष प्रकार का इत्र है वह खरीदा १२२ रुपये का। जिन्होंने खरीदा उनकी मैं निन्दा नहीं करता, हिन्दु-स्तान की सरकार इस प्रकार का उत्पादन बढ़ाए जो सम्पन्न वर्ग के लोगों के लिए आमोद-प्रमोद का साधन हो, १५ दिन काम में आने वाला इत्र १२२ रुपये का, एक महीना काम में आने वाला हजामत का साबुन ४५ रुपये का। यह जो विदेशी व्या-पार का हमारा घाटा है इसलिए नहीं है कि हमने कोई हाइड्रोजन बॉम्ब बनाया, यह घाटा इसलिए नहीं है कि हमने हवाई जहाजों का उत्पादन बढ़ाया, यह घाटा इसलिए नहीं है कि हमने सैनिक साज–सामान का उत्पादन बढ़ाया बल्कि यह घाटा इसलिए है कि हमने सम्पन्न वर्ग के लोगों के लिए, उनके आमोद–प्रमोद के काम में आने वाली चीजों का उत्पादन बढ़ाया, उनके ऐशो-इशरत की चीज बनाईं।

हिन्दुस्तान आजाद हुआ उस समय मैं मंडल कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष था, मेरी उम्र उस समय अधिक नहीं थी, इतना ज्यादा मैं नहीं समझता था। गांधीजी की मृत्यु पर बड़ा जलूस निकला, मेरा मन तो उसी दिन ठनक गया, जिस दिन जवाहरलाल नेहरू जूते पहन कर गांधीजी की शव-यात्रा में बैठे थे, इसलिए नहीं कहता कि जूते पहनना खराब है, पर मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि गांधीजी का युग साधारण लोगों का युग था और नेहरू का काल अपव्ययी और फिजूल खर्ची का युग था; कुछ लोगों को चमक दमक वाला बनाने का युग था। जो आज नहीं हैं उनके लिए नहीं कहना चाहिए पर नेहरूजी महात्मा गांधी की शव-यात्रा में दम्भ के कारण जूते पहन कर बैठ सकते हैं तो हम समझ सकते हैं कि यह हिन्दुस्तान सम्पन्न वर्ग के लोगों का, करोड़-पतियों का, पूंजीपतियों का हिन्दुस्तान बनने वाला है, यह गरीब आदमियों का, किसान-मजदूरों का हिन्दुस्तान नहीं बनने वाला है और आज वही हालत सामने नजर आ रही है। माननीय रामानन्दजी ने इकोनॉमी कमेटी का हवाला दिया था, मैं डिटेल्स में नहीं जाऊंगा। भारत सरकार की उस इको-नॉमी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में दिया है कि आज हिन्दुस्तान में एक प्रतिशत लोगों के पास ३।४ पूंजी इकट्ठी हो गई है। कहां है आपकी अहिंसा ? कहां है आपका लोकतन्त्र ? कहां है आपका समाजवाद ? क्या यही है आपकी समाजवाद की समानता ? जितनी असमानता इन दिनों में बढ़ी है उतनी न अंग्रेजों के जमाने में थी, न अकबर के जमाने में थी और न औरंगजेब के जमाने में थी। आज हिन्दुस्तान के इतिहास में सबसे बड़ा अस–मानता का युग है और यह कांग्रेस राज्य का सबसे बड़ा कलंक का काला धब्बा है। इसका कारण यह है कि आप में कोई राष्ट्रीय भावना नहीं, आपकी कोई परम्पराएं नहीं। कृषि मन्त्रीजी ने कह दिया सोश्य–लिस्ट पार्टी क्या है ? घासलेट पार्टी है। आप कुछ भी कहें, वाणी की आपको

(श्री रामकिशन)

स्वतन्त्रता है । अगर आप राष्ट्रीय आन्दोलन में, आजादी की लड़ाई में रहे होते तो समझ जाते कि प्रजा सोश्यलिस्ट पार्टी क्या है ?

आपकी परम्पराएं नहीं हैं ।आपकी विकास की जो गतिविधियां हैं उनमें भी गड़बड़ी की और अपने ही आदमियों को फायदा दिया । आपका दृष्टिकोण स्टेटवाइज नहीं है, क्षेत्र-वाइज है । भरतपुर में कुछ होना चाहिये, उदयपुर में कुछ होना चाहिये, जैसलमेर में कुछ होना चाहिये, जिससे कि हमारा आदमी चुनाव जीत कर आ जाय । जब तक आपका यह दृष्टिकोण रहेगा तब तक राजस्थान का विकास नहीं हो सकता और इसके लिए आपके आंकड़े प्रमाण हैं । मुझे जैसलमेर से कोई नाराजगी नहीं है, नागौर में आपने पानी की योजना बनाई, खुशी की बात है; लेकिन हमारे जो साधन हैं उनका सही उपयोग करेंगे तो उसका नतीजा अच्छा निकलेगा ।

हमे इस समय भूख मिटानी है, प्रति व्यक्ति आय बढ़ानी है । तीसरी योजना जब शुरू हुई तब राजस्थान की जनता की प्रति-व्यक्ति आय ३२३) रु० थी । तीसरी योजना की समाप्ति पर यह आमदनी ३२१) रु० रह गई । अब आमदनी कैसे बढ़ेगी ? भरत-पुर में बाढ़ का प्रश्न है, पहली योजना में समाप्त नहीं किया, दूसरी योजना में समाप्त नहीं किया । उसका नतीजा क्या हुआ ? पहली योजना में हम गंगानगर और भरतपुर की बाढ़ पर जहां ६० लाख रुपए खर्च कर सकते थे अब ५ करोड़ कर दिये गए लेकिन ज्यों ज्यों इलाज करते रहे हैं उसका नतीजा अच्छा नहीं रहा है, क्योंकि आपका दृष्टिकोण क्षेत्रवार है । आपने प्रति व्यक्ति जो खर्चा किया है भरतपुर का उसमें क्या हिस्सा है ? एक स्कवायर मील में वहां ३०० आदमी रहते हैं जो भारत में केरल के बाद सबसे घना इलाका है । एक व्यक्ति पर१९६१-६२ में ४.६२) रु० खर्च किया है, दूसरे साल में ५.०२) रु०, तीसरे साल में १९६३-६४ में ५.८३) रु०, १९६४-६५ में ६.७६) रु० । इसका मुकाबला दूसरे जिलों से करें जहां न बाढ़ की समस्या है, जहां न पैदावार बढ़ाई जा सकती है, न बिजली का काम किया है । लेकिन जिस जिले में हम ज्यादा उत्पादन कर सकते थे, पानी की सुविधा देकर पैदावार बढ़ा सकते थे, क्योंकि राजनैतिक कारणों से कांग्रेस की दलबन्दी के कारण उन जिलों में काम नहीं करना चाहते । बांसवाड़ा का इलाका राजस्थान में सबसे गरीब इलाका है लेकिन चूंकि आपकी पार्टी वहां जीत नहीं पाती इसलिए आप वहां ऐसा काम नहीं करते जिससे प्रति व्यक्ति आय बढ़े । राज्य की आर्थिक स्थिति गिरने का एक कारण यह भी है ।

आपको राज्य करने का मौका मिला है । आपका नाम इतिहास में दो तरह से लिखा जा सकता है । एक अच्छी तरह के शासक की हैसियत से इतिहास में नाम लिखाओ या कूड़े में जाना चाहेंगे ? अगर कूड़े में जाना है तो चले जाइए और अगर ऐतिहासिक आदमी बनना चाहते हैं तो नीतियों को बदलो । करोड़पतियों के बजाय जनता की तरफ मुड़ो । आप (श्री नाथूराम मिर्धा से) सहकारी मन्त्री रहे हैं, कृषि मन्त्री रहे हैं, सिंचाई मन्त्री रहे । आपने ५० लाख का ऋण दे दिया नायलॉन के लिए । मेरी बीबी नायलॉन पहने तो खुशी की बात है, लेकिन

(श्री रामकिशन)

पैसा कहां है ? आप राजस्थान वालों को नायलॉन पहनाकर क्या बनाना चाहते हैं ? मैं भरतपुर जिले की सहकारी समिति की बात करता हूं । वहां जब सोसाइटीज को ऋण देने का मौसम होता है जिससे किसान ज्यादा उत्पादन कर सके, ऋण देने का मौसम होता है । आपने लक्ष्य रखा था कि जिले में ३० अगस्त तक १० करोड़ के आसपास ऋण बांटेंगे लेकिन केवल आप २५ लाख ऋण बांट सके हो । अब उत्पादन कैसे बढ़े ? बिड़ला और टाटा मांगते हैं तो ५० लाख देते हो, फिर रोते हैं कि उत्पादन गिर गया, अकाल पड़ गया ।

इतना ही नहीं, मैं सारी योजनाओं के द्वारा, सारे तथ्यों के द्वारा, दूसरे मामलों के द्वारा इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि यह सरकार भारत का भला नहीं कर सकती न राजस्थान का भला कर सकती है । भलाई करना इनके बूते की बात नहीं । मैंने मन्त्रि–मण्डल के सम्बन्ध में पहले भी कहा था और सुखाड़ियाजी को सहस्त्रबाहू कहा था । एक कमेटी के बारे में निवेदन करूंगा । हरिश्चंद्र कमेटी बिठाई प्रशासन में सुधार के लिए । उसमें सबसे पहली लाइन है कि मंत्रि–मण्डल कैसा होना चाहिये । किसी मंत्री ने उसे पढ़ा है ? चूंकि आप बुड्ढे हो गए इसलिए भूल गए होंगे, उसमें लिखा है कि मन्त्रिमण्डल बहुत छोटा होना चाहिए, भेदभाव उनमें नहीं होना चाहिये, एक राय का होना चाहिए । आपका मन्त्रि–मण्डल छोटा है ? आप एक राय के हैं ? जो सरकार अपनी कमेटियों की सिफारिशों को स्वीकार नहीं कर सकती तो उसको शर्म से डूब मरना चाहिए ।

मुझे एक मुद्दा और निवेदन करना है । असम में राजस्थान के प्रवासियों के साथ क्या व्यवहार हुआ ? जो करोड़पति राजस्थानी वहां थे उनसे मेरा लेन देन नहीं, लेकिन यदि असम के लोग गरीबों के खिलाफ ऐसा करते हैं तो मुझे सहानभूति है । लेकिन क्योंकि केवल वे राजस्थानी थे इसलिए उनका नुकसान करना यह ठीक नहीं । राजस्थान में केवल करोड़पति नहीं हैं, केवल जागीरदार और राजा नहीं हैं । भारत में जहां जहां राजस्थानी बसे हुए हैं उनसे कहना चाहूंगा कि वहां के लोगों से मिल जायं, चाहे केरल चले जायं, चाहे उड़ीसा चले जाएं, चाहें असम चले जाएं, चाहे मद्रास चले जाएं । असम में केवल करोड़पतियों के खिलाफ ऐसा किया गया हो तो सही है, लेकिन मास्टरों के खिलाफ इंजीनियरों के खिलाफ जो कुछ उन्होंने किया है, उससे उन्होंने असम का हित नहीं किया है । अगर अनाज के व्यापारी के खिलाफ होता तो कोई बात नहीं । उसके बाद भी मुख्यमंत्री ने कह दिया कि वहां की जनता जागृत है । अगर वहां करोड़पतिपन को तोड़ने के लिए काम करते हैं तो वहां करोड़पति केवल तीन चार ही हैं । राजस्थानी जहां भी बसे हैं वे वहां के लोगों को क्यों नहीं अपने साथ कर सके ? अभी तक एक ही आसमी से राजस्थानी ने शादी की है ? वहां बेटी और रोटी का संबंध कायम नहीं किया है । जहां भी हों वे उस भूमि से प्यार करें, उसकी अर्थव्यवस्था से प्यार करें, वहां का ही अंग बनकर रहें । मैं सरकार से भी निवेदन करूंगा कि वह भारत सरकार के पास जायं, इंदिराजी के पास जायं, गृह मंत्री जी के पास जायं । आज असम में असुरक्षा फैली है, आज जाति विशेष के प्रति घृणा

(श्री रामकिशन)

फैली है। सबको सोचना चाहिए कि यह देश एक ही है। उसकी रक्षा के लिए कुछ करना है, लेकिन इसके पीछे भी भारत सरकार की कमजोरी है। हम जब × × × × × ×

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : × × × × × × × ×

(३ म. प.)

श्री उपाध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि न तो यह विषय मंत्रि-मंडल के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव से सम्बन्धित है और न ऐसी कोई बात है और न यह मद्र ही है। इसलिये इस विषय को यहीं समाप्त कर आगे बढ़िये।

श्री रामकिशन : × ×

श्री चन्दनमल वैद (यातायात मंत्री) : × × × ×

श्री रामकिशन : × ×

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : × × × ×

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर) : देश का विभाजन कराने के लिये कौन जिम्मेदार है ? यही कांग्रेस। और फिर उस सम्बन्ध में हमारे देश में भावनात्मक एकता में कोई फर्क आता हो, भावनात्मक एकता खत्म होती है, तो पूर्ण अधिकार है उसके सम्बन्ध में कहने का। अगर कांग्रेस नहीं होती तो देश का विभाजन कभी नहीं होता। आप जिम्मेदार हैं इसके लिए।

श्री चन्दनमल वैद : मैं एक बात कहना चाहता हूं।

(व्यवधान)

विभाजन का विरोध करने का उनको अधिकार है × × × ×

श्री रामकिशन : माननीय मंत्रीजी बिना समझे-बूझे ही कह रहे हैं। मुझे कहने दीजिये और फिर कहिये। जबरदस्ती आप कह रहे हैं।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत (भीम) : उसको एक्सपन्ज कर दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : वह कर दिया।

श्री चन्दनमल वैद : × ×

श्री हरिराम : बगैर इजाजत ही बोल रहे हो।

श्री रामकिशन : × × ×

श्री चन्दनमल वैद : × ×

(व्यवधान)

श्री रामकिशन : × × × ×

श्री चन्दनमल वैद : × × × × × ×

(व्यवधान)

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : × × × × × ×

श्री उपाध्यक्ष : विषयान्तरित न होइये।

श्री रामकिशन : हमारे देश में भावनात्मक एकता हो....

(व्यवधान)

श्री चन्दनमल वैद : × ×

(व्यवधान)

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : × ×

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

श्री रामकिशन : तो, उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था आसाम में जो राजस्थानी प्रवासी बसते हैं उसके सम्बन्ध में। राजस्थान के प्रवासी आसामीज को

× × × अध्यक्ष-पीठ के आदेशनुसार निकाले गए।

(श्री रामकिशन)

जहां पर वे बसे हैं उनको अपना भाई समझें और उनके साथ अच्छा व्यवहार करें ।

राजस्थान के हरिजन मंत्रियों और आदिवासी मंत्रियों ने उन मित्रों को पकड़ रखा है । मैं उन्हीं के मुंह से कहलवाना चाहता हूं कि आज उनकी क्या वास्तविक स्थिति है । वास्तव में उनका कल्याण हुआ है या नहीं यह उन्हीं के मुंह से कहलवाना चाहता हूं । वे स्वयं कहेंगे कि हमारा कोई कल्याण नहीं हुआ है और केवल यह इनका प्रचार मात्र है । क्या उनका कल्याण हुआ है मैं उसका एक चित्र खींचना चाहता हूं ।

सन् १९६५ तक राजस्थान के आदिवासी और हरिजनों की ६० लाख की आबादी है । तीसरी पंचवर्षीय योजना में उनके ऊपर क्या खर्च किया है, यह आपके आंकड़े हैं और उनसे ही मैं आपको बताता हूं, आपने खर्च किया है १ करोड़ ७५ लाख रुपया । इसका मतलब यह हुआ कि एक आदीवासी पर कुल ९ आना पांच साल में खर्च किये । इससे कितना उनका कल्याण हो जावेगा ? समाज कल्याण का कितना बजट है ? ४० लाख का । सब विभागों में कटौती हुई है, उपाध्यक्ष महोदय, किसी में दस परसेन्ट हुई है, किसी में १५ परसेन्ट हुई है, किसी में २० परसेन्ट हुई है लेकिन समाज कल्याण विभाग में, हरिजनों को उठाने का सवाल है, आदिवासियों के उत्थान का सवाल है, जहां इस विभाग में कटौती का सवाल है, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि ४० लाख रुपया रखा था उसमें से १६ लाख रुपया ही खर्च किया है । इसलिये मैं मेरे हरिजन मित्रों से कहूंगा, मेरे आदिवासी मित्रों से कहूंगा कि आप अपने इन मंत्रियों के भुलावे में मत आओ, ये लोग अपनी सुरक्षा के लिये आपको अपने साथ इस प्रकार भुलावे में रख कर काम करते हैं । उनकी भ्रामक बातों में मत आओ । वे आपको भुलावे में रखते हैं ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे दो तीन बातें कहनी हैं । मैं हमेशा नियमित और चेयर के आदेश को मानने वाला रहा हूं ।

यह सरकार समाजवाद का जिक्र करती है । मैं इसको पांच परसेन्ट समाजवादी मानता हूं । बाकी ९५ प्रतिशत नहीं । जब से ये हिन्दुस्तान की गद्दी पर बैठे हैं इन्होंने बीमा व्यवसाय का राष्ट्रीयकरण करके एक ही समाजवादी काम किया है । इसीलिये मैं इनको पांच परसेन्ट समाजवादी मानता हूं । उसके बाद इनके जो कर्म और वाणी है दुनियां के भयंकरतम साम्राज्यवादी और समाजवादी देश हैं, अमेरिका को छोड़ देता हूँ, सोवियत रूस को छोड़ देता हूँ, जर्मनी को छोड़ देता हूं, मैं राजस्थान की ही बात कहना चाहता हूं । माननीय चन्दनमलजी बोले और दूसरे उधर से बोले कि हम को राष्ट्रीयकरण कहना है । नफा नुकसान की ज्यादा चिन्ता नहीं करनी चाहिये । इसकी चिन्ता करने से समाजवाद नहीं आ सकता । आप अपनी कथनी और करनी से, कर्म और वाणी से इस समाजवाद को इतना विकृत कर देंगे कि समाजवाद जिन्दगी भर भी नहीं ला सकेंगे । आप समाजवाद लाना ही कहां चाहते हैं ? हमारी उनसे कोई दुश्मनी नहीं

(श्री रामकिशन)

है। आपके अपनाये गये तरीकों से हम आपके विपरीत हैं। आपकी गंगानगर शुगर फैक्टरी समाजवाद की प्रतीक है। आप यह सुन कर ताज्जुब करेंगे कि उस फेक्टरी में ११७४ मजदूर काम करते हैं और उनके लिये आपने ३७८ प्रवन्धक रखे हैं। तीन मजदूरों पर एक अधिकारी। इस तरह आप समाजवाद लाना चाहते हैं ? वाह रे आपका समाजवाद ! यह आपके समाजवाद का नंगा चित्र है। यह न चीन में देखा जा सकता है, न युगोस्लावेकिया में देखा जा सकता है और न ही वियतनाम में देखा जा सकता है। ११७४ मजदूर और और ३७८ वड़े वड़े अधिकारी और प्रवन्धक और वह भी एक शुगर मिल में।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : यह वही वात हो गई कि चार एम. एल. ए. पर एक मंत्री।

श्री रामकिशन : मैंने यह आपके समाजवाद का छोटा सा चित्र दिखाया। आपने यहां ३७८ मालिक वना रखे हैं ११७४ मजदूरों पर और उन मालिकों पर आप २) रुपया खर्च करते हैं केवल ३७८ पर और ११७४ मजदूरों पर ३) रुपया खर्च करते हैं। मजदूरों पर ३) और प्रवन्धकों पर दो रुपया। यह आपके समाजवाद का प्रतीक है। समाजवाद में यदि वास्तव में कोई अन्तर होना चाहिये तो १ और १० का होना चाहिये।

रोडवेज की हालत हो रही है वह भी बड़ी दयनीय है। ६२–६३ में २५ लाख का लाभ हुआ और ६४–६५ में वह लाभ १२ लाख ही रह गया। जनता को आराम मिलना चाहिये वह भी कुछ नहीं।

(समय–समाप्ति–सूचक–घंटी)

अन्त में मैं इस सरकार के लिये एक वात कहना चाहूंगा। आखिर इस सरकार का इस प्रकार पतन क्यों हुआ है ? क्यों लोगों की निगाहों में गिर गयी है। राज्य के मंत्री मनफूलसिंहजी हैं। मैं उन पर कोई व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाना चाहता और न मेरी मंशा है लेकिन मैं तो एक नमूना वताना चाहता हूं। आरोपों की झड़ी इतनी लग गयी है कि एक का भी वे जवाव नहीं दे सकते। और न देना चाहते हैं। मैं गोगामंडी के मेले में चला गया था। मुझे तथ्य मिले हैं। मैं वताना चाहता हूं कि आपका क्या समाजवाद है चार आने से लगा कर ११) रु० वाले कांग्रेसी आज करोड़पति वन गये। आखिर वन गये कैसे ? आपके अपने समाजवाद से। मनफूलसिंह जी मास्टर थे। राजनीति में आये। मुझ से अधिक और किसी को इसके लिये खुशी नहीं हो सकती है कि वे एक मास्टर थे। मेरे वाप मजदूर थे, खेत में काम करने वाले थे। मास्टर का मंत्री में नम्वर आ सकता है तो मुझे उससे कोई गुरेज नहीं है।

आपकी जमीन की आमदनी वड़ी क्यों नहीं ? दूसरी के वाद तीसरी योजना में दस करोड़ की जमीन वेचने का प्रावधान रखा था वह पूरा क्यों नहीं हुआ ? आपने जमीनें वेची नहीं, लुटाई हैं। इसलिये आमदनी हो तो कहां से हो।

(श्री रामकिशन)

गंगानगर में जमीनें आपने ऐसे लूटीं जैसे लंकादहन के बाद लंका को लूटा था। इसकी एक मिसाल देना चाहता हूं। मनफूलसिहजी को। राम चन्द्रसिहजी चौधरी पी० एस० सी० के जो सदस्य हैं उनको शिकायत की। क्या कि मन्त्रीजी ने और इन्होंने अपनी जमीनों को बदला लिया। नॉन–कमाण्ड एरिया से कमाण्ड एरिया में जमीनों की अदला-बदली की गई और डेढ़ लाख की जमीनों की अदला-बदली कर ली। जो लोग मास्टर थे, बच्चों को पढ़ाते थे वे आज इतने मालदार कैसे बन गये? कोई गुरु–मन्त्र से तो वे बन नहीं सकते थे, गुरु–मंत्र तो कोई उसके पास था नहीं, गुरु गोरखनाथ बाबा का मन्दिर तो था नहीं, उनका कोई मन्त्र तो था नहीं इनके पास। तब फिर यह पूंजी कमाने की ताकत आई कहां से?

इस बारे में खैरी साहब ने एक रिपोर्ट दी है। वह अंग्रेजी में है। मजबूरन मुझे अंग्रेजी पढ़नी पड़ रही है। जैसी मुझे अंग्रेजों से नफरत थी वैसी अंग्रेजी से है। उनके मुल्क में उनको फायदा है इससे, पर यहां हिन्दुस्तान में वह चले इससे मुझे नफरत है। विलायत में यह भले ही चले। तो उन्होंने यह लिखा अन्त में अपनी रिपोर्ट में कि:

"The applicant hss alleged that the land that Shri Manphool Singh has got in exchange was valued at Rs. 500/- per bigha."

इस तरह से उन्होंने लिखा है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिहनगर): उपाध्यक्ष महोदय, दुनिया का रिकार्ड टूट गया। नॉन-कमाण्ड की जगह कमाण्ड की जगह दी गई। जिसका कोई कानून नहीं है। तीन तीन जगह जमीनें तब्दील हुई और तीनों जगह कब्जा कायम रक्खा और कई वर्षों तक कायम रखा और उनको तावान तक नहीं लगा।

श्री रामकिशन: (श्री मनफूलसिह के खड़े होने पर) आप सुन लीजिये पहले, फिर कहियेगा।

श्री मनफूलसिह (उप मंत्री, सिंचाई): मैं दुबारा स्पष्टीकरण करने को तैयार हूं।

श्री रामकिशन: अल्प बचत के बारे में मैं निवेदन करूं कि अल्प बचत में इकट्ठा किया हुआ पैसा हजम कर गये। इन्हीं मनफूलसिह जी के भाई हैं बलवीरसिह जी। उनको इसके लिए एजेन्ट बनाया गया। रसीदें दी गईं अल्प बचत में रुपया इकट्ठा करने के लिए। सारी रसीदें हैं, नम्बर हैं मेरे पास। मैं सदन की मेज पर रख दूंगा उनको। पर उनमें से ये रसीदें और नम्बर गायब हैं। उनका रुपया अल्प बचत कोष में जमा नहीं कराया गया। आखिर यह है क्या? उन पर कोई कार्यवाही नहीं की गई आज तक तो। आखिर में सरकार चाहती क्या है? मेरे पास ऐसे बहुत से मामले हैं। समयाभाव से मैं उनका जिक्र नहीं करूंगा।

भ्रष्टाचार की बहुत सी बातें हैं। समयाभाव से मैं इन पर भी नहीं बोलूंगा। मैं पहले नीतियों के बारे में कह लेता हूं। भ्रष्टाचार के आरोपों का जवाब तो ये दे

(श्री रामकिशन)

भी नहीं सकते क्योंकि उनका मन नहीं है इस भ्रष्टाचार को दूर करने का। जैसा उनका कथन है उससे इसके दूर होने की सम्भावना भी नहीं है। ये भ्रष्टाचार में स्वयं लिप्त हैं तो फिर कैसे वे इसे दूर करने का साहस कर सकते हैं ?

कहा गया कि छात्रों में अनुशासन नहीं है। कम होता जा रहा है। अभी माननीय मन्त्री महोदय ने भी इसे स्वीकार किया अपने एक प्रश्न के उत्तर में। आपने कहा शिक्षा का टार्गेट हमने पूरा कर लिया। आप शिक्षा का कितना ही टार्गेट पूरा कर लीजिए, शिक्षक बढ़ाइये, शिक्षकों को ट्रेनिंग मिले, छात्रों की संख्या बढ़े, स्कूल बढ़ें, पर शिक्षा का मतलब इतना ही है क्या ? शिक्षा का मतलब मैं दो बातों में मानता हूं; एक तो वे साक्षर बनें और दूसरा मनुष्य बनें।

अब इन मुद्दों को लेकर जांच करें आज की शिक्षा की, उसको जांचें इन आधारों पर तो पता लगेगा कि हम साक्षर तो बना रहे हैं, पढ़े-लिखे लोगों को तो खड़ा कर रहे हैं, पर शिक्षा का जो मूल लक्ष्य है मनुष्य बनाना, उससे दूर हटते जा रहे हैं। आपने कहा अनुशासन के लिए कई योजनाएं लागू की हैं। पर आप इन योजनाओं के मूल लक्ष्य, मनुष्य बनाने के अपने लक्ष्य, से बहुत दूर हटते जा रहे हैं। शिक्षा मन्त्रीजी कहते हैं इस अनुशासन के प्रति सरकार सतर्क है। कैम्प लगाए हैं, ट्रेनिंग दी है एन० सी० सी० की ए. सी.सी. की ट्रेनिंग चालू की है, पर अनुशासन है क्या ? कभी इस सरकार ने समझने की कोशिश की है। इस अनुशासनहीनता का सही कारण क्या है, क्या उसने इन कारणों को ढूंढा है ? यह सरकार तो दिशाविहीन हो गई है। यह अपना लक्ष्य भूल चुकी है। लक्ष्य-भ्रष्ट हो गई है। यह आज के नवयुवकों और नव युवतियों को प्रेरणा नहीं दे सकती। और यही कारण है कि आज के युवक-युवतियां इतने उच्छृंखल होते जा रहे हैं। और क्या कारण है इसका ?

सारी सरकारें इस देश की रहीं उनकी बातें ले लो। चाणक्य का युग ले लो। धार्मिक पुस्तकों की बात मैं नहीं कहता, उस समय की शिक्षा में हर पुस्तक में आचरण सम्बन्धी बातें रक्खी जाती थीं। मां-बाप से कैसा वर्ताव करना चाहिये, उनके प्रति कैसा आचरण होना चाहिये, परिवार के प्रति, समाज के प्रति किसी दुखी आदमी के प्रति किस प्रकार का क्या आचरण करना चाहिये, इसकी इस तरह के आचरण की सम्पूर्ण शिक्षा दी जाती थी।

आज क्या है ? माननीय सदस्य मुकुट बिहारीलालजी मेरे पास बैठे हैं। कुछ दिनों पहले ये और मैं दोनों दिल्ली जा रहे थे। ये हैं धार्मिक भावना वाले और मैं हूँ अनिश्वरवादी। अब कैसा अनिश्वरवादी हूँ, क्या हूँ, इसे आप छोड़िये, रास्ते में बस मिल नहीं रही थी तो इन्होंने कहा-जितना समय है उतने में चलो पास ही गोविन्ददेवजी के मन्दिर हो आवें। गोविन्ददेवजी का स्थान बड़ा धार्मिक स्थान। मैं भी गया उनके साथ। पर वहां मैंने क्या देखा कि हजारों दर्शनार्थी वहां थे, पर उन हजार में से ९९९ के करीब ऐसे थे जो बूढ़े थे, औरतें थीं। ये मन्दिर होते हैं आचरण सम्बन्धी ज्ञान प्राप्त करने के

(श्री रामकिशन)

लिए। ये वृद्ध लोग अब क्या अपना आचरण सुधारेंगे। दूसरी बात मैं बताऊं आपको गवर्नमेंट होस्टल की बात। वहां एक संगीत सम्मेलन में मैं गया। वहां देखा तो ६० फी सदी नौजवान युवक–युवतियां इकट्ठी थीं। तो अब जिन युवक–युवतियों को अपने आचरण सम्बन्धी ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, अपने आचरण को सुन्दर बनाने के लिए, आचरण की प्रेरणा लेने के लिए मन्दिरों में जाना चाहिये वहां तो बूढ़े रह गये, और जिन संगीत सम्मेलनों में उन बूढ़ों को जाना चाहिये, जिससे उनके जीवन में जो थकान आ गई है उसे मिटाने के लिए वे कुछ सहारा पा सकें वे जाते हैं मन्दिरों में आचरण की शिक्षा लेने। यह उल्टा मामला हो रहा है तो आप इस तरह का कोई लक्ष्य रख सकते हैं।

(समय–समाप्ति–सूचक-घंटी)

नहीं तो, उपाध्यक्ष महोदय, जिस तरह का हमारा देश आज बनता जा रहा है उसके परिणाम हमें भुगतने पड़ेंगे।

अन्त में शिक्षा मन्त्रीजी से एक बात कहना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, क्या शिक्षा मन्त्रीजी ने यह पढ़ा है कि ईरान की सरकार ने एक फैसला किया है कि स्कूल–कॉलेजों में तंग स्कर्ट पहनकर जाने पर पाबन्दी लगा दी जाय। मैं हालांकि इसके उस रूप में पक्ष में नहीं हूँ कि बोलने, पहनने खाने पर पाबन्दी लगाई जाय। इसकी स्वतन्त्रता रहनी चाहिये। पर हमें यह सोचना होगा कि आखिर हमें बनना क्या है? हम क्या बनना चाहते हैं। बृजसुन्दरजी आप सोच लें। यह मजाक या हसने की बात नहीं है। क्या हम अपनी बच्चियों का, बच्चों का कटि, वक्ष और नितम्बों का इन कसे हुए वस्त्रों और स्कर्ट के द्वारा प्रदर्शन कराना चाहते हैं, अधरों और कपोलों के रंग का प्रदर्शन कराना चाहते हैं? अगर यही चाहते हैं तो सोच लें इन इन सबका देश में क्या परिणाम आने वाला है? आपने बताया है अभी कि १२०२ युवतियों ने आत्म-हत्याएं की हैं। मैं दूसरी बात बताना चाहता हूं। वह क्या है? आपने बताया इनमें ७३६ महिलाएं थीं। इनके कारण भी बताये। गृह क्लेष, प्रेम में असफलता और कुछ का अवैध गर्भाधान। मैं कहना चाहता हूं आज आपकी शिक्षा वैसे ही चरित्र-निर्माण की तरफ से उदासीन है, चरित्र निर्माण की कोई बात आप नहीं पढ़ाते अपनी किताबों मे, आप उनसे परहेज करते हैं, भारतीयता आपको खटकती है, यहां की सभ्यता और संस्कृति से आप के दिलों में नफरत पैदा कर दी गई है। पर आप अभारतीयता उनमें भरते जा रहे हैं, पश्चिम की भौंडी नकल जरूर करने की अबाध छूट दे रहे हैं। अच्छी बातें उनको आप नहीं सीखना चाहते, बुरी बातों को आदर्श मानकर उनके पीछे मृगमरीचिका की भांति दौड़ रहे हैं। आप इन ड्रेसों पर पाबन्दी लगाना नहीं चाहते, बल्कि प्रोत्साहन ही देते हैं। आप इनका परिणाम जानते हैं, ये विलास के बड़े कारण बनते हैं, हम जैसे प्रौढ़ लोग भी इसके प्रति आकर्षित हो जाते हैं, उत्तेजित हो जाते हैं तो नौजवानों की छोड़िये। तो मैं कहूंगा सरकार इन बातों पर गम्भीरता से सोचे। ड्रेस का भी काफी असर पड़ता है। यह मजाक नहीं है, हंसने की बात नहीं है, गम्भीरता से सोचने की

(श्री रामकिशन)

बात है। आप पाश्चात्य फैशन की क्या नकल कर रहे हैं, उनके लगन की, श्रम के प्रति निष्ठा की, देश भक्ति की, औद्योगीकरण के प्रति लगन की, इन सद्गुणों की नकल करिये न। आप उनकी इस फैशन परस्ती की, ड्रेस की नकल क्यों करते हैं ? आपकी अपनी सभ्यता और संस्कृति है। आप की अपनी ड्रेस भी है। पर लगता है दिशा विहीन लोग, कर्म-विहीन, सिद्धान्तहीन और अकर्मण्य, आलसी लोगों का एक गुट यहां जम कर बैठ गया है। अगर आप इन विलासिता के साधनों पर, इन विलासी ड्रेसों पर नहीं लगाना चाहते हैं तो दूसरे मामलों के लिये तैयार हो जावें। समझदार लोगों की ईमानदारी से यह मान्यता है कि फिर इसके लिये आप कुंआरी मांओं के सदन स्थापित करने को तैयार रहें। अन्यथा जब तक इन ड्रेसों पर पाबन्दी नहीं लगावेंगे उनको श्रम के प्रति मोड़ेंगे नहीं, भारतीयता के प्रति उनमें श्रद्धा पैदा नहीं करेंगे, अपनापन उनमें नहीं जगावेंगे, कठोर श्रमशील नहीं बनावेंगे, तब तक इस राजस्थान का आप निर्माण नहीं कर सकते।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

अब आप बता दीजिये आपने क्या सफलताएं प्राप्त की हैं ? आपकी शिक्षा का स्तर कितना गिर गया, राजस्थान की सांस्कृतिक, सामाजिक और राजनैतिक स्थिति कितनी गिर गई ! आप आर्थिक मामलों में दिवालिये हो गये, आप अपनी योजनाओं के लक्ष्यों को प्राप्त करने में पिछड़ गये। आप आज आपके इन पीछे बैठने वालों से पूछिये तो सही, इनका भी विश्वास आप में है क्या ? आप में न आपकी पार्टी वालों का विश्वास रह गया है, न विरोधी पक्ष वालों का रह गया।

तो मेरा निवेदन इस सरकार से है कि आप एकदम त्याग पत्र दे दीजिये। नहीं तो नौजवान आपको फैंक देंगे एक दिन।

राज आपको अगर करना है, आपको राजस्थान का कल्याण करना है तो एक बात मैं आपको निवेदन करूं कि जब ब्रह्म में लीन होने लगे ब्रह्माजी तो क्या कहने लगे ? मैं आपको बताऊं उनकी बात, आपको यह तो ज्ञान है ही नहीं कि ब्रह्माजी कौन थे, क्या थे। आप उनके बारे में क्या जानें। आपको तो रेहाना और सुल्ताना के बारे में ज्ञान जरूर है आज। मेरी भी तबीयत होती है कभी-कभी, मैं भी कभी-कभी ये आपके सिनेमा-विनेमा देख लेता हूं। पर यह मुल्क रेहाना और मुनब्बर सुल्ताना का नहीं बनने वाला है। अपनी सभ्यता और संस्कृति को जीवित करना है हमें। १७ सालों में जिस उल्टी दिशा में ये लोग ले गये हैं देश को उससे लौटा लाना है, जिस बरबादी के रास्ते पर इन लोगों ने देश को डाल दिया है मैं इसके लिये सरकार के सभी लोगों से भी और विरोधी पक्ष के सदस्यों से भी निवेदन करूंगा कि उससे लौटा कर हमें देश को अगर सही रास्ते पर लाना है, तरक्की के रास्ते पर लाना है, ईमानदार लोगों का देश बनाना है, भ्रष्टाचार को समाप्त करना है, तो इस सरकार को अपदस्थ करें। इसी में समाज का और देश का कल्याण है। इतनी ही बात कह कर मैं समाप्त करता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : यह राष्ट्रीय गीत के बारे में जो बातें हुई हैं उनको कार्यवाही में से एक्सपन्ज कर देता हूं।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : उपाध्यक्ष महोदय, एक २५ हजार लोगों के दस्तखतों की याचिका लेकर जुलूस बाहर धूप में काफी देर से खड़ा है। मैं उनकी डिमाण्ड के बारे में तो अधिक नहीं कहना चाहता, पर इस ओर सदन का और सरकार का ध्यान जरूर आकर्षित करना चाहता हूं कि जब वे काफी टाइम से धूप में खड़े हैं और अपनी ही बात नहीं बल्कि २५ हजार लोगों के द्वारा हस्ताक्षरित याचिका पेश करना चाहते हैं तो यह बहुत बड़ी बात है, इसको जरूर सरकार को सुनना चाहिये। उनकी मांगों में एक मांग इस टाउन हाल की भी है। इस याचिका में यह कहा गया है कि यह टाउन–हाल नगरपालिका का है। हाई कोर्ट की बेंच की भी मांग इसमें है। नेताजी सुभाष का स्टेच्यू लगाने की मांग है। मैं समझता हूं ये मांगे सरकार के लिए भी महत्व की है। सदन के भी महत्व की हैं। धूप में इतनी देर से लोग खड़े हैं तो उनके प्रतिनिधि मण्डल से सदन के नेता जी, उप-नेता जी या सरकार के किसी भी प्रतिनिधि मन्त्री को मिलना चाहिये। और बुलाना चाहिए ताकि धूप में खड़े न हों और उनकी बात को सुन कर संतोषजनक जवाब देना चाहिए। यह महान् याचिका मैं प्रस्तुत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आपके जरिये जो यहां की जनता के नागरिक हैं इतनी देर से धूप में खड़े हैं तो उनको कोई जाकर सुन लें या फिर उनको यहां बुला कर सुन लें। मैं समझता हूं कि वह सदन के सामने आये हैं। तो यह लोक तंत्र में अपनी ही बात कहने के लिए आते हैं। तो सरकार को भी चाहिए कि वह सुने और मैं आपके जरिये सरकार का ध्यान खींचना चाहता हूं कि उनकी जरा बातें सुनें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री जयकृष्ण शर्मा !

श्री जयकृष्ण शर्मा (थानागाजी) : उपाध्यक्ष महोदय, यह अविश्वास का प्रस्ताव हमारे सामने है....

श्री उपाध्यक्ष : मैं माननीय सदस्य से निवेदन कर दूं कि आधे घन्टे में परीसीमित रहेंगे तो काफी मेम्बर्स बोल सकेंगे।

श्री जयकृष्ण शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक टाइम का सवाल है....

श्री उपाध्यक्ष : टाइम डिस्कस नहीं करें। आप तो प्रारम्भ करें।

श्री जयकृष्ण शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, अविश्वास के प्रस्ताव पर विचार दो दिन से चल रहा है। अविश्वास का प्रस्ताव उधर बैठने वाले माननीय अपोजीशन के नेता व दूसरी पार्टी के माननीय सदस्यों ने इस सरकार के प्रति रखा है। मैं जब इस अविश्वास प्रस्ताव को देखता हूं तो मेरी समझ में आता है कि यह क्यों पेश हुआ। इस अविश्वास के प्रस्ताव पर जब मैं इस बात के लिए जाता हूं तो मुझको दो ही कारण नजर आते हैं। एक तो सन् ६७ के आम चुनाव और दूसरे इस बात का कारण कि विरोधी दल क्या चाहते हैं। आम चुनावों का जहां तक सवाल है उसके लिए यदि विरोधी दल इस प्रकार का कोई वातावरण तैयार करते हैं तो कोई बुरी बात नहीं करते क्योंकि उनकी पार्टी का सवाल है, उनके खुद का सवाल है और भी बहुत से कारण हो सकते हैं। दूसरे जहां

(श्री जयकृष्ण शर्मा)

तक सवाल है वह कहते हैं कि हम सरकार को अपदस्थ करना चाहते हैं तो मैं पूछना चाहता हूं कि किस के लिए करना चाहते हैं ? स्वतंत्र पार्टी के लिए, जनसंघ के लिए, कम्युनिस्ट पार्टी के लिए या समाजवादी पार्टी के लिए या प्रजासमाजवादी पार्टी के लिए ? किस के लिए आप इस सरकार को अपदस्थ करना चाहते हैं ? या आपका जनतंत्र में विश्वास नहीं है ? अगर जनतंत्र में विश्वास नहीं है तो आप को साफ कहना चाहिए कि हमारा जनतंत्र में विश्वास उठता जा रहा है। परन्तु भाषणों से मुझे साफ जाहिर होता है कि हर एक माननीय सदस्य का प्रजातंत्र में विश्वास है। जब प्रजातंत्र में विश्वास है तो फिर किस के लिए अपदस्थ करना चाहते हैं ? गवर्नर के शासन के लिए ? गवर्नर का शासन कायम करने के लिए यह बात भी समझ में नहीं आती । तो फिर क्या है यह मेरी समझ में कतई नहीं आता । इससे साफ जाहिर होता है कि जो ६७ का आम चुनाव ५ महीने के बाद आ रहा है उसके लिए वातावरण तैयार करना चाहते हैं। तो मैं आप से यह निवेदन करना चाहता हूं कि हर एक पार्टी के सिद्धान्तों का, हर एक पार्टी की कार्य करने की कार्यप्रणाली का यदि हम सिंहावलोकन करें, उसकी तरफ यदि हम दृष्टिपात करें तो हमें भलीभांति मालूम हो जायेगा कि कौनसी पार्टी, कौन से लोग इस देश के अन्दर शासन करने के योग्य हैं। आज छोटी छोटी खामियां, जो कि प्रजातंत्र के युग में रहती हैं, प्रजातंत्र के युग में रहेंगी आप यह बताते हैं लेकिन हमने केरल में कम्युनिस्टों का भी राज्य देखा है। हमने केरल का प्रजासमाजवादियों का राज्य देखा है और दूसरे जो लोग घटाटोप राज्य कहते हैं जिनके लिए आज का राज्य घटाटोप का राज्य हो सकता है वह यह इसलिए कहते हैं कि आखिर आज उनका राज्य नहीं रहा। इसलिए आप इसको घटाटोप की संज्ञा दें तो इसमें गिला का सवाल नहीं है। अगर घटाटोप का राज्य है और इसलिए उनके लिए राज्य है कि आज उनका राज्य नहीं रहा। आज प्रजातंत्र का राज्य है। आज आम नागरिकों को इस विधान सभा में आकर अपनी समस्यायें, अपने इलाके की समस्यायें, जनतंत्र को पनपाने की समस्यायें और इस राज्य को सुदृढ़ करने की समस्यायें रखने का अधिकार है तो मैं आपसे निवेदन करूं कि कौन सी ऐसी पार्टी है, कौनसी पार्टी के ऐसे सिद्धान्त हैं जिनको हम देखें तो यह मालूम होने लग जाये कि किसके लिए इस सरकार को अपदस्थ कहना चाहते हैं। निम्बाहेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य इस बात के लिए बहुत इच्छुक हैं। वह कुछ कहना चाहते हैं। मैं समझता हूं कि क्या उनका खुद का विश्वास है पार्टी में ? उनका खुद का ही विश्वास हटता जा रहा है और खुद ही दूर होते जा रहे हैं कि अमुक पार्टी के अन्दर मेरा विश्वास नहीं रहा है तो जैसे जैसे हम धीरे धीरे इस बात को देखते हैं तो हमें मालूम होने लगा कि आखिर यह प्रजातंत्र इस प्रजातांत्रिक युग के अन्दर किस प्रकार से पनप सकता है।

आपने देखा योजनाओं के द्वारा प्रजातंत्र पनपाते हैं और तीनों योजनायें हमारे देश में फली फूलीं। तीनों योजनाओं में हमारे देश का आर्थिक विकास हुआ, हमारी शिक्षा की तरफ प्रगति हुई, हमारा सामाजिक विकास हुआ। आज देखते हैं कि छूआ छूत

(श्री जयकृष्ण शर्मा)

और सामाजिक लोग जो इसके विरोधी थे उनसे हम थोड़े से अर्से के अन्दर इन १७-१८ सालों में बहुत कुछ आगे प्रगति कर पाये हैं। आज यदि हम शिक्षा की तरफ दृष्टिपात करें, दूसरे मामलों की तरफ दृष्टिपात करें तो हमें यह बात मालूम होती है कि अंग्रेजों से इस प्रजातंत्र के युग के अन्दर, इस कांग्रेसी सरकार के अन्दर हमने एक ओर प्रगति की है। बहुत से माननीय सदस्य जो इसकी आलचना करते हैं, आखिर प्रजातंत्र में आलोचना का सब को अधिकार है। अगर प्रजातंत्र के अन्दर कोई विरोधी दल नहीं होता और प्रजातत्र के अन्दर कोई विरोधी सदस्य नहीं रहता तो वह प्रजातंत्र भी अधूरा रहता है। क्योंकि प्रजातंत्र के लिए यह जरूरी है और जो जरूरी अंग है उसका आप आज फर्ज अदा कर रहे हैं। उसके लिए हमें कतई एतराज नहीं है। लेकिन जब हम आपका नक्शा देखते हैं तो एक तरफ वह लोग हैं जो राष्ट्रीयकरण की नीति के विरोध में है, उधर ही एक ओर ऐसे लोग भी हैं जो कि आज राष्ट्रीयकरण को चाहते हैं। ऐसे लोग भी हैं जिनका विश्वास इस प्रजातन्त्र में है तो एक तरफ बैठने वाले ऐसे लोग भी हो सकते हैं जिनका प्रजातन्त्र में बहुत अधिक विश्वास नहीं है। क्योंकि आज से कुछ दिन पहले मैंने अलवर की होप सर्कस में लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट कम्युनिस्ट जो कि थोड़ी सी संख्या के अन्दर हमारे इस सदन में उपस्थित हैं उनको भी आपने सुना और मेरे कामरेड तिजारा से आने वाले सदस्य ने जब राइटिस्ट और लेफ्टिस्ट कम्युनिस्ट का विश्लेषण किया तो यह तो व्यक्ति के लिए जिन्दा हैं। इनकी तो थ्योरी मार्क्सवादी थ्योरी है उसमें विश्वास नहीं है यह तो ३ व्यक्तियों का पहले विरोध करते थे और आज भी सेन्टर में जो तीन व्यक्ति सत्तारूढ़ हैं उनका आज भी विरोध करते हैं। तो जब मैं इस पर दृष्टिपात करता हूँ आखिर यह राइटिस्ट कम्युनिस्ट और लेफ्टिस्ट कम्युनिस्ट जो कि देश के अन्दर अपने आपको गरीबों का हमदर्द बताना चाहते हैं उनके अन्दर भी इस प्रकार के बदनाम कुछ मार्क्सवादी हैं और कौन मार्क्सवादी नहीं हैं तो इस बात से यदि एक बात कहें कि हमारे अन्दर बैठने वाले जो कि स्वतन्त्रता के लिये प्रत्येक प्रजातन्त्र का दम भरते हैं उसमें यदि हम अपने विचार स्पष्ट रखना चाहते हैं तो आपको हमारे सदन की तरफ दृष्टिपात करना पड़ेगा कि आखिर कांग्रेस सरकार का मुख्य ध्येय क्या है? कांग्रेस का मुख्य ध्येय है, समाजवादी समाज की स्थापना करना। उसका एक ही गोल है, एक ही एचीवमेंट है और वह देश के अन्दर सोशियेलिज्म लाना चाहती है। वह सोशियेलिज्म लाने के लिए यदि एक तरफ कुछ लोगों के साथ करते हैं तो आपकी हमदर्दी उनके साथ पैदा होती है, यदि दूसरों के साथ करते हैं तो उनके साथ हमदर्दी हो जाती है। यदि राष्ट्रीयकरण किया जाता है तो कुछ लोग उसका विरोध करते हैं। यदि नहीं किया जाता है तो कुछ लोग इसका विरोध करते हैं। इसलिए इस बात को देखना पड़ेगा कि हम देश के अन्दर समाजवादी समाज की स्थापना करने के लिए आखिर हमको जोरों से कदम बढ़ाने पड़ेगे। देश में समाजवादी समाज की स्थापना करने के लिए हमें देश के अन्दर उत्पादन बढाना होगा, हमें देश के अन्दर राजनैतिक जो स्थिति है उसको आगे बढाना होगा, हमें देश के अन्दर जो आर्थिक विष-

(श्री जयकृष्ण शर्मा)

मता है उसको दूर करना होगा। तो यदि हम देखें। यदि आप योजनाओं को देखें। तो आप इस पर दृष्टिपात करें कि पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना और तीसरी पंचवर्षीय योजना में हमने बहुत बड़े बड़े कार्य इस देश के अन्दर किये हैं। उनसे देश को फायदा पहुंचा है, उनसे देश के अन्दर प्राडक्शन प्लान्स तैयार हुए हैं, उनसे देश की आर्थिक क्षमता बढ़ी है, लोगों के रहन सहन का स्टेन्डर्ड बढ़ा है, लोगों की शिक्षा की तरफ मनोवृत्ति बढ़ी है। यदि इन सब बातों पर दृष्टिपात करें तो हमें यह साफ जाहिर होता है कि इस देश में लोग प्रजातन्त्र को मजबूत करने के लिए इन तीनों योजनाओं के अन्दर एक कार्य कुशलता के साथ कार्य करते हैं और कार्य कर रहे हैं। आखिर यह सरकार ने जो इतने बड़े २ कार्य किये हैं, आखिर इस सरकार ने जो प्रजातन्त्र को मजबूत किया है, देश के अन्दर प्रजातन्त्र को कायम करने के लिए एक बहुत बड़े पंचायती राज की स्थापना की है। आज गांव गांव में डीसेंट्रलाइजेशन के द्वारा, आज गांव गांव में विकेन्द्रीकरण के द्वारा हमारा शासन गया है। आखिर को जब देश में विकेन्द्रीकरण के द्वारा इस राज्य की सत्ता का बंटवारा कर दिया गया, आखिर में आर्थिक उन्नति के लिए योजनायें तैयार कीं, यह कुछ कार्य किये तो यह साफ जाहिर होता है कि कांग्रेस सरकार की मंशा समाज वादी समाज की स्थापना करने की रही है और समाजवादी समाज की स्थापना हम करना चाहते हैं अपने तरीके से। हम इस तरह से समाजवाद की स्थापना नहीं करना चाहते कि देश के अन्दर अराजकता फैले, देश के अन्दर ऐसी परिस्थितियां पैदा हो जायं कि लोग आराम से नहीं रह सकें। इस दल के दूसरी तरफ बैठने वाले लोगों की यह इच्छा हो सकती है, वे यह चाहते हैं कि देश के अन्दर कहीं अराजकता हो, देश के अन्दर कोई इस प्रकार के कार्य हों जिससे दुनियां के अन्दर बदअमनी फैले तो इस देश का प्रजातन्त्र भी खतरे में चला जाय। तो मैं यह कहना चाहूंगा और मेरा निवेदन है. माननीय सदस्यों ने आखिर यह अविश्वास का प्रस्ताव जिस मकसद से लाये हैं, आपका मकसद इस बात से तो पूरा नहीं होगा। जो अन्न की समस्या के बारे में आपने कहा, कई भाषण यहां पर हुए और आपने कई बातें इस सदन में रखी हैं और इसके बाद ही आपको मौका मिलेगा कि आप अपने २ निर्वाचन क्षेत्र में जाकर लोगों से यह कहेंगे कि हमने अमुक अमुक प्रश्न आपके लिये और इस राज्य सरकार के लिए विधान सभा में रखे। तो आपका पहला मकसद है वह तो आपका पूरा हुआ और अब दूसरा मकसद है वह पुरा होने की आप लोगों को भी गुंजाइश नजर नहीं आती है। मेरी ओर आग्रह करते हैं इस इधर बैठने वाले नवयुवक सदस्य कि इस सरकार में कुछ लोग आए। मैं आपसे कहता हूँ कि इधर बैठने वाले लोगों के सिद्धांत हैं, हम इस देश के अन्दर समाजवादी समाज की स्थापना करना चाहते हैं और यह हमारा ऐम है कि हम देश के अन्दर सोशलिज्म लायें। उन ऐम्स के लिए हम इधर बैठने वाले लोग प्रयत्नशील हैं और उधर बैठने वाले सदस्य जो भाषण देते हैं उनसे हम कुछ भी प्रभावित होने वाले नहीं हैं। हम सिद्धांतहीन नहीं हैं, आखिर हमारे सिद्धात हैं और उन सिद्धांतों के आधार पर

(श्री जयकृष्ण शर्मा)

ही हम इस राजस्थान के अन्दर और हिन्दुस्तान के अन्दर सरकार चला रहे हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ उधर बैठने वाले माननीय सदस्यों से कि आप ही स्वयं इस पर विचार करें। आप जो बैठते हैं उधर, उनमें भी विचारधारा, एक दूसरे से विचारधारा नहीं मिलती है, इसका बिना विश्लेषण किये मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आप इस बात पर विचार करें कि आपके पास इस प्रकार की कौन सी योजना है। आपने बहुत सी खामियां बतलाई हैं और जो इतने बड़े २ कार्य किये गए हैं तो आखिर कहीं तो आपको खामियां मिलेंगी ही। इस देश के अन्दर इतने बड़े २ काम हुए हैं। जहां इस प्रकार के दो शब्द सरकार के सम्बन्ध में माननीय सदस्यों ने नहीं कहे हैं कि इतने बड़े २ काम देश के अन्दर किये गये हैं, केवल एक ही बात, हर एक माननीय सदस्य उधर बैठने वालों के सामने आई कि इसके अन्दर इतनी खामियां रख गईं और उसमें इतनी खामियां रह गईं। खामियां देखने का आपका अधिकार है। परन्तु मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं और यह कहना चाहता हूं कि आप इस बात के भुलावे में नहीं आए और इस बात का ख्याल नहीं करें। आखिर को आप किस तरह का राज्य चाहते हैं। बहुत से माननीय सदस्यों ने कांग्रेस के माननीय सदस्यों के लिए यह कहा कि अमुक अमुक सदस्य यह काम करता है, अमुक सदस्य वह काम करता है। क्या कांग्रेस का काम करने वाले अपना धन्धा नहीं कर सकते, अपना कोई काम नहीं करें? यह कमा कर खाते हैं तो आपको आपत्ति होती है और यदि नहीं कमाते हैं तो आप यह कहते हैं कि इन कांग्रेस के लोगों की जांच होनी चाहिए कि ये कहां से कमाते हैं, कैसे खाते हैं और कहां से इतना खर्चा चलता है। यह जो आपकी बहुत छोटी, और जो बहुत ही छोटे छोटे तरीके की तर्क हैं माननीय सदस्यों के खिलाफ, मैं समझता हूं कि यह आपकी भावनाएं एक सदन के लिए, सदन में बैठ कर विचार विमर्श करने के लिए, एक प्रजातंत्र के लिए अहितकर है। इसलिए आप इस बात को सोचेंगे और इस बात को समझेंगे। और फिर माननीय सदस्यों ने जो जो आलोचनाएं की हैं उनके अन्दर जो जो खामियां बतलाई हैं, उनके बारे में तो जैसे प्रजातंत्र में जो दूसरे लोग विरोधी दल में होते हैं वे खामियां रखते हैं और उन पर विचार करने का सरकार का और जिस पार्टी की सरकार होती है उस पार्टी का उत्तरदायित्व होता है। इसलिए जो आपने खामियां बतलाई हैं, कुछ समस्याएं पेश की हैं उन समस्याओं पर विचार करने को तो राज्य सरकार को जरूर तैयार होना चाहिए क्योंकि आखिर इस प्रजातंत्र में जभी हम मजबूत हो सकेंगे जब कि कुछ विरोधी पक्ष और विरोधी बैंचों के ऊपर बैठने वाले लोगों की तरफ से जो समस्यायें हमारे सामने रखी जाती हैं उनको समाप्त करेंगे। इसलिए मैं विरोधी दल के माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूं और यह निवेदन करना चाहता हूं कि आपने जिस मकसद से अपने अविश्वास के प्रस्ताव को रखा है वह मकसद तो आपका पूरा हुआ। वह मकसद आपका केवल इतना ही था। इसके बाद में मकसद क्या है वह साफ नजर नहीं आता। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप समाजवादी समाज की स्थापना में रोड़ा न बनें। आप जो हमारा सोशलिज्म

(श्री जयकृष्ण शर्मा)

का ऐम है उससे हमें दूर न करें। जो इस राज्य को घटाटोप का राज्य कह कर अपने पुराने राज्य के सपने देखते हैं और जिनके दिल और दिमाग में यह भावना है कि आज वह हमारा राज्य, हमारा वह वैभव और हमारी वह हुकूमत कहां गई। उस हुकूमत को दुबारा प्राप्त करने के लिए इधर उधर से गठबन्धन करने के लिए लालायित रहते हैं। जिनके सिद्धांतों में कोई दम नहीं है, जिनके भाषणों में जिनकी वाणी में अपनी पार्टी के सिद्धांतों के कोई वचन नहीं है, ऐसे लोगों से सांठगांठ करते हैं। मैं खास तौर से उन लोगों को जो समाजवाद में विश्वास रखते हैं, जिनका समाजवादी समाज की स्थापना में विश्वास है उन लोगों से यह निवेदन करूंगा कि इस देश के अन्दर प्रजातंत्र कायम रखने के लिए, इस देश में प्रजातंत्र की रक्षा के लिए, इस देश की योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए, इस देश की प्रगति के लिए और इस देश की रक्षा के लिए मैं आपसे यह निवेदन करूंगा कि आप जो

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

सब के सब समाजवादी विचारधारा के लोग यहां बैठे हैं, मैं उन सब से निवेदन करूंगा कि इस प्रकार की जो बातें हैं उनसे दूर रह कर यह जो कांग्रेस सरकार है जिसके सिद्धांत हैं और जो सोशलिस्टिक पैटर्न को कायम करना चाहती है, जिसके सोशलिस्टिक अचीवमेंट हैं उसका समर्थन करें। और आप अपने प्रस्ताव को, रामानन्दजी महोदय, जो आपने प्रस्ताव रखा है, आपकी समाजवादी विचारधारा है, इसलिए मैं खास तौर से आपसे निवेदन करूंगा कि भले ही जिन लोगों के बलबूते पर आकर यहां रहे हों या अपने जागीरदारों के वोट या अपने पूंजीपतियों के समर्थन से यहां आए हों, उनके समर्थन के लिए आपने समर्थन किया है, मैं आपसे यह निवेदन करूंगा कि समाजवादी समाज की स्थापना के लिए, आप इस सोशलिज्म के अचीवमेंट के अन्दर रोड़ा न बनें और अपने इस प्रस्ताव को वापिस लेकर समाजवाद को बल दें।

(कुछ माननीय सदस्यों के बोलने के लिए खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष : श्री अब्दुल जब्बार।

श्री हरिराम चौहान : मैं तो बिल्कुल नहीं बोल पाया हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : आपको भी समय मिलेगा। निर्दलीय में से कोई नहीं बोल पाए हैं उनको भी समय मिलना चाहिये।

श्री अब्दुल जब्बार खां (निम्बाहेड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, आज तीसरा रोज है हम इस विधान सभा में सरकार के ख़िलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर बातचीत कर रहे हैं। वैसे मैं कल नाथूरामजी के भाषण को सुनता रहा और उन्होंने यहां ऐसी बातें कहीं जो हजारों की तादाद में जहां लोग इकट्ठे होते हैं और उनके बीच में जिस प्रकार की बातें कहते हैं, उस तरह की बातें उन्होंने कहीं। कई बातें उन्होंने ऐसी कहीं लेकिन मैं उनमें अधिक नहीं जाकर और छोटी २ बातों को लेकर ही बता देना चाहता हूँ और मैं नाथूरामजी से पूछना चाहता हूं कि वे यह कैसे कह रहे

(श्री अब्दुल जब्बार खां)

हैं कि किसानों की हालत आज बहुत अच्छी हो गई है उन्हें कोई तकलीफ नहीं है, साधारण आदमी को कोई तकलीफ नहीं है। मैं अपने इन कांग्रेस के ही माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि अगर यह हकूमत गलत रास्ते पर जाती है और सही रास्ते पर लाने में असमर्थ हैं तो उसको सही रास्ते पर लाने के लिए दूसरों की सहायता कीजिए। अगर एक डाकू किसी को मारता है और वह अपनी रक्षा करने में असमर्थ है तो उसको दूसरे की सहायता लेनी चाहिये। अगर कोई आप पर हमला करता है और आप अपनी रक्षा करने में असमर्थ हैं तो आपको चाहिए कि आप दूसरों की सहायता लें और हम तैयार हैं। हमारे हाथ में हाथ दीजिये। हम मदद करने को तैयार हैं उन लोगों को हटाने के हक में जो देश को बरबाद कर रहे है।

कल यहां पर यह कहा गया किसानों को ऊंचा उठाने के बारे में तो किसानों को ऊंचा उठाने वालों की बात मैं कहता हूं। नाथूरामजी से खास तौर से निवेदन करना चाहता हूं कि मैं उनका एक दिन का खर्चा बताता हूं। आज इस राजस्थान में आप जैसे कितने किसान हैं जिनको आपने इस स्टैण्डर्ड पर लाकर रख दिया है? उपाध्यक्ष जी, नाथूरामजी सुबह बिस्तर से उठकर चाय पीते हैं तो चाय का २५ पैसा मैं एसेस करता हूं, और उसके बाद में नाश्ता करते हैं जिसका मैं १ रु० ५० पैसा एसेस करता हूं और उसके बाद में तेल, साबुन और पानी का इस्तेमाल करते हैं जिसका मैं १२ पैसा एसेस करता हूं और उनके कपड़े की धुलाई का ५० पैसे एसेस करता हूं। उसके बाद में पालिश के ऊपर मैं एसेस करता हूं ५ नये पैसे। उसके बाद में दोपहर का खाना लंच जिसको कहते हैं उसका तीन रुपया एसेस करता हूं....

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आप मेरा और अपना बता रहे हैं नाथूरामजी का नहीं। यह बहुत कम बता रहे हैं इससे ऐसा मालूम पड़ता है कि गलत सूचना मिली है इनको। लंच की कम से कम १० रुपया है।

श्री अब्दुल जब्बार खां : मैं सिंगल नाथूरामजी की बात कहना चाहता हूं।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : एक रुपये बिना उनके बूट की पालिश नहीं हो सकती।

श्री अब्दुल जब्बार खां : तो इसका एवरेज ६ रुपया हुआ। फिर शाम की चाय के २५ पैसे और बाद में नाश्ता और डिनर का इस प्रकार से टोटल होता है १४.७५ रु०। मैं आपसे पूछना चाहता हूं नाथूरामजी कि क्या आपने राजस्थान में किसी किसान को इस काबिल बनाया है कि जो १४.७५ रु० डेली अपने पर व्यय करे? यह केवल एक इन्डिविजुअल का खर्चा है। मैं फेमिली की बात नहीं कहता हूं। माननीय नाथूराम जी के बच्चे अगर सेंट जेवियर स्कूल में पढ़ते हैं तो उसका एक्सपेन्डीचर अलग है। अगर उनके बच्चे गाड़ी में जाते हैं तो उसका एक्सपेन्डीचर अलग है। अगर उनके बच्चे सिनेमा देखते हैं तो वह एक्सपेन्डीचर अलग है। अगर उनके यहां डिलीवरी होती है तो उसका एक्सपेन्डीचर अलग। उनकी तरफ के मेन्टीनेन्स का खर्चा अलग है। सदन में

(श्री अब्दुल जब्बार खां)

आज बीस साल के बाद यह बात आई है कि किसान को इतना ऊंचा उठाया है, लेकिन यह कतई गलत बात है। किसान की एवरेज इनकम पर-केपिटा २०-२५ पैसे आती है और प्रेक्टिकली इसको एसेस किया जाय तो वह १३ पैसे आती है। मैं भी किसान का बेटा हूं और मुझे इस बात का गर्व है कि मैंने आज तक किसी की गुलामी नहीं की। ये गुलामी के जंजीरें में तो क्या मेरे कुटुम्ब के किसी भी शख्स ने नहीं पहनी। इस नाते मुझे फख्र है कहने का कि मैं किसान का बेटा हूं। मैं जानता हूं कि किसान कितना कमाता है और उसका खर्चा क्या है। इस प्रकार मैं आप से निवेदन करूंगा कि इनकम टैक्स ऑफिसर को लिखकर दें कि १९४७ से आज तक उनकी कितनी आमदनी बढ़ी है। इनकम टैक्स से आपको मालूम हो जायगा....

(व्यवधान)

(३.४३ म. प.)

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत,
सभानेत्री, पदासीन)

दवा खरीदने जाते हैं तो इसलिए जाते हैं कि शफाखानों में दवा नहीं मिलती है। उससे आप एसेस करें। आप को पता नहीं तो मन्त्रीजी आप जाकर देखें कि जौहरी बाजार में स्लिपें लेकर लोग दवाइयों की दुकान पर खड़े होते हैं। जौहरी बाजार में जवाहरात की दुकानें कम है लेकिन दवाइयों की दुकानें ज्यादा हैं। कहीं पर लिखा है अंग्रेजी दवाइयों की दुकान, कहीं लिखा हुआ है मेडीकल स्टोर, कहीं लिखा हुआ है इंग्लिश ड्रग्स। इससे मालूम होता है कि जौहरी बाजार जौहरियों का बाजार न रह कर दवाखाना हो गया है। आप कहते हैं कि हमारे यहां शफाखानों ने तरक्की की है तो तरक्की यही है कि आम जनता को पैसा देकर कितनी दवाइयां खरीदनी पड़ती हैं।

बच्चों को पढ़ाने का सवाल है तो मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि साधारण से साधारण बच्चा है उसके साधारण काम को देखते हैं तो एक ऑर्डिनरी फेमिली, मिडिल क्लास फेमिली का बच्चा स्कूल में पढ़ता है तो उसके मेन्टीनेन्स पर १५ रुपया खर्च आता है। यह तो माइनर से माइनर मां-बाप का होगा उनके लिए मैं निवेदन करना चाहता हूं। दूसरे एक्सपेन्डीचर को छोड़ दें। मैं नाथूरामजी से पूछना चाहता हूं कि क्या कोई भी किसान आप ऐसा बता सकते हैं कि जिसकी आपने ऐसी स्थिति कर दी है?

श्री नरथीसिंह (लक्ष्मणगढ) : आपका खर्चा क्या है? आपके स्वयं का कितना होता है?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : इनका खर्चा दो पैसे का सूखा कबाब।

श्री अब्दुल जब्बार खां : मैं बता दूंगा कि मेरा खर्चा क्या है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : ये सारे आदमियों को बच्चा ही समझते हैं।

श्री मानिकचन्द सुराणा : इनका खर्चा वही है जो ४००)रु० महीना यहां से मिलता है वही खर्चा है।

श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) : माननीय सदस्य इनका खर्चा देखना है तो इनके कमरे में जायं।

श्री अब्दुल जब्बार **खां** : मेरा खर्च आप सुनेंगे तो आपको शर्म आयेगी। मैं अब भी ६ रुपये महीने मकान का किराया देता हूँ।

श्री नत्थीसिंह : घड़ी कौन से किसान के बेटे के पास है ?

श्री अब्दुल जब्बार खां : सभानेत्रीजी, वही वाला हिसाब हो गया है कि वह दवा ही क्या जो कड़वी नहीं होती है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वही मिसाल हो गई 'वह कत्ल भी कर दें तो शिकवा नहीं होता, हम आह भी भर लें तो हो जायं बदनाम।"

श्री हरिप्रसाद शर्मा : वह लोग बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं तो हमें भी बोलना पड़ेगा।

श्री सभानेत्री : माननीय सदस्य, Order please! मैं सभी माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगी कि सदन में हाई कोर्ट की बहस को लेना है इसलिए आपस में डिस्टर्ब न करें। मैं दोनों तरफ के माननीय सदस्यों से अर्ज करती हूं कि बारबार बीच में उठते हैं माननीय सदस्य वह न हो।

श्री अब्दुल जब्बार खां : तो मैं यह निवेदन कर रहा था, सभानेत्रीजी, कि इस प्रकार का स्टैण्डर्ड हमारा है इस आधार पर मानकर चलते हैं यह और बात है। खुशामदाना तरीके से नहीं मानते हैं तो नहीं मानें। एक समाजवादी सरकार की बात करने वाली सरकार एक फेमिली की दृष्टि से ले कि एक फेमिली कितने आदमियों की होती है। एक स्टेण्डर्ड की फेमिली के कितने आदमी गवर्नमेंट की सर्विस में हैं और गरीब किसानों के लड़के दौड़े दौड़े फिरते हैं। पब्लिक सर्विस कमीशन इन्कार करता है, अधिकारी इनकार करते हैं कि नौकरी नहीं मिलती है, पर एक एक कुटुम्ब के १०–१०, ५–५ आदमी नौकरी में हैं।

सभानेत्रीजी, इतना ही नहीं आप यह कहते हैं कि महंगाई भत्ता बढ़ाया है तो छोटी तनख्वाह वालों को कम बढ़ाते हैं और बड़ी तनख्वाह वालों को ज्यादा बढ़ाते हैं। यह समाजवाद हमारी समझ में नहीं आता। या तो आपकी समझ कम है या हमारी समझ कम है कि यह समाजवाद समझ में नहीं आता है। हम तो आपकी कम समझ मानते हैं।

अब मैं करनी का निवेदन करना चाहता हूं, सभानेत्रीजी, पंचायत मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं विशेष रूप से और मैं लड्ढा साहब से भी निवेदन करना चाहता हूं और हमारे मुख्य मंत्रीजी भी विराजमान हैं तो उन तक यह सवाल पहुंचा दें कि किस प्रकार प्रसाद बांटे जाते हैं। मैं जल्दी के साथ कह देता हूं। इसको अगर आप झुठला देते हैं तो मैं हर चीज की शर्त लगाने को तैयार हूं। सभानेत्रीजी, चित्तौड़ के म्युनिसिपल एरिया से लगा हुआ खेती का एरिया है ग्राम पंचायत सेंती का तो ग्राम पंचायत सेंती ने पिछले महीने ८० प्लॉट्स बेचे। यह सुन लीजिये। मेरा क्वेश्चन रखा हुआ है।

श्री दामोदरलाल व्यास : आपका मत-

(श्री दामोदरलाल व्यास)

लब क्या है ? ग्राम पंचायत ने अगर प्लॉट बेचे तो प्लॉट बेचने में अनियमितताएं क्या हुईं ? क्या जमीन ग्राम पंचायत की नहीं थी ?

श्री अब्दुल जब्बार : आगे की बात तो सुनी नहीं। ८० प्लॉट्स बेचे तो ८० प्लॉटों के खरीददारों के नाम, सभानेत्रीजी, पेश करता हूं। जानकीदास वैष्णव, चित्तौड़गढ़ साकिन। जानकीदास वैष्णव जो हैं वे लादूदास वैष्णव, चैयरमैन चित्तौड़गढ़ के पिता होते हैं जिनको मरे हुए १० साल हो गये।

जानकीदास वैष्णव पिता लादूदास, चैयरमैन, नगरपालिका चित्तौड़ के हैं उनको मिला। हकीकत में प्लॉट जानकीदास साकिन छोटी सादड़ी ने खरीदा है। वे वहां के नेताओं को मोटर में सफर कराने वाले हैं, उनके लिए गाड़ियां दौड़ाने वाले हैं और कांग्रेस की खास पालना करने वाले हैं। सभानेत्रीजी, उनके पास में छोटी सादड़ी में कई मकान हैं और अपने मोटर गैरेज के लिए बहुत लम्बा चौड़ा एरिया उन्होंने ले रखा है। वह शख्स चित्तौड़ में प्लॉट लेता है। अगर नीलाम होता है तो मान लें कि नीलाम में बोली लगाकर लिया है, लेकिन उन्होंने फिक्स्ड रेट पर लिया है। इतना ही नहीं मेरे यहां निम्बाहेड़ा के चांदमल शारदा ने लिया है; वसे वे अपने आपको लिखते तो हैं चान्दमल शारदा लेकिन प्लॉट के लिए लिखा है चांदमल माहेश्वरी, शारदा कहूंगा तो लोग-बाग कहेंगे कि लम्बी चौड़ी जायदाद का मालिक होकर और जमीन ले ली इसलिये वे चांदमल माहेश्वरी लिखते हैं। एक भूतपूर्व एम. एल. ए. श्री निवासजी शारदा थे वे भी अपने नाबालिग लड़के के नाम से गाडोलिया लुहारों के छात्रावास की जमीन लेते हैं। यह जमीन किसको मिली है ? गरीब किसानों को नहीं दी गई। किसानों के बच्चे चित्तौड़ में पढ़ने के लिये जाते हैं तो मारे-मारे फिरते हैं होस्टल में रहने को जगह नहीं मिलती। इधर-उधर रहकर गुजारा करते हैं और पढ़ते हैं। वे किसान निराश हैं जिनकी ये भलाई करना चाहते हैं। राजस्थान कांग्रेस का शासन सन् ५२ से चल रहा है आज विधान सभा के लिये भवन भी किराये का लेकर बैठे हैं। उन श्रीमन्तों ने यह व्यवस्था कर रखी थी कि ऐसा विधान सभा का भवन बना कर रखा है। आपने तो वह भी व्यवस्था नहीं की। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि····

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

अभी तो मैंने शुरू ही किया है। रामनिवास जी, प्रधान, भोपाल सागर पंचायत समिति और शूगर मिल के मैनेजर उनको क्या जरूरत पड़ी थी····

श्री दामोदरलाल व्यास : आप चाहते क्या हैं ? कोई आदमी कायदे से जमीन खरीदे तो क्या अन्याय हो गया ?

श्री अब्दुल जब्बार : मैं बैकग्राउन्ड देना चाहता हूं कि आप जमीन किसको देना चाहते हैं। श्रीमानजी, आप जमीन उनको देना चाहते हैं जिनके पास बंगले पहले से हैं, महल हैं। यदि भीखाभाई जयपुर में बंगला

(श्री अब्दुल जब्बार)

बना लेते हैं, अमृतलालजी जयपुर में बंगला बनाते हैं, दूसरे मिनिस्टर भी जयपुर में बंगला बनाते हैं। जिस प्रकार से पहले लोगों के पास जागीरें थीं उसी तरह से जिन लोगों के पास पहले से हैं उनको दूसरी जगह और दे दिये हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि जिस ग्रामीण के पास सिर छिपाने को झोंपड़ा नहीं है उसको आप कभी नहीं देते बल्कि ऐसों को देते हैं जिनके पास पहले से मौजूद हैं। हमारे यहां पंचायत समिति और नगर-पालिका की सीमा मिली हुई है एक फुट का भी फासला नहीं है। यदि पंचायत समिति की जमीन नगरपालिका में चली जाती है तो सरपंच को प्लॉट देने का अली-बाबा और चालीस चोर का जैसा हाल होता है उस प्रकार का मौका उनको नहीं मिलेगा और मौका नहीं मिलता है तो कांग्रेस को वोट दिलाने के लिये जो प्रचार करते हैं वह नहीं हो सके। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि फिक्सड रेट पर जमीन देने के लिए रूल्स हैं, जब तक सेंक्शन नहीं आवे तब तक फिक्स्ड रेट पर नहीं दे सकते. मैं निवेदन करता हूँ कि जहां पर ५) से कम में प्लाट नहीं बेच सकते थे वहां पर कौड़ियों में दे दिये हैं। लाखों रुपयों का घोटाला है। मैं आपको चिट्ठी लिखूंगा और बताऊंगा कि किसको दिये हैं और यदि मैं विधान सभा में चुन कर आ गया तो यहां पर बताऊंगा।

भील वर्ग जिसके बदन पर कपड़ा नहीं, रहने को स्थान नहीं उनको यह सरकार मुहैया नहीं कर सकती, लेकिन उनको देना चाहती है जिनके पास पहले से बहुत कुछ है। इस प्रकार से समाजवाद नहीं आ सकता। समाजवाद के लिये मक्खन लगाने से काम नहीं चलेगा, उसके लिये नस्तर चलाना पड़ेगा, सड़ी हुई चीज को निकाल कर ऊपर से मरहम लगाना होगा। आपके तरीकों से समाजवाद नहीं आयेगा। समाजवाद यदि कोई लायेंगे तो विरोधी दल वाले ही ला सकेंगे आप नहीं ला सकेंगे।

सभानेत्रीजी, कनेरा के सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहता हूं, इस बारे में मैंने मंत्रीजी से कहा था कि कनेरा निम्बाहेड़ा से १७ मील पर पड़ता है और १७ मील में से १० मील मध्यप्रदेश से होकर चलना पड़ता है। वहां से बिना मध्यप्रदेश सरकार की इजाजत के अनाज नहीं आ सकता। यह सरकार की क्या व्यवस्था है? कलेक्टर को कहते हैं तब परमिट इश्यू करते हैं। यह सरकार की क्या व्यवस्था है? किसानों को राहत मिले वैसी व्यवस्था करनी चाहिये लेकिन किसानों को सरकार में विश्वास नहीं रहा। मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि नाथूराम जी ने कल जो भाषण दिया है उसको छपवाकर गांव–गांव में दिखायेंगे कि देखो किसान कैसे मालदार हो गये हैं। किसानों को बतायेंगे जिसके घर में खाने को दाना नहीं है उनको बतायेंगे, जो पल्टन की पल्टन मध्यप्रदेश में रोजी की तलाश में जाती है उनको बतायेंगे, उन गाडोलिया लुहारों को बतायेंगे जिनको एक्सीडेन्ट से मोटर वाला मार देता है तो उसको जलाने के लिये चन्दा इकट्ठा करना पड़ता है। लोगों को बतायें कि यह मिरर है कांग्रेस के शासन का। १६-१७ साल हो गये इनको शासन करते हुए फिर भी लोगों की स्थिति इतनी खतरनाक है कि पीने के लिये उनको पानी नहीं मिलता और कहते हैं कि हम व्यवस्था करना चाहते हैं।

(श्री अब्दुल जब्बार)

इसके साथ-साथ मैं पंचायत मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि आपके राज्य की हालत तो देखो। बसेड़ा के अन्दर जाओ, वहां के सरपंच ने कूए के बजाय कबूतरखाना बनवा दिया। मेरे पास उसकी सारी फाइल रखी है। उन्होंने फरजी बिल बना दिये १८००) रु० लगाकर कबूतरखाना बनवा दिया और १८००) के फर्जी बिल बना दिये। आप कहते हैं कि हमारा राज्य अच्छा है, कल्याणकारी काम करते हैं। पर आप जनता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। हम डाक्टर बनकर आपका पोस्टमार्टम करते हैं क्योंकि सरकार मुर्दा हो गई है। जिसका चरित्र नहीं, जिनमें ज्ञान नहीं उस सरकार का तो पोस्टमार्टम ही कर सकते हैं, उसके लिये तैयारी कर रहे हैं। आज आप कुछ भी हों :

गर आज मदहोशी करते हैं रकीब तो क्या।
यह चार दिन की तनहाई है कोई बात नहीं।।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : इर्शाद।

श्री अब्दुल जब्बार : मैं माननीय सदस्यों के सामने एक कोर्ट का जजमेन्ट रखना चाहता हूं पढ़ने का समय तो नहीं है लेकिन इससे पंचायत राज्य के बारे में आपको पता चल जायगा। घटियावाली में न्याय पंचायत के चुनाव होने थे। चुनाव में किस प्रकार धांधली करते हैं इसका पता चल जायगा। हमारा राज्य होता तो........

श्री निरंजननाथ आचार्य : आप तो शेर फ़रमा दें।

श्रीमती सभानेत्री : माननीय सदस्य को २० मिनिट हो गये बोलते हुए। अब ५ मिनट नहीं मिलेंगे।

श्री अब्दुल जब्बार : १० मिनट और बोलूंगा।

८.३.६३ को इस न्याय पंचायत के चुनाव हुए और हाथ खड़े करके चुनाव करने को कहा। इसमें यह पिटिशन करने वाला व्यक्ति जीत गया। उसके बाद कॉन्सपिरेसी होती है और कहा जाता है कि चुनाव सीक्रेट बैलेट से कराया जाय। इस पर आपत्ति की गई किन्तु नहीं माने और सीक्रेट बैलेट करने के लिये पर्दा लगाया वहां के वोटर अनपढ़ थे इसलिए सिंबोल लगाने चाहिये थे लेकिन सिंबोल नहीं लगाये और कह दिया कि पर्दे के पीछे ३ सिगरेट के डिब्बे रख दिये हैं।

(४.०० म०प०)

लेकिन वहां सिगरेट के डिब्बे नहीं पाये गये। यह फैसला किया है इस प्रकार के अदालतों में फैसले के कारण ही हम विरोधी लोग ६० प्रतिशत यह विश्वास करके चलते हैं कि जब तक यह न्यायपालिका विरोधियों की केवल बात ही नहीं सुनती बल्कि सच्चाई को लेकर चलती है, तब तक हम लोग इस सरकार का मुकाबला करने के अन्दर तत्परता दिखा सकते हैं, और डट कर इस सरकार से हम मुकाबला ले सकते हैं। लेकिन जिस दिन हमें मालूम हो जाय कि न्यायपालिका भी इस भ्रष्टाचार सरकार की तरह हो गई है, और इस सरकार की तरह ही वहां भी सुनवाई नहीं होगी उस दिन ही हमको दूसरा कोई रास्ता अख्तियार करने को मजबूर होना पड़ेगा। मैं दाद देता हूं उस न्यायपालिका को जिसने यह कहा है कि इसमें बढ़ कर अनियमितता चुनाव के अन्दर

(श्री अब्दुल जब्बार)

हो ही नहीं सकती है । यदि मंत्री महोदय चाहेंगे तो मैं उनको यह फैसला बता दूंगा, उनको यह फैसला दिखा दूंगा, लेकिन मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि अगर वह साहस रखते हैं तो इस तरह की गलत कार्यवाही करने वाले लोगों के खिलाफ वह कार्यवाही करें । लेकिन ऐसा न करके आप किस प्रकार उन लोगों को प्रोत्साहन देते हैं इसका मैंने एक उदाहरण दिया है ।

इसके साथ-साथ मैं एक खदान का मसला सदन के सामने रखता हूं, जिसके बारे में रामप्रसाद जी लढ्ढा जानते हैं सामोड़ा मण्डाचारान का । वहां पर लोगों का आने जाने का रास्ता था और बराबर ५० साल से लोग आते जाते थे । इसके बारे में आपत्तियां उठाते रहते थे । लेकिन भूतपूर्व एम० एल० ए० शारदा के लड़के को वह खदान दे दी जाती है । उसको सरकार इनको एलॉट कर देते हैं । उस पर लोग आपत्ति करते हैं कि वह लाखों रुपये का पत्थर निकालता है उस जमीन के ऊपर और उसके बारे में माननीय मंत्री महोदय को और इन्जीनियर को शिकायत की गई है । लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं होती है ।

इसके साथ ही यह दुर्भाग्य की बात है कि रॉयल्टी कलेक्शन की रसीद बुक निम्बाहेड़ा में से गायब हो जाती है । हमने सरकार को कहा कि इस मामले में जांच करो लेकिन आपके अधिकारी हैं वह पुलिस में रिपोर्ट तक नहीं करते हैं । हम जब कहते हैं तब जाकर पुलिस में रिपोर्ट होती है । यह वहां के अधिकारियों को पता है कि वह रॉयल्टी कलेक्शन की रसीद बुक गायब हुई है और उसमें से रसीद काट काट कर रॉयल्टी का कलेक्शन हो रहा है लेकिन सरकार इसके सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं करती है ।

मैं माननीय मंत्री महोदय को निवेदन करना चाहता हूं और उसके साथ साथ कांग्रेस दल के माननीय सदस्यों को खास तौर पर निवेदन करना चाहता हूं कि उन्होंने रहट तो देखी होगी, जो खेतों को पानी पिलाने के काम में आती है । हम चाहते हैं कि यह सरकार एक कूए के मानिन्द हो और मिनिस्टर ऐसे होने चाहिए जैसे रहट के अन्दर डिब्बे होते हैं जिनमें पानी भर भर कर ऊपर आता है । उसके साथ साथ हम किसान को गवर्नर के रूप में मानते हैं । वह क्यों मानते हैं कि किसान गवर्नर के रूप में उसकी व्यवस्था करता है, अगर वह देखता है कि पानी कम आ रहा है तो वह रहट के अन्दर दो तीन डिब्बे और लगाता है और रहट को बड़ा करता है । अब इसी मिसाल से देखिये कि कूए में जितने डिब्बे डूबे रहते हैं, जिस तरह इस सरकार के अन्दर मिनिस्टर हैं वह मिनिस्टर मस्त रहते हैं, उनके साथ ही डिप्टी मिनिस्टर भी मस्त रहते हैं । और कांग्रेस के सदस्य हैं वह भी भाग्यशाली हैं । तो जिस तरह से कुछ डिब्बे डूबे रहते हैं और कुछ ऊपर रहते हैं तो अगर उनमें रोटेशन बराबर रहता है, तो डिब्बे कुए में पानी भरने जायेंगे और फिर खेत में उनका पानी जायेगा । इसके साथ ही जो फसल है, वह कांग्रेसी सदस्यों की तरह है जो यह इन्तजार करते हैं कि मेरा जो अवललन्द किसान है, जो

(श्री अब्दुल जब्बार)

अक्लमन्द गवर्नर है वह हर पौधे के अन्दर पानी पहुंचायेगा। अगर गवर्नर इतनी अक्लमन्दी नहीं करता है तो एक एक पौधे में पानी नहीं पहुंचता है तो फसल अच्छी तरह नहीं पक सकती। लेकिन वह एक एक पौधे में पानी पहुंचाता है और पौधे जब बड़े हो जाते हैं तो उनके अन्दर अनाज पकता है और वह अनाज जनता तक पहुंचता है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : शाबाश ! शाबाश ! जमूरे !

श्री अब्दुल जब्बार : मैं कहता हूं कि कि अभी जो सरकार है वह किसी भी दृष्टि से अच्छी नहीं है। इस सरकार को जिस एंगल से भी देखो उस एंगल में खराबी नजर आती है। और यह उसी का नतीजा है कि हम इस सरकार के अन्दर अविश्वास दिखा रहे हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

सभापति महोदया, मैं इस सरकार का नमूना बता रहा हूं। यह अच्छी बात है और आपके मतलब की है........

पूंजी मतलब की होती है ...

श्रीमती सभानेत्री : माननीय सदस्य ! समय का ध्यान रखिये।

श्री अब्दुल जब्बार : मैंने निवेदन किया था मैं दस मिनिट में समाप्त कर दूंगा।

श्रीमती सभानेत्री : दस मिनिट तो होने को आये।

श्री अब्दुल जब्बार :

पूंजी के सहारे टिकी हुई है दुनिया
प्यार बिकता है गली के कुत्ते की तरह
अस्मत नीलाम होती है बरतन की तरह
औरतें बिछाई जाती हैं बिछौने की तरह

कुछ माननीय सदस्य : वाह ! वाह !!

श्री निरंजननाथ आचार्य : डिब्बा जो फूटा निकला, जनसंघ से निकल गया।

श्री अब्दुल जब्बार : सभानेत्री महोदया, यह है पैसे की बात। ऐसी सूरत में हमें यह मान कर चलना चाहिये, और मैं कांग्रेस के माननीय सदस्यों को निवेदन करना चाहता हूं जिससे उन्हें यह अच्छी तरह मालूम हो जाय कि आज जो किसान का बेटा है, जो मजदूर है उसको क्या तकलीफ है। पढ़ने के लिए उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। अनाज की उनको आज तकलीफ है। आज जयपुर के अन्दर पचास प्रतिशत सड़ा हुआ अनाज मिल रहा है। लेकिन इस सरकार को जनता के दुःख और पीड़ा का पता नहीं है, इस गवर्नमेंट को दुःख और पीड़ा के असली मर्ज का पता नहीं है। ऐसी सूरत में यह सरकार केवल एक अविश्वास की पात्र है। मैं कांग्रेस के माननीय सदस्यों को निवेदन करना चाहता हूं कि यह अविश्वास का प्रस्ताव पास हो जाय, उसके बाद में अगर गवर्नर का शासन हो जाय तो भी कोई परवाह नहीं है। उसके बाद में जो चुनाव होंगे, तो जैसा कुम्भारामजी का विचार है

(श्री अब्दुल जब्बार)

कि जो जमीन का बेटा है, जिसने हल पर हाथ रखा है, वही अगले चुनावों में जीत कर आयेंगे और मजदूर आयेंगे। अगर आज यह सरकार अपदस्थ हो गई तो इस हाउस में अगले चुनावों के बाद में किसान और मजदूर ही भरे हुए नजर आयेंगे। पूंजीपतियों के गुर्गे और थोड़े से के लिए अपना ईमान वेचने वाले नहीं आयेंगे। हकीकत में जो इस देश में देश भक्त हैं, जो देशप्रेमी है, जिनके दल में देश के प्रति मोहब्बत है वही चुन कर आयेंगे और वह अवश्य अवश्य चुन कर आयेंगे। हकीकत में अगर यह बात मान ली जाय कि यह सरकार अविश्वास की पात्र है और इसके खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव पास हो जाय तो आने वाले चुनाव में जनतन्त्र का सही रूप और नक्शा सामने आयेगा। मेरा इस सदन के माननीय सदस्यों से इतना ही निवेदन है और इतना ही कह कर मैं बैठता हूं।

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक) : सभापति महोदया.......

श्री चन्दनमल बैद : सभापति महोदया.......

श्री हरिराम चौहान : मैं जानकारी चाहता था.......

श्रीमती सभानेत्री : आप स्थान ग्रहण कर लें।

श्री हरिराम चौहान : सभापति महोदया.......

एक माननीय सदस्य : ऑन ए पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर, साहब, ऐसा है कि जब हरिरामजी की पार्टी के नेता बोल गये हैं तो यह अलग क्यों बोलते हैं।

श्रीमती सभानेत्री : आप इसमें टाइम न लें।

श्री चन्दनमल बैद : माननीय सभानेत्री जी, आज यह तीसरा दिन चल रहा है जब इस सरकार के खिलाफ अविश्वास के प्रस्ताव पर विचार यह सदन कर रहा है।

श्री हरिराम चौहान : जब हर पार्टी को बराबर समय दिया है।

श्रीमती सभानेत्री : माननीय सदस्य !

श्री हरिराम चौहान : मेरा पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर है, मेरा पोइन्ट ऑफ ऑर्डर सुन लीजिये। जब सब पार्टियों के लोगों को एक बार अविश्वास के प्रस्ताव पर बोलने के लिए टाइम दिया जाता है और यह परम्परा है कि पहले एक पार्टी के सदस्य बोलें, फिर दूसरी के बोलें और फिर तमाम पार्टियों के एक, एक, दो, दो, सदस्य बोल लें। यह परम्परा होने के बावजूद मैं बार-बार खड़ा होता हूं भिखमंगे की तरह टाइम मांगने के लिए, इस राज्य में टाइम की भी भीख मांगनी पड़ती है। इसलिए मैं दरख्वास्त करूंगा कि मैंने लिखकर दिया है कि आप मुझे टाइम दें।

श्रीमती सभानेत्री : पार्टी के अनुसार टाइम नहीं एलॉट किया गया है, लेकिन कल भी मौका है, कल टाइम मिल सकेगा।

श्री हरिराम चौहान : मैं यहां पर पांच घण्टे से बैठा हूँ।

श्री चन्दनमल वैद : सभानेत्री महोदया,

श्री अब्दुल जब्बार खां : सभानेत्री महोदया, मैंने बताया नहीं लेकिन (कुछ नक्शों की ओर संकेत करके) बहुत सारे ऐसे मसले हैं।

श्री परसराम मदेरणा (मन्त्री, सामान्य प्रशासन) : सभापति महोदय, यह जब्त कर लिये जायं, हाउस के कब्जे में ले लिये जायं यह जो बता रहे हैं।

श्री चन्दनमल वैद : यह सदन अविश्वास के प्रस्ताव पर विचार कर रहा है।

श्री अब्दुल जब्बार खां : यह पांच सात ऐसे मैटर हैं।

श्रीमती सभानेत्री : आप बीस मिनिट ले चुके हैं अब क्यों आप सदन की कार्यवाही में बाधा डाल रहे हैं? आप को पूरा वक्त दिया गया था।

श्री अब्दुल जब्बार खां : सभापति महोदया, मैं अर्ज करना चाहता हूं।

श्रीमती सभानेत्री : ऑर्डर प्लीज !

श्री चन्दनमल वैद : माननीय महोदय, विरोधी दल के और दूसरी पार्टी के नेताओं ने हमको यह कहा कि हमें इस सरकार में विश्वास नहीं है।

श्री हरिराम चौहान : कतई नहीं है।

श्री चन्दनमल वैद : मैं पूछता हूं कि उनको विश्वास था कब ? उनका सरकार में विश्वास होता तो वह वहां न बैठ कर हमारे पीछे यहां बैठते।

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक) : वह सदन के विरोधी पक्ष के नेता हैं और ऐसी हालत में उनके लिए यह कहना डेमोक्रेसी के मूलभूत सिद्धान्तों के विपरीत बोलना है।

श्री चन्दनमल वैद : और मैं मानता हूं कि हमारा यह सौभाग्य है, उनको हममें विश्वास नहीं है क्योंकि जब तक उनका हमारे में विश्वास नहीं होगा तब तक जनता का हममें विश्वास होगा। हम इसे अपना सौभाग्य मानते हैं।

माननीय सभापति महोदया, मुझे समझ में नहीं आता है कि १९६७ के चुनाव जब चार पांच महीने ही दूर हैं तो विरोधी दल के नेता यह कहते हैं कि हमको सरकार में विश्वास नहीं है। मैं यह अर्ज करना चाहता हूं विरोधी दल के सदस्यों का, इस सदन का इस सरकार में विश्वास है या नहीं – यह प्रश्न आज नहीं है, प्रश्न इस बात का जरूर है कि जनता का सरकार में विश्वास है या नहीं। अब चूंकि १९६७ में चुनाव आने वाले हैं मैं उनको निमन्त्रण देता हूं, मैं उनको दावत देता हूँ कि आइये और देखिये कि जनता का सरकार में विश्वास है या नहीं। १९५२ के अन्दर जो आम चुनाव हुए तो जनता की राय जानने के लिए विरोधी दल के लोग भी जनता के पास गये और हम लोग भी गये। तब जनता ने कहा कि हमको तुम्हारे में विश्वास है इसलिए तुम राज्य करो। उसके बाद हमने १९५२

(श्री चन्दनमल वैद)

से १९५७ तक राज्य किया । उसके बाद १९५७ के अन्दर हम फिर जनता के सामने गये, यह साबित करने के लिए कि हमने पांच साल तक राजस्थान राज्य में राज्य किया है तो जनता से पूछें कि जनता का हममें विश्वास है या नहीं । मैं विरोधी दल के नेता से बहुत नम्रता से कहना चाहता हूं कि जनता से १९५७ में भी यही कहा कि हमको कांग्रेस में विश्वास है । इसके बाद में फिर १९६२ के अन्दर जनता के पास गये और जनता से पूछा कि तुम्हारा हममें विश्वास है या नहीं । तो फिर जनता ने कहा कि हमको कांग्रेस में विश्वास है । मैं कहना चाहता हूं (श्री राधाकृष्ण गोयल के बीच में बोलने पर) इसमें कोई घबराने की बात नहीं है । मैं जानता हूं इस बात को कि आप क्यों उतावले हो रहे हैं । मैं इस बात को भी जानता हूं कि यह सरकार में अविश्वास का प्रस्ताव नहीं है बल्कि यह राजस्थान की जनता के प्रति अविश्वास का प्रस्ताव है और वह इसलिए कि आपने हमको सन् ५२ के चुनावों में ठुकराया, सन् ५७ के चुनावों में ठुकराया और अब सन् ६७ के चुनाव आने वाले हैं उनमें भी आप ठुकराने वाले हैं इसलिए यह अविश्वास का प्रस्ताव है । और मैं विरोधी दल के नेता से निवेदन करना चाहता हूँ कि आपको फिर जनता झुका देने वाली है और फिर अविश्वास का प्रस्ताव करने वाले हैं । आप कुछ गलत और अशोभनीय बातें कहते हैं ।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर) : सभानेत्री महोदया, मैं एक शब्द यह कहना चाहता हूं कि आप सन् ५२ के चुनावों में जीते, सन् ५७ के चुनावों में जीते और ६२ के चुनावों में जीते और जीत कर आपने शासन की बागडोर अपने हाथ में ली, लेकिन आपके पास इस बात का कोई ठेका नहीं है कि हमेशा आगे क्या होगा । अगर आप जीतते हैं तो मैं सबसे पहले आपको मुबारिक बाद दूंगा ।

श्री चन्दनमल वैद : यह मुबारिक बाद डूंगरपुर में आकर लूंगा ।

मैं यह कहूंगा कि आपको बोखलाहट इस बात की है कि ४।। महीने बाद ही चुनाव होने जा रहे हैं । आप उसका इन्तजार कर रहे हैं । आप जनता के पास जावेंगे और जनता को यह बतावेंगे । मैं यह निवेदन करूंगा कि मैं सन् ५२ से यहीं बैठता हूं । सन् ५२ में भी आपके यही भाषण होते थे और सन् ५७ में भी यही भाषण हुए हैं और ६२ तक यही भाषण होते रहे हैं । मगर मुझे अफसोस इस बात का है कि इसमें कोई सच्चाई नहीं है और कोई असलियत नहीं है इसलिए बार बार जनता आपको और आपकी सारी बातों को ठुकरा देती है । आज आप किसी भी हाउस की प्रोसीडिंग्ज को उठा कर देखें तो आपको मालूम होगा कि श्री भैरोंसिंहजी के सन् ५२ से ५७ और ५७ से ६२ और ६२ से ६७ तक के भाषणों में एक ही प्रकार के भाषण हैं जो आपको देखने को मिलेंगे । सिवाय इसके कि पहले ये खुद बच्चे थे और अब बुजुर्ग हो गए हैं । ये भाषण तो आप बराबर देते आ रहे हैं और जनता आपको बराबर ठुकराती आ रही है ।

आपने यह अविश्वास का प्रस्ताव चुनावों के चार महीने पहले रखा है । श्री हांडा जो

(श्री चन्दनमल वैद)

गंगानगर से आये हैं और बहुत कुछ उछल उछल कर मेरे बीच में बोल रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि अगर यह सरकार अपदस्थ हो गई तो क्या आप इस बात को मजूंर करते हैं कि आप जनसंघ और महारावल साहब के साथ मिलकर कार्य करेंगे ? श्री रामकिशन बतावेंगे, आपने अविश्वास का प्रस्ताव रखा है तो आप कहिए कि हम जनसंघ और स्वतन्त्र पार्टी के साथ मिल कर मन्त्री—मण्डल बनावेंगे और फिर कहें कि आपने जो नारा दिया है उसके लिए फिर जो जीत कर आवेगा मुलाकात होगी उस समय देखेंगे ।

एक वाद-विवाद लाने और कुछ भाषण देने के लिए यह अविश्वास का प्रस्ताव लाते हैं और जो विरोधी दल के नेता हैं क्योंकि उनका राज्य चला गया इसलिए उनको खीज है और खीज में आकर इस प्रकार की बातें कहते हैं, जैसे घटाटोप, अवांच्छनीय और अविश्वास की बातें कहते हैं । हम उनकी बुजुर्गी का ध्यान रखते हैं और कुछ कहना नहीं चाहते मगर मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि....

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : आप इस बात का खयाल न रखें । आपको जो कहना है वह बड़े जोर से और शोक से कहिये यह आपको कहने का अधिकार है । हमको भी कहने का अधिकार है हम भी कहते हैं और आप भी दिल खोल कर कहिये ।

श्री चंदनमल वैद : हम नहीं कोसेंगे । हमें आपकी बुजुर्गी का खयाल है, हम आपकी बुजुर्गी का आदर करते हैं ।

विरोधी दल के नेता ने कहा कि कांग्रेस ने जनता को जलालत दी है । मैं यह कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस ने जनता को जलालत नहीं इज्जत दी है । उनके जमाने में डूंगरपुर में कितने अकाल पड़े हैं और उस समय जनता की क्या हालत हुई है ? हमारी आर्थिक कठिनाइयें होते हुए भी हमें इस बात का बड़ा गर्व है कि एक भी व्यक्ति को हमने भूख से नहीं मरने दिया । यह है हमारी इज्जत ।

श्री राधाकृष्ण गोयल : आप क्यों झूंठ बोल रहे हैं । आपको जो झूंठी रिपोर्ट दी गई है उसके आधार पर आप यहां पर कह रहे हैं ।

(व्यवधान, अश्रव्य)

श्रीमती सभानेत्री : आॅर्डर प्लीज ! माननीय सदस्य इस प्रकार बीच में न बोलें। मैं बराबर यह देख रही हूं कि बार-बार इधर से जब मन्त्री बोलते हैं तो उनके बीच बोलते हैं ...

श्री राधाकृष्ण गोयल : सभापति महोदया, ये सरासर सदन में झूंठ बोल रहे हैं । ये कहते हैं कि कोई भूख से नहीं मरा । सरासर भूख से मरे हैं । मेरे साथ चलें तो मैं आपको बता देना चाहता हूं । ६ आदमी भूख से मरे हैं ।

श्रीमती सभानेत्री : माननीय सदस्य, आप कहते हैं उस समय उधर वाले सुनते हैं और जब उधर वाले कहते हैं तो आप भी सुनिये । मैं विरोधी दल के नेता से निवेदन करूंगी कि कदम कदम पर बोलने से रोकने

(श्रीमती सभानेत्री)

की परम्परा आ रही है उसको आप रोकने की कोशिश करें।

श्री चन्दनमल वैद : मैं नम्र शब्दों से निवेदन कर रहा हूँ कि कांग्रेस का राज्य १६ वर्षों से है लेकिन अभी तक शुद्ध पेय जल की व्यवस्था सरकार नहीं कर पाई है। उनके कहने का तरीका यह था कि उनके दोस्तों ने शुद्ध पेय जल की व्यवस्था कर रखी थी जिसको हमने छिन्न भिन्न कर दिया और कर रहे हैं। मैं कहूंगा कि एक तरफ तो वे राजागोपालाचार्य के लेखों को बाइबिल की तरह पढ़ कर सुनाते हैं और कहते हैं कि उन्हें योजनाओं में विश्वास नहीं है। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि योजनाओं के अलावा दूसरा कौनसा तरीका है जिसके जरिये शुद्ध पेय जल की व्यवस्था की जा सकती है। मैं इस बात को जानता हूँ कि आज बहुत से गांवों में शुद्ध पेय जल की व्यवस्था नहीं है। बहुत से गांवों में आज स्कूलें नहीं हैं, बहुत से गांवों में बिजली नहीं है। क्या आप इस बात को नहीं मानते हैं कि इस तरफ हमने बहुत बड़ा सुधार किया है। केवल २२ रियासतों में भी बहुत सी जगह शहरों में भी शुद्ध पेय जल की व्यवस्था नही थी। आज हमने बहुत जगह पेय जल की व्यवस्था की है। आज आप कहते हैं कि योजनाओं को बन्द कर दिया जाए। अगर योजनाओं को बन्द कर दिया जाए तो राज-स्थान के ३२ हजार गांवों में शुद्ध पेय जल की किस प्रकार व्यवस्था की जा सकती है। हमने सारे बड़े-बड़े कस्बों में शुद्ध पेय जल की व्यवस्था की है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : मैंने कभी यह नहीं कहा कि योजनाएं बन्द कर दी जायें।

श्री चन्दनमल वैद : आपका योजनाओं के लिए विरोध है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : मैंने यह कहा है कि योजनाएं महत्वकांक्षी, अत्यन्त खर्चीली नहीं होनी चाहिये। मैंने यह कभी नहीं कहा कि योजनाएं नहीं होनी चाहिये। आज आप पुरानी बातें कहते हैं। अगर आप २० वर्ष पहले के जमाने की बात कहते हैं तो आप यह क्यों नहीं कहते कि महाराणा सांगा ने बाबर को एटम बम डाल कर क्यों नहीं मार दिया ?

(हियर–हियर, शोरगुल)

यह आपका कोई आर्ग्युमेंट नहीं यह रिडी–कूलस आर्ग्युमेंट है। आपने अगर २० वर्षों में बिजली नहीं दी....

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : सामन्ती शासन को कोई डिफेन्ड नहीं करता है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : इस सम्बन्ध में मैं बड़ी इज्जत के साथ कहना चाहता हूँ कि खाने-पीने की समस्या को लेकर मैं यह समझता हूं कि २० वर्षों पहले इस देश में धन–धान्य विशेष था और आज के समान महंगाई, भूखमरी, २० वर्ष पहले इतनी नहीं थी।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : सन् १९४५ के पहले हिन्दुस्तान को लुटेरों ने

(श्री भैरोंसिंह)

लूटा। लेकिन फिर भी वह सोने की चिड़िया रहा और ४७ में कांग्रेस के लुटेरे आये। आज इन १७ वर्षों में इन्होंने इसको इस बुरी तरह से लूटा कि आज हिन्दुस्तान विदेशों में अन्न के लिए तरस रहा है।

श्री चन्दनमल वद : स्थिति यह हो गई कि खुद तो दो घन्टे तक भाषण करते रहें और वातावरण बनाते रहे। हमने उनकी बात सुनी। वे हमारी बात १५ मिनट भी नहीं सुनते हैं। क्योंकि कड़वी बात सुनाते हैं तो उनको बुरी लगती है। उनको खीज है। लेकिन रामानन्द जी आपने मेरे प्रश्न का जवाब नहीं दिया। मैं पूछना चाहता हूं कि आप घोषणा करें कि अगर आप चुनावों में जीत कर आ गए तो जनतन्त्र के साथ या जनसंघ के साथ आप रहेंगे ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : मुझे मौका दीजिये तब जवाब दूंगा।

श्री चन्दनमल वैद : सन् ४७ से पहले हिन्दुस्तान सोने की चिड़िया थी यह कहा जाता है। मैं भी इस बात को जानता हूं और माननीय सदस्य जयपुर से आते हैं वे भी समझते हैं। मैं मानता हूं कि वे कैसी सोने की चिड़िया थी और आज कैसी है।

मैं जानता हूं कि उनको बौखलाइट इसलिये हो रही है कि किसी तरह ऐसा वातावरण बनाया जाय, लोगों को भड़काया जाय जिससे कि आगे आने वाले चुनावों में दो चार सीटें अधिक प्राप्त कर लें इसलिये ऐसा वातावरण बनाते हैं पर वे जानते हैं कि राजस्थान का बहुमत इन विचारों के विरुद्ध है, आपकी बात कोई सुनता नहीं है, आपकी मीटिंगों में कोई आता नहीं हैं इसलिये विधान सभा में आकर इस प्रकार का वातावरण बनाने का प्रयास करते हैं।

माननीय सभापति महोदया, मैं ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा....

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : ४७ के पहले आपके पास कितनी पूंजी थी ?

श्रीमती सभानेत्री : माननीय सदस्य बीच में नहीं बोलें।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : मुझसे इन्होंने एक प्रश्न पूछा है, मैं जवाब दे दूं।

श्री चन्दनमल वैद : जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने साल्ट के प्लॉट्स के वितरण के बारे में मेरे सम्बन्ध में कुछ कहा..

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : माननीय सभापति महोदया, इन्होंने मुझसे एक प्रश्न पूछा है, मुझे उत्तर देने की आज्ञा दें।

श्रीमती सभानेत्री : बीच में प्रश्न नहीं पूछें।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मैं प्रश्न नहीं पूछ रहा हूं सभापति महोदया, इन्होंने मुझसे प्रश्न पूछा है, उसका मैं उत्तर देना चाहता हूं। आपने यह पूछा कि जीत कर आ जाओगे तो क्या इनका साथ दोगे ? मैं यह उत्तर देना चाहता हूं कि हमारा पहला काम आपको हराना है, फिर सोच लेंगे कि क्या करना है।

श्री चन्दनमल बैद : इसके सपने ही देखना।

जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने साल्ट के प्लॉट्स के वितरण के सम्बन्ध में मेरे बारे में कहा। वस्तुस्थिति क्या है, यह मैं सदन के समक्ष रखना चाहता हूं। मेरे ऊपर माननीय सदस्य की महरबानी है क्योंकि ५२ से मैं भी इस सदन में हूं और माननीय सदस्य भी हैं, एक दूसरे पर महरबानी होना स्वाभाविक है। वे यदा-कदा मेरे बारे में प्रश्न उठाया करते हैं इस महरबानी के लिये मैं उनका आभारी हूं। मुझे दो दिन पहले बता दिया था कि इन्डस्ट्रीज़ डिपार्टमेंट की फाइलें इधर उधर हो रही हैं, जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य छानबीन कर रहे हैं। मुझे फक्र है, इन्डस्ट्रीज़ डिपार्टमेंट का सम्बन्ध चार साल मेरे साथ रहा, डिप्टी मिनिस्टर होते हुए भी मैंने मिनिस्टर की हैसियत से काम किया और उस सब इन्डस्ट्रीज़ डिपार्टमेंट में माननीय सदस्य को केवल एक बात ऐसी मिली कि जिसके बारे में मेरा जिक्र कर सकें, इसके लिये मैं शुक्रगुजार हूं उनका। छापर नाम का कस्बा है चूरू जिले में, वहां आज तक नमक पैदा नहीं हुआ। कुछ लोगों ने वहां एक्स्पेरिमेंट किया ६२ के अन्त में या ६३ की शुरूआत में या ६२ के बीच में, तारीख मैं नहीं बता सकता फाइल मेरे पास नहीं है..

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : किसके पास हैं?

श्री चन्दनमल बैद : मेरे पास नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : मेरे पास तो नही है?

श्री चन्दनमल बैद : आप कल पढ़ कर सुना रहे थे, हो सकता है आपके पास हो।

श्री भैरोंसिंह : आप कहते हैं सरकार के पास फाइल नहीं है।

श्री चन्दनमल बैद : मेरे पास नहीं है।

श्री जोधसिंह चौहान (गिरवा) : आप व्यक्तिगत क्या हैं, सरकार के बिना?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : सभापति महोदया, यह तो बड़ी सेंसेशनल बात है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मन्त्री महोदय गवर्नमेंट की तरफ से उत्तर दे रहे हैं?

श्री चन्दनमल बैद : रामानन्दजी कन्फ्यूज़ मत कीजिये, मेरे ऊपर चार्ज लगाया है, उसका मैं जवाब दे रहा हूं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : फाइल की बेसिस पर जवाब दीजिये, जब फाइल ही नहीं है आपके पास तो क्या जवाब देंगे?

(व्यवधान)

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : ओन ए पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर.

श्री भैरोंसिंह : माननीय सभापति महोदया,.

श्रीमती सभानेत्री : पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : यह एक एन्क्वायरी का पॉइन्ट है। मैं यह पूछना चाहता

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

हूं कि मिनिस्टर साहब परसनल एक्स्प्लेनेशन पर बोल सकते थे पर अभी बोल गये हैं उसका जवाब हम चाहते हैं। मिनिस्टर साहब ने कहा कि फाइल नहीं है, मैं कहता हूं कि फाइल मांगी क्या ? फाइल तलाश की क्या ? आपने फाइल नहीं देखी तो जवाब क्या देंगे ? मैं जानना चाहता हूं कि आपने फाइल मांगी क्या ? मेरा मतलब है कि अगर आप समझते हैं कि फाइल ले गये हैं तो चोरी का इल्जाम लगाया जाय, पुलिस को भेजा जाय श्री भैरोंसिह के घर, अगर फाइल नहीं देखी, नहीं मांगी तो झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। इस तरह गवर्नमेंट की फाइल गुम हो जाय यह कोई बात है ?

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : गवर्नमेंट अयोग्य है।

श्री भैरोंसिह : सभापति महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने कहा कि इन्डस्ट्रीज डिपार्टमेंट की फाइल्स इधर–उधर हो रही थीं और मेरे पास आईं, यह उन्हें मालूम हो गया था....

श्री चन्दनमल वैद : मैंने यह नहीं कहा।

श्री भैरोंसिह : फिर सेंस क्या है ?

श्री चन्दनमल वैद : सेंस क्या होता है ? मुझे कहने का अधिकार है, मेरा मुंह बन्द नहीं कर सकते ...

श्री भैरोंसिह : सभापति महोदया, नसीराबाद से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा....

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मैं फिर कहता हूँ इनके घर की तलाशी लीजिये....

श्री भैरोंसिह : माननीय सदस्य का कहा मान लिया जाय।

श्रीमती सभानेत्री : मैं माननीय सदस्य जनसंघ के नेता से निवेदन करूंगी कि इनको बोलने दें, क्यों इस प्रकार की बात कह रहे हैं ?

श्री भैरोंसिह : मैं निवेदन करूंगा कि यह पार्टी और जनसंघ का सवाल नहीं है। मन्त्री महोदय ने आरोप लगाया है, आरोप से यह अर्थ निकलता है कि इन्डस्ट्रीज़ डिपार्टमेंट की फाइल्स इधर-उधर हुईं। मैं समझता हूं, यह दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि मंत्री महोदय यहां सदन में यह स्वीकार करें कि इन्डस्ट्रीज़ डिपार्टमेंट से फाइल्स इधर–उधर हुई हैं, अगर फाइल्स इधर-उधर हुई हैं तो मैं पूछना चाहता हूँ कि उन्हें हुकूमत करने का अधिकार क्या है ? मैं दावे के साथ कहता हूँ कि उन्होंने गलत बात कही है, मेरे पास कोई फाइल नहीं आई, यदि मैं यह स्वीकार भी कर लूं कि मेरे पास फाइल आई तो इसमें मेरा दोष नहीं इस नाकाबिल और निकम्मी हुकूमत का दोष है।

श्री चन्दनमल वैद : जनसंघ के नेता बिना मतलब आवेश में आ गये।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : फाइलें इन्डस्ट्रीज़ डिपार्टमेंट की इधर-उधर हुईं, यह मंत्री महोदय स्वीकार करते हैं तो मैं पूछना चाहता हूँ कि फाइलें इधर–उधर हुईं उस वक्त ये × × × थे क्या ?

× × × अध्यक्ष–पीठ के आदेशानुसार निकाला गया।

(श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा)

इन्होंने पुलिस की मदद क्यों नहीं ली ? ऐसी नाकारा सरकार को जाना चाहिये, ऐसे मंत्री को निकाला जाना चाहिये ।

श्रीमती सभानेत्री : अभी माननीय सदस्य ने एक शब्द का प्रयोग किया था उसको प्रोसीडिंग्स से निकाल दिया जाय, वह अनपार्लियामेंट्री शब्द है ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : झक मछली को कहते हैं, यह कोई अनपार्लियामेंट्री नहीं है । अगर यह अनपार्लियामेंटरी समझती हैं तो मक्खी मारना कह दीजिए ।

श्रीमती सभानेत्री : मैं माननीय विरोधी दल के नेता से फिर निवेदन करूंगी कि मैंने पहले भी कन्ट्रोल करने के लिए आपसे निवेदन किया था, आपने उस पर ध्यान नहीं दिया, अब मैं फिर आपसे निवेदन करूंगी ।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : मन्त्री महोदय तथ्यों और सत्यों के साथ बोलें तो उनके साथ मेरी पूर्ण सहानुभूति है पर १२ हाथ की ककड़ी और १३ हाथ का बीज बोलें तो मैं क्या करूं ?

श्रीमती सभानेत्री : माननीय विरोधी दल के नेता न भूलें कि आपकी तरफ से इस प्रकार बीच में बोलेंगे तो जब आपकी ओर से बोलने वाले खड़े होंगे उस समय इधर से भी बीच में बोलना शुरू करेंगे और मैं समझती हूं यह गलत परम्परा होगी ।

श्री नाथूराम मिर्धा : आपकी तरफ से १३ हाथ का बीज और १२ हाथ की ककड़ी कहें उसे हम मान लें ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : यह तो वही हुआ, तेली रे तेली तेरे सिर पर कोल्हू ।

एक माननीय सदस्य : इनकी बातें ऐसी ही अल्लटप्पू होती हैं । इनके आंकड़ों में कोई तथ्य नहीं, रात को १२ बजे बोलते हैं....

श्रीमती सभानेत्री : मेरा निवेदन है कि दोनों तरफ से अल्लटप्पू बातें न करें ।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : उधर से हो रही हैं ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : सभापति महोदया, इस अल्लटप्पू से तो मेरा 'झक मारना' अच्छा था ।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : ऑन ए पॉइन्ट ऑफ आर्डर सर, जैसी कि सुबह अध्यक्ष महोदय ने आज्ञा दी थी कि ४।। बजे सदन की कार्यवाही कॉल अटेन्शन नोटिस और एडजर्नमेंट मोशन्स के लिए और दूसरे कामों के लिए शुरू कर दी जाएगी, सभानेत्री महोदया, ठीक साढ़े चार बज गये हैं ।

श्रीमती सभानेत्री : माननीय सदस्य का सुझाव उत्तम है । हाईकोर्ट पर बहस शुरू हो ।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार (हवामहल, जयपुर) : सभानेत्रीजी, अब तो समय थोड़ा है....

(कुछ माननीय सदस्य बोलने लगे)

श्रीमती सभानेत्री : पहले हाईकोर्ट पर बहस होगी, बहस आरम्भ की जाय ।

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : अध्यक्ष महोदय ने तो कॉल एटेन्शन के लिए व्यवस्था दी थी और आप हाईकोर्ट वाली बात ले रही हैं। पहले कॉल एटेन्शन नोटिस पर बोलने दिया जाय।

श्रीमती सभानेत्री : यही निश्चय किया गया है कि पहले हाईकोर्ट पर बहस होगी। अध्यक्ष महोदय का निश्चय है। श्री मथुरेश बिहारी माथुर !

श्री मथुरेशबिहारी माथुर (बांदीकुई) : सभानेत्रीजी....

(४.३१ म. प.)

जनलेखा समिति में सदस्य की नियुक्ति

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : जो हमारी जनलेखा समिति में एक सीट खाली है उसके बारे में अध्यक्ष महोदय ने कहा था कि उसके बारे में आज तय हो जायगा....

श्री रामप्रसाद लड्ढा (सिंचाई मन्त्री) : यह छोटा सा पॉइन्ट है। उसके बारे में अध्यक्ष महोदय के सामने चर्चा हो चुकी। क्योंकि गत सत्र में दुर्भाग्यपूर्ण घटना की वजह से माननीय सदस्यों का निष्कासन हो गया था और उसी समय ये पी० ए० सी० और एस्टीमेट्स कमेटी के चुनाव थे और उस समय यह तय हुआ था कि एक स्थान रिक्त रखा जाय, वह रिक्त रखा गया था और आज यह तय हुआ है कि उसी के अनुसार मैं प्रस्ताव करता हूं कि श्री मानिकचंद सुराणा को पी० ए० सी० के लिए सदस्य मनोनीत किया जाय।

श्री राधाकृष्ण गोयल : मैं इसका समर्थन करता हूं।

श्रीमती सभानेत्री : क्या सदन की सम्मति है कि श्री मानिकचंद सुराणा को पी० ए० सी० का सदस्य नियुक्त किया जाय ?

(स्वीकृत)

श्री मानिकचन्द सुराणा पी० ए० सी० के सदस्य नियुक्त किये गये।

(४.३३ म० प०)

जयपुर में राजस्थान हाईकोर्ट बेंच की स्थापना के सम्बन्ध में विचार विमर्श

श्री मथुरेशबिहारी माथुर : सभानेत्रीजी हाल ही में जयपुर में हाईकोर्ट के विषय पर एक कन्वेन्शन हुआ और २६ तारीख को एक जुलूस निकलकर विधान सभा के सामने आया और एक ज्ञापन अध्यक्ष महोदय को प्रस्तुत किया। इस विषय पर मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जहां तक इसके औचित्य का प्रश्न है उसके लिए काफी दलीलें और तर्क कन्वेन्शन में और आम सभाओं से दी जा चुकी हैं। आज सरकार के सामने इस माध्यम से हम यहां फिर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं और आशा करते हैं कि जो पूर्वी जनता की मांग है, उस मांग के लिए वैधानिक तरीके से, सदन के जरिए से इस बात को मान्यता दी जाय। पहले जयपुर के अन्दर हाई कोर्ट की बेंच स्थापित थी लेकिन राव कमीशन की रिपोर्ट के पालन के अन्दर उस स्थापित बेंच को, जिसके जरिए यहां

(श्री मथुरेशबिहारी माथुर)

पूर्वी जनता को सुलभता के साथ न्याय प्राप्त होता था, उससे वंचित किया गया और उसके बाद में जो राव कमीशन की दलील दी गई, आज उसके बाद में १९६० के अन्दर काश्मीर में जब विधि मन्त्री बैठे, उन्होंने इस बात को नहीं माना कि सारे प्रदेशों में यूनीफाइड हाई कोर्ट की बैंच हो और उसका अमल आज प्रकट है कि हर राज्य में दो-दो तीन बेंचे चलती हैं। आज राजस्थान की जो भौगोलिक स्थिति है वह दूसरे राज्यों से भी जटिल है, यहां रास्तों की सुगमता नहीं है, यहां का क्षेत्रफल कहीं दूसरे राज्यों से बड़ा है, यहां पर उस बात को नहीं माना जाय और दूसरे राज्यों के अन्दर माना जाय तो यह सोचने की बात है। पंजाब के अन्दर अभी शिमला के अन्दर बैंच स्थापित करने का प्रश्न आया, आज दिल्ली के अन्दर हाईकोर्ट को नए तरीके से स्थापित किया जाय, आज मध्यप्रदेश में इन्दौर, ग्वालियर और भोपाल में बेंचे हैं, केरल के अन्दर दो बेंचे, गुजरात में दो-दो बेंचे यू० पी० में तो पहले से ही चली आ रही हैं। इन सारी चीजों के पीछे केवल राव कमीशन की रिपोर्ट है। उसके अमल पर हमारी सरकार यह कहती है कि उसके कारण हम ऐसा नहीं कर सकते और इसमें सारे प्रश्न पुनः खड़े हो जायेंगे, यह बात समझ में नही आई। आखिर क्या चीज थी ? जैसे कि पहले के विधि मंत्री श्री ए. के. सेन ने कन्वेन्शन में कहा था कि आज न्याय की दृष्टि से चण्डीगढ़-दिल्ली और शिमला-दिल्ली जितना माइलेज का फर्क है उससे कहीं चौगुना फर्क धोलपुर-जोधपुर का है। आज जोधपुर के लिये सभी दलों ने राय प्रकट की कि जोधपुर के साथ हम अन्याय नहीं करते वहां हाईकोर्ट रहे, वहां के क्षेत्र के आदमी हाई कोर्ट के नजदीक रह कर न्याय प्राप्त करें लेकिन उसके साथ में आपकी खुद की मान्यता है, आप रेवेन्यू एपेलेट अर्थारिटी को जयपुर में बिठाते हैं आप आसपास की जनता को न्याय जल्दी देने के लिए एक महीने में तीन दिन अलवर क्यों भेजते हैं कोटा भेजते हैं केवल इसलिए कि उधर की एरिया वालों को नजदीक से न्याय मिले। तो क्या कारण है कि जब कि आप नीचे के अधिकारियों के लिए, जो रेवेन्यू बोर्ड के अधिकारी हैं, उनके लिए तो आदेश दे सकते हैं लेकिन हाई कोर्ट के लिए अगर एक बैंच जयपुर में रहे तो आपको क्या एतराज है ? पूर्वी राजस्थान का जो पॉपूलेशन है यहां केवल मांग जयपुर की ही नहीं है इसके पीछे जैसा प्रदर्शित किया जाता है इसके पीछे बीकानेर डिवीजन, उदयपुर, डिवीजन, धोलपुर, अलवर, कोटा, सब लोगों की यह मांग है कि हमारे यहां नजदीक में बैंच आए जैसे पहले थी।

मैं आपके माध्यम से सदन के सामने मांग करता हूँ कि पुरानी जो १९५८ की बात है उसके बाद समय बदल चुका, दलीलें बदल चुकीं, उनका अनुसरण करते हुए समय रहते जनता की मांग को स्वीकार करें। मुख्यमंत्री ने स्वयं ने कहा था कि अगर सारी राजनैतिक पार्टियां इसके लिए मांग करें तो हम इस पर विचार कर सकते हैं। यहां भी आपके सामने प्रमाण दिया। यह वकीलों का प्रश्न नहीं रहा, यह पूर्वी राजस्थान की सारी जनता का प्रश्न है और उस बात को कन्वेशन्स के अन्दर, प्रस्ताव के अन्दर साफ किया गया है। जनसंघ और स्वतन्त्र पार्टी ने प्रस्ताव पास

(श्री मथुरेशबिहारी माथुर)

किया, एस.एस.पी. ने उदयपुर में प्रस्ताव पास किया और उसके तहत कन्वेन्शन में वहां के नेता आकर बोले और अपनी मांग को प्रदर्शित किया। तो प्रश्न कोई बाकी नहीं रहा है। कांग्रेस पार्टी के जो मंत्री हैं वह पार्टी के अन्दर अपना स्थान रखते हैं, उन्होंने कन्वेन्शन के अन्दर कहा, आमेर में कहा अलवर में कहा, चीफ व्हिप ने भी कहा। तो अब निवेदन करता हूँ कि जैसे आपने बहुत सी समस्याएं सुलझाई हैं यह भी सुलझा दें। आपने इतने वर्षों तक राजस्थान में राज किया है, आपके लिए यह बहुत बड़ी समस्या नहीं है। इन भावनाओं का एमिकेबली सेटलमेंट हो। जोधपुर वालों से हमें कोई दुर्भावना नहीं है। उधर के एम० एल० ए० हमारी पार्टी में भी हैं।

(४.४०, म. प.)

(राव श्री नारायणसिंह, उपाध्यक्ष पदासीन)

उनके हाथ से कोई चीज़ हम नहीं छीनना चाहते हैं। सन् ५८ में मांग की गई थी कि हाई कोर्ट यहां जयपुर में हो। उसके पीछे आशंका थी। दुर्भावना थी। आज कोई आशंका नहीं है। न ही कोई दुर्भावना है।

श्री मुक्तिलाल मोदी (कोटपूतली) : दूसरे मेम्बर भी बोलेंगे।

श्री मथुरेशबिहारी माथुर : अन्त में मैं अपने सब साथियों को इस सम्बन्ध में बोलने का अवसर देते हुए एक बात कहूंगा कि माननीय मुख्य मन्त्री जी, जैसा कि मालूम हुआ है, आपकी केबिनेट के मन्त्री ने यह लिख कर दे दिया है कि हाई कोर्ट की बैंच जयपुर में कायम हो, लेकिन आपने अभी कोई उस पर निर्णय नहीं लिया है। मन्त्री मण्डल में मांग की जाती है, कांग्रेस पार्टी की ओर से मांग की जाती है और हम भी मांग करते हैं। आप मन्त्री मण्डल को चला रहे हैं इसलिए आप हाई कोर्ट की बैंच यहां पर कायम होने दीजिये।

कुछ माननीय सदस्य : माननीय उपाध्यक्ष महोदय....

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : माननीय उपाध्यक्ष जी....

श्री उपाध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि भाषण थोड़ा संक्षेप में ही कहें ताकि हम पांच बजे तक इसको समाप्त कर सकें, उस के बाद जबाब हो जावेगा। उसके बाद ध्यान आकर्षण प्रस्ताव जितने हो सकेंगे लिए जा सकेंगे। यह भी सूचित कर दूं कि ७ बजे कन्वशन रखना चाहें तो वैसा करें।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार (हवामहल, जयपुर) : पाँच मिनिट का मुझे समय दिया जाय। मुझे आदेश हुआ है या उनको (श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा को) ?

श्री उपाध्यक्ष : Let him speak.

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, यह मसला एक आचित्य के ढंग का है इस को बड़ी शान्ति के साथ तय करना चाहिये। मेरी राय में, मैं ऐसा समझता हूं, जब कभी ये सवाल उठते हैं, उन सवालों के तय होने के बजाय उसको इमोशन

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

और दूसरी चीजों में फंसा दिया जाता है और उसका सम्पर्क राजनीति से करके और भी इस प्रश्न को जिस तरीके से तय होना चाहिये उसको तय करने में बाधायें पड़ती हैं। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि आज अगर शान्त ढंग से शान्ति के वातावरण में, राजस्थान के हित में कोई बात सोची जाय, यह कोई नहीं कहता कि जोधपुर से हाई कोर्ट को हटा दिया जाय, हाई कोर्ट जोधपुर में रहे। मुबारिक हो। क्यों नहीं रहे ? वह एक एम्पोर्टेन्स की जगह है और हाईकोर्ट वहां रहे। इस पर किसी का विरोध नहीं है, किसी को कोई एतराज नहीं है। पहले ही हाईकोर्ट कहां रहनी चाहिये जनता ने यह तय कर दिया। हाईकोर्ट रहे। किसी को कोई एतराज़ नहीं है। १८ वर्ष बाद इन्टीग्रेशन हमारा हो गया। राजस्थान कहलाने का हक़दार हो गया। हम राजस्थानी कहलाये। सारे राजस्थानियों की दिक्कत सारी राजस्थान की सरकार की दिक्कत होगी। और राजस्थान का हित नहीं होगा वैसे काम में दखल देना उचित नहीं। १८ वर्ष के बाद भी हम टुकड़ों में बंटे रहें और मानसिक इन्टीग्रेशन न हो यह अजीबो-गरीब बात है इसलिये इसको बिना इमोशेनके उठायें। इधर के लोग भी चाहते हैं, तर्क पूर्ण बात है, जहां भी यह प्रश्न उठा है कांग्रेस पार्टी की राय अलग रही है। एक निश्चित तबका है जो सेन्टीमेन्ट्स की बात करता है। जयपुर में बैंच रहने से जोधपुर को कोई नुक्सान नहीं होने वाला है। सभी पक्ष हाईकोर्ट वहां रखने के पक्ष में है और उस पर जोर देना चाहिये। आप जैसे ही पीड़ित लोग हैं। न्याय चाहने वालों के पास यदि नजदीक में बैंच चली जाय तो क्या हर्ज है ? जो इस बात की जिद् करते हैं उनसे पूछना चाहता हूँ तर्क विहीन बात नहीं करेंगे। ऐसी राजनीतिज्ञता सब पार्टीज में होनी चाहिये। यह बात ज्यादा दिन नहीं चलेगी। यह बात किसी न किसी प्रकार होकर रहेगी और राजस्थान के अन्य हिस्सों की सुविधा के लिये बैंच के लिये परमिट करने से मैं समझता हूं कि जोधपुर के लोगों के इमोशन को दूर करना चाहिये और न्याय पूर्ण बातों को सपोर्ट करना चाहिये। ज्यादा अच्छी बात यह है कि जोधपुर वाले ही खुद कहें। सब की दिक्कत हमारी दिक्कत है। २.१३ राजस्थान का अंग बैंच के लिए कहता है तो उसकी बात माननी चाहिये। सारे मुल्क में, यदि तर्क पर जांय, तो बैंच हैं। इसलिये कि न्याय सस्ता मिले। केरल जैसी जगह जो जयपुर के बराबर है वहां एक बैंच है। इंगलैंड में भी सर्किट बैंचेज हैं। इसलिए न्याय को सस्ता करने के लिए इसके लिये सोचना पड़ेगा।

(समय-समाप्ति-सूचक-घन्टी)

पांच मिनिट लूंगा साहब।

श्री उपाध्यक्ष : थोड़ा सीमित रहें।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : तो मैं चाहता था कि आपने मौका दिया है, मैं समझता हूं, इसमें सेन्टीमेन्ट्स की बात नहीं है, इमोशन की बात नहीं है। इसको राजनीति से अलग रखें। हम अपील करते हैं इसके लिये। आज हालत यह है, मैं इस प्रकार का शब्द नहीं निकालना चाहता, उन्हीं लोगों को नुकसान होने वाला है। २.१३ जनतन्त्र को

(श्री ज्वालप्रशाद शर्मा)

अलग रख कर आप कोई न्याय की बात नहीं दे सकते। गरीबों को न्याय मिल सके इसके लिए उनको हाईकोर्ट की एक बैंच दे दें। तुम्हारे अपने ढंग से। बड़ी शांति से। न्याय करने के लिए तुम्हारी जोधपुर से बैंच यहां आ जाय, मैं समझता हूं इसमें किसी को कोई एतराज नहीं होना चाहिये!

राव कमेटी को महत्व दिया जाता है। अजमेर का फैसला दे दिया। केपीटल के लिए अजमेर ने झगड़ा किया। सवाल पर सवाल उठाये। राव कमेटी अपोइन्ट की। लॉ कमीशन की रिपोर्ट आयी जो कहीं हिन्दुस्तान में एक्सेप्ट नहीं हुई। विधि मन्त्री ने उसको रिजेक्ट कर दिया। इम्प्रेक्टिकेबल बता दिया। लेकिन परिस्थितियां थीं। हम मजबूर हो गये और हाई कोर्ट जोधपुर में हुई। गवर्नमेन्ट ऑफ इण्डिया ने बैंच की बात नहीं मानी। सरकार से कहना चाहता हूं कि जयपुर वालों ने बैंच की बात नहीं मानी। लेकिन जनता को हाथ में ले लेते हैं तो तर्क नहीं रहता है। वह इमोशन था कि हाईकोर्ट नहीं हटनी चाहिये। जयपुर वालों को मुबारिक बाद देना चाहता हूँ कि यह बात टिकी नहीं रही। जोधपुर में जो किया जा रहा है वह गलत है। जोधपुर वालों को समझना चाहिये। कांग्रेस के नेताओं में एकता नहीं, एक जैसे नहीं, रामकिशोर व्यास की ओर से कहा गया, तुम्हारे वोट लिये हैं, प्रेसिडेन्ट बना है, कि यहां बैंच आनी चाहिये। दामोदरलाल व्यास ने कहा कि यहां पर बैंच आनी चाहिये और कितने ही मन्त्रियों ने कहा कि यहां पर बैंच आनी चाहिये। मैं कांग्रेस को मानता हूं। मैंने रामकिशोर को वोट नहीं दिया पर मैं न्याय को मानता हूं। मेरे प्रेसीडेन्ट ने यह किया और यह कहा।

सरकार की न्यायपूर्ण बात को मैं मानता हूं। अपने कांग्रेस के प्रेसीडेन्ट की बात मैं मानता हूं। सारे राजस्थान की यह न्याय पूर्ण मांग है इसे रोका नहीं जा सकता। बैंच को जयपुर में लाया जाना चाहिये। जोधपुर वालों से हमें कुछ नहीं कहना है, उनसे हमारा कोई झगड़ा भी नहीं है, हाई कोर्ट उनको मुबारिक हो।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हरिराम। थोड़ा संक्षेप में।

श्री हरिराम चौहान (तिजारा) : उपाध्यक्ष महोदय, सभी पार्टियों की मांग है कि बैंच जयपुर में हो। हाई कोर्ट जोधपुर में रहे। असेम्बली में कई बार यह सवाल उठाया गया, विरोधी पक्ष के लोगों की काफी बड़ी तादाद इस बैंच के यहां लाने के पक्ष में है बल्कि विरोधी पक्ष ने सर्व सम्मति से इसका समर्थन किया। पहले भी प्रस्ताव लाया गया था। उस वक्त भी कांग्रेस सरकार के आश्वासन पर कि थोड़े दिनों में मिलकर विचार कर लेंगे और उस के हम भी खिलाफ नहीं है कि जयपुर में बैंच नहीं रहे, लोग चुप रह गये थे।

जब दूसरे प्रान्तों में बम्बई में उत्तरप्रदेश में ऐसा है तो राजस्थान में भी, जिसका एरिया काफी बड़ा है, हम जयपुर में एक बैंच ले आवें तो जयपुर के लोगों को ही नहीं, अलवर, भरतपुर, कोटा और आसपास के तमाम जिलों के लोगों को सहूलियत हो जावेगी। इसमें सरकार का भी कोई खर्चा नहीं है।

(श्री हरिराम चौहान)

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि आज मन्त्री मण्डल में ऐसे लोगों का प्रभाव है जो उदयपुर और जोधपुर को ही अधिक से अधिक देना चाहते हैं। मन्त्री मण्डल में भी यहीं के लोगों को स्थान मिलता है। यह भावना लोगों की बनी हुई है। तो बेंच यहां होने से यह भावना भी लोगों की कम हो जावेगी।

न्याय सस्ता मिले, आप भी मानते हैं, पर यह तभी मिल सकता है जब पंजाब की बोर्डर पर लगे दिल्ली की बोर्डर पर लगे हिस्से के लोगों को ज्यादा दूर न जाना पड़े। वैसे ही किसान मुकद्मेबाजी में बरबाद हो जाता है तो उनको आने जाने में सहूलियत होगी यहां बेंच होने से और खर्चा भी कम पड़ेगा। आप वाजिब मांग को कितने दिन तक टालेंगे ? यह पुलिस और लाठी के बल पर नहीं दबाई जा सकती। पर आपकी तो आदत पड़ी हुई है, आप तो जुलूस, प्रदर्शन और दबाव से कोई बात मानते हैं। मिली-जुली भावना से पहले नहीं मानते। मैं समझता हूं, सरकार इस मामले में शांति से काम लेगी और मैं अन्त में निवेदन कर दूं कि मेरी पार्टी जयपुर में बेंच के पक्ष में है।

श्री मुक्तिलाल मोदी : माननीय उपाध्यक्षजी....

श्री उपाध्यक्ष : श्री मोहनराज ।

श्री मोहनराज (वाली) : उपाध्यक्ष महोदय, इस बारे में तथ्यों को ओझल नहीं किया जाना चाहिए, बार बार यह प्रश्न सामने लाया जाता है और हर बार जो एक बार सोच समझ कर निर्णय लिया गया है वह कायम रहता है। तथ्य यह है कि एकीकरण जब राजस्थान का हुआ तो प्रश्न उठा राजधानी कहां हो। भारत सरकार ने इसके लिए कमेटी नियत की। उसने सारे राजस्थान का विस्तृत दौरा करके सभी सम्बन्धित पक्षों की बात सुनकर उसने निर्णय दिया कि राजधानी जयपुर में रहे, हाई कोर्ट जोधपुर में रहे इतने दिन शान्त रहने के बाद अब फिर वही सवाल उठाया जा रहा है।

कहा गया कि जनता को सस्ता न्याय मिल सके इसके लिए बेंच यहां होनी चाहिये। मैं अर्ज करूं कि जनता को सस्ता न्याय देने के लिए राजस्थान में गांव गांव में न्याय पंचायतें कायम की गई हैं। इन पर मुंसिफ कोर्ट हैं। फिर सैशन कोर्ट हैं। अगर कमी हो तो इनकी संख्या बढ़ाई जा सकती है। पर हाई कोर्ट की बेंच की बात सस्ते न्याय से जोड़ना चाहते हैं तो मैं निवेदन करूं कि इससे गड़बड़ी ही होगी। सभी माननीय सदस्य और खास कर इसमें काम करने वाले वकील लोग जानते हैं कि अलग अलग जगहों पर बेंचें बनीं तो उनके दिए हुए फैसलें आपस में ही कनफिलकिटग होंगे। इससे अनेकों समस्यायें पैदा हो जावेंगी। इसीलिए इसका लॉ कमीशन की रिपोर्ट में हवाला दिया गया है कि एक स्टेट में एक ही हाई कोर्ट होना चाहिये।

अगर यह बात हुई तो सस्ते न्याय के नाम पर सुप्रीम कोर्ट की भी बेंचें सरकार को खोल देनी चाहिए। हर स्टेट में एक हो जानी चाहिये। तो कुछ तो सिद्धान्त हमें स्थिर करके चलना ही होगा।

(श्री मोहनराज)

तो सस्ते न्याय का जहां तक सवाल है नीचे की कोर्टों की जहां जरूरत हो वहां वृद्धि की जानी चाहिए। इसमें दो राय नहीं हो सकती। फिर आप हिसाब लगायें तो एक बहुत छोटा फैक्शन आफ परसेन्टेज केसों का हाई कोर्ट में जाता है। तो सारे राजस्थान में एक तरह के फैसले उन केसों में हों इसके लिए एक ही हाई कोर्ट रहना जरूरी है।

मैं साफ तौर से कहना चाहता हूं कि इस तरह की मांग इस वक्त पैदा की जाती है जनता के नाम पर उसमें कुछ हमारे साथी आगे रहे हैं उनका सम्बन्ध इससे है, जनता का इससे कोई सम्बन्ध नहीं है। यह मसला जनता का नहीं है। तो, उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में एक तरह का न्याय रहे और जो वायदा पुरानी स्टेटों की राजधानियों को नहीं उजड़ने देने के लिए किया गया है उसको बनाए रखने के लिए मैं चाहता हूं कि एक स्टेट में एक ही हाई कोर्ट रहना चाहिए। हमारे यहां एक ही हाई कोर्ट रहना चाहिए।

(५ म० प०)

श्री उपाध्यक्ष : श्री दुर्गालाल बाढ़दार।

श्री नत्थीसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, आपको हर पार्टी का ध्यान रखना चाहिए।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : एस० एस० पी० वालों को चान्स दिया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : समय समाप्त हो रहा है इसलिए सदन का समय ६ बजे तक बढ़ाया जाता है।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : माननीय उपाध्य महोदय, जहां तक इस हाईकोर्ट बैंच की मांग का सवाल है इसके औचित्य पर मैं लम्बा चौड़ा भाषण नहीं देना चाहता हूं। मैं तो सौभाग्य से आज राजस्थान के मुख्य मंत्री श्री सुखाड़िया जी, जो बहुत ही अनुभवी मंत्री हैं यहां बिराजे हुए हैं और राजस्थान सरकार के बड़े बड़े स्तम्भ भी यहां बिराज रहे हैं, बैठे हुए हैं, इनके सामने दो तीन प्रश्न उपस्थित करना चाहता हूं। यदि ईमानदारी और सत्यता के साथ वह अपने हृदय से इस प्रश्न पर विचार करके ईमानदारी से उत्तर देना चाहेंगे तो मैं मान लूंगा कि उनका हृदय मेरे इन प्रश्नों के प्रति क्या उत्तर देना चाहता है। मैं लम्बी चौड़ी बात नहीं कहना चाहता हूं।

मेरा सबसे पहला सवाल तो यह है कि औचित्य पर तो ग्रंथ के ग्रंथ लिखे जा सकते हैं। मैं सदन का समय नहीं लेना चाहता हूं। अब सवाल यह रह जाता है कि जनता वास्तव में इस हाईकोर्ट की बैंच को जयपुर में चाहती है या नहीं चाहती। जनता क्या चाहती है? औचित्य पर तो बहुत बातें कही जा सकती हैं। तो उसके लिए पहला सवाल मेरा माननीय मुख्य मंत्री जी आपसे यह है कि इस हाईकोर्ट बैंच की जयपुर की मांग के प्रश्न को लेकर क्या आज राजस्थान की सरकार इस स्थिति में है कि यहां इसी असेम्बली में क्योंकि यह राजस्थान की असेम्बली सारी जनता

(श्री दुर्गालाल बाढदार)

का प्रतिनिधित्व करती है अगर इस असेम्बली के मेम्बरान की राय यह हो जाती है कि हाईकोर्ट की बेंच जयपुर में आनी चाहिए बहुमत इस बात पर हो जाता है तो यह आपको मानना पड़ेगा कि राजस्थान की सारी जनता इस बात को चाहती है। ईमानदारी के साथ बगैर किसी पॉलिटिकल प्रेशर के, आप अपनी भावना के साथ क्या इस बात के लिए तैयार हैं कि बिना अपनी पार्टी का व्हिप जारी किये हुए क्यों आपके राजनैतिक दलों में व्हिप नाम की अजीब चीज है वह इतनी भयंकर होती है कि मेरी भावना चाहे कैसी भी हो लेकिन उसके प्रतिकूल भी आपकी पार्टी में रहना है तो वही काम करना पड़ेगा जो कि आप मुझसे कराना चाहते हैं। मैं केवल यह जानना चाहता हूं कि क्या आप इस स्थिति में हैं, उत्तर देते समय कुछ भी कहें लेकिन आप अपनी आत्मा से उत्तर दीजियेगा कि क्या कांग्रेस सरकार इस स्थिति में है कि इस पर पार्टी की तरफ से कोई व्हिप जारी नहीं कराया जायेगा और इसके बाद इस सारे सदन में डिवीजन क्लेम किया जाये और उसके बाद में इसे जनता का वोट मान लिया जाये। एक तो सवाल यह है।

दूसरा सवाल, मैं मुख्य मंत्रीजी केवल आपसे पूछना चाहता हूं कि इस समय आप सदन के नेता हैं, राजस्थान की सरकार का संचालन करते हैं और आप बड़ी बड़ी समस्याओं को सुलझाने में समक्ष हैं। बड़ी बड़ी समस्यायें आपके सामने आई हैं और उन्हें समाधान करने की आपने चेष्टा की है और आप क्षमता भी रखते हैं ऐसी लोगों की मान्यतायें हैं। अब मैं आप से यह पूछना चाहता हूं कि जब राव कमेटी डिस्कशन के लिए चली आ रही थी तो उस समय विचारधारा के नाते, इन्सानियत के नाते आपको उत्तर देना पड़ेगा कि आपकी व्यक्तिगत भावना क्या थी और क्या आप व्यक्तिगत रूप से आज भी इसके लिए तैयार हैं कि राजस्थान कि हाईकोर्ट की बेंच जयपुर में नहीं आये या फिर आपकी भावना क्या है? यह प्रश्न मैं व्यक्तिगत रूप से पूछना चाहता हूं आपसे।

तीसरा प्रश्न मथुरादासजी साहब आपसे और जोधपुर के बैठे हुए महानुभाव हैं उनसे संबंधित है....

श्री मथुरादास माथुर : हम तो राजस्थान के हैं।

श्री दुरगालाल बाढ़दार : इसलिए मैं आपको सत्य निवेदन करना चाहता हूं कि इस सदन में लम्बा चौड़ा भाषण करने के लिए तो आपके पास बहुत आदमी हैं। मैं तो कभी कभी दो चार सही बातें आपसे पूछना चाहता हूं और आप ईमानदारी से उत्तर देने की चेष्टा करें।

तीसरी बात जो मैं आपसे पूछना चाहता हूं वह यह है कि देखिये जहां तक इस प्रश्न के औचित्य का सवाल है इस समय आप भूल जाइये कि जोधपुर की जनता ने आपको चुना है....

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)

श्री मथुरादास माथुर : यह कैसे भूल जाऊं ? अभी तो और वोट लेने हैं।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : यही भावना निकाल दें। यहि कहलाना चाहता था। यह जो आपने कहा उसका उत्तर इतना सा देना चाहता हूं कि आपने कहा कि हमने पंचायतें कायम कर दीं। यह आपकी तरफ से बोलने की चेष्टा की गयी। आप कहते हैं कि हमने न्याय पंचायतें कायम कर दीं। यह तीसरा सवाल पूछना चाहता हूं कि यदि आप कहते हैं कि पंचायतों से हमने घर घर में न्याय कर दिया। आप कहते हैं तो यह तो ठीक कर दिया लेकिन मुझे तो आप का इलाज यह इस प्रकार का लगता है जैसे किसी को निमोनिया हो जाये और उसको कह दें कि तुम घाट और लपटा खाओ तुम्हारा इलाज हो जायेगा। जहां काम्पलीकेशन्स ऑफ लॉ हैं और जिसके समाधान के लिए बेस्टे ब्रेन्स की जरूरत पड़ती है वहां पर आप दलील यह देते हैं कि हमने पंचायतें कायम कर दीं। मैं किसी की बुराई नहीं करता। आपके अनुभव के आधार पर मैं आपसे ही पूछना चाहता हूं कि पंचायतों में जो न्याय व्यवस्था की जाती है मुझे तो वहां ऐसे लोग प्रतीत आते हैं जो भाषा को सही रूप से नहीं जानते....

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

मैं अभी समाप्त करता हूं। इसलिए तीसरा प्रश्न मैं पूछना चाहता हूं कि जो माननीय सदस्य जोधपुर से आते हैं आप थोड़ी देर के लिए इस समस्या को भूल जाइये। अगर आप जिद् का सवाल बनाना चाहते हैं तब तो बात दूसरी है। मुझे यह बता दें कि राजस्थान हाईकोर्ट की बेंच जब यहां पहले चल रही थी उस समय जो कैसेज आया करते थे वह किस डिवीजन के आया करते थे उसके हिसाब से देख लें। वहां की जनता की सहूलियत के हिसाब से देखना चाहते हैं वह आंकड़े अभी भी आपके पास हैं कि उस डिवीजन के और इस डिवीजन के कितने प्रतिशत कैसेज वहां के वकीलों ने लेना शुरू किया। बल्कि आप अन्तः रूप से वहां के वकीलों से बात करें। अगर आप व्हिप की मार मारेंगे तो बात दूसरी है....

श्री हरिदेव जोशी (खनिज-मंत्री) : कोई व्हिप नहीं है आज।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : मैं तो पूछ चुका हूं। मुख्य मंत्रीजी इसका जवाब देंगे कि क्या वे आज इस स्थिति में हैं कि व्हिप चालू नहीं करें और डिवीजन क्लेम कर लें। फिर देख लेंगे कि जनता उनका साथ देती है या इनका (हमारा) देती है। मुख्य मंत्रीजी अपने व्यक्तिगत रूप से अपनी व्यक्तिगत राय व्यक्त करें। इसलिए अन्त में मैं केवल यही कह देना चाहता हूं कि इस चीज़ को अगर आप हटाकर आंकड़ों को देखें तो वहां के वकीलों का धंधा तो चला गया। इसलिए आप इस पर विचार करें और मुख्य मंत्रीजी इसका उत्तर देने की चेष्टा करेंगे ऐसी आशा मैं रखता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री नत्थीसिंह।

श्री नत्थीसिह (भरतपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न को लेकर अभी यह बात यहां कही गयी कि राजस्थान के एकीकरण की भावना के विपरीत कोई बात शायद हाईकोर्ट की बैंच को मंगाने के लिए की जा रही है। हमारा दल राजस्थान के पूर्णतया एकीकरण का हामी है राजस्थान के एकीकरण के लिए सबसे बड़ी भावना इस प्रदेश के नागरिकों में यह होना जरूरी है कि उन्हें अन्याय से, उत्पीड़न से हर कदम पर राहत मिलेगी इसकी व्यवस्था हमारे राज्य में है और राजस्थान हाईकोर्ट की बैंच की जब हम जयपुर में मांग करते हैं तो उसके पीछे एक ही भावना है कि आज राजस्थान में वह गिरा हुआ वर्ग, पिछड़ा हुआ वर्ग जो कि हर तरह से अन्याय और उत्पीड़न का शिकार हो रहा है उसका शिकार होने से बच जाये। आज भी हम देखते हैं आप कभी इसका सर्वे कराइये कि जब से हाईकोर्ट की बैंच जयपुर से गयी है तब से दो तिहाई जनता जो इस पूर्वी इलाके में रहती है वहां पुलिस का अत्याचार किस तेजी से बढ़ा है। नीचे की कोर्ट्स की बात कहें तो वह भी हाईकोर्ट की नजदीकी से उनमें भी न्याय के प्रति कितनी जिम्मेदारी होनी चाहिए उसमें भी कोई कमी आई है या नहीं इसका सर्वेक्षण कराया जाये। इसलिए एकीकरण की की बात कह कर हम चाहते हैं कि राजस्थान की हाईकोर्ट की बैंच जयपुर में नहीं हो तो वह गलत बात है। राजस्थान हाईकोर्ट की बैंच जयपुर में रहने से यहां की त्रसित जनता को ज्यादा जल्दी और ज्यादा सस्ता न्याय मिलता है जिससे कि राज्य के प्रशासन में जो एक तरह से मनमानी व्याप्त है वह दूर हो सकती है। इसलिए यह जरूरी है कि यहां पर राजस्थान हाईकोर्ट की बैंच कायम की जाये। एक दूसरी बात अभी हमारे पुराने न्यायमूर्ति हैं. अगर में गलती नहीं करता तो, वे कह रहे थे कि मैं तो राजस्थान का हूं केवल जोधपुर का नहीं हूं। मुझे तो जोधपुर के वोटों की जरूरत है। वे वोटो की बातें करते हैं और वोटों के डर से इस हाई कोर्ट की समस्या को सुलझाना नहीं चाहते हैं। इस तरह से तो हम किसी भी दशा में राजस्थान के एकीकरण के हामी नहीं हो सकते। वोटों की बात सोचने की पद्धति से तो अभी तो १७६ ही हैं और आगे १८४ में इस राजस्थान को बांटने की साजिश हो जाएगी। राजस्थान इन १७६ अभी के और बाद के १८४ भागों में विभक्त हो जाएगा और इस तरह से तो हम राजस्थान की जनता को सस्ता और सुलभ न्याय नहीं दे सकेंगे। अगर हमें राजस्थान की जनता को सस्ता न्याय सुलभ कराना है तो इसके लिए राजस्थान के दृष्टिकोण से विचार करना होगा। और जब इस दृष्टिकोण से विचार करेंगे तो हमें इस भावना को दूर करना होगा। राजस्थान हाईकोर्ट को केवल जोधपुर में रखें तब भी वोटों में कोई शंका नहीं होनी चाहिए और अगर राजस्थान हाईकोर्ट की बैंच जयपुर में रखें तब भी वोटों में कोई फर्क नहीं आने वाला है। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि पूरे हाईकोर्ट को जोधपुर में रखें तब भी जोधपुर वालों के वोटों में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसकी बैंच जयपुर में आ जाय तो इससे डरने की जरूरत नहीं है। इसमें तो केवल आपकी हिम्मत की कमी है। हमारी पार्टी ने उदयपुर में अपनी मीटिंग में राजस्थान हाईकोर्ट की बैंच जयपुर में लाने का प्रस्ताव किया है और

(श्री नत्थीसिंह)

उस प्रस्ताव के प्रस्तावक हैं श्री हरेकृष्ण व्यास, जो स्वयं जोधपुर के निवासी हैं। उन्हें कभी डर नहीं हुआ कि मेरे प्रस्ताव करने से जोधपुर वाले नाराज हो जायेंगे। आज कम्युनिस्ट पार्टी के श्री एच. के. व्यास यह नहीं कहते कि हाई कोर्ट की बैंच जयपुर में नहीं जाय। यहां पर जनसंघ वाले और स्वतंत्र पार्टी वाले हैं उनके मुंह से कहीं यह बात नहीं सुनी होगी कि यह हाईकोर्ट की बैंच जयपुर में नहीं लाई जाय। हम यह चाहते हैं कि यह हाईकोर्ट पूरा का पूरा वेशक जोधपुर में रहे लेकिन उसकी बैंच यहां लाई जाय। आपके कांग्रेस के ही अध्यक्ष, जिनके बारे में बड़ी रस्सा-कस्सी हुई और वह मनमुटाव अभी तक दूर नहीं हुआ है और उनको बड़ी कठिनाई से यह गद्दी मिली है, वे रामकिशोरजी व्यास, कांग्रेस के अध्यक्ष, यह कहते हैं कि जयपुर में बैंच आनी चाहिए।

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

आप मन्त्रीजी जब यहां पर बैठे थे तब तो इस प्रकार की बातें कर रहे थे कि हाई कोर्ट की बैंच यहां आनी चाहिए और अब वहां जाकर क्यों कमजोर हो गए हैं ? वे मन्त्रीमण्डल में यह क्यों नहीं कहते कि राजस्थान हाई कोर्ट की बैंच जयपुर में आनी चाहिए और हमारे जन सम्पर्क मन्त्री कहते हैं कोई व्हिप नहीं है। हम चाहते हैं कि एक मोशन के रूप में इस बात पर वाद-विवाद हो और उस पर मत विभाजन हो और इस प्रकार का कोई व्हिप नहीं लगावें तो आपको पता चल जाएगा कि राजस्थान की दो तिहाई जनता के प्रतिनिधि इस हाउस में यह फैसला करते हैं बिना व्हिप के कि राजस्थान में हाई कोर्ट की बैंच निश्चित रूप से जयपुर में आनी चाहिए। और इसीलिए में प्रार्थना करता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, कि आपकी अनुमति से इस प्रश्न पर बिना व्हिप के मत दान कराकर विभाजन कराया जाय कि कितने सदस्य इस सदन के यह चाहते हैं कि राजस्थान हाई कोर्ट की बैंच जयपुर में आनी चाहिए। यह कोई मुख्य मन्त्री महोदय की प्रतिष्टा का सवाल नहीं बनाया जाय और मैं कांग्रेस पक्ष के सदस्यों से भी निवेदन कर देता हूं कि उनको राजस्थान की गरीब जनता को सस्ता न्याय दिलाने के लिए और सरल न्याय दिलाने के लिए राजस्थान हाई कोर्ट की बैंच जयपुर में कायम की जाय।

(कुछ माननीय सदस्यों के बोलने के लिए खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष : श्री गंगासिंह।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : ओन ए पोइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर। मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि हाई कोर्ट के प्रश्न को लेकर यह जो चर्चा हो रही है उस चर्चा का कोई सब्सटेंटिव मोशन है क्या ? और किसी सब्स्टेंटिव मोशन पर यह बहस हो रही है या नहीं ?

श्री उपाध्यक्ष : It is not on a substantive motion.

श्री भैरोंसिंह : Then what is this ?

श्री उपाध्यक्ष : यह केवल डिस्कशन है।

श्री भैरोंसिंह : यह डिस्कशन कैसे हो रहा है ?

श्री उपाध्यक्ष : केवल डिस्कशन के लिए चर्चा हो रही है।

श्री भैरोंसिंह : डिस्कशन के रूप में तो केवल यहां पर बातचीत ही हो सकेगी। इस पर कुछ न कुछ निर्णय करने लिए कुछ सदस्यों को दस्तखतों से सब्स्टेंटिव मोशन के रूप में पेश किया है, उस पर चर्चा हो। अभी २ कहा गया कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई किसी प्रकार का व्हिप नहीं है तो कम से कम उन्हें अपनी असलियत से मालुम हो जायगी कि उनकी पार्टी के कितने आदमी किस पक्ष में और किस बात को चाहते हैं। अच्छा यही होगा कि सब्स्टेंटिव मोशन के रूप में इसको ले लिया जाय इसमें कोई आपत्ति की बात भी नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : यह सब्स्टेंटिव मोशन के रूप में तो आया नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : आया है।

श्री उपाध्यक्ष : इसके लिए तो मैं यही अर्ज कर दूं कि जब सब्स्टेंटिव मोशन के रूप यहां पर सामने आएगा तो उस समय निर्णय कर सकेंगे अभी तो यह डिस्कशन के रूप में ही है।

श्री गंगासिंह।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंह नगर): इनकी पार्टी के तो दो व्यक्ति राय दे चुके हैं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गंगासिंहजी, आप क्या बोलना नहीं चाहते ?

श्री गंगासिंह (जायल) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा, निवेदन करना है....

श्री उपाध्यक्ष : आप नहीं वे जो पीछे बैठे हैं (श्री फतेहसिंह की ओर मुखापेश) उनके लिए कहा है मैंने।

श्री फतेहसिंह (चोहटन) उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बोलना था....

श्री उपाध्यक्ष : हां आपके लिए कह रहा हूं। सोरी, मैं नाम भूल गया था। फतेहसिंहजी, आपको ही बोलना है।

श्री फतेहसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, जोधपुर से हाई कोर्ट की बेंच को लाने के लिए जो बहस हो रही है....

(व्यवधान-अश्रव्य)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय फतेसिंहजी ! आप प्रारम्भ रखिए।

श्री फतेहसिंह : जो जोधपुर से हाई कोर्ट की बेंच यहां पर लाने का प्रश्न है तो यह कोई बच्चों का खेल नहीं है कि जब चाहें तक कहीं पर भी ले जावें। कल तो कहेंगे कि बीकानेर में बेंच होनी चाहिए, उदयपुर में बेंच होनी चाहिए, फिर कहेंगे कि अजमेर में बेंच होनी चाहिए तो इस तरह से जगह जगह पर बेंचे रखेंगे तो इससे फायदा क्या

Page No. 126

(श्री फतेहसिंह)

होगा। हाई तो एक ही जगह रहनी चाहिये। हाई कोर्ट के अन्दर जितने भी केसेज जाते हैं वे बड़े आदमियों के केसेज जाते हैं वे कहीं पर भी जाकर न्याय प्राप्त कर सकते हैं, ये तो सुप्रिमकोर्ट तक जा सकते हैं। जोधपुर में कोई भी महकमा दूसरा नहीं है। यहां पर तो सेक्रेट्रियेट भी है, मंत्रीमण्डल भी है, दुनियांभर के महकमे यहां हैं जयपुर में हैं। जोधपुर में क्या है? स्टेट के टाइम में वह कितना आबाद था अब आप उसको बिल्कुल बर्बाद करना चाहते हैं। हाईकोर्ट के टुकड़े करके इस तरह से बर्बाद करना चाहते हैं। इसलिए यहां पर हाईकोर्ट का रहना बहुत जरूरी है। यह कोई पंचायतें थोड़े ही हैं कि उनको जगह जगह पर रख दें। यह हाईकोर्ट है और हाईकोर्ट तो एक ही जगह पर रहनी चाहिए।

(कुछ माननीय सदस्यों के बोलने के लिए खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष : श्री हाण्डा।

श्री मुक्तिलाल मोदी : उपाध्यक्ष महोदय, उधर के तो काफी लोग बोल चुके हैं।

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, जब बृजसुन्दरजी मंत्री नहीं थे तो बहुत कहा करते थे कि हाईकोर्ट की बेंच यहां आनी चाहिए। आज चुप क्यों हैं?

श्री उपाध्यक्ष : श्री हाण्डा।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : मंत्रियों का भी एक्सप्रेशन होना चाहिए।

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, दामोदरलालजी व्यास तो उठकर ही चले गये दिखते हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : उपाध्यक्ष महोदय, १९६२ में जब हम यहां आए थे तो एक प्रस्ताव-गैर सरकारी प्रस्ताव-स्वामी कुमारानन्दजी का पहले आया था और इस सदन के अन्दर विचारार्थ लिया गया था और उस समय मेरी पार्टी ने भी अपनी राय हाई कोर्ट की बेंच के सम्बन्ध में प्रस्तुत कर दी थी और इस सदन की राय भी इस सम्बन्ध में आ गई थी। और, उपाध्यक्ष महोदय, सरकार के इस आश्वासन के ऊपर उस रिजोल्यूशन पर वोट नहीं कराया गया था कि सरकार स्वयं इस सम्बन्ध में जल्दी से जल्दी अपना निर्णय घोषित कर रही है। माननीय मुख्य मंत्री ने स्वयं ने यह कहा कि अगर सभी दलों के लोग इस सम्बन्ध में सहमत हो जायं तो वह हाई कोर्ट की बेंच को यहां ले आयेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, आज जब सत्र का अंत है, आज हम इस बात पर विचार कर रहे हैं। चाहे बेंच आये या न आये, इन चार वर्षों के अन्दर सरकार की ओर से कोई कदम इस दिशा में नहीं उठाया गया। इस समस्या को हल नहीं किया गया। जब हम चुनकर आये थे तो उस समय यह प्रश्न था कि अभी आये हैं क्या विचार करें, फिर विचार करेंगे, और आज जब हम इस सत्र से जा रहे हैं और दूसरा सदन आने वाला है तब यह प्रश्न है कि चुनाव आने

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

वाला है इसलिए हाई कोर्ट की बैन्च के सम्बन्ध में विचार नहीं किया जा सकता। उपाध्यक्ष महोदय, जिस जिले से मैं आता हूं उसके लिये जोधपुर का इलाका थोड़ा नजदीक है। जयपुर का इलाका अधिक दूर पड़ता है, और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि हाई कोर्ट के अन्दर क्रिमिनल केसेज ज्यादातर उस जिले के हैं, गंगानगर के जिले के हैं, लेकिन मैं यह जानता हूं कि हाई कोर्ट बैन्च अगर जयपुर में चली जाय, उसकी एक बैन्च जयपुर में चली जाय, तो हाई कोर्ट को जोधपुर में रहने के अन्दर कोई नुकसान नहीं होता है बल्कि राजस्थान की दो-तिहाई जनता को सुलभ न्याय मिलता है। इसलिए गंगानगर का होते हुए भी यह निश्चित रूप से कह सकता हूं कि गंगानगर के लोगों की राय है कि हाई कोर्ट की बैन्च जो है वह जयपुर के अन्दर कायम हो। उपाध्यक्ष महोदय, यही राय बीकानेर के लोगों की है और यही राय चूरू के लोगों की है। उपाध्यक्ष महोदय, इसलिए हाई कोर्ट की एक बैन्च जयपुर में आती है तो जोधपुर को कोई घाटा नहीं है। लेकिन कुछ लोगों ने इसको राजनैतिक प्रश्न बना रखा है। कुछ लोगों ने एक गलत भ्रम लोगों में पैदा कर रखा है, कुछ लोगों ने इसको इलेक्शन का एक इन्स्ट्रूमेंट बना रखा है, और मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि उसमें पार्लियामेन्ट के मेम्बर और गणमान्य लोग हैं। उपाध्यक्ष महोदय, यू०पी० के अन्दर दो बैंचेज हैं—एक इलाहाबाद में और एक लखनऊ में। बम्बई में दो हैं, एक बम्बई में और एक नागपुर में। पंजाब में दिल्ली और चन्डीगढ़ का सिस्टम था और अब दूसरा सिस्टम कायम होने वाला है। अब चन्डीगढ़ के अन्दर हरियाना की बैंच भी होगी, पंजाब की बैंच भी होगी और दिल्ली का भी एडजस्टमेंट होगा, और शिमला में भी एक बैंच है। उपाध्यक्ष महोदय, हिमाचल जैसे छोटे से प्रदेश में भी दो बेन्चेज हैं, बंगाल में दो बैंचेज हैं और केरल जैसे छोटे से एरिया वाले प्रोविन्स में दो बैंचे हैं। और, उपाध्यक्ष महोदय आज तो इंगलैंड के अन्दर कहीं से भी एक घण्टे के अन्दर लन्दन पहुँचा जा सकता है, लेकिन आज जिसके पार्लियामेंट्री प्रोसीजर की हम नकल करते हैं उस इंग्लैंड सरीखे देश में सर्किट बैंचेज होती थीं और वह गांव गांव में वह जाती थीं तो वहां पर पुकार होती थी कि राड ऑफ जस्टिस इज कमिंग। उपाध्यक्ष महोदय, क्या कारण है कि पढ़े-लिखे लोग केवल राजनीति के कारण जोधपुर के लोगों को गुमराह करते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, जोधपुर को कतई कोई हानि होने वाली नहीं है, लेकिन लोगों को न्याय सलुभ प्राप्त होता है।

राव कमीशन की बात कहते हैं तो राव कमेटी ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी और अशोक सेन उस समय विधि मन्त्री थे तो सारे भारतवर्ष के विधि मन्त्रियों की एक कान्फ्रेन्स हुई तो उसमें उस रिपोर्ट की धज्जियां उड़ा दी गई। उस रिपोर्ट की कोई पोजीशन नहीं है। लॉ कमीशन की रिपोर्ट उसके कन्ट्राडिक्टेरी है। माननीय भूतपूर्व विधि मन्त्री ने कुछ समय पहले जयपुर में इस बात को कहा है कि वे इस बात के निश्चित मत के हैं कि हाई कोर्ट की बैंच जयपुर में स्थापित हो। इसलिए

Page No. 128

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

मुझे कोई कारण समझ में नहीं आता है कि हाई कोर्ट की बैंच जयपुर में क्यों नहीं स्थापित हो।

आज से ५ साल पहले इस सरकार ने हमको आश्वासन देकर स्वामी कुमारानन्दजी के रिजोल्यूशन पर वोटिंग नहीं होने दिया, हमनें उस रिजोल्यूशन को विथड्रा किया। आज यह सरकार उस अपने आश्वासन के साथ न्याय कर दे। अगर वह न्याय नहीं करती है तो इसी सदन में उसके लिए वोटिंग करवाया जाय और ५ साल के पहले के प्रश्न को आज तय किया जाय।

श्री मुक्तिलाल मोदी : माननीय उपाध्यक्षजी,

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री) उपाध्यक्षजी, मैं कोई भाषण देने के बजाय इस प्रश्न पर....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार जयपुर) : आप सबके बाद में बोलें।

श्री भैरोंसिंह : डिबेट क्लोज हो रहा है या चलेगी ?

श्री नाथूराम मिर्धा : क्लोज हो रही है

श्री रामानन्द अग्रवाल : माननीय मुख्य मन्त्रीजी कुछ और लोगों को बोलने दें।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : घण्टे भर का समय रखा था। मेरा स्वास्थ्य खराब होने की वजह से ६ बजे से पहले मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कुछ लोग और बोलना चाहते हैं।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : माननीय उपाध्यक्षजी, जैसी व्यवस्था दें वही मुझे मन्जूर है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह एक ऐसा प्रश्न है कि जिस पर अलग अलग विचार-धाराओं के लोग अपने अपने विचार जाहिर करना चाहेंगे और माननीय मुख्य मन्त्रीजी उन सब के बाद में बोलें।

श्री उपाध्यक्ष : समय निर्धारित था।

श्री रामानन्द अग्रवाल : ६ बजे तक तक का था।

श्री नाथूराम मिर्धा : वह हाउस का टाइम किया है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : और प्रस्ताव भी हैं जो लेने हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : सभी की बातें आ जायें।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : हांडा साहब बोल गये न आपकी तरफ से।

श्री नाथूराम मिर्धा : जनसंघ की बात भी आ जाय।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : श्री मुक्तिलाल जी मोदी की कीमती राय भी आ जाय।

श्री सतीशचन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, यह अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक ऐसे प्रश्न पर जिस पर कोई विवाद नहीं होना जाहिए था उस पर इतना विवाद राज्य सरकार ने खड़ा कर दिया है। हमें इस बात का बड़ा दुःख है कि इस मसले को लेकर कुछ ऐसी भावनाओं को उभारा जा रहा है जिनको मैं और मेरा दल कोई समर्थन नहीं कर सकता। जयपुर और जोधपुर, पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान का सीमा प्रान्त का अलग प्रदेश बनाने की मांग जो कांग्रेस के नेताओं के संरक्षण में खड़ी की जा रही है यह इस प्रदेश के लिए अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण है।

श्री फूलचन्द जैन (सुजानगढ़) : सब आपकी पार्टी की तरफ से है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जहां तक मेरी पार्टी का सवाल है हम इस मांग का समर्थन नहीं करते हैं। मेरी पार्टी का कोई सदस्य है तो वह इस मांग के साथ होगा या पार्टी के साथ होगा-यह मैं निश्चित रूप से कहता हूं। मैं ऐसी मांग का समर्थन नहीं कर सकता। मैं सीमा प्रदेश और सीमा प्रान्त के अनेक छोटे-छोटे राज्य बनाने की मांग, जिसके बारे में जोधपुर के लोग संकेत करते हैं, का समर्थन नहीं कर सकता। उसको एक ऐसे प्रश्न के साथ जोड़ कर उठाया गया है यह अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं समझता हूं कि इस प्रश्न के ऊपर यदि सद्भावना के के साथ, जैसा कि सरकार ने इस सदन में आश्वासन किया था उसी आधार पर यदि विचार किया जाता तो मैं नहीं समझता कि देश के इतने उलझे हुए मसलों को हम सुलझा सकते हैं तो इस एक छोटे से मसले को जो राज्य की इतनी बड़ी जनता को न्याय देने के सम्बन्ध में है, उसको हम पूरी तरह नहीं सुलझा सकें। मुझे पूरी उम्मीद इस बात की थी कि माननीय मुख्य मन्त्री जी वास्तविक रूप से इसमें दिलचस्पी लेकर यदि कोई निर्णय पर पहुँचने की कोशिश करने तो कोई ऐसी असम्भव बात नहीं है कि वह उसका हल नहीं कर पाते। हम इस प्रश्न पर कोई बहुत बड़ा आन्दोलन खड़ा नहीं करना चाहते लेकिन जनता को सस्ता और सुलभ न्याय देने का सवाल है वहां यह गलत भ्रम फैलाया जा रहा है कि जोधपुर से हाई कोर्ट उठाई जा रही है। लोगों की भावनाओं को उभार कर यह चीज की जाती है वह उसी तरह की गलत बात है, इस बात का भ्रम फैला दें कि प्रदर्शन में किसी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई और पहले हो गई, और जन भावना को उभार कर हिंसात्मक कार्यवाही करें। जोधपुर से हाई कोर्ट हटाने का सवाल नहीं है। जोधपुर में हाई कोर्ट रहें। सवाल इस बात का है कि जनता की मांग है, जयपुर में हाई कोर्ट की बेंच कायम की जाय, तो हाई कोर्ट की बेंच कायम होनी चाहिए। एक माननीय सदस्य ने कहा कि बीकानेर के लोग भी कहेंगे। उदयपुर में हाई कोर्ट की बेंच हो, मैं कहना चाहता हूं कि यह जनतंत्र है और प्रजातंत्र के देश में यदि जनता इस बात को चाहती कि बीकानेर में हाई कोर्ट की बेंच हो, उदयपुर के लोग भी कहेंगे। कोटा में हाई कोर्ट की बेंच हो और यदि उनकी वाजिब मांग लगती है तो प्रजातन्त्र का तकाजा है कि उस मांग पर सहानुभूति से विचार करें। जयपुर और जोधपुर का इसमें सवाल नहीं है। दुर्भाग्य इस बात का है कि जोधपुर में हाई कोर्ट की वकालत करने वाले लोगों ने हाई कोर्ट के मसले को इसलिए उलझाया है कि वहां का

Page No. 130

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

विकास नहीं किया गया । जोधपुर के लोगों की समस्यायें हैं, आज उनके जीवन यापन की समस्या है, जोधपुर में बेकारी है, क्योंकि जोधपुर का इन्डस्ट्रीयलाइजेशन नहीं हुआ, वहां का एग्रीकल्चर प्रोडक्शन नहीं बढ़ा, जोधपुर में किसी प्रकार का विकास करने के बारे में राज्य सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया और दुर्भाग्य इस बात का और है कि जोधपुर जो कि एक बड़ा शहर है, जो राजस्थान के दूसरे नम्बर का शहर है, उस शहर में पीने के पानी की जितनी किल्लत है, शायद राजस्थान के किसी दूसरे भाग में नहीं होगी । उस समस्या को आप नहीं सुलझा सके । एक नहीं अनेक समस्याएं हैं, जोधपुर की समस्याओं के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं कि जोधपुर से आने वाले प्रतिनिधियों ने कभी भी जोधपुर के विकास की दृष्टि से कभी भी कोई बात नहीं रखी है इस सदन में । जोधपुर विश्व-विद्यालय की हालत क्या है, उसकी हालत को कैसे सुधारा जाय, उस पर ध्यान नहीं देते....

श्री नाथूराम मिर्धा : विषय तो हाई कोर्ट की बैंच होने या न होने का है । अगर जोधपुर के विकास और अविकास के मामले को कहने लगे तो बहस बहुत लम्बी हो जायगी ।

श्री मानसिंह महार (आमेर) : आपने कल भाषण दो घण्टे तक दिया तो आपने क्या भाषण दिया था ?

श्री नाथूराम मिर्धा : जोधपुर के विकास के मामले को इससे जोड़ेंगे तो यह असंगत है । आप कहते हैं कि जोधपुर में पानी की व्यवस्था नहीं है, आपको पता होना चाहिये कि ढाई करोड़ रुपया खर्च करके जवाई से पानी लाये हैं ।

श्री भैरोंसिंह : क्या विकास किया आपने जोधपुर का ?

श्री नाथूराम मिर्धा : यदि मैं यह बताने लगा तो बहुत झगड़ा हो जायगा....

श्री भैरोंसिंह : कोई झगड़ा नहीं होगा, आप अपनी जिम्मेवारी से बचने के लिए यह कह रहे हैं ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मेरा सरकार पर यह आरोप है कि जोधपुर का आपने विकास किया नहीं, जोधपुर की जनता को बाइफरकेट करने के लिये....

श्री नाथूराम मिर्धा : जोधपुर के विकास के बारे में आप कहते हैं उसको हम बर्दाश्त नहीं कर सकते । जोधपुर हाई कोर्ट के प्रश्न के साथ इसको जोड़ेंगे तो हमें एक एक आंकड़ा बताना पड़ेगा । आप कन्फ्यूज्ड न होवें ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह सवाल इसलिये है कि जोधपुर की जनता जब कभी विकास के बारे में मांग करती है तो इस तरह से टालना चाहते हैं....

श्री नाथूराम मिर्धा : जोधपुर की जनता की विकास के लिये मांग आती है तो उसको पूरा करते हैं । हाई कोर्ट का मामला इसके साथ जोड़ दिया ।

Page No. 131

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जोधपुर की जनता का सत्यानाश कर दिया। हाई कोर्ट के नाम पर गुमराह करना चाहते हैं।

श्री नाथूराम मिर्धा : आप जयपुर की जनता को बेंच के नाम से गुमराह कर रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जोधपुर में कुछ नहीं कहा, यदि इस सवाल को राजनैतिक बनाया है तो जयपुर जिला कांग्रेस ने बनाया है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आपके भूतपूर्व विधि मंत्री श्री अशोक सेन ने बनाया है।

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं हाई कोर्ट बेंच के बारे में निवेदन करना चाहता हूँ कि जोधपुर और जोधपुर एरिया के विकास की बात को इस प्रश्न के साथ न जोड़ें। उसके बारे में आपको और कहने का मौका है और हमको जवाब देने का मौका है।

श्री भैरोंसिंह : आप यह बात बता दीजिये कि श्री रामकिशोर व्यास और राजबहादुरजी ने जो स्टेटमेंन्ट दिया है उसकी आप ताईद करते हैं या नहीं?

श्री नाथूराम मिर्धा : आप गुमानमल जी से भी तो पूछिये, वे हाई कोर्ट के बारे में क्या कहते हैं!

श्री भैरोंसिंह : रामकिशोरजी व्यास ने क्या कह दिया? रामकिशोरजी प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं और गुमानमल जी जिला जनसंघ के अध्यक्ष हैं....

श्री नाथूराम मिर्धा : गुमानमलजी क्या कह रहे हैं?

श्री भैरोंसिंह : क्या रामकिशोरजी और गुमानमलजी की एक ही पोजीशन है?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : जनसंघ पार्टी के बड़े नेता क्या कहते हैं?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपको शायद पता नहीं है कि गुमानमलजी लोढ़ा ने उस स्टेटमेन्ट को रिफ्यूट कर दिया है।

श्री नाथूराम मिर्धा : कब कर दिया है? परसों वे मीटिंग में शामिल थे। आपकी चिट्ठी जाने से कर दिया है क्या?

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : यह बात राजस्थान जनसंघ के अध्यक्ष कह रहे हैं, कोई मामूली मन्त्री नहीं कह रहे हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : एक बात साफ हो गई, राजस्थान कांग्रेस में....

(व्यवधान)

राजस्थान मन्त्रि-मण्डल के लोग बरगलाते हैं, उन्होंने तानाशाही स्थिति कायम कर रखी है, राजस्थान कांग्रेस का कोई संगठन इसकी ताईद नहीं करता।

श्री नाथूराम मिर्धा : आपको क्या दर्द है?

(व्यवधान)

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक) : गुमानमलजी लोढ़ा की मिसाल यहां कैसे देते हैं? समझ में नहीं आता।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : उपाध्यक्ष महोदय, यह बात साफ हो गई कि राजस्थान की विरोधी पार्टियों में डिसिप्लिन है, जनसंघ डिसिप्लिन्ड पार्टी है, एस. एस. पी. डिसिप्लिन्ड पार्टी है और जोधपुर हाई-कोर्ट के बारे में जो विरोध हो रहा है उसमें फर्क नहीं है। यदि फर्क है तो कांग्रेस पार्टी में है....

श्री नाथूराम मिर्धा : आप अपने मुंह से डिसिप्लिन्ड बन जाओ, वीर बन जाओ, बहादुर बन जाओ, चमत्कारी बन जाओ, लेकिन दुनियां नहीं मानती, हम नहीं मानते, जनता नहीं मानती....

(व्यवधान)

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं केवल यही निवेदन करना चाहता हूं कि हम सदन के नेता से इस बारे में कुछ सुनना चाहते थे। आप अनुशासन रखने की चेष्टा करें। हमारे नेता से यह आकांक्षा की गई थी, हम भी आपसे आकांक्षा करते हैं कि व्यवस्था कायम रखी जाय।

श्री मानिकचन्द सुराणा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि सदन के नेता को जोधपुर वालों की गुटबन्दी से मुक्त कराया जाय और जोधपुर के प्रतिनिधियों को पीछे बिठाइये ताकि सदन में वे अपनी राय जाहिर कर सकें।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना) : कुछ ऐसा मालूम पड़ता है कि आज राजस्थान के मुख्य मन्त्रीजी की स्थिति कुछ ऐसी राजनैतिक तरीके से डांवाडोल है कि वे बहादुरी के साथ, सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ अपनी राय जाहिर नहीं कर सकते।

श्री नाथूराम मिर्धा : डांवाडोल....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : श्री अग्रवाल।

श्री भैरोंसिंह : इस समय सब जगह के प्रतिनिधि लोग आये हैं, बृजसुन्दरजी की आत्मा बोल रही है लेकिन जबान बन्द है। मैं निवेदन करूंगा कि इस प्राणी को मुक्त कराया जाय।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय,...

श्री उपाध्यक्ष : आप कितनी देर में समाप्त करेंगे?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: जल्दी करूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, माननीय कृषि मन्त्रीजी ने यह कहा है कि गुमानमलजी लोढ़ा ने जोधपुर में विरोध किया है, यदि इस प्रकार की बात है तो वे इस बात का सदन में आश्वासन दें कि मैं २ दिन में गुमानमलजी का स्टेटमेन्ट लाकर दूं कि जयपुर में बैंच कायम होनी चाहिए ऐसा उन्होंने कहा है, तो क्या वे यहां पर बैंच कायम करने को तैयार हैं?

श्री नाथूराम मिर्धा : आप स्टेटमेन्ट लाकर दे देंगे तो आपकी मंशा के माफिक थोड़े ही बैंच यहां पर कायम हो जायगी।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कहीं पर सरकार टिके तो सही। मैं नाथूरामजी से निवेदन करूंगा कि आपने इस हाउस में हाथ ही दिखाया है और कुछ नहीं दिखावें...

श्री भैरोंसिंह : वह आदत तो छूट गई ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : दिखाते नहीं देखते हैं ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि इस दृष्टि से श्री रामकिशोरजी व्यास, जो प्रोविन्शियल कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं और गुमानमलजी लोढ़ा जो जिला जनसंघ के अध्यक्ष हैं उन दोनों को बराबर ला कर रखा है । यह बात सही है कि कांग्रेस अध्यक्ष की विशेष कीमत जैसी होनी चाहिये वैसी इनकी नजर में नहीं है । ऐसा लगता है कि प्रोविन्शियल कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सुखाड़ियाजी के स्लीपिंग सूट हैं इससे ज्यादा नहीं हैं । क्योंकि रामकिशोर जी जो राय जाहिर करें उसकी वकत नहीं है । सुखाड़ियाजी ने वक्तव्य दिया था कि सारे राजनैतिक दल एक मत से राय जाहिर करें, तो सात दिन में हमने राय जाहिर कर दी । आज कांग्रेस हाई कमांड के विरोध के ऊपर कोई अमेरिका का पक्ष ले सकता है, कोई बैंक के राष्ट्रीयकरण के प्रश्न पर हाई कमान्ड से विरुद्ध जा रहा है। प्रोविन्शियल कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ने जो राय जाहिर की है उसके आधार पर मैं कहना चाहता हूं कि मुख्य मन्त्रीजी को इस बात को टालना नहीं चाहिये । कारण सामने स्पष्ट है । इसको राजनैतिक प्रश्न बनाना एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है ।

मैं कहना चाहता हूँ कि इन्टिग्रेटेट हाई कोर्ट के नाम पर, इन्टिग्रेटेड प्रिन्सिपल के नाम पर, लॉ कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में कहा है, केरल जैसे प्रान्त में दो-दो बैन्चेज़ मौजूद हैं । लॉ कमीशन की रिपोर्ट के बाद भी बैन्चेज़ कायम हुई हैं, राजस्थान में कायम नहीं हुई यह राजस्थान सरकार की कमजोरी का नमूना है जिसके कारण यहां पर बैन्च कायम नहीं हो सकी ।

मैं समझता हूं कि इस सारे सवाल पर, इस सारे प्रश्न पर राज्य सरकार को गम्भीरता से विचार करना चाहिए । इस पर, उपाध्यक्ष महोदय, ज्यादा विवाद करने का कोई सवाल खड़ा नहीं होता, यह जनता की मांग है, यह न्यायोचित मांग है, यह सस्ता और सुलभ न्याय देने की मांग है । मैं समझता हूं कि जोधपुर में हाई कोर्ट रहे और वहां के लोगों को सस्ता और सुलभ न्याय मिले–इसके अन्दर किसी का कोई विरोध नहीं हो सकता । लेकिन जोधपुर की वकालत आज कांग्रेस पक्ष के सब लोगों द्वारा की गई है लेकिन हमने इस प्रश्न पर भी सम्पूर्ण राजस्थान के हित की वकालत की है और इससे जैसलमेर और बीकानेर सब जिलों के लोगों को सुविधा मिलेगी । हमने कभी भी क्षेत्रियता के आधार पर किसी सवाल पर विचार नहीं किया । जोधपुर में विश्व विद्यालय की स्थापना हो–इसकी मांग हमने की हैं । जोधपुर के विश्व-विद्यालय की व्यवस्था अच्छी हो-इसकी मांग हमने की है । जोधपुर के विश्व विद्यालय में कोई गड़बड़ियां न हों–इस ओर सरकार द्वारा ध्यान दिया जाय–इस बात की हमने मांग की है । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जनता का ध्यान मूल समस्या पर से हटा कर ऐसी और समस्या के अन्दर, ऐसे और सवालों के अन्दर लोगों का ध्यान उलझाना, मैं समझता हूं, न्याय संगत नहीं है । इस

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

सदन के १०६ माननीय सदस्यों ने दस्तखत करके दिये हैं-उसमें इस पक्ष के भी माननीय सदस्य हैं और कांग्रेस के माननीय सदस्य भी हैं, जब उन १०६ माननीय सदस्यों ने दस्तखत करके दिये हैं तो क्या १७६ सदस्यों में से १०६ का बहुमत नहीं होता है ? क्या उनकी राय की कोई कीमत नहीं है ? इस सदन के १०६ माननीय सदस्य यह लिख कर चीफ मिनिस्टर को दे दें, इस गवर्नमेंट को दे दें कि हाई कोर्ट की बैंच जयपुर में होनी चाहिए और वह सब इसका समर्थन कर दें-इसके बाद भी यह कहा जाय कि इस हाउस की मन्शा साफ नहीं है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस सदन के १०६ माननीय सदस्यों के दस्तखत करके दे देने से इस सदन की मन्शा साफ है। इसके अलावा सभा दलों ने इसका समर्थन किया है कि जयपुर के अन्दर हाई कोर्ट की बैंच हो। राजस्थान प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष ने इस मांग का समर्थन किया है, कांग्रेस के विधान सभा दल के मन्त्री, श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा ने इस मांग का समर्थन किया है, कांग्रेस पार्टी के व्हिप श्री जयकृष्ण ने इस मांग का समर्थन किया है। फिर आपको किस बात का समर्थन चाहिए, कौनसा समर्थन चाहिये ? यह एक ऐसा सवाल है, मैं निवेदन करना चाहता हूं, जिसके सम्बन्ध में विरोधी दलों ने और कांग्रेस ने मिल कर एक राय दी है। यह एक ऐसा सवाल है जिस पर विरोधी दल और कांग्रेस एक मत हैं। इसलिए मैं मुख्य मंत्रीजी से खास तौर से निवेदन करना चाहूंगा कि वह इस प्रश्न को प्रतिष्ठा का प्रश्न न बनायें, वह इस प्रश्न को उलझायें नहीं, वह इस प्रश्न के अन्दर पेचीदगिया नहीं डालें। छोटी-छोटी बातों को लेकर जोधपुर और जयपुर का झगड़ा उत्पन्न कर जो चिनगारी सुलगाई गई है यह राजस्थान के प्रदेश के लिए अत्यन्त घातक है। और यह उसी का परिणाम है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि क्षेत्रीय भावनायें उत्पन्न करके समस्यायें उत्पन्न करना जनता का ध्यान मूल समस्या से हटाने का प्रयास है और यह उनके अन्दर क्षेत्रीय भावनायें उभारने का प्रयास है और यह मुख्य मन्त्रीजी आपके लिए शोभाजनक नहीं है। आप केवल जोधपुर के नेता न हों, आप सारे राजस्थान के नेता बनिये। किसी एक क्षेत्र के नेता मत बनिये। पर दुर्भाग्य की बात यह है कि आज राजस्थान के मन्त्री अलग अलग क्षेत्रों के नेता बने हुए हैं। राजस्थान का एकीकरण तो हो गया है लेकिन दुर्भाग्य है कि राजस्थानियों का एकीकरण नहीं हुआ है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस सम्बन्ध में ज्यादा समय न लेते हुए. वैसे जो समय निर्धारित है उससे कुछ ज्यादा समय लिया है, लेकिन आपकी अनुमति से मैं इस प्रश्न को प्रस्तुत करते हुए माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इस प्रश्न पर इस स्थिति से, इस मन:-स्थिति से विचार करें तो मैं समझता हूँ कि समस्या का समाधान हो सकता है।

श्रीमती कमला बेनीवाल (उप-मन्त्री, योजना) : उपाध्यक्ष महोदय. मैं दो मिनिट कहना चाहती हूँ।

श्री रामानन्द अग्रवल : केवल पांच मिनिट।

Page No. 135

श्री उपाध्यक्ष : एक सब्सटेंटिव मोशन उपस्थित हुआ है, श्री रामानन्द अग्रवाल और श्री मानिकचन्द सुराणा ने दिया है लेकिन क्योंकि यह विधिवत नहीं है इसलिए इसको स्वीकार नहीं किया जा सकता ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : विधिवत क्यों नहीं है ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने रिजोल्यूशन भी भेजा था। मैं केवल पांच मिनिट के लिए बोलना चाहता हूँ। मुझे पांच मिनिट बोलने दिया जाय। मैंने नॉन-ऑफिशियल रिजोल्यूशन भी भेजा था लेकिन क्योंकि गैर-सरकारी दिवस नहीं रखा गया इसलिए प्रश्न सामने आने का रहा नहीं, पर मुझे विचार रखने का मौका दिया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष : अब चूंकि समय सीमित है. इसलिए आप पांच मिनट में समाप्त कर दें और बाद में कोई न बोलें तो हो सकता है ।

श्री मानसिंह महार : पांच मिनिट क्या नौ बजे तक चलेगा हाउस । इसे सीमित मत करिये ।

श्री नाथूराम मिर्धा : आप (मुख्य मंत्री) बोलें ।

श्री राधाकृष्ण गोयल : आपके पीछे बैठी एक महिला भी बोलना चाहती हैं, उनका तो आप ध्यान रखिये ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : केवल पांच मिनिट ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री): बहुत वाद-विवाद हो गया है, अब क्या ?

श्री रामानन्द, अग्रवाल : मैंने मोशन भेजा है तो मुझे मौका मिलना चाहिए ।

श्री उपाध्यक्ष : क्योंकि समय नहीं है इसलिए आपको न बोलने के लिए निवेदन करना चाहता हूँ । Yes.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : उपाध्यक्ष महोदय, मैं, जो सदन में अभी वाद-विवाद हुआ, उसमें न जाते हुए एक संक्षिप्त वक्तव्य केवल देना चाहता हूँ इस विषय पर और उसको पढ़ कर सुनाता हूँ :

जयपुर में उच्च न्यायालय की बैंच स्थापित करने के सम्बन्ध में समय समय पर इस विधान सभा में प्रश्न उठता रहा है और मैंने हमेशा यही कहा है कि इस प्रश्न को आपसी मेल-जोल और सद्भावना से हल करना चाहिए। राज्य सरकार ने जयपुर से बैंच हटाने का फैसला लॉ कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर नहीं किया था, बल्कि उसका आधार राव कमेटी की सिफारिश थी। राव कमेटी की स्थापना भारत सरकार ने इसलिए की थी कि स्टेट्स रिआर्गेनाइजेशन कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार अजमेर और राजस्थान का एकीकरण किया जा रहा था और यह आवश्यक समझा गया कि एक निष्पक्ष कमेटी सब जगह की राय जान कर कौनसा विभाग कहां रखा जावे, उसका निर्णय करे। उस समिति ने जो सिफारिश की उसको गृह मंत्रालय ने स्वीकृत किया और राज्य सरकार ने उसको कार्यान्वित किया। जब वृहत् राजस्थान का निर्माण

(श्री मोहनलालसुखाड़िया)

हुआ था, उस समय भी पटेल कमेटी का निर्माण किया गया था और उसके निर्णय के अनुसार राजस्थान में कहां राजधानी हो, कहां अन्य विभाग हों, तय किये गये थे। सरकार की यह मान्यता है कि एकीकरण के सन्दर्भ में जो निर्णय निष्पक्ष समितियों की सिफारिशों पर लिये गये हैं, उनको आन्दोलनों के आधार पर या विधान सभा में मतों के आधार पर तय करना राजस्थान के एकीकरण की भावना पर आघात पहुँचाने वाले साबित हो सकते हैं, अतः इन निर्णयों में कोई परिवर्तन करना हो तो उसे सब की सहमति और सद्भावनापूर्ण वातावरण में ही किया जाना चाहिए।

मैं माननीय सदस्यों से यह निवेदन करना चाहूँगा कि वह इस प्रश्न पर राजस्थान के व्यापक हित को लक्ष्य में रखते हुए विचार करेंगे।

राव कमेटी के प्रतिवेदन में मुख्य न्यायालय सम्बन्धी अध्याय के अन्तिम अनुच्छेद का उद्धरण मैं यहां पर देना चाहता हूँ। वह अंग्रेजी में ही उसकी रिपोर्ट में है इसलिए मैं उसको अंग्रेजी में पढ़ कर सुनाता हूँ :

'Before we leave this subject we wish to mention that the Chief Minister whom we met observed with concern that unless the abolition of the Benches of the High Courts was decided as a policy on an all-India basis, the abolition of Jaipur Bench might lead to public agitation. While the events that have occured elsewhere in the recent past justify this apprehension, it is not within our purview to make allowance for a factor of this kind. We are concerned only with taking note of all the relevent circumstances in order to decide what is best in the interest of the State of Rajasthan and to ensure the efficient and speedy administration of justice. Protection of vested interests and parochial considerations must be cast aside in an enquiry of this nature. The Government of India is the sole authority to take a decision on a policy applicable to the whole of India. We have been asked to advise the Government on a matter relating to Rajasthan alone and we have endeavouaed to arrive at a dispassionate conclusion intended to Promote the interests of the State and of administration of Justice.'

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह पिछली बार पढ़ा था वही है, दो साल पहले पढ़ा था वक्तव्य उसकी कॉपी है।

श्री भैरोंसिंह : एक जानकारी मैं मुख्य मंत्री से लेना चाहूँगा कि सद्‌भावनापूर्ण वातावरण बन जाय तो उसमें निर्णय लिया जा सकता है, यह आपने कहा, तो क्या आप गारन्टी देते हैं, यदि यह जलूस और प्रदर्शन खत्म हो जायं, उसके बाद में सद्‌भावनापूर्ण वातावरण हो जाय तो जो कमीशन के सामने व्यू होल्ड किया था कि हाई कोर्ट की बैंच यहां रहनी चाहिये उसके ऊपर आप अमल करना चाहते हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैंने इसमें, मैं समझता हूं जो कहना था, उसको स्पष्ट तौर से कहा है। एक शांत वातावरण, उपयुक्त वातावरण बने और सबके मेलजोल से कोई निर्णय हो तो उसके अन्दर कोई एतराज नहीं है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मेलजोल की क्या व्याख्या है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मेरा मुख्य आधार कहने का यह है कि यह निर्णय राजस्थान के इन्टिग्रेशन के वक्त उस संदर्भ में लिया गया था, उन निर्णयों को परिवर्तन करने के लिए एक सद्‌भावनापूर्ण वातावरण में और सबकी सहमति से हम निर्णय लें तो वह राजस्थान के हित में होगा।

श्री भैरोंसिंह : आपका मतलब यह है कि एक भी विरोधी नहीं चाहिए ?

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : उसका तरीका क्या है, यह सद्‌भावनापूर्ण वातावरण कैसे पैदा होगा ?

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : आपकी आज्ञा है क्या कि मैं कुछ बोल सकता हूँ ?

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : एक व्यवस्था का प्रश्न है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह समझता हूं कि यह बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और न्याय व्यवस्था से सम्बन्धित है। यह न्याय व्यवस्था बड़ी पवित्र और विकसित पूर्ण जनतन्त्र में है और मैं यह नहीं समझता कि यह ऐसा मसला नहीं है सदन के अन्दर बार बार माइनेरिटी या मेजोरिटी के सिद्धान्तों पर आवे। जो मुख्य मन्त्री ने अभी कमेटी के अभिमत को पढ़कर सुनाया वह महत्वपूर्ण है, मैं इसको मानता हूँ। राजस्थान सरकार को भी, मैं मानता हूँ कि भलीभांति यह बात विदित है कि राजस्थान की अधिकांश जनता की क्या भावना है। हमें सरकार को अगर कोसना है तो हम उनके खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव ला कर कोस सकते हैं। लेकिन यह कोई पोलिटिकल केपिटल बनाने की चीज नहीं हैं और मेरे ख्याल से एक ऐसी महत्वपूर्ण चीज को एक पोलिटीकल कलर देना सर्वथा सदन की सेवा के विपरीत है।

मैं माननीय सदस्यों को भी यह निवेदन करूंगा कि जनतन्त्र की स्वस्थ्य परम्पराओं को मद्देनजर रखते हुए और इसकी पविजता को देखते हुए अपने आपको नियंत्रित रूप से उनकी भी जिम्मेदारी इस सदन में है उसको मद्देनजर रखते हुए जो कुछ भी कहना है कहें। मैं कांग्रेस की सरकार को सिर्फ यही निवेदन करना चाहूंगा कि सद्‌भावनापूर्ण बातावरण बनाने के लिए सर्व प्रथम सरकार ही ऐसा कदम उठावे कि सद्‌भावनापूर्ण वातावरण बनाकर यह समस्या इस सदन में आए बिना ही सीधी केबिनेट जुडिशियरी के बीच में ही यह तय

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

हो जाए तो मैं यह कहूंगा कि इससे बढ़कर सोने में सुगन्ध और क्या हो सकती है। मेरे ख्याल से इस विषय पर लंबा करके और कटुता पैदा करना और इसको पोलिटीकल बैक ग्राउण्ड देना इस सदन की शान के विपरीत है और मेरे ख्याल से चीफ मिनिस्टर और राजस्थान की सरकार की शान के विपरीत है, इसलिए मेरा विनम्र निवेदन है कि इस पर जो कुछ कहा गया है वह बहुत काफी है। मेरा यही निवेदन है कि सद्भावना का वातावरण आप विकसित करें और इसका कोई हल निकालें।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह जयपुर और जोधपुर की सद्भावना की बात नहीं है। पहले आप अपने मन्त्रि मण्डल में मेल-जोल कर लें तो अच्छा हो। नाथूरामजी, बरक्कतुल्लाखां और निरन्जननाथजी आचार्य और हरिश्चन्द्रजी, हरिदेवजी जोशी आदि हैं उनमें आपस में मेलजोल करायें। मगर दुर्भाग्य की बात है कि मन्त्रि-मण्डल जो यहां पर बैठा है उसके आपस में ही झगड़े हैं। इसलिए मैं कहूँगा कि आप पहले मेलजोल राजस्थान के मन्त्रि-मण्डल में करा लें।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न के साथ बार बार दूसरी बातों को दोहराया जाता है। नो-कॉन्फीडेंस मोशन में बहुत कहा गया है मगर हाईकोर्ट के लिए मैंने आपको अभी बताया है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इसके अभी नहीं तो चार महीने बाद भी देख लेंगे। नो-कॉन्फीडेन्स में देख लेंगे।

श्री मुकटबिहारीलाल गोयल : उपाध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है। मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि अभी मुख्य मंत्रीजी ने अपना स्टेटमेंट सदन में रखा है उसमें उन्होंने इस हाउस का अपमान किया है। उन्होंने यह बात कही है कि........

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : यह कोई पोइन्ट ऑफ ऑर्डर नहीं है।

श्री मुकटबिहारीलाल गोयल : आपने मेरा पोइन्ट ऑफ ऑर्डर पूरा सुना ही नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : मैं समझ गया आपके पोइन्ट ऑफ ऑर्डर को।

श्री मुकटबिहारीलाल गोयल : मैं आपके मार्फत इस सदन की मर्यादा के लिये कहना चाहता हूं कि अभी मुख्य मंत्रीजी ने कहा है कि इस विधान सभा में मतों के द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता।

श्री मथुरादास माथुर : यह नहीं कहा है।

श्री मुकटबिहारीलाल गोयल : यह हाउस ऑगस्ट बॉडी है।

श्री उपाध्यक्ष : ऐसा नहीं कहा है।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : मैं यह निवेदन करूंगा कि यह कह कर उन्होंने

(श्री मुकटबिहारीलाल गोयल)

विधान सभा का अपमान किया है । मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि मुख्य मंत्रीजी ने जो ये शब्द कहें हैं उन शब्दों को सदन की कार्यवाही से एक्सपंज किया जावे । मैं यह निवेदन करूंगा कि यहां पर मतों के द्वारा निर्णय लिया जाता है, वह राजस्थान की जनता का निर्णय है ।

श्री उपाध्यक्ष : यह नहीं कहा ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : उपाध्यक्ष महोदय, आपने जो व्यवस्था दी कि सबस्टेन्टिव मोशन जो अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने और मैंने रखे वे ऑर्डर में नहीं हैं और नियमों के अनुकूल नहीं हैं । उपाध्यक्ष महोदय, जो सब्सटेन्टिव मोशन के लिये कार्य संचालन संबन्धी नियमों में परिभाषा दी है उसको मैं पढ़ कर सुनाता हूं, जो इस प्रकार है । :—

"When the House wants to clearly express its view on a point, this is called substantive motion." मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमने हमारे मोशन में साफ तौर से चाहा है........

श्री नाथूराम मिर्धा : Chair's ruling cannot be discussed like this.

(व्यवधान)

श्री मानिकचन्द सुराणा : यह आपको राय देने का अधिकार है वह मेरे भाषण के बाद में देने का है माननीय कृषि मंत्रीजी । यह बहुत जल्दी है कि जोधपुर के पक्ष में यह मामला तय हो जाना चाहिये और मैं कहूँगा कि जितना आप चाहते हैं और समझते हैं कि जल्दी जोधपुर के पक्ष में तय हो जाना चाहिये उतना जल्दी तय होने वाला नहीं है । यह आप मान कर चलिये ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपकी भी बारी आ जावेगी ।

(श्री मथुरादास माथुर के खड़े होने पर) आपकी बारी आ जावेगी ।

श्री मथुरादास माथुर : मेरी बारी ?

श्री सतीशचंद्र अग्रवाल : मैं नाथूरामजी से कह रहा था । आप भी बोल लेना । अभी तो आप बोलेंगे, कुंभारामजी बोलेंगे, हरिश्चन्द्रजी बोलेंगे, सभी लोग इस पर बोलेंगे । आप जैसे लोग जो वोटों के लिये ग्रीडी हैं बोलेंगे जो....

श्री मानिकचंद सुराणा : हमने जो मोशन भेजा है वह कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के अनुसार है और कार्य संचालन की तारीफ में आता है । इसलिये मेरा यह निवेदन है कि यदि सत्तारूढ़ दल यह चाहे कि सदन में वोटिंग नहीं हो और सदन में इस प्रकार से इसको नहीं रखना चाहते ।....

एक माननीय सदस्य : आज कांग्रेस पार्टी का सत्तारुढ़ दल यह नहीं चाहता कि इस पर वोटिंग हो ।

श्री मानिकचंद सुराणा : कि इस पर वोटिंग हो और मेरा यह निश्चित मत है

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

कि यदि इसको वोटिंग पर रखें और इस पर डिविज़न कराया जावे तो इसका पता लगेगा कि सभी इसके पक्ष में हैं। आज राजस्थान के १॥ करोड़ लोग इसके कारण परेशान हैं। वे यह चाहते हैं कि राजस्थान की हाई कोर्ट की बेंच यहां पर हो। मैं यह निवेदन करूंगा कि कोई बिज़नेस रूल आपको इसमें बाधक नहीं है। मैं निवेदन करूंगा कि आप हमारे इस मोशन को वोट पर रखें।

श्री सतीशचंद्र अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, सभी सदस्यों ने अपनी अपनी राय व्यक्त कर दी। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि नाथूरामजी कोई जुबान बन्द करना चाहें तो आप प्रोटेक्शन ले सकते हैं। मैं आपको परम्पराओं की याद दिलाता हूं। इस पर दामोदरलालजी बोलना चाहेंगे, बृज-सुन्दरजी बोलना चाहेंगे। उनको बोलने की इजाजत दी जावे। वे खड़े होकर कहें कि वे कुछ कहना चाहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : सदन का समय समाप्त होगया है अतः सदन की कार्यवाही कल ११ बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(विराम)

पुनः ११ बजे नहीं कल ८॥ बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही ६ बजे गुरुवार, दिनांक २९ सितम्बर, ६६ कोप्रातः ८॥ बजे तक के लिये स्थगित हुई)

परिशिष्ट १

(समयाभाव के कारण प्रश्न समय में न लिये जा सकने वाले तारांकित प्रश्नोत्तर)

शिक्षा सम्बन्धी लक्ष्य

३०५ **श्री रामकिशन (वैर)** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(१) तृतीय पंच वर्षीय योजना में शिक्षा संबंधी क्या लक्ष्य निर्धारित थे और उनमें से कितने पूर्ण रहे और कितने अपूर्ण ? कृपया विस्तृत ब्यौरा सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) यदि निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो सकी है तो किन कारणों से ?

उत्तर

(१) सूची सदन की मेज पर रखी गई है।

(२) जिन लक्ष्यों की पूर्ती नहीं हो सकी उनके कारणों को उपरोक्त सूची में अंकित कर दिया गया है।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

विद्युत मंडल के कर्मचारियों को बोनस

३०६. **श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर)** : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—:

(१) क्या राजस्थान विद्युत मंडल ने पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट के तहत अपने कर्मचारियों को बोनस अदा कर दिया है ? यदि हां, तो कौन कौन से वर्ष का और कितना कितना अदा किया है ? और नहीं तो क्यों नहीं ?

(२) क्या राजस्थान विद्युत मंडल ने बोनस के सम्बन्ध में श्रम अदालत के फैसले के विरुद्ध राजस्थान हाई कोर्ट में जो रिट दायर की हुई है उसको सुप्रीम कोर्ट के बोनस एक्ट की वैधता के संबंध में निर्णय के बाद उस रिट को वापिस लेने के राज्य सरकार ने आदेश दे दिये हैं ? यदि हां, तो कब और नहीं, तो क्यों नहीं ?

(३) क्या यह सही है कि दूसरे कुछ राज्यों के विद्युत मंडलों ने अपने कर्मचारियों को बोनस अदा कर दिया है ?

(४) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने राज्य विद्युत मंडल के मजदूर संगठनों के प्रतिनिधियों को यह विश्वास दिलाया कि किसी भी राज्य विद्युत मंडल द्वारा बोनस आदा करने पर राजस्थान में भी बोनस अदा कर दिया जावेगा ? यदि हां, तो राज्य सरकार ने इस आसवाशन को पूरा क्यों नही किया ?

उत्तर

(१) जी नहीं।

(श्री विद्युत मंत्री)

प्रश्न ही नहीं उठता।

यह प्रश्न अभी तक उच्च एवम् उच्चतम न्यायालय के विचाराधीन था। अगस्त सन् १९६६ में इस विषय में उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णय लिया गया है।

(२) रिटों को वापिस लेने के लिये राज्य सरकार द्वारा किसी आदेश देने का प्रश्न नहीं उठता; कारण कि १९६३-६४ वर्ष का बोनस देने का औद्योगिक न्यायालय का निर्णय उच्च न्यायालय द्वारा रद्द कर दिया गया और १९६२-६३ के प्रश्न को इस आदेश के साथ औद्योगिक न्यायालय को वापिस भेज दिया गया कि वह इस का निर्णय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को ध्यान में रखते हुये करे।

(३) इस संबंध में अप्टूडेट जानकारी नहीं है।

(४) जी नहीं।

स्पेशल स्टाफ का फिक्सेशन

३०७. **श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा** (रायसिंहनगर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या सार्वजनिक निर्माण विभाग (भवन एवं पथ) स्पेशल स्टाफ के फिक्सेशन का कार्य पूरा हो चुका है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जी नहीं। फिक्सेशन कार्य पूर्ण न होने के निम्न कारण हैं :—

कर्मचारियों का सेवा अभिलेख (सेवा पुस्तिका व व्यक्तिगत पत्रावली) आदि उपलब्ध न होने व कुछ कर्मचारियों ने वर्क चार्ज में अधिक वेतन प्राप्त किया है और वेतन निर्धारण करने पर वसूली बनती है।

आर० पी० एस० १९५६-व १९६१ में वेतन निर्धारण के मामले अनुमोदित वेतन निर्धारण प्रपत्र के अनुसार एरियर की भुगतान की जाने वाली कार्यवाही में समय लगता है।

कोटा डिपो से चलने वाली बसें

३०८. **श्री भैरवलाल 'कालाबादल'** (अकलेरा) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) राज्य परिवहन निगम डिपो, कोटा पर १ अगस्त सन् १९६६ से सितम्बर, ६६ में अब तक किस किस रूट पर निर्धारित समय पर बस नहीं चली? यदि गाड़ियां लेट चलीं तो कितनी लेट चलीं? तारीखवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करे।

(२) उक्त अवधि में किस रूट पर किस किस तारीख को बसों का कर्टेलमेन्ट किया गया?

उत्तर

(१) कोटा डिपो की विभिन्न मार्गो की गाड़ियों की सूची तारीखवार जो समय पर मार्ग पर नहीं गई व कितनी देर से भेजीगई, की सूची सदन के पटल पर रखदी गई है।

(२) उक्त अवधि में जिन जिन तारीखों को विभिन्न मार्गों पर बसें नहीं भेजी गई उनकी सूची सदन के पटल पर रखदी गई है।

Page No. 143

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

पंचायती समितियों के अध्यापकों का फिक्सेशन

३०९. **श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) राजस्थान में ऐसी कितनी पंचायत समितियां हैं जिनके अध्यापकों का फिक्सेशन अभी तक नहीं हुआ है ?

(२) क्या यह सही है कि बीकानेर तहसील पंचायत समिति के अध्यापकों को अब तक कोई सालाना इन्क्रीमेन्ट नहीं मिला है और न उनका फिक्सेशन हुआ है ?

उत्तर

(१) सूचना इकट्ठी की जा रही है।

(२) जी नहीं।

मकराना-लादरिया सड़क का कार्य

३१०. **श्री मोतीलाल चौधरी** (डीडवाना): क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) मकराना लादरिया वाया बूड़सू, अरवाला, बरवाली, जूसरी सड़क का कार्य अब तक पूर्ण न होने का क्या कारण है तथा अब कब तक सड़क पूर्ण होकर तैयार हो जावेगी ?

(२) क्या यह सही है कि सरपंच भरनाई (पं. स, मकरना) एवं प्रधान मकराना ने भी इस सड़क को बरवालों मे बरवाली तक मिलाने की लिखित में मांग की थी ? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही हुई ?

उत्तर

(१) यह सड़क स्टेट रोड प्लान में स्वीकृत नहीं है; अर्थाभाव के कारण सड़क कब तक पूर्ण होगी निश्चित नहीं कहा जा सकता।

(२) इस विभग को ऐसा पत्र कब भेजा गया, संदर्भ के अभाव में निश्चित नहीं कहा जा सकता।

मेयो कॉलेज अजमेर के अध्यापक वर्ग की सेवा शर्तें

३११. **श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

मेयो कॉलेज, अजमेर के अध्यापकों के नियम, अधिनियम एवं सेवा शर्तें क्या है ?

सदन की मेज पर उपरोक्त की प्रति रखने की कृपा करें।

उत्तर

सूची सदन की मेज पर रखदी गई है।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

उदयपुर में भूमि अवाप्ति

३१२. श्री **मानिकचन्द सुराणा** (कोलायत : क्या स्वायत शासन मंत्री यह बताने

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

की कृपा करेंगे:—

(१) अर्बन इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट, उदयपुर ने कितनी कृषि भूमि आज तक अवाप्त की है ?

(२) उदयपुर नगरपालिका क्षेत्र में कुल कितनी कृषि भूमि अभी भी बिना अवाप्त की हुई मौजूद है ?

(३) उक्त कृषि भूमियों को अवाप्त करने के सम्बन्ध में यू. आई. टी. की क्या नीति है ?

(४) क्या यू. आई. टी. उदयपुर श्री राव मनोहरसिंह की जमीनों को अवाप्त करने का विचार रखती है ? क्या इन कृषि भूमियों को आबादी जमीन में परिवर्तित कर दिया गया है ? यदि हां तो, कब और कितनी कीमत लेकर ? इन दोनों जमीनों का क्षेत्र-फल क्या है ? क्या कृषि भूमि से आबादी भूमि में परिवर्तन यू. आई. टी. की स्वीकृति से किया गया है ? यदि हां, तो स्वीकृति किस आधार पर दी गई ?

(५) क्या यू. आई. टी. उदयपुर (१) पाली वालों की बाड़ी (२) मालम वालों की बाड़ी (३) कुराबड़ वालों की बाड़ी (४) जगदम्बा लाल माथुर सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर (बिल्डिंग्स व रोड्स) की कृषि भूमियों को आबादी में परिवर्तित करना या अवाप्त करना चाहती है ?

उत्तर

(१) १२ बीघा २ विस्वा काश्त की जमीन एक्वायर की है ।

(२) नगरपालिका क्षेत्र में बिना एक्वायर की हुई काश्त की जमीन का रकबा १९७४ बीघा १० बिस्वा और १२ बिस्वान्सी है ।

(३) योजना व जरूरत के मुताबिक ये काश्त की जमीनें एक्वायर की जाती हैं ।

(४) श्री राव मनोहरसिंह की फतेह सागर के पास वाली जमीन योजना मंजूर होने पर जरूरत के मुताबिक एक्वायर की जायेगी । काश्त की जमीन को आबादी में बदलना व उसकी कीमत वगैरह का ताल्लुक रेवेन्यू विभाग से है । दूसरी जमीन का इशारा माननीय सदस्य का किस जमीन से है साफ जाहिर नहीं है, मगर श्री रावमनोहरसिंह की जमीन का रकबा ३३ बीघा १० बिस्वा व १ बिस्वान्सी है । काश्त की जमीन को आबादी में बदलने के लिये यू. आई. टी. की मंजूरी का सवाल पैदा नहीं होता ।

(५) यू. आई. टी. उदयपुर केवल पाली-वाले बाहेरों की बाडी को हाथीपोल योजना के सिलसिले में एक्वायर करना चाहती है । बाकि बाड़ियों को एक्वायर करने का फिलहाल कोई विचार नहीं है । आबादी में बदलने का सवाल तो एक्वायर करने के बाद ही विचार किया जायगा ।

गांधी सागर बांध पर बिजली का उत्पादन

३१३. **श्री रामानन्द अग्रवाल** (अलवर): क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) गांधीसागर बांध में इस वर्ष पानी की मात्रा कितने फुट हो गई है ? यह

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

मात्रा औसत मात्रा से कितनी कम या ज्यादा है ?

(२) क्या यह सही है कि गांधी सागर बांध पर पॉवर हाउस ने पूरी शक्ति से काम करना प्रारंभ कर दिया है ? यदि हां, तो क्या चम्बल क्षेत्र में भाखड़ा क्षेत्र की जो बिजली दी जा रही थी वह बन्द कर दी गई है ?

(३) भाखड़ा क्षेत्र की जो बिजली चम्बल क्षेत्र को दी जा रही थी उसके चम्बल क्षेत्र से बच जाने के बाद उपयोग किस किस स्थान के लिये किया जावेगा ?

उत्तर

(१) २३-९-६६ को गांधी सागर बांध का तल १२६५९० फुट था।

यह मात्रा औसत तल से ३६ फुट कम है।

(२) जी नहीं।

(३) प्रश्न ही नहीं उठता।

(४) प्रश्न नहीं उठता।

राजगढ़-भूपा सड़क के लिये भूमि का मुआवजा

३१४. श्री मोहरसिंह (चूरू) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या राजगढ से भूपा तक की सड़क के लिये ली गई भूमि का मुआवजा संबंधित किसानों को दिया गया है ? यदि हां, तो कब और कितना ? यदि नहीं, तो अब कब तक दिया जावेगा और वह कितनी धन राशि होगी ?

उत्तर

राजगढ़-भूपा रोड का निर्माण राज्यों के विलीनिकरण से पूर्व हुआ है अतः इस विभाग को मुआवजा संबंधी कोई जानकारी नहीं है।

विभागीय तौर पर कराये गये कार्यों की राशि

३१५. श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) वर्ष ६४-६५ व ६५-६६ में कितने कार्य विभागीय तौर पर कराये गये और उनकी कुल धन-राशि कितनी है ?

(२) राजस्थान में उक्त अर्से में जो विभागीय तौर पर कार्य कराये गये, उनका कुल कार्य की तुलना में प्रतिशत क्या है ?

(३) क्या मालवीय इन्जीनियरिंग कॉलेज के निर्माण के लिए पी. डब्ल्यू. डी. (बी. एण्ड आर.) का कोई अलग खण्ड निर्मित किया गया है ? यदि हां, तो किस तारीख से ? क्या डिवीजन का निर्माण करने का आधार यह रखा गया था कि उक्त सारा कार्य विभागीय आधार पर किया जावेगा ?

(४) क्या यह सही है कि उक्त खण्ड के निर्माण के बावजूद भी मालवीय

Page No. 146

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

इन्जीनियरिंग कॉलेज का कुछ कार्य ठेकेदारों के माध्यम से कराया गया है? यदि हां, तो ऐसे कार्य की राशि क्या है ?

उत्तर

(१) वांछित सूचना एकत्रित की जा रही है जो आने पर प्रस्तुत करदी जावेगी।

(२) वांछित सूचना एकत्रित की जा रही है जो आने पर प्रस्तुत करदी जावेगी।

(३) जी हां। सितम्बर, ६४ से मालवीय रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज भवन तथा कॉलोनी रोड्स के निर्माण हेतु डिवीजन बनाया गया है।

(४) जी हां।

टेण्डर कोस्ट ५, ४८, ७०६) रु० है।

स्थगित प्रश्न

(२२-६-६६)

नापासर पंचायत की दुग्ध वितरण की योजना

१५५. श्री भीमसेन : (लूणकरणसर): क्या विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(१) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत नापासर ने अपने क्षेत्र के पशु–धन हेतु तथा दुग्ध उत्पादन की दृष्टि से अपनी दस हजार बीघा गोचर भूमि की विकास की योजना तैयार की है ?

(२) क्या सरकार उक्त पंचायत को उक्त गोचर भूमि में एक दो–ट्यूब वैल खोद कर उक्त योजना में सहयोग देने को तैयार है ?

उत्तर

(सरकार से उत्तर प्राप्त नहीं हुआ)

शुद्धि-पत्र

(कार्य-विवरण–बुधवार, दिनांक २८ सितम्बर, १६६६)

स्कम्भ सं०	पंक्ति सं०	अशुद्धि	शुद्धि
१	७	विद्युत्	विद्युत्,
२	४	स्वीकृत	स्वीकृति
३	१२	श्री मजलिश खां	श्री मजलिस खां
५	१३	है बनाया गया है।	ही बनाया गया है।
६	अन्तिम से ६–१०	एग्जीक्यूटिव	एग्जिक्यूटिव
८	१	मरमत	मरम्मत
,,	११	मैंने	मैं
६	१५	ग्रौर	ग्रोर
१०	शीर्षक	तारांकित	तारांकित
,,	अन्तिम से ३	फालतु	फालतू
११	,, ,, ८	यह सर्कल तो	यह तो सर्कल
	,, ,, २	श्री मुरलीधर व्यास ?	श्री मुरलीधर व्यास !
१४	२	खोली	खोला
१६	अन्तिम से ७	एपस्केशन	एप्लीकेशन
१७	,, ,, १३	दरर्वास्त	दर्ख्वास्त
१६	६	कार्थवाही	कार्यवाही
,,	१२	मन्त्रो	मन्त्री
,,	अन्तिम से ८	समान	सामान
२१	१०	विभाग की	विभाग को
२२	१६	serviee	service
२३	शीर्षक	तारांकित प्रश्नोंत्तर २८–सितम्बर,	तारांकित प्रश्नोत्तर –२८ सितम्बर,
,,	अन्तिम से १३	सर्विसेज	सर्विसेज़
२४	७	मेजेंगे	भेजेंगे

१	२	३	४
२४	१५	फिक्स नहीं	फिक्स
,,	२४	कैबिनेटि	केबिनेट
२६	६	केबिनेटि	केबिनेट
२८	२	ज्योंहि	ज्योंही
३२	६	सूपरसीड	सुपरसीड
,,	८	र्यह	यह
,,	२१	क्या कारण हैं सू	क्या कारण हैं ?
३३	अन्तिम से ८	प्रे लिमिनेरी	प्रिलिमिनरी
,,	,, ,, ७	अनियमित्तायें	अनियमिततायें
३४	८	भ्शी	श्री
,,	अन्तिम से ५	ढाबरिया ?	ढाबरिया !
३५	३	उद्योगपतियों	उद्योगपतियों
३६	१४	श्री धासीराम	श्री घासीराम
३८	१७-१८	परिस्यिति तियां	परिस्थितियां
४०	शीर्णक	तारांकित	तारांकित
,,	११	जोधासिह्	जोधसिह
४२	५	मेंने	मैंने
४५	७-८	क्लेरिफीकेशन	क्लेरिफिकेशन
४७	६	मांर्गे	मांगें
५०	१०	उटे थे	उठे थे
५२	अन्तिम से १२	श्री अध्वक्ष	श्री अध्यक्ष
५३	,, ,, ८	आर्क्योलॉजाकल	आर्क्योलॉजीकल
५४	११	कर्यवाही	कार्यवाही
,,	अन्तिम से ४	क्षध्यअ	अध्यक्ष
५५-५६	स्कम्म	६५] [६६	५५] [५६
५८	अन्तिम से ६	कुरें ।	कृपा करें ।
६१	शीर्णक	अमुपस्थित	अनुपस्थित
,,	शीर्ष	(पंचायत	(श्री पंचायत
,,	१८	हुई है ।	हुई है ?
,,	२२	दिये हैं ।	दिये हैं ?

१	२	३	४
६२	अन्तिम से ८	श्री जयनायण	श्री जयनारायण
६३	शीर्ष	(श्री जयनारायण सालोदिया)	--
,,	१०	कब तक	कब कब
,,	अन्तिम से ६	श्री जगनारायण	श्री जयनारायण
,,	,, ,, ४	गया था ।	गया था ?
६४	२०	४६. जिला	जिला
,,	२१	श्री जयनारायण	४६. श्री जयनारायण
६५	११	रघुवीरसिह	रघुवीरसिंह
६६	शीर्षक	द्रश्नोत्तर	प्रश्नोत्तर
६७	२१	(बी० गृ०	(बी० गृ०)
,,	२४	में बेंज	बैंज
६८	६	याचिका	याचिका का
,,	१३	प्रक्कलन	प्राक्कलन
,,	१८	हूं ।	हूं :
६९	६	बटवारा	बंटवारा
७०	१	घण्टे	घण्टे
,,	२	बांद	बाद
,,	४	आधा	आधा
७१	६	अविश्वांस	अविश्वास
,,	१६	श्री योगेन्द्रनाम	श्री योगेन्द्रनाथ
७२	५	ब्यास :	व्यास :
,,	७	जाबें	जावें
,,	१३	मैंरे	मेरे
,,	१५	दिवा	दिया
७३	अन्तिम से १०	मयकर	भयंकर
,,	,, ,, ६	महगाई	महंगाई
,,	अन्तिम	वर्षो	वर्षों
७४	१३	र्सचिग	र्सचिंग
७६	१३	मानकीय	माननीय
,,	१८	ओर	ओर

१	२	३	४
७६	अन्तिम से ६	होन	होने
७७	५	पार्टियां	पार्टियां
,,	६	हैं	है
,,	१३	महगी	महंगी
८	९	महगाई	महंगाई
,,	१६	अनाज	अनाज का
,,	१७	होडरर्स	होर्डरर्स
	१८	उनको	उनकी
,,	२८ व ३०	मंत्री-मंडल	मंत्रि-मंडल
,,	२९	बिचार	विचार
८०	२१	उन्होने	उन्होंने
,,	२६	अपन	अपने
,,	२७	ता	तो
८२	३	हे	है
,,	अन्तिम से १०	प्लॉनिग	प्लानिंग
,,	,, ,, ६	की मांग की	मांग की
८४	अन्तिम से ३	करना थे चाहते ।	करना चाहते थे ।
८६	२	उदययुर	उदयपुर
,,	१०	रिपोटों	रिपोर्टों
,,	१२	रिपोटों	रिपोर्टों
,,	अन्तिम से ७	अ र	और
८७	८	परसेन्ट	पर्सेन्ट
८८	अन्तिम	संधर्ष	संघर्ष
९०	२४	नहो	नहीं
,,	२६	जानां	जाना
,,	२८	मत्री	मंत्रि
,,	अन्तिम से २	तिरगे	तिरंगे
९१	,, ,, ८	मत्रिमण्डल	मंत्रिमण्डल
९२	१७	मत्री	मंत्री
,,	१९	ब्यास	व्यास

१	२	३	४
९३	१ व ३	क्लेक्टर	कलेक्टर
९६	१	छपाया	छपाया
९९	३	श्री कुम्भाराम	श्री कुम्भाराम
१०१	स्कम्भ	११]	१०१]
,,	अन्तिम से ६	प्रिकिमिनर	प्रिलिमिनरी
१०२	१	मे	में
,,	६	काग्रेस	कांग्रेस
,,	२४	वनीपार्क	वनीपार्क
१०३	अन्तिम से ६	ह।	है।
१०४	,, ,, ७	ग्रोर	ग्रौर
१०५	२५	Badhwor	Badhwar
,,	,,	follaw	follow
१०६	१	भा	भी
,,	६	इन्क्बायरी	इन्क्वायरी
,,	,,	डीं वाई०	डी वाई०
,,	११	ग्रमी	ग्रभी
,,	१४	वह्	वह
,,	२०	इस	यह
१०८	६	मैंरे	मेरे
,,	८	सम्वतृ	सम्वत्
१०९	७	डिसीजस	डिसीजन्स
११३	२	फंसला	फैसला
,,	१०	नहां	नहीं
११४	६	मँ	में
,,	२०	नही	नहीं
११५	४ व २३	क्लेक्टर	कलेक्टर
११९	४	हे	है
,,	२३	धर	घर
१२०	२, ३, ८, १५,		
	१८, २२ व ३२	मन्त्री-	मंत्रि-

१	२	३	४
१२०	११	धर	घर
,,	१५	में मेंढ़क	मेंढ़क
,,	अन्तिम से ८	सन्त्री	मंत्री
१२१	९	मंत्री-परिषद	मंत्रि-परिषद
१२३	५	बह	वह
१२४	५	वट।	क्या
१२५	१	ला	ली
१२६	स्कम्भ	१२६	१२६
१२७	अन्तिम से ४	भ्रष्टाच	भ्रष्टाचार
१२८	अन्तिम से ५	लिखकर	लिखकर
१३१	अन्तिम से १३	यह जो	जो
१३२	२	पैं	मैं
,,	अन्तिम	भूम	भूमि
१३४	४	में	मैं
१४०	८	आपके	आप से
१४१	१४	सके	इसके
१४३	५	का	को
,,	१५	चौरियां	चोरियां
१४६	१७	हाफ आवर	हाफ एन आवर
१५०	१७	क्रधि	कृषि
१५१	२	फर्ट	फर्स्ट
१५४	८	८३२	८.३२
,,	अन्तिम से १४	८८	७८
१५५	अन्तिम से ९	करवेंगे	करेंगे
१६७	अन्तिम	आदेशनुसार	आदेशानुसार
१७०	अन्तिम से ८	कहना	करना
१७८	८	इन इन	इन
१७९	१३	नहीं	पाबन्दी नहीं
१८१	२०	घूप	धूप

१	२	३	४
१८१	अन्तिम से ४	लोक	लोक-
१८५	१०	आलचना	आलोचना
१८६	५	पड़ेगे	पड़ेंगे
१८८	२२	पुरा	पूरा
१८९	२०	रख	रह
१९४	९	की कम	की कीमत कम
१९५	९	गुलामी के	गुलामी की
१९६	२१	स्वय	स्वयं
१९७	१८	श्री	श्रीमती
१९८	अन्तिम	व्यास	व्यास
१९९	अन्तिम से ५	वसे	वैसे
२०४	,, ,, ७	भ्रष्टाचार	भ्रष्टाचारी
,,	अन्तिम	इसमें	इससे
२०६	२१	डिल्बे	डिब्बे
२१९	६	वद	वैद
२२२	७	चीहान	चौहान
,,	१५	में	मैं
,,	१८	देगे	देंगे
२२७	१०	मथुरेश विहारी	मथुरेश बिहारी
२३१	१४	दुर्भा	दुर्भा-
२३२	५	श्रौर	और
२३५	अन्तिम से ८	कांग्रेस	कांग्रेस
२३७	,, ४	वाली	वाली
२३८	,, १०	कनफिलम्टिग	कनफिलम्टिग
२४०	७	चाहनी	चाहता
२४१	३	चांहिए	चाहिए
,,	१०	क्यों	क्योंकि
,,	२५	जतना	जनता
,,	अन्तिम से ३	समक्ष	सक्षम
२४२	१९	दुरगालाल	दुर्गालाल

१	२	३	४
२४३	३	वाढ़दार	वाढ़दार
,,	१६	बेस्टे वेन्स	वेस्ट ब्रेन्स
२४५	अन्तिम से ५	त्रसित	त्रस्त
२४६	३	में	मै
,,	अन्तिम से ६	बैंच	बैंच
२४७	२	निवांसी	निवासी
,,	७	यहा	यहाँ
,,	८	पाटीं	पार्टी
,,	१२	वेशक जोधपुर	बेशक जोधपुर
,,	अन्तिम से ८	मन्त्रीमण्डल	मंत्रिमण्डल
२४८	१	दा	दो
,,	५	में	मैं
,,	११	प्रतिष्टा	प्रतिष्ठा
,,	२२	ओन ए पोइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर।	On a point of order, Sir.
,,	२५, २६	सब्टेंटिव	सब्सटेंटिव
२४६	१०	सदस्यों को	सदस्यों के
,,	१०	सस्टेंटिव	सब्सटेंटिव
,,	१४	से	तो
,,	१५	मालुम	मालूम
,,	१७	सब्टेंटिव	सब्सटेंटिव
,,	१६	आपति	आपत्ति
,,	२०, २४	सब्टेंटिव	सब्सटेंटिव
,,	२४	रुप	रूप
२५०	६	और मुखापेश	और मुखापेक्ष
,,	११	(चोहटन)	(चौहटन)
,,	१४	सोरी,	Sorry
,,	२०	फतेसिह जी	फतेहसिंह जी
,,	अन्तिम से ५	तक	तब
२५१	१	हाई	हाई कोर्ट

१	२	३	४
२५१	८	मंत्री मण्डल	मंत्रिमण्डल
२५२	अन्तिम से ६	समस्मा	समस्या
२५३	अन्तिम से ७	इन्स्टूमेंट	इन्स्ट्रूमेंट
२५४	६	वेन्चेज	वेन्चेज
,,	१२	प्रोसोजर	प्रोसीजर
,,	१५,१६	राउ ऑफ जस्टिस इस कमिंग	rod of justice is coming.
२५५	अन्तिम से ७	रहा	रही
,,	,, ६	हैं	है
२५६	१२	वोलें।	वोलें।
,,	१४,१६,१८	श्रीं	श्री
,,	अन्तिम से ६	मीहनलाल	मोहनलाल
२५७	शीर्षक	कोर्ट	कोर्ट
,,	४	जाहिए	चाहिए
,,	७	कु	कुछ
,,	१६	हैं	है
,,	अन्तिम से ५	किया	दिया
,,	,, ४	में	मैं
२५८	६	करने	करते
,,	११	श्रम	भ्रम
,,	२०	रहें	रहे
,,	२५	में हाई कोर्ट की बैंच हो,	के लोग भी कहेंगे
,,	२८	चाहती	चाहती है
,,	२६	के लोग भी कहेंगे	में हाई कोर्ट की बैंच हो,
,,	अन्तिम से ३	फोर्ट	कोर्ट
२६०	५	भैरोंसिह	भैरोंसिह
,,	१५	वाइफरेक्ट	बाइफरकेट
२६१	६	रहें	रहे
,,	२०	जवाव	जवाव
,,	२३	स्टेटमेंन्ट	स्टेटमेन्ट
,,	अन्तिम से २	भरोंसिह	भैरोंसिह
२६४	१४	करेगे ?	करेंगे ?

१	२	३	४
२६५	१	मैरोंसिह	भैरोंसिह
,,	अन्तिम से ४	इन्टिग्रेटेट	इन्टिग्रेटेड
२६६	२२	क्षेत्रियता	क्षेत्रीयता
,,	२५	हैं	है
३६७	१७	सभा	सभी
२६८	२२	वेसे	वैसे
,,	अंतिम	अग्रवल	अग्रवाल
२६९	शीर्षक	हाई कार्ट	हाईकोर्ट
,,	१८	इसलिए	इसलिए
२७०	शीर्षक	संबंधा	संबंधी
,,	९	वा	वाद
,	१६	मैने	मैंने
२७२	१२	relevent	relevant
,,	२८	cndcavouaed	endeavoured
,	३०	Promote	promote
२७४	८	है	है जो
,,	९	वार	बार
,,	१९	पोलिटिक्ल	पोलिटिकल
,,	२१	पोलिटिकल क्लर	पोलिटिकल कलर
,,	२४	स्वस्थ्य	स्वस्थ
,,	२५	पविजता	पवित्रता
,	२६	निर्य—	नियं-
,,	३१	बातावरण	वातावरण
,,	अन्तिम	केविनेट	केबिनेट और
२७५	४	पोलिटीकल	पोलिटिकल
,,	१७	बरक्कतुल्ला खां	बरकतुल्ला खां
,,	१९	कराये	करायें
,,	नीचे से ३	इसके	इसको
२७६	२	मोहदय	महोदय
,,	१०	ऑडर	ऑर्डर
२७७	३	कहें	कहे

१	२	३	४
२७७	११	सबस्टे—	सब्सटे--
२७८	१८	वोलेंगे ।	बोलेंगे ।
,,	२२	संचालन	संचालन नियमों
२८१	७	व्यौरा	ब्यौरा
,,	१४	पूर्ती	पूर्ति
२८२	६	फंससे	फैसले
,,	अन्तिम से ८	दिलाया	दिलाया था
,,	,, ७	राज्य	राज्य के
,,	,, ६	आादा	अदा
,,	,, ४	आसवाशन	आश्वासन
२८३	१२	ओद्योगिक	औद्योगिक
२८४	१३	लेरा)	लेरा मु०)
,	अन्तिम से ७	मार्गो	मार्गों
२८५	३	पंचायती	पंचायत
,,	अन्तिम से ६	अरबाला	बरबाला
२८६	८	विभग	विभाग
,,	१७	है	हैं
,,	अन्तिम से २	नुराणा	सुराणा
,,	अन्तिम	यत :	यत) :
२८७	शीर्षक		२८७
,,	१५	हाॅ तो,	हाँ, तो
,,	अन्तिम से ५	आबदी	आबादी
,,	,, २	विस्वा	बिस्वा
२८६	१५	१२६५६०	१२६·५००
,,	१६	३६	३४
,,	१६	(३)	--
,,	२०	(४)	(३)
,,	२०	उटता	उठता
२६१	१	इन्जीनियरिंग	इन्जीनियरिंग
२६२	६	ग्रास	ग्राम
,,	१२	बैल	वैल